दशम माला, खंड 1, अंक 8

गुरुवार, 18 जुलाई, 1991
27 आषाढ़, 1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(पहला सत्र)
(दसवीं लोक सभा)

(खंड 1 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

गुरुवार, 18 जुलाई, 1991 / 27 आषाढ़, 1913 (शक)

का

शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
विषय सूची (iii)	नीचे से पंक्ति 5	"श्री थाइमा सिंह युमनाम" के स्थान पर "श्री याइमा सिंह युमनाम" पढ़िये।
22	18	(:) पंक्ति में से निकाल दीजिए।
39	अंतिम पंक्ति	मंत्री के नाम के पश्चात् (क) से (ग) अन्तः-- स्थापित कीजिए।
44	नीचे से पंक्ति 11	"श्री धर्मण्णा मेंडियूया सादुल" के स्थान पर "श्री धर्मण्णा मोंडियूया सादुल" पढ़िये।
116	7	"श्री अर्जुज सिंह" के स्थान पर "श्री अर्जुन सिंह" पढ़िये।
143	17	"श्री गोरेश्वर सावे" के स्थान पर "श्री मोरेश्वर सावे" पढ़िये।
143	नीचे से पंक्ति 2	"महलीपट्टनम" के स्थान पर "मछलीपट्टनम" पढ़िये।
226	नीचे से पंक्ति 2	"शक्रवार" के स्थान पर "शुक्रवार" पढ़िये।

विषय सूची

दशम माला, खंड 1, पहला सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 8, गुरुवार, 18 जुलाई, 1991/27 आषाढ़ 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 81 से 84	1–21
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या : 85 से 100	22–36
अतारांकित प्रश्न संख्या : 303 से 375 और 377 से 388	37–100
सोने को गिरवी रखे जाने के बारे में	101–120
सभा पटल पर रखे गए पत्र	121–124
राज्य सभा से संदेश	125
समिति के लिए निर्वाचन :	
राजभाषा समिति	126
कार्य मंत्रणा समिति :	
पहला प्रतिवेदन–स्वीकृत	126
सभापति तालिका	127
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) कावेरी जल-विवाद न्यायाधिकरण के अंतरिम आदेश को अभी लागू न किए जाने की आवश्यकता–	
श्रीमती बासव राजेश्वरी	127
(दो) बाड़ी बरसिंहसर, राजस्थान के उन किसानों को, जिनकी भूमि ताप लिग्नाइट संयंत्र के लिए अधिग्रहित की गई थी, देय मुआवजे की राशि में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता–	
श्री मनफूल सिंह	128

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था ।

पृष्ठ

(तीन) मध्य प्रदेश में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र लगाने की मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता–

श्री मरताज सिंह 128

(चार) गुजरात में अहमदाबाद जिले के धंधुका, विरमगाम और बोलेरा में उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता–

श्री रतिलाल वर्मा . . 129

(पांच) ब्राह्मणी नदी पर बने जाकोडिया बांध को पुनः चालू करने के लिए उसकी मरम्मत किए जाने की आवश्यकता–

श्री अनादि चरण दास . . 129

(छः) कोयला खान उद्योग के श्रमिकों की दशा में सुधार किए जाने की आवश्यकता–

श्री हाराधन राय . . . 130

(सात) अनुपगढ़, राजस्थान में उच्च शक्ति वाला रिले केन्द्र शीघ्र स्थापित किए जाने की मांग–

श्रीमती वसुन्धरा राजे . . 130

(आठ) केरल में पुनलूर कागज मिल को पुनः खोले जाने की मांग

श्री कोड्डीकुनील सुरेश 130

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव :

श्री पी० सी० चाक्को . . 132

श्री चित्त बसु . . . 134

महारानी बिभु कुमारी देवी . 137

श्री पवन कुमार बंसल . . . 140

श्री सूरज मंडल . . 143

श्री सुनील दत्त . . . 147

श्री प्रताप सिंह 151

श्री चन्दू लाल चन्द्राकर 154

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी . 158

श्री अटल बिहारी वाजपेयी 163

पृष्ठ

श्री राजेश पायलट 171

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह 177

श्री चन्द्र शेखर 193

श्री ई० अहमद 203

श्री मणि शंकर अय्यर 207

श्री ए० चार्ल्स 214

श्री पीयूष तीरकी 217

श्री मंगल राम प्रेमी 219

श्री थाइमा सिंह युमनाम 221

श्री आर० जीवरत्नम 225

मंत्री द्वारा वक्तव्य :

स्वर्ण संव्यवहार के बारे में–

श्री मनमोहन सिंह 200–202

लोक सभा

गुरुवार, 18 जुलाई, 1991/27 आषाढ़, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म०पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

(अनुवाद)

राष्ट्रीय कृषि नीति का प्रारूप

*81. +श्री अटल बिहारी वाजपेयी
श्री लाल कृष्ण आडवाणी } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि नीति का प्रारूप अभी भी सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या यह नीति-प्रारूप राज्य सरकारों और कृषि विश्वविद्यालयों को उनके विचार जानने के लिये भेजा गया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों की क्या प्रतिक्रिया रही है;

(घ) सरकार का इस नीति को कब तक लागू करने का विचार है; और

(ङ) पिछली बार कृषि नीति कब तैयार की गई थी और इसका प्रभाव कैसा रहा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (घ): मार्च, 1991 में तैयार किया गया कृषि नीति संकल्प का प्रारूप सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों तथा कृषि विश्वविद्यालयों को उनके विचार जानने के लिए भेजा गया था। पांच राज्यों/संघशासित क्षेत्रों और 7 कृषि विश्वविद्यालयों ने अपनी टिप्पणियां भेजी हैं। राज्य सरकारों से टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

(ङ) विगत कुछ समय में कोई वृहत कृषि नीति संकल्प संसद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, अभी भी राष्ट्रीय कृषि नीति सदन के या देश के सामने नहीं आई है। हम यह कहते हुए नहीं थकते कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, कृषि हमारा सबसे बड़ा उद्योग है, कृषि आर्थिक विकास की कुंजी है, लेकिन इस देश में औद्योगिक नीति है, श्रम

नीति है, स्वर्ण नीति है, मगर अभी तक कृषि के बारे में कोई नीति नहीं बनी। कृषि मंत्री स्वयं एक अच्छे किसान हैं, बड़े किसान हैं और कृषि पंडित हैं। क्या राष्ट्रीय कृषि नीति के निर्धारण में जो विलम्ब हुआ है, वह उसको उचित समझते हैं ? इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब कृषि नीति का प्रारूप राज्यों को भेज दिया गया, उसके बारे में विश्वविद्यालयों की राय ली जा रही है तो उसकी एक प्रति सभा पटल पर रख देते जिससे संसद के सदस्यों को पता लग जाये और वह सार्वजनिक चर्चा का विषय बन जाये।

कृषि मंत्री (श्री बल राम जाखड़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि हमारा सब कुछ कृषि पर आधारित है और कृषि के कारण ही। देश की अर्थव्यवस्था संभली और हमें सम्मान प्राप्त हुआ। माननीय सदस्य ने कृषि नीति के विषय में कहा है। हां, वह पूर्णरूपेण ढंग से सामने नहीं लायी गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि नीति ही नहीं है और न ही यह पहले थी। हमेशा से काम नीति के अनुसार ही होता है, लेकिन वह लिखित रूप से सामने नहीं आ सकी है। उसके लिये यह कह सकते हैं कि जो निचोड़ आया है, सार आया है वह काफी विचार-विमर्श के बाद सामने आया है। उसको भेजा गया है ताकि और बाकी परिष्कृत रूप आपके सामने आ सके। वह परिष्कृत रूप सामने आ जायेगा। यह एक पब्लिक डाकुमेंट है। वह आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। यूनिवर्सिटिज को भेजा है, स्टेटस को भेजा है। यह कोई छिपाने वाली बात नहीं है।

श्री वसुदेव आचार्य : वह हमें भी दे दें।

श्री बल राम जाखड़ : आपको भी दे देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है.. (**व्यवधान**).. हमने अपने हिसाब से इसको देखा हैं। मैं आपको फिर बताऊं, हमने अपने मैनिफैस्टो मे इसका जिक्र किया है।

[**अनुवाद**]

यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1991 के लोक सभा चुनाव के लिये जारी की गई चुनाव घोषणा पत्र से उद्धृत किया गया है। यह भूतपूर्व प्रधान मंत्री की एक मुख्त घोषणाओं के बारे में है। इसमें कहा गया है कि एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे लागू किया जाएगा ताकि कृषि का समन्वय विकास किया जा सके, और पर्यावरण संरक्षण, वानिकी, बंजर भूमि विकास, जल संसाधन प्रबंध, वन भूमि, और सार्वजनिक चारागाह और सामुदायिक भूमि सहित सार्वजनिक संपत्ति संसाधन प्रबंध को सुनिश्चित किया जा सके। कृषि मूल्य संकल्प के मसौदे में जिसे राज्यों में परिचालित किया गया है उसमें निम्नलिखित मदों को भी शामिल किया गया है :

—कृषि के लिये बैंक ऋणों के आवंटन के लिए बैंकों का प्रसार;

—विस्तार सेवाओं को सशक्त बनाना और नये गोदामों के निर्माण तथा भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराना;

—कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना;

—कृषि निर्यात को प्रोत्साहन;

—बागवानी और पशुधन जैसी अन्य संबंधित गतिविधियों को उच्च प्राथमिकता देना;

—कृषि उत्पादों के लिये उचित और लाभकारी मूल्य;

—सिंचाई के लिए पानी और भूमि का अधिक उपयुक्त उपयोग;

—खाद्य प्रसंस्करण और अन्य कृषि प्रसंस्करण पर अधिक बल देना ।

[हिन्दी]

तो यह उसमें भी है और इसके प्रति मैं भी वचनबद्ध हूं। मैं आपके सामने यह सारा प्रोग्राम रखने को तैयार हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तो समझा जाए कि क्या कृषि मंत्री प्रारूप सभा पटल पर रख रहे हैं ?

श्री बल राम जाखड़ : यह तो सब के सामने है, इसका कोई अन्तर नहीं है। सब को भेज दिया है, स्टेट को भेज दिया है और इसमें भी रख देंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष जी, कृषि नीति से सम्बन्धित एक सवाल यह है कि खेत में पैदा होने वाली फसल की कीमत में और कारखानों में बनने वाले माल के दाम में क्या सम्बन्ध होना चाहिए ? हम किसान को लाभप्रद मूल्य देना चाहते हैं लेकिन लाभप्रद मूल्य चींटी की चाल से चलते हैं जब कि कारखानों के प्रति दिन काम में आने वाले माल की कीमतें बिल्ली की छलांग से बढ़ती हैं। अब अगर दोनों में समानता नहीं है, पैरिटी नहीं है तो किसान हमेशा घाटे में रहने वाला है। मैं जानना चाहता हूं कि कृषि नीति में इसके बारे में भी विचार किया गया है और क्या कोई निष्कर्ष निकाला गया है ?

श्री बल राम जाखड़ : जरूरी तौर पर करना है। मैं भी कहता रहा हूं, आप भी इसी बात पर जोर दे रहे हैं और इनका अनुपात हमें तय करना पड़ेगा। आपस में किस तरह से मेल हो, जो किसान को लेना पड़ता है और जो किसान बेचता है, उनका पारस्परिक सम्बन्ध कितना है, इस बात को सोच कर जो नई पॉलिसी हम बनाएंगे, काम करेंगे, जो स्ट्रेटेजी हम बना रहे हैं, उसमें और जो प्राइस कमीशन हमने बनाया है, एग्रीकल्चर के लिए, उसमें विशेषतौर से ध्यान दिया जाएगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन तो है मगर इण्डस्ट्रियल गुड्स के लिए कोई कास्ट ऑफ प्राइस कमीशन नहीं है ... (**व्यवधान**) ... वह ब्यूरो है, उस ब्यूरो की भी रिपोर्ट सदन में नहीं आती।

श्री बलराम जाखड़ : यह तो करना पड़ेगा। यह जरा देखने वाली बात है।

श्री दिग्विजय सिंह : इस विशाल देश में, जहां विभिन्न एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं और इतना विशाल विषय होने की वजह से इसमें जैसा कि पिछले दो दशक पूर्व राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन किया गया था और उसके प्रतिवेदन के आधार पर कृषि नीति तय की गई थी तो मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इस इतने बड़े, व्यापक विषय के लिए क्या आज के मौजूदा सन्दर्भ में वे राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन करने के सम्बन्ध में विचार करेंगे ?

श्री बल राम जाखड़ : अभी तो ऐसा है कि पहला ही काम कर रहे हैं, ओपीनियंस ले रहे हैं, वह आने के बाद विचार करेंगे।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि इतना व्यापक विषय है कि इसमें जब तक अलग से कोई आयोग का गठन, पहले जो हुआ है, श्री राम निवास जी मिर्धा उसमें थे....

श्री बल राम जाखड़ : नहीं, नाथूराम जी मिर्धा थे।

श्री दिग्विजय सिंह : नाथूराम जी मिर्धा उसमें थे तो उसकी कॉम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट उन्होंने पेश की थी लेकिन आज के बदले हुए सन्दर्भ में आज की आवश्यकता है तो क्या आप विचार इस पर करेंगे ?

श्री बल राम जाखड़ : नहीं, अभी आवश्यकता नहीं है। अभी जो हम ओपिनियन एलीसिट कर रहे हैं, उसी के हिसाब से चलाएंगे।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी, इसमें दो मत नहीं हैं कि आजादी के बाद से कृषि की उपेक्षा की गई है और माननीय मंत्री जी भी इसको महसूस करेंगे। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ सरकार से इतना ही कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने कृषि दशक के रूप में अगले 10 सालों को मनाने का निर्णय लिया था, आगामी दस साल, 2000 ईस्वी तक को कृषि दशक के रूप में मनाने का निर्णय लिया था जिसमें किसानों की दशा को सुधारने, ग्रामीण खेती का विकास करने सम्बन्धी सारी चीजें थीं तो वह जो सरकार का निर्णय था, क्या वर्तमान सरकार उस दिशा में कार्रवाई करेगी और अगले दशक को कृषि दशक वर्ष के रूप में मनाने की और किसानों की, खेती की स्थिति को सुधारने का प्रयास करेगी ?

श्री बल राम जाखड़ : खेती का तो विकास करना ही होगा, अगर देश ने आर्थिक स्वावलम्बन प्राप्त करना है तो आधारभूत ही कृषि है। मेरा पक्का इसमें विश्वास है कि हमारे पास इतना सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ भी, प्रकृति का दिया हुआ भी और हमारे साथ किसानों की हिम्मत का .... हम इस देश को स्वावलम्बी बना सकते हैं और उसी हिसाब से उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया जाएगा। इसमें कोई सन्देह नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने कृषि को दशक के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया था, मैं यह जानना चाहता हूं, क्या सरकार उस पर कार्यवाही कर रही है या उसको छोड़ देगी ?

श्री बल राम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, हम अपना काम करेंगे।

"जो दुआ करते थे दवा-ए-दर्दे दिल,

वे अपनी दुकान बढ़ा गए।"...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि जिस प्रारूप की चर्चा उन्होंने उत्तर में की है और जिसे 9 मार्च 1991 को तैयार किया गया कहा गया है, वह श्री शरद जोशी की अध्यक्षता में कृषि संबंधी सलाहकार समिति द्वारा तैयार किया गया ही है या अलग है।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अपनी प्राथमिकताओं को पुनः बनाएगी। मैं आशा करता हूं कि जब तक श्री बल राम जाखड़ कृषि मंत्री हैं तब तक प्राथमिकताओं का पुनर्गठन किया जाएगा ताकि उत्पादन को बढ़ाने के लिए राशि आवंटित करने के साथ ही कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा सके।

श्री बल राम जाखड़ : यह वह समिति नहीं थी जिसका आपने उल्लेख किया है। यह विभाग या, संबंधित सचिवों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट थी। तब यह उन दोनों का एक तरह से समन्वय था। उसे परिचालित किया गया है। मैं आश्वासन देता हूं कि शेष कार्य भी पूरा किया जाएगा।

श्रीमती वासव राजेश्वरी : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार को यह जानकारी है कि चूंकि आदानों जैसे उर्वरकों, बीजों, कीटनाशकों, मजदूरी, विद्युत शुल्क में वृद्धि के कारण विभिन्न कृषि वस्तुओं के उत्पादन के मूल्य में भारी वृद्धि हो गई है और किसान लाभकारी मूल्य की मांग कर रहे हैं।

दूसरी ओर उपभोक्ता सस्ते दर पर पूर्ति चाहते हैं जिससे सरकार को आर्थिक सहायता देनी होती है। यह बहुत ही कठिन स्थिति है।

क्या सरकार कृषि आदानों पर से सभी शुल्कों और करों को हटाने के लिए गम्भीरता से विचार कर रही है ताकि किसान की लागत कम हो और उपभोक्ताओं को भी उत्पाद उचित दरों पर मिल सके ?

अध्यक्ष महोदय : : यह करों के संबंध में है।

श्रीमती वासव राजेश्वरी : नहीं, यह नीतिगत मामला है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री बल राम जाखड़ : हम उत्तर दे सकते हैं। लेकिन कोई सवाल हो। उस संबंध में मैं अच्छी तरह जवाब दे सकता हूं।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि राष्ट्रीय कृषि नीति बनेगी और बननी चाहिए, इससे आप सहमत हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, नीति कौन बनाता है, क्या गर्मी के दिनों में हल चलाने वाले या पत्थर तोड़ने वाले लोग नीति बनाते हैं ? किसान के साथ इतना इनजस्टिस होता है जो किसान के बारे में जानते नहीं हैं, वे नीति बनाते हैं। मैं समझता हूं कि नीति बनाते समय क्या आप किसानों की राय लेंगे कि किसानों के साथ वस्तु-स्थिति में क्या तकलीफ है और उसके अनुसार उनको भाव मिले और सामान मिले—इस बारे में मैं मंत्री जी से जवाब चाहता हूं ?

श्री बल राम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, एक बात तो मैं निश्चित आपको कह सकता हूं। मैंने खुद काम किया है और मेरे हाथ इस बात के गवाह हैं। . . . (**व्यवधान**)

श्री दिलीप सिंह भूरिया : मैंने आपके बारे में नहीं पूछा है, नीति के बारे में पूछा है। . . . . (**व्यवधान**)

श्री बल राम जाखड़ : मैं जो कहता हूं, वैसा सोचता हूं। आपकी बात ठीक है, सलाह करके, किसानों से बातचीत करके, जिन्होंने खुद काम किया है, उन के साथ बात करके, काम करेंगे। ऐसे थोड़े ही कच्चा काम करेंगे।

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय, मुझे मंत्री जी के जवाब से शक है। हमारी कृषि नीति एक-भग्गू जा रही है, जिसमें जो मजदूरों से काम लेते हैं, उन्हीं के हितों की बात हो रही है, जो खुद खेती करते हैं, उनकी बात नहीं हो रही है। मेरा आग्रह होगा कि भूमि-सुधार के वे कम कदम . . . .

अध्यक्ष महोदय : भोगेन्द्र झा जी आप प्रश्न कीजिए।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। भूमि सुधार के वे कदम हदबन्दी से फाजिल जमीन का वितरण, बटाईदार का उस पर मालिकाना हक, जो भूदान से फाजिल जमीन हासिल की गई है उनका वितरण, सार्वजनिक सम्पत्ति के उपयोग के लिए जमीन की रक्षा—इसके बारे में 1986 और 1987 में देशभर के राजस्व मंत्रियों की बैठक में एक मत से निर्णय लिया था, क्या सरकार उसको लागू करने के लिए और इस भूमि सुधार के कदमों को उस कृषि नीति के मातहत पूरा करने के लिए कदम उठाएगी, ताकि सैल्फ-कल्टिवेटिंग-टेनेंन्सी, खुद-जोत करने वालो जमीन के भू-स्वामित्व पर हमारे देश की कृषि नीति आगे बढ़ सके ?

श्री बल राम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है माननीय सदस्य ने शायद सीलिंग कानून नहीं देखा है। अगर सीलिंग कानून देखा है, तो उसके अनुसार कितनी भूमि पर कितने आदमी काम कर सकते हैं, वह भी आपको पता होना चाहिए। अब खेती को तो उस हिसाब से लिया जाना चाहिए कि अगर डेढ़-दो एकड़ की खेती हो तो उस पर भी काफी काम करना पड़ेगा, जिससे उत्पादन ज्यादा हो सके। अगर काम करने वाले का ध्यान नहीं करोगे, मैं तो उसको किसान समझता हूं जो खेत में किसी भी तरह से योगदान करता है, वही किसान है और जो उसका हिस्सेदार बनता है, चाहे किसी भी रूप में बने, उनके हितों का ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे, तभी किसानों के हित का ध्यान होगा। जो उस में काम करता है, उसका ध्यान नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। . . . (**व्यवधान**)

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, वर्तमान वित्तीय स्थिति से उत्पन्न संकट को देखते हुए क्या इस बात की सम्भावना है कि कृषि सब्सिडी कम की जाएगी या खत्म की जाएगी ? . . . (**व्यवधान**)

श्री बल राम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, यह बात तो भविष्य के गर्भ में है, मैं कैसे बता सकता हूं, फाइनेंस मिनिस्टर बता सकते हैं। . . . (**व्यवधान**)

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने दूसरे सदन में कहा है कि इस प्रकार से सब्सिडी कम नहीं होगी । . . . (**व्यवधान**)

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब नहीं दे सकता हूं, क्योंकि यह फाइनेंस मिनिस्टर का सवाल है। लेकिन मैंने जो कहा है, उसमें विरोधाभास नहीं है। मैंने यह कहा था और आज भी वही कह रहा हूं कि हमें सब्सिडी कम नहीं करनी चाहिए। अगर करेंगे, तो मुझे उनको पूरा-पूरा मुआवजा देना पड़ेगा। किसानों के हितों की रक्षा किसी भी ढंग से होगी, वह करनी होगी।

बहु-उद्देश्यीय परियोजनाओं के बारे में नेपाल से बातचीत

*82. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोसी, कमला, बागमती, महानन्दा, पंचेश्वर और करनाली नदियों पर बहु-उद्देशीय परियोजनाओं के निर्माण के संबंध में भारत तथा नेपाल के मध्य हाल ही में द्विपक्षीय वार्ताएं हुई थीं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके क्या निष्कर्ष निकले ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जल संसाधन-संबंधी भारत नेपाल उप-आयोग की अप्रैल, 1991 में हुई दूसरी बैठक में आखिरी बार द्विपक्षीय बातचीत हुई थी। पंचेश्वर परियोजना के लिए परियोजना परिभाषा रिपोर्ट के वास्ते कार्य करने और करनाली परियोजना के लिए अतिरिक्त अध्ययन पूरा करने की सहमति हुई थी। अन्य परियोजनाओं के लिए कार्रवाई संबंधी ठोस कार्यक्रम तैयार नहीं हो सके।

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष जी पिछले साल इसी सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में बाद में जवाब भेजा गया था जिसके मुताबिक–

[**अनुवाद**]

विभिन्न प्रस्तावों में, 'कोशी हाई डैम' हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दीर्घकालिक आधार पर कोशी नदी के नियंत्रण की समस्या को हल करेगी और इसके अलावा अत्यधिक सिंचाई और विद्युत का लाभ दोनों देशों को मिलेगा।

[**हिन्दी**]

इसका जवाब पिछले ही साल मिला था।

[**अनुवाद**]

कोशी हाई डैम के बारे में नेपाल द्वारा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई है। भारत सरकार ने अगस्त, 1981 में कोशी उच्च नहर के संबंध में सम्भाव्यता रिपोर्ट दे दी थी और मामला अब भी विचाराधीन है।

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष जी, मुझे हाल ही में वर्तमान प्रधान मंत्री जी ने मेरे पत्र के जवाब में लिखा है–नेपाल से हाल ही में हुए विचार-विमर्श में सहयोग के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के रूप में जल-संसाधनों के क्षेत्र का पता लगा लिया गया है। कोशी तथा कमला नदियों पर परियोजनाओं सहित इस क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं पर नेपाल के साथ हमने विचार-विमर्श आरम्भ किया है। हम उन्हें जारी रखेंगे। मैं चाहूंगा कि जहां यह स्पष्ट हमारे पास फिजीबिलिटी रिपोर्ट दी गई है कि विचार-विमर्श

भी हुआ और मैं खुद नेपाल सरकार के निमन्त्रण पर एक मई, 1984 को भी गया था। मैं चाहूंगा कि इस बारे में स्पष्ट बताए कि करनाली, पंचेश्वरी, कोसी, बागमती, इन सब की अलग-अलग स्थिति क्या है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष जी, इन सब परियोजनाओं के बारे में, जिनके लिए माननीय सदस्य ने कहा है, इस पर विचार हुआ था और विचार होने के बाद केवल जो परियोजना, जिसका मैंने उल्लेख किया है अपने उत्तर में, इसके बारे में तो कुछ ठोस परिणाम निकले, लेकिन बाकी योजनाओं के बारे में नेपाल और हम लोगों के बीच में कुछ ऐसी जटिलताएं आई कि इसका अभी कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है। तो हम लोगों ने अध्ययन दल की स्थापना की, उस की रिपोर्ट अभी तक हमारे पास नहीं आई है, जैसे ही हम रिपोर्ट को पाएंगे वैसे ही हम पूरे काम को आगे बढ़ाएंगे। मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं कि कोसी और अन्य योजनाएं हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके लिए पूरी कोशिश की जाएगी और जिस तरह से भी हम इसको आगे बढ़ा सके, इसका हम पूरा प्रयत्न करेंगे।

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष जी, उसी जवाब का हिस्सा है–

[अनुवाद]

फरवरी, 1990 में करनाली के बारे में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट नेपाल द्वारा तैयार की गई है परन्तु उसमें भारत के हितों का ध्यान नहीं रखा गया है।

[हिन्दी]

वैसे ही कोसी के बारे में नेपाल की ओर से है। मेरा आग्रह यह है कि प्रकृति ने हमें बनाया है, हमारी या नेपाल की इच्छा से ये नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर नहीं बहने लगी हैं और इसलिए भारत और नेपाल के हित में टकराव नहीं है, दोनों के हित में मेल है। मैं जानना चाहता हूं कि आप इस पर राजनीतिक स्तर पर वार्ता शुरू करेंगे नेपाल के साथ, क्योंकि जो हमारे नौकरशाह हैं वे छोटे मामलों पर हमारा रिश्ता खराब करते हैं। इसलिए राजनीतिक स्तरों पर हम इसका निर्णय करें ताकि दोनों देशों के लिए एक अपार विद्युत शक्ति, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई सड़क और रेलों में जो संहार होता है उससे बचा जा सके तो नेपाल भी स्वर्ग बन जाएगा। इस दृष्टिकोण से इस पर राजनीतिक वार्ता हो।

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह सही है। जल–संसाधन के मामले में नेपाल और भारत के हित एक बराबर हैं और यह बात भी सही है जो माननीय सदस्य ने कही है कि जो भी प्रगति इस मामले में हुई है वह राजनीतिक स्तर पर बातचीत करने पर ही हुई है अन्यथा जब हम कोई कार्य तकनीकी स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर डाल देते हैं तब प्रगति में अवरोध होता है, ठीक तरह से प्रगति नहीं हो पाती। इसलिए पिछली बार भारत के प्रधान मंत्री की जब नेपाल में यात्रा हुई थी तब उसमें प्रगति हुई और अब भी हम इस बात का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक स्तर पर इस कार्य को ले कर अधिक से अधिक सहमति लेकर इन सब परियोजनाओं में शीघ्रातिशीघ्र गति दें इसको हल करें और जो गवाया हुआ समय है उसका ठीक से उपयोग करने का प्रयास करें।

श्री हरि किशोर सिंह : अध्यक्ष जी, क्या मंत्री महोदय को पता है कि नेपाल सरकार इन सभी नदियों में, जिनका संदर्भ आया है, खास तौर पर बागमति और कमला बलान क्षेत्र में, अपने इलाके में सिंचाई परियोजना शुरू कर दी है, जिससे हमारा हक प्रभावित होता है। अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए क्या भारत सरकार इन योजनाओं को कार्यान्वित करने की दिशा में कोई पहल करेगी, जिसकी अनुशंसा भी नेपाल सरकार ने भारत सरकार से की है। जिससे बागमति सिंचाई योजना और अन्य नदियों के संबंध में भी भारत के हित की सुरक्षा हो सके, इसके लिए नेपाल सरकार से वार्ता करगी ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष जी, जब माननीय सदस्य विदेश मंत्रालय में थे तब इन्होंने इस बारे में पहल की और उसका हमें बड़ा फायदा हुआ। उसको हम लोग चालू रखेंगे और आगे बढ़ाएंगे।

श्री नवल किशोर राय : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय जिन योजनाओं के बारे में चर्चा इन्होंने किया—कोसी, कमला, बागमति, महानंदा, पंचेश्वरी, करनाली, इसी के बीच सीमावर्ती नेपाल, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी जिला के 12 प्रखण्ड हैं जो अधवारा समूह नदी योजना की पीड़ा से पीड़ित हैं, जिसमें 13 नदियां आती हैं —अधवारा, जमुरा, खिरोई, झीम, रातो, मरहा, हरदी, धौंस, संगही, कोकरा, बुढ़नद, लखनदेई, पुरानी अधवारा।

तो क्या मंत्री महोदय यह बताएगे कि सरकार इन तमाम योजनाओं के साथ अधवारा समूह योजना को भी साथ लेकर नेपाल सरकार से वार्ता करने का काम करेगी। नेपाल जहां से 13 नदियों का उद्गम स्थल है, हिमालय से निकल कर राम नगर रमैया से शुरू होती हैं, क्या वहां पर बहूद्देश्यीय डैम बनाने पर विचार करने के लिए नेपाल सरकार से वार्ता करेंगे ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष जी, नेपाल की समस्त नदियां केवल भारत वर्ष में आती हैं और समस्त भारत वर्ष को पानी देती हैं। उनमें से अधिकांश नदियां जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, बिहार में आती हैं। अभी जो हम लोगों की चर्चा हुई है, पहले भी इसकी चर्चा हो चुकी है, उसके अंदर समस्त नदियों का प्रश्न शामिल था, जहां ठोस प्रगति हुई है, उसका विवरण दिया, अन्य बातों पर बातचीत चल रही है, उसमें प्रयास करेंगे कि जल्दी प्रगति हो सके।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या यह बात सही है कि नेपाल और भारत के सीमावर्ती इलाकों में लगभग 10 करोड़ लोगों के जीवन-मरण का सवाल है। जिन परियोजनाओं की चर्चा हुई है, कोसी, बागमति, कमला, पंचेश्वरी, करनाली और अधवारा, इनके संबंध में क्या सरकार को जानकारी है कि 17 जनवरी 1991 को विशेष अध्ययन दल नेपाल जाकर, अध्ययन करके इस आशय का प्रस्ताव दे चुका है कि वाटर—कमीशन बनाया जाए। क्या वाटर कमीशन बनाने और हाइड्रल डैम और अन्य परियोजनाओं का निर्माण करने के संबंध में उच्चस्तरीय समिति बनाकर नेपाल—भारत वार्ता कर के इसको तुरंत अंजाम देने का काम सरकार करना चाहती है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि सीमा पर करोड़ों लोगों की खुशहाली या दुःख इन नदियों पर निर्भर करता है, क्योंकि इन नदियों में जो बाढ़ आती है, उससे उत्तर बिहार के करोड़ों निवासियों की खेती–किसानी और रहन–सहन प्रभावित होता है, उनको असुविधा होती है, प्रत्येक वर्ष इससे उनको नुक्सान सहना पड़ता है। अतएव इस बारे में हर स्तर पर चर्चा की गई है, तकनीकी स्तर पर भी चर्चा हुई है, राजनीतिक स्तर पर भी चर्चा हुई है और जैसा मैंने पहले कहा कि इसको और गति देने के लिए राजनीतिक पहल करने का काम हम करेंगे, ताकि इस काम को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाया जा सके **(व्यवधान)**

(अनुवाद)

कश्मीर में पर्यटकों के लिये सुरक्षा व्यवस्था

*83. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कश्मीर में उग्रवादियों ने डल झील में विदेशी पर्यटकों के एक समूह पर गोली चलाई थी और उनका अपहरण कर लिया था ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना में हताहत हुये लोगों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस घटना की जांच कराने का है ; और

(घ) कश्मीर में पर्यटकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) 26 जून, 1991 को डल झील में एक हाउस बोट से 8 विदेशी पर्यटकों का अपहरण किया गया ।

(ख) एक अपहृत इजरायली ने एक आतंकवादी से एक ए. के.–56 राइफल छीनी। इस सिलसिले में हुई गोला–बारी में एक इजरायली पर्यटक मारा गया और तीन जख्मी हुए और यह भी बताया गया कि दो आतंकवादी भी मारे गए और एक जख्मी हुआ।

(ग) आपराधिक मामले की जांच की जा रही है।

(घ) आतंकवाद को रोकने और घाटी में सामान्य हालात बहाल करने के लिए प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयत्न पर्यटकों की सुरक्षा का हिस्सा है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने संवेदनशील इलाकों और आतंक वादी–विरोधी अभियान को तेज करने के लिए सक्रिय गिरोह की शिनाख्त की है और नाकाघात लगाने और प्रभावित संवेदनशील क्षेत्रों में अर्ध –सैनिक बलों की प्रभावकारी तैनातगी की है। संवेदनशील क्षेत्रों में दिन–रात गश्त तेज की गयी है और आतंक वादियों के छिपने के स्थानों पर छापे तेज किए गए । आतंकवादियों के कई बड़े–बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया और बड़ी मात्रा में शस्त्र और गोलाबारूद बरामद किया गया है। आसूचना को भी मजबूत किया गया है ।

श्री एम ०वी ० चन्द्रशेखर मूर्ति : अध्यक्ष महोदय, कश्मीर में 1988 से, जब से उग्रवाद की स्थिति वहां उत्पन्न हुई है विदेशी पर्यटकों पर आक्रमण की यह पहली घटना है और कश्मीर में केन्द्र की भूमिका को मद्देनजर रखते हुए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विदेशी पर्यटकों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु कोई विशेष 'टास्क फोर्स' गठित करने का विचार है ।

गृह मंत्री (श्री एस ० बी ० चव्हाण) : माननीय सदस्य कृपया उत्तर का पैरा 'घ' पढ़ें । उत्तर सुस्पष्ट है । यह पूरे सुरक्षा व्यवस्था का मामला है और हम पर्यटकों के लिये कोई विशेष सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर सकते ।

श्री एम ० वी ० चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह व्यवस्था केवल पर्यटकों के लिये की जा सकती है ।

श्री एस ० बी ० चव्हाण : यही तो जवाब है ।

श्री एम ० वी ० चन्द्रशेखर मूर्ति : इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ? मैं मात्र यह जवाब चाहता हू कि क्या आप विदेशी पर्यटकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये विशेष 'टास्क फोर्स' गठित कर रहे हैं। आप 'हां' या 'ना' में जवाब दें

श्री एस ० बी ० चव्हाण : नहीं ।

श्री एम ० वी ० चन्द्रशेखर मूर्ति : अध्यक्ष महोदय, घाटी में उग्रवादियों की बढ़ती हुई गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार को यह जानकारी है कि अधिकृत क्षेत्रों में प्रशिक्षण शिविर चलाए जा रहे हैं और क्या यह भी सत्य है कि पाक सेना कुछ लोगों द्वारा खुफिया सेवा का कार्य करा रही है। यदि, हां तो इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं ?

श्री एस०बी०चव्हाण : महोदय, माननीय सदस्य जी कह रहे हैं वह सत्य है, पाक सेना जम्मू और कश्मीर से जबर्दस्ती ले गए लोगों को कभी उनकी इच्छा से और कभी उनकी इच्छा के विरुद्ध प्रशिक्षण दे रही है। यह जानते हुए भी कि हमने इस मामले को राजनयिक स्तर पर उठाया है फिर भी वे उन्हें प्रशिक्षण दे रहे, धन दे रहे हैं, तथा उन्हें भर्ती कर रहे हैं । पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने अपने सार्वजनिक वक्तव्य में कहा था कि वह भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने का कोई भी प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद मैं नहीं समझता हूं कि जम्मू और कश्मीर में चल रही आतंकवादी गतिविधियों में कोई कमी आई ।

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : यह सही है कि कश्मीर में उग्रवादी गतिविधियां भड़क उठी हैं। ये उग्रवादी विदेशी पर्यटकों को इसलिये अपना निशाना बना रहे हैं ताकि विदेशों में हमारे देश को मुश्किलों का सामना करना पड़े। इससे देश के दूसरे भाग में भी पर्यटन प्रभावित होगा। इसलिये मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या कश्मीर में विदेशियों के आने पर रोक लगाने अथवा प्रवेश को नियंत्रित करने का विचार है जिससे ऐसी घटनाओं को कम किया जा सके और विदेशों में विपरीत प्रचार से बचा जा सके।

श्री एस० बी० चव्हाण : यह सच है कि जम्मू और कश्मीर में मानवाधिकारों की रक्षा नहीं हो रही है, के मामलों को बहुत अधिक प्रचारित किया जा रहा है। वास्तव में यदि संभव हो तो हम बहुत से पर्यटकों को ही नहीं बल्कि पत्रकारों को भी जम्मू और कश्मीर जाने के लिये प्रोत्साहित करना चाहते हैं ताकि वे स्वयं देखें और अपना स्वतंत्र मत प्रकाशित कर सकें।

श्री रति लाल वर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि काश्मीर, जो हिन्दुस्तान का स्वर्ग माना गया है और भारत माता का मुकुट माना गया है, लेकिन आज वहां सही हालत नहीं है, परिणामस्वरूप सारे हिन्दुस्तान के टूरिस्ट जो वहां जाते थे आज मौत का माहौल बना हुआ है, इसलिए वे नहीं जा सकते हैं, हिन्दुस्तान के लोग वहां पुनः यात्रा करने के लिए जा सकें, हिन्दुस्तान के स्वर्ग समान काश्मीर में जा सकें, ऐसा माहौल आप कब तक पैदा करेंगे ?

श्री एस० बी० चव्हाण : माननीय सदस्य, आपने जो सवाल पूछा है, उसका पहला पार्ट मैं समझ नहीं पाया, मेहरबानी करके ज़रा फिर से पूछिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कितने समय में यात्री वहां जा सकेंगे, यह इन्होंने पूछा है।

श्री एस० बी० चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि वहां पर जिस किस्म की टैरोरिस्ट एक्टीविटीज़ हो रही हैं उसकी वजह से जो उनका मेन बिजनेस था, मेन काम हुआ करता था कि सारे टूरिस्टस् पर वहां की इकानॉमी चलती थी, उसके ऊपर इसका ऐडवर्स इफैक्ट हुआ है। यह बात सच है। इसको ठीक करने के लिए एक तरफ डिप्लोमैटिक लेवल पर कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ टैरोरिस्ट एक्टीविटीज़ को कम करने के लिए जिन जगहों पर रेड डालना जरूरी है, जहां पकड़ना जरूरी है, बार्डर पर पकड़ते हैं, हाईड-आऊट्स पर रेड करते हैं। जहां रिहा करना जरूरी है वहां रिहा भी करते हैं।

(अनुवाद)

श्री चन्द्रजीत यादव : मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्री महोदय को भी यह जानकारी होगी कि यूरोपीय संसद भी इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित करने जा रही है। उन्होंने भी आतंकवादियों से अपील की है कि अपहृत व्यक्तियों और बंधकों को रिहा कर दें।

जब एक इजरायली ग्रुप यात्रा पर आया हुआ था उस समय एक व्यक्ति मारा गया था तथा अन्य व्यक्तियों को डल झील पर हिरासत में ले लिया गया था । कम से कम डल झील जैसे एक सुविदित स्थान, जो श्रीनगर शहर का मुख्य बिन्दु है तथा जो कि देशी तथा विदेशी दोनों प्रकार के पर्यटकों के लिए एक आकर्षण है, के बारे में मंत्री जी को आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए । क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है ताकि भविष्य में फिर इस प्रकार की घटना घटित नहीं हो । अन्यथा पर्यटन को बढ़ाने के लिए राजदूतावासों में आपके प्रस्ताव करने का अर्थ नहीं रहेगा । यदि पर्यटक शहर में स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं । क्या आप कम से कम ऐसे स्थानों पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए कुछ विशेष उपाय करेंगे ?

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह से सहमत हूँ । परन्तु इसी के साथ-साथ जबकि सारे प्रयास किए जा रहे हैं अभी भी घुसपैठिए इस क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में आ गए हैं कि स्थिति का समाधान करना कठिन होता जा रहा है तथा इसीलिए हम उस क्षेत्र में स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि काफी बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके । वास्तव में, इन लोगों का अपहरण कर लिया गया था तथा दुर्भाग्य से उनके बीजा-पत्रों से यह ज्ञात हो सका कि वे इजरायली हैं । तथा जब यह पूरी तरह से ज्ञात हो गया कि वे इजरायली हैं तभी स्थिति और तनावपूर्ण हो गई । अतः मैं नहीं समझता कि स्वयं आतंकवादी भी उस स्थान से सभी पर्यटकों का अपहरण करना चाहते थे बल्कि जब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे इजरायली हैं, तो स्थिति बिल्कुल बदल गई ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या मन्त्री महोदय का ध्यान कुछ अन्य समाचारों की ओर गया है जिसमें कि जम्मू-कश्मीर तथा विशेष रूप से घाटी की वर्तमान असाधारण स्थिति के कारण इस ओर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय गुप्तचर एजेंसियों का भी ध्यान गया है तथा घाटी में आने वाले इजरायली पर्यटकों की संख्या में भी अचानक आई अवर्णनीय वृद्धि हुई है जिसमें एक इजरायली पर्यटक भी इस घटना का शिकार हुआ था तथा क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा के इस पहलू की ओर क्या कभी ध्यान दिया है ?

श्री एस० बी० चव्हाण : प्रश्न के पहले भाग का उत्तर यह है कि कश्मीर की वर्तमान स्थिति से सभी अन्तर्राष्ट्रीय गुप्तचर एजेंसियां अवगत हैं तथा इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता परन्तु दूसरे भाग के सम्बन्ध में मैं यही कहूंगा कि हम स्वयं भी वहां पर विद्यमान सम्पूर्ण स्थिति पर पड़ने वाले इसके परिणामों की ओर ध्यान देने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्रीमति चन्द्रप्रभा उर्स : मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगी कि वे कौन से कदम हैं जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत बनाने के लिए उठाए गए हैं तथा जिसके अन्तर्गत घुसपैठ रोकने के लिए कुछ क्षेत्रों को ठीक तरह से पहचान कर ली गई है ? उग्रवादियों को हमारे देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए प्रभावशाली कदम उठाए जाने चाहिए तथा यह भी देखा जाए कि शक्तिशाली तथा आधुनिक हथियारों को देश के अन्दर न लाया जा सके अन्यथा कश्मीर जो कि पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण है वहां पर उग्रवादियों की उपस्थिति से वहां पर आने वाले पर्यटकों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा ।

श्री एस० बी० चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, वास्तव में सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये भरसक प्रयास कर रही है कि उग्रवादी सीमा को पार नहीं कर सके। परन्तु उसके बावजूद भी मैं इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तथा यदि वे पहले ही हमारे देश में घुसपैठ कर चुके हैं तो इस बात से मैं इंकार नहीं कर सकता।

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष जी, काश्मीर घाटी में उग्रवादियों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने पूरी तरह से व्यवस्था की है, उसके बावजूद भी वह फेल हो गई तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कश्मीर के बगल में जो प्रशिक्षण केन्द्र बनाया गया है तो उसको उड़ाना चाहते हैं या उसको हटवाना चहाते हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण : आरगेनाजेशन बैन्ड है एक्रास दी बार्डर ट्रेनिंग होती है यह स्पष्ट है। उनको उड़ाने का कोई इरादा नहीं है।

श्री राम निगीना मिश्र : भारत सरकार के गृह मंत्री ने जवाब दिया है कि कश्मीर में इतने आतंकवादी ग्रुप आ गये हैं कि उनको रोकने में हमें परेशानी हो रही है

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये, क्यों कि बहुत सारे सदस्य पूछने वाले हैं?

श्री राम निगीना मिश्र : हमारे देश को निराशा हो रही है भारत सरकार के गृह मंत्री अगर यह कहते हैं कि कश्मीर में इतने आतंकवादी प्रवेश कर गये हैं कि मैं असमर्थ हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि देश को आप आश्वस्त करेंगे कि आप जम्मू और कश्मीर से कितने समय में आतंकवादियों को खदड़ देंगे?

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे रहा हूं, यह पहले ही पूछा जा चुका है।

(हिन्दी)

श्री राम नाईक : विदेशी पर्यटकों को वहां जाने में दिक्कत है। वे वहां तब तक नहीं जायेंगे जब तक भारतीय पर्यटक वहां नहीं जाते और भारतीय पर्यटक तब तक वहां नहीं जायेंगे जब तक वहां से दिल्ली या अन्य जगहों पर विस्थापित आकर रहने लगे हैं, जो कि वहां के नागरिक हैं और भारतीय हैं वे वहां नही जाते। इसलिए जो कश्मीर छोड़कर अन्य जगहों पर आ गये हैं उनको वहां वापस ले जाने के लिए और नार्मेल्सी कायम करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री एस० बी० चव्हाण : में माननीय सदस्य के इस विचार से सहमत हूं कि जो लोग जम्मू और कश्मीर छोड़कर दिल्ली या अन्य जगहों पर आ गये हैं, खासकर बैली में जो लोग रहते थे वे जम्मू या अन्य जगहों पर आ गये हैं उनको वापस अपने स्थान पर बसाने के लिए जल्दी ही प्रयास किये जायेंगे, इसकी जिम्मेदारी सरकार पर है। आपका सुझाव विचार में लिया जायेगा। आप चिन्ता न करें और मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि बैली में रहने वाले लोग वापस नहीं आना चाहते, इन्नाइली लोगों की घटना होने के बावजूद कई पत्रकार वहां गये हैं, अलग से लोग भी वहां पर गये हैं क्योंकि उनको खुद को जानकारी हासिल करनी थी कि ये जो बातें बार-बार कही जाती हैं कि सारे ह्यूमन राइट्स खत्म किये जा रहे हैं, लोगों को बेतहाशा मारने

की कोशिश की जा रही है, यह जो प्रोपेगण्डा बड़े पैमाने पर कुछ बड़ी इंटरेस्टेड एजेंसीज से चलाया गया था इसकी जानकारी लेने के लिए कई जर्नलिस्ट वहां पर जाकर आये हैं उनको पूरी सुरक्षा मिली है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री राम नाईक : क्या गृह मंत्री विस्थापितों को वहां फिर से स्थापित करेंगे ?

श्री एस० बी० चव्हाण : यह बात सच है कि एक फीयर साइकोमिस पैदा होने के बाद सुरक्षा भी हो जाये तो आदमी बहुत ही सावधानी से कदम उठाना चाहता हैं। हम लोग यह चाहेंगे कि जितनी जल्दी वे वहां जा सकते हैं, ऐसी परिस्थितियां पैदा हों, इसकी कोशिश जारी है।

(अनुवाद)

श्री दिग्विजय सिंह : यह बहुत ही चिन्ता की बात है कि सौ से भी अधिक इजरायली विद्यार्थी कश्मीर जैसे अशान्त क्षेत्र में थे। यह बात और भी अधिक चिन्ताजनक है कि वे साधारण पर्यटक नहीं थे तथा वे उन आधुनिक हथियारों को चलाने में काफी अधिक प्रशिक्षित थे जो आतंकवादियों के पास थे तथा जब उनके हाथ यदि वहां हों तो वे उनको स्वयं ही खोल भी सकते थे। एक ऐसे देश के पर्यटक ये जिसके साथ हमारे राजनयिक सम्बन्ध नहीं हैं वे पर्यटक उस समय वहां पर क्या कर रहे थे। तथा क्या उनका गुप्तचर सेवा एजेंसी के साथ कोई सम्बन्ध था ?

श्री एस० बी० चव्हाण : माननीय सदस्य ने जो संख्या दी है वह सही नहीं है। वे उस दल का एक भाग थे हैं जो कि केवल पर्यटक उद्देश्यों के लिए हीं गया था। सरकार के पास अन्य कोई सूचना नहीं है। परन्तु यह एक वास्तविकता है कि इजरायली पर्यटकों ने आतंकवादियों से बन्दूकें छीनकर असाधारण साहस दिखाया था तथा उनमें से दो को मार दिया था।

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। क्या माननीय मंत्री जी यह पता करवाने का प्रयत्न करेंगे कि इस घटना में किसी इजरायली गुप्तचर एजेंसी का हाथ होने की संभावना है ?

श्री एस० बी० चव्हाण : जी नहीं।

(हिन्दी)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : (अध्यक्ष महोदय), मैं यह मानता हूं कि कश्मीर के बारे में पर्यटन की चर्चा करना बेकार है जब तक कि वहां पर सामान्य स्थिति का निमार्ण करने में सरकार असमर्थ हो जाती है। पिछले 25 दिनों से हम अखबारों में यह पढ़ रहे हैं कि सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाये हैं जिससे राजनैतिक स्तर पर कश्मीर में सामान्य स्थिति का निर्माण हो सके और इस संदर्भ में डा० फारुख अब्दुल्ला, ऐसा चर्चित हो रहा है कि वे श्रीनगर गये, तीन दिन वहां रहे और वहां से लौट कर आने के बाद कुछ और बातचीत जारी रही। इसी संदर्भ में उन्होंने प्रधानमंत्री को अपने घर पर खाने के लिए बुलाया और उस खाने में अन्य लोगों को भी बुलाया और कश्मीर की समस्या को सुधारने की दिशा में ठोस कदम उठाये हैं, तो मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि पर्यटन को जो कश्मीर की अर्थ-व्यवस्था की बात से जोड़ रहे हैं, तो वहां पर स्थिति सामान्य करने के लिए पिछले 25 दिनों में जो कदम उठाये हैं, वे कौन से हैं ?

(अनुवाद)

श्री एस० बी० चव्हाण : इस प्रश्न का समाधान दोनों स्तरों पर करना होगा। एक तो यह कि जिन आतंकवादियों का इस घटना में हाथ है, उनमें खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएं। उन्हें सीमा पार नहीं करने दिया जाए। यदि वे सीमा पार करने में समर्थ हो जाते हैं तो यह पता करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए कि उनके छिपने के ठिकाने कहां–कहां पर हैं तथा उन पर छापा मारा जाए। यह इसका पहला भाग है। दूसरा यह कि उनसे बातचीत शुरु की जाए। चाहे वह फारुख अबदुल्ला हों अथवा कोई अन्य हों, निश्चित रूप से राजनैतिक वार्ता उनसे शुरु करनी होगी। मेरे विचार से स्वयं माननीय सदस्य ने ही यही कार्य किया था जब उन पर कश्मीर सम्बन्धी मामलों का कार्य भार सौंपा गया था।

श्री जार्ज फर्नांडीज : क्या बातचीत शुरु करनी होगी अथवा आपने कार्यभार संभालने के बाद शुरू कर दी है ?

श्री एस० बी० चव्हाण : बातचीत पहले ही आरम्भ की जा चुकी है।

यमुना के पानी का बंटवारा

***84 श्री गिरधारी लाल भार्गव :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल संसाधनों की अंतर्राज्जीय मामलों से संबंधित स्थायी समिति की सितम्बर 1990 में हुई एक बैठक में सम्बद्ध राज्यों के बीच यमुना के पानी के बंटवारे के मामले पर विचार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में इस संबंध में संबंधित राज्यों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) से (घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) और (ख) जी हां। स्थायी समीति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि यमुना जल के अपने वचनबद्ध उपयोग के आंकड़ों को अंतिम रूप देने के लिए अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान हरियाणा तथा संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित करेंगे, इसके बाद जल संसाधन मंत्री, मुख्य मंत्रियों के साथ अलग से विचार विमर्श करेंगे तथा यमुना जल के आबंटन पर मतैक्य पर पहुंचने के वास्ते स्थायी समिति के समक्ष इस मामले को दुबारा प्रस्तुत किया जाएगा।

(ग) और (घ) स्थायी समिति में लिए गए निर्णय के अनुसरण में अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग ने राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ पहले अलग से तथा फिर संयुक्त रूप से विचार-विमर्श किया। तथापि वचनबद्ध उपयोग के आँकड़ों पर किसी मतैक्य पर नहीं पहुंचा जा सका तथा यह सहमति हुई कि अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, राज्यों के साथ इन विचार-विमर्शों के आधार पर मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। उनकी रिपोर्ट तीन दिन पहले प्राप्त हुई है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के 60 प्रतिशत में से 46 प्रतिशत भाग रेगिस्तान से प्रभावित है जिसमें 11 जिले हैं। भारतवर्ष की कुल जनसंख्या का 5 प्रतिशत भाग है, केवल एक प्रतिशत जल पर ही राजस्थान को निर्भर रहना पड़ता है। न वहां बारह मासी नदियां हैं, न गहराई है, वर्षा की कमी है, सूखा पड़ता है पीने का पानी योग्य नहीं है और हमें पड़ोसी देशों पर भी निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए मेरा प्रश्न यह है कि क्या जल संसाधन मंत्री जी ने केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में किसी तकनीकी समिति का गठन किया था, यदि हां तो वह कौन से वर्ष में किया था? मेरा दूसरा प्रश्न.....

अध्यक्ष महोदय : एक ही प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय के अधिकारी स्तर पर राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कब-कब आयोजित की गयी और इसमें राजस्थान, जिसका मैंने मार्गदर्शन किया था, उसके पानी के अभाव के बारे में बैठक कब हुई थी और मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि प्रत्येक राज्य की बैठक के नोट की केन्द्रीय जल आयोग को भेज दिया है?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है। आपके प्रश्न के उत्तर आपके साथ हैं, आप ऐसा पूछिये कि रिपोर्ट आ गयी है, यह महत्वपूर्ण है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं यही तो पूछ लेता हूं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष जी, यह बात सही है कि राजस्थान के पास सिंचाई के पानी एवं पीने के पानी की काफी कमी है। अतएव यमुना के पानी के बंटवारे में राजस्थान को भी समय-समय पर सम्मिलित किया गया था। मैं ऐसा मानता हूं कि माननीय सदस्य ने जिस कमेटी का उल्लेख किया है, उस कमेटी के अलावा और भी कई कमेटियां इस सिलसिले में बनी हुई हैं जिसके बारे में लगातार चर्चा होती रही है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और उसके हिसाब से यमुना का पानी राजस्थान को इतना अधिक नहीं दिया जा सकता जितना कि अन्य राज्यों में—जैसे हरियाणा है, दिल्ली प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है। इसलिए हम लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे राज्यों की सहमति से हम ज्यादा से ज्यादा पानी राजस्थान को दे सकें और जब तक दूसरे राज्य, जिनका स्वाभाविक अधिकार इस पानी पर है, खुद तैयार नहीं होते हैं, तब तक हम लोग यह पानी राजस्थान को इस प्रकार से नहीं दे सकेंगे जिस प्रकार से माननीय सदस्य चाहते हैं और जिस प्रकार वहां आवश्यकता है। इसलिए, वैसे तो मैं पूरा विवरण दे सकता हूं कि कितना हमने इसके बारे में प्रयास किया है, कितनी मीटिंगें हुई हैं, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उसको पढ़कर सुना दूं और आप चाहें तो मैं टेबल पर रख दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : बहुत लम्बा होगा तो आप टेबल पर रख दीजिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि कमेटी के मामले में नहीं उलझा कर, क्योंकि यह पानी का प्रश्न है, एक प्रदेश का प्रश्न है, यहां पर एक प्रतिशत पानी मिलता है और पूरा रेगिस्तान है। इन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि "तथापि वचनबद्ध उपयोग के आंकड़ों पर किसी सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सका तथा यह सहमति हुई कि अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, राज्यों के साथ इन विचार-विमर्शों के आधार पर मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। उनकी रिपोर्ट तीन दिन पहले प्राप्त हुई है।"

मेरा केन्द्रीय मंत्री जी से स्पेसेफिक क्वश्चन है। हमको कई साल गुजर गए राजस्थान में, इस समय एक बूंद भी पानी पड़ा नहीं है। हमारे पास नदियां नहीं है। राजस्थान बिल्कुल प्यासा मर रहा है। राजस्थान, जहां पर खनिज संपदाएं हर प्रकार से वैभवशाली हो सकती हैं, आप इस संबंध में कब तक फैसला कर लेंगे, इतना बता दीजिएगा। तीन लोक सभा के चुनाव हो जाएंगे या तीन साल में, कब तक कीजिएगा, आप निश्चित डेट बता दीजिए। इतनी बात कह देना चाहता हूं– प्यार से नहीं मानेंगे तो मैं सारे सांसदों को, जो मेरे सांसद भाई हैं, उनको लेकर निश्चित रूप के सरकार के खिलाफ धरना देने का कार्यक्रम होगा, भूख हड़ताल होगी, अनशन होगा।

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष जी, हम लोगों की इस मामले में बहुत गहरी सहानुभूति माननीय सदस्य और राजस्थान के लोगों के साथ है। जिन कठिनाईयों का उन्होंने वर्णन किया है वे बिल्कुल सही कठिनाईयां हैं, उनमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है। पर यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि मैं समय निर्धारित करूं या तिथि निर्धारित करूं और काम पूरा करूं तो माननीय सदस्य को अपनी सरकार से और अन्य जो हमारी दूसरी राज्य सरकारें हैं, जिनका कि यमुना के पानी से संबंध है, उनसे मुझे पूर्ण विश्वास दिला दीजिए कि जो मैं निर्णय करूं वह मंजूर होगा तो मैं फैसला करने को तैयार हूं। **(व्यवधान)**

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि राजस्थान प्यासा मर रहा है। हम लोग बिल्कुल दुखी हैं चाहे किसी पार्टी के सांसद हों, हम सब लोग दुखी हैं। कम से कम पानी की व्यवस्था तो निश्चित समय में की जाए। **(व्यवधान)**

(अनुवाद)

श्री धर्म पाल सिंह मलिक : महोदय, हरियाणा इससे संबंधित राज्य है। हरियाणा के किसान भारी कठिनाई का सामना कर रहे हैं। हमें सतलुज-यमुना लिंक नहर के जल का हिस्सा वर्ष 1955 से नहीं मिल पाया है तथा यमूना का जल मिलने में भी भारी कठिनाई हो रही है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से यमूना नदी के जल में हरियाणा का हिस्सा जानना चाहता हूं। हमारा अपना हिस्सा है जो हमें नहीं मिल रहा है। इसके अलावा, क्या सरकार द्वारा इस परियोजना को पूरा करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की गई है ताकि हमें अपना हिस्सा मिल सके।

(हिन्दी)

श्री विद्या चरण शुक्ल : अध्यक्ष जी, इसके बारे में हरियाणा के बनने के पहले ही एक समझौता 1954 में हुआ था। इसके अंतर्गत आज हरियाणा को यमुना से काफी पानी मिल रहा है। जहां तक नए समझौते का कार्य निर्धारित करने का सवाल है उसमें कठिनाई यह है कि इसमें इतने ज्यादा एक दूसरे के विपरीत सबके दावे हैं कि उन दावों को पूरा करना मुश्किल है। यदि इन सब दावों को ध्यान में लिया जाए तो जितना पानी है, उससे चौगुनी उसकी मांग विभिन्न राज्यों के द्वारा है और विभिन्न राज्यों में किसी प्रकार की इसमें सहमति नहीं है। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से उसमें समझौता हो और जैसे ही हम समझौता करा सकेंगे, उसी हिसाब से हम पानी का वितरण विभिन्न राज्यों में कर देंगे।

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, दिल्ली में पानी का संकट है और इसी यमुना कैनाल का जो पानी दिल्ली को मिलना चाहिए, हरियाणा की ओर से, वह आजकल नहीं मिल रहा है। इस बारे में मैंने आप से निवेदन किया था। इस यमुना कैनाल के बनाने में दिल्ली से पूरा खर्चा किया लेकिन उसका प्रबन्ध जो करता है, वह हरियाणा करता है। इसलिए अपनी इच्छा के मुताबिक, जैसी उसकी इच्छा होती है, जब [redacted] वह दिल्ली को पानी देता है और जब चाहे वह दिल्ली को प्यासा मार देता है। आज स्थिति यह है कि व्यास बोर्ड कह रहा है कि दिल्ली को पानी दिया जाए लेकिन हरियाणा चूंकि दिल्ली को पानी नहीं दे रहा है, मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि इस बारे में क्या कोई यमुना [redacted] थोरिटी बनाकर व्यवस्था की जायेगी, जिसमें दिल्ली को पूरा प्रतिनिधित्व हो ताकि दिल्ली वाले हरियाणा के रहमो-करम पर निर्भर न रहें और दिल्ली को जो पानी का हिस्सा मिलना चाहिये, वह हिस्सा उसे मिल सके। इसलिये कैनाल अथॉरिटी में दिल्ली का रिप्रजैन्टेटिव जरूर होना चाहिये। मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं कि दिल्ली को और प्यासा न मारा जाए, हरियाणा के रहमो-करम पर न रखा जाए, इसके बारे में मंत्री महोदय बतायें कि क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह बताइये कि क्या कोई ऐसी योजना होगी।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं कि दिल्ली पानी के मामले में हरियाणा के रहमोकरम पर है, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात कहने से हमारी बदनामी होती है कि हम दिल्ली को पानी नहीं दे रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री विद्याचरण शुक्ल : जैसा अभी माननीय सदस्य ने दिल्ली को जल आपूर्ति के बारे में चर्चा की इस सम्बन्ध में मेरी हरियाणा के मुख्यमंत्री से बातचीत हुई थी परन्तु उनका यह कहना ठीक नहीं है कि हरियाणा से हमें कोई पानी नहीं मिलता। (व्यवधान) पूरी बात पहले सुन लीजिये। हम लोगों को पानी मिलता है परन्तु आवश्यकता के अनुरूप नहीं मिलता है जब कि हमें और ज्यादा पानी की जरूरत है। जितनी आवश्यकता है उतना पानी हमें नहीं मिल रहा है। मेरा उनसे यही अनुरोध था कि पानी की मात्रा को थोड़ा और बढ़ाया जाए ताकि आवश्यकता के अनुरूप दिल्ली को जल आपूर्ति मिल सके। इसके अतिरिक्त जैसा माननीय सदस्य ने एक रिवर बेली ओथॉरिटी बनाये जाने का सुझाव दिया है, उनका सुझाव बहुत अच्छा है और हम लोग इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं।

श्री नारायण सिंह चौधरी : अध्यक्ष जी, जैसा अभी राजस्थान के माननीय सदस्यों ने कहा कि हमें यमुना से पानी मिलना चाहिये, जैसे ही हरियाणा को भी, न केवल खेती के लिये बल्कि पीने के लिये भी पानी की जरुरत है। उसे भी यमुना पर निर्भर करना पड़ता है। कुछ समय पहले इस सम्बन्ध में किसाऊ डैम की एक योजना थी, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तीन राज्य सम्मिलित थे और उसमें यह व्यवस्था थी कि बरसात के दिनों में यमुना का जो पानी वेस्ट चला जाता है, किसाऊ डैम के जरिये उस पानी को इकट्ठा करके फिर उसका उपयोग प्रयोग किया जा सके। क्या माननीय मंत्री जी इस संबंध में प्रकाश डालेंगे कि वह योजना अब किस स्थिति में है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री से मेरी विभिन्न चर्चाएं हुई हैं उसमें किसाऊ डैम पर भी बातचीत हुई थी परन्तु अभी तक इसके ऊपर कोई समझौता नहीं हो सका।

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष जी, जैसा मंत्री जी ने इस प्रश्न के "क" और "ख" भाग के उत्तर में कहा है कि राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित करेंगे और बचतबद्ध उपयोग के आंकड़ों पर किसी मतैक्य पर नहीं पहुंचा जा सका, मैं जानना चाहता हूं कि वे मुद्दे कौन-कौन से थे, जिन पर मतैक्य नहीं हो सका। इस कारण वर्षों से हम लोग पानी के मामले में तरस रहे हैं। कृपया स्पष्ट करें कि मंत्री मण्डलीय स्तर पर कब तक इस तरह का मतैक्य हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : टाइम के बारे में कह दिया है कि कुछ नहीं कहा जा सकता।...(**व्यवधान**)

(**अनुवाद**)

अध्यक्ष महोदय: उनका कहना है कि वे कौन से मुद्दे हैं जिन पर समझौता किया जाना अपेक्षित है।

(**हिन्दी**)

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस मामले में समझौता न होने के मुख्य कारण ये हैं कि कमिटिड यूज और नान-कमिटिड यूज के जो आंकड़े हैं, उनमें व्यापक अंतर है। जब तक इन को हम एकमत होकर आम राय से नहीं सुलझा लेते हैं, जिस तरह माननीय सदस्य चाहते हैं, वैसा कोई समझौता होना सम्भव नहीं है। इसके लिये हम लोग राजनैतिक पहल करेंगे और इसे राजनैतिक स्तर पर हल करने का प्रयास करेंगे।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर : अध्यक्ष जी, हम जानना चाहते हैं कि कब तक यह मतैक्य हो जायेगा .....(**व्यवधान**).....कब तक आप इसे पूरा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : टाइम के बारे में पहले ही कह दिया है कि कोई टाइम नहीं दिया जा सकता।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, यमुना नदी के पानी के बटवारे को लेकर, बंगला देश के दबाव पर, यह सरकार, कहना चाहिये कि सभी तरह के निर्णयों को इम्पलीमेंट करने से रोके हुए है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पचनद बांध बनाने के सम्बन्ध में भारत सरकार

को जो प्रस्ताव पेश किया था, वर्तमान समय में उसकी क्या स्थिति है और भारत सरकार ने उसको स्वीकृति प्रदान कर दी है या नहीं। यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को इस बात का गर्व होना चाहिये कि भारत सरकार किसी के दबाव में आकर कोई काम नहीं करती। जो बात आपने प्रोजेक्ट के बारे में कही, उसका उत्तर पहले ही दे दिया गया है कि इन सब मसलों पर चर्चा हुई है परन्तु सहमति के अभाव में अभी तक इस मामले में कोई प्रगति नहीं हो पायी है।

(अनुवाद)

श्रीमती वसुन्धरा राजे : महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि तीन दिन पूर्व रिपोर्ट मिली थी, राजस्थान की जो वर्तमान स्थिति है उसे ध्यान में रखते हुए अब और विलम्ब नहीं किया जा सकता जैसा कि उन्होंने सुझाव दिया है। वह सभा पटल पर रिपोर्ट प्रस्तुत क्यों नहीं करते ताकि हम भी इसे देख सकें तथा वह इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन क्यों नहीं देते ? इस तरीके से इसमें विलम्ब नहीं किया जा सकता।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि हम इसमें विलम्ब नहीं कर सकते परन्तु हमारी निष्क्रियता के कारण देर नहीं हो रही है। बल्कि यह विलम्ब राज्य के विभिन्न विरोधात्मक दावों के कारण तथा उनके बीच में कोई समझौता न होने के कारण हो रहा है। हम अपनी ओर से सभी प्रयास कर रहे हैं कि कोई समझौता हो जाए तथा जैसे ही इस सम्बन्ध में कोई समझौता हो जाता है, हम इस मामले में आगे कार्यवाही करेंगे। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री अयूब खांन।

(हिन्दी)

श्री अयूब खां : मिस्टर स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस समय राजस्थान में पानी का घोर संकट है, तो इसे दूर करने के लिए राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से जल संसाधन संबंधी योजनाओं की स्वीकृति मांगी है, जैसे यमुना-गंगा जल योजना, थोन डैम योजना और इंदिरा गांधी योजना आदि हैं, तो इनकी स्वीकृति कब तक केन्द्र सरकार की ओर से राजस्थान सरकार को दे दी जाएगी और क्या इस बारे में शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लिया जाएगा ? **(व्यवधान)**

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दूर-संचार व्यवस्था के पुनर्गठन के सम्बन्ध में अथरैया समिति की रिपोर्ट

*85. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूर-संचार व्यवस्था के पुनर्गठन के संबंध में अथरैया समिति की रिपोर्ट की जांच कर ली है, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विशेषकर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को समाप्त करने के बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) दूर-संचार सेवाओं के प्रबन्ध के लिए संगठनात्मक ढांचे पर अथरैया समिति की रिपोर्ट की सरकार जांच कर रही है ताकि उसकी विभिन्न सिफारिशों पर उपयुक्त निर्णय लिया जा सके।

सी-डॉट टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

[हिन्दी]

*86. **श्री काशीराम राणा :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल 90 से मार्च 91 तक की अवधि के दौरान देश में कितने सी-डॉट टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था,

(ख) ऐसे कितने टेलीफोन एक्सचेंजों ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है, और

(ग) क्या निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) (i) 128 पोर्ट सी-डॉट आर० ए० एक्स०—1500

(ii) 512 पोर्ट सी-डॉट—34

(ख) (i) 128 पोर्ट सी-डॉट आर० ए० एक्स०—1913

(ii) 512 पोर्ट सी-डॉट—4

(ग) (i) 128 पोर्ट सी-डॉट आर० ए० एक्स० के मामले में कमी नहीं हुई है।

(ii) 512 पोर्ट एक्सचेंजों के मामले में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में जो कमी आई है उसका कारण यह था कि डिजाइन को अन्तिम रूप देने तथा तकनीकी जानकारी के अन्तरण में अनुमान से अधिक समय लगा। नियमित सप्लाई 1991-92 में आरम्भ होगी।

असम, जम्मू तथा कश्मीर और पंजाब में मारे गए आतंकवादी

[अनुवाद]

*87. **श्री रमेश चेन्निथला :**

श्री भाग्ये गोवर्धन : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम, जम्मू तथा कश्मीर और पंजाब में गत छह महीनों के दौरान हुई मुठभेड़ों में कितने आतंकवादी मारे गए और कितने बन्दी बनाए गए या गिरफ्तार किए गए;

(ख) उनसे कितने हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया; और

(ग) इन राज्यों में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को सुधारने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) और (ख) असम में, चालू वर्ष के दौरान 30 जून तक विभिन्न मुठभेड़ों में 18 आतंकवादी मारे गए और 12 गिरफ्तार किए गए। इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान 4,419 संदिग्ध आतंकवादी भी गिरफ्तार किए गए। मारे गए/गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों से विभिन्न प्रकार के 18 शस्त्र और गोला बारूद के 111 मद बरामद किए गए।

चालू वर्ष में 30 जून तक की अवधि के दौरान पंजाब में कुल मिला कर 972 आतंकवादी मारे गए और 1121 गिरफ्तार किए गए। इस अवधि के दौरान उनसे 1863 शस्त्र और 39,044 राउण्ड गोला-बारूद बरामद किया गया।

जम्मू और कश्मीर में चालू वर्ष के दौरान 30 जून तक 296 आतंकवादी मारे गए और 1667 गिरफ्तार किए गए। इस अवधि के दौरान उनसे 2207 शस्त्र बरामद किए गए।

(ग) असम के मुख्य मंत्री ने उल्फा से शस्त्र त्यागने और बातचीत के लिए आगे आने के लिए कहा है और उल्फा नजरबंदियों को कुछ रियायतें दी हैं। कश्मीर में उठाए गए कदमों में संवेदनशील क्षेत्रों का पता लगाना, प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनातगी, रात्रि गश्त को गहन करना, आतंकवादियों के छिपने के स्थानों पर छापा मारना, बिचौलियों के विरुद्ध कार्रवाई करना इत्यादि सम्मिलित है। पंजाब में जिन व्यक्तियों को धमकियां दी गई हैं, उन व्यक्तियों, रेलों, बैंकों, बसों, समाचार-पत्रों, कार्यालयों और अन्य संवेदनशील स्थानों के लिए सुरक्षा व्यवस्था में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए गए हैं। संवेदनशील गांवों में विशेष पुलिस टुकड़ियां तैनात की गई हैं तथा राज्य सरकार को उपलब्ध कराए गए अर्द्ध-सैनिक बलों की संख्या में वृद्धि की गई है।

रंगभेद की नीति को समाप्त करने के लिए दक्षिण अफ्रीका पर लगे प्रतिबंध

***88. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से यह आग्रह करने के लिए क्या कदम उठाए हैं या उठाने वाली है कि वह दक्षिण अफ्रीका पर लगे प्रतिबंधों में ढील न दे जिससे कि दक्षिण अफ्रीका सरकार रंगभेद की नीति को शीघ्र समाप्त कर दे;

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ दक्षिण अफ्रीका को कोई सद्भावना शिष्ट मंडल भेजने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(क) भारत दक्षिण अफ्रीका पर राष्ट्रमंडल विदेश मंत्री समिति का सदस्य है जिसकी बैठक लंदन में 16 फरवरी, 1991 को हुई थी। इस बैठक में भारत में इस समय प्रतिबंधों में छूट देने के विरुद्ध अग्रणीय भूमिका निभाई है। भारत अफ्रीका कोश समिति का अध्यक्ष भी है। मई, 1991 में कुआलालम्पुर में अफ्रीका कोश के वरिष्ठ अधिकारियों की आठवीं बैठक में यह निश्चय किया गया था कि रंगभेद पृथग्वासन शासन के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय दबाव अवश्य जारी रखा जाना चाहिए और अफ्रीका कोश के लिए अतिरिक्त अंशदान जुटाए जाने चाहिए।

भारत अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से यह अनुरोध करने में अग्रणी रहा है कि प्रीटोरिया सरकार पर प्रतिबंधों एवं अन्य उपायों द्वारा दबाव बनाए रखा जाए। इन उपायों से सकारात्मक परिणाम निकले हैं, जिन्हें पिछले वर्ष से दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा प्रारम्भ किए गए सुधारों से प्रत्यक्ष रूप में देखा जा सकता है। अभी हाल इस वर्ष जून में दक्षिण अफ्रीका सरकार ने ग्रुप क्षेत्र अधिनियम, भूमि अधिनियमों और जनसंख्या पंजीकरण अधिनियम को रद्द किया है। इस प्रकार दक्षिण अफ्रीकी सांविधिक पुस्तकों में सभी रंगभेद कानून की समाप्ति कर दी गई।

केन्द्र-राज्य सम्बन्ध

*89. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का केन्द्र-राज्य संबंधों को नया रूप प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को अन्तिम रूप कब तक दे दिए जाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) से (ग) केन्द्र-राज्य संबंध संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाए जाते हैं। केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में आयोग (सरकारिया) का गठन संघ और राज्यों के बीच विद्यमान कार्य व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए जून, 1983 में किया गया था। इस आयोग का यह विचार था कि संविधान की स्थापना के समय से ही इसकी कार्य प्रणाली से प्रतीत हुआ है कि इसको मूलभूत योजना तथा उपबंध समय-समय पर सही साबित हुए हैं। आयोग के विचार में "संविधान के आधार भूत स्वरूप में बहुत अधिक परिवर्तन करना न तो उचित है और न ही आवश्यक है"। ऐसा महसूस किया जाता है कि केन्द्र-राज्य संबंध विकासात्मक हैं तथा उनको संचालित करने वाले संविधान के उपबंधों की लगातार संवीक्षा की जानी चाहिए। बदलती परिस्थितियों के अनुरूप इसकी कार्य-प्रणाली को ढालने के लिए संविधान में कई बार संशोधन किया गया है।

वास्तव में देय राशि से अधिक राशि के टेलीफोन बिल

*90. **श्री जॉर्ज फर्नांडीज :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संसद सदस्यों तथा अन्य टेलीफोन उपभोक्ताओं से ऐसी शिकायतें मिली हैं कि उन्हें वास्तव में देय राशि से अधिक राशि के टेलीफोन बिल भेजे जाते हैं तथा ऐसे टेलीफोनों के शुल्क के बिल भी भेज दिये जाते हैं जो पूर्णतः अप्रयुक्त रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वास्तव में देय राशि से अधिक राशि के बिल भेजे जाने के क्या कारण हैं और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) यह पाया गया है कि यथार्थ शिकायतें सामान्यतया निम्नलिखित कारणों से होती हैं :–

(क) मीटर रीडिंग की रिकार्डिंग तथा लिप्यंतरण और बिलों के परिकलन व उन्हें तैयार करने में होने वाली लिपिकीय गलतियां।

(ख) कॉलों को रजिस्टर करने में, विशेष रूप से इलेक्ट्रो-मेकेनिकल एक्सचेंजों में, तकनीकी खराबियां; और

(ग) दोषपूर्ण सर्किट कनेक्शन तथा क्रॉस-कनेक्शन।

(ग) जो उपचारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है तथा जो उपाय पहले ही क्रियान्वित किए जा रहे हैं वे इस प्रकार हैं :–

पुराने टेलीफोन एक्सचेंज चरणवार हटाना, टेलीफोन-बीलिंग का कम्प्यूटरीकरण, एक्सचेंज उपस्कर तथा बाह्य संयंत्र की लगातार निगरानी (मॉनीटरिंग) और अनधिकृत इस्तेमाल के प्रति सावधानी बरतना।

कपास की खेती

*91. **श्री राजवीर सिंह :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक राज्य में कितने-कितने क्षेत्र में कपास की खेती की जाती है, और

(ख) अधिक क्षेत्र में कपास की खेती कराने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) 1989-90 में देश के 9 मुख्य उत्पादक राज्यों में कपास के अन्तर्गत क्षेत्र इस प्रकार था :—

('000 हैक्टेयर में)

राज्य	क्षेत्र
पजाब	732.0
हरियाणा	468.0
राजस्थान	434.2
गुजरात	837.2
महाराष्ट्र	2,635.5
मध्यप्रदेश	574.1
आंध्रप्रदेश	657.0
तमिलनाडु	267.5
कर्नाटक	681.7
अन्य	43.6
कुल	7,330.8

(ख) कपास के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के अलावा नौ मुख्य कपास उत्पादक राज्यों में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना-गहन कपास विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि इसके क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हो सके।

महिलाओं पर अत्याचार

*92. **डा० असीम बाला** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में महिलाओं पर अत्याचार की कितनी घटनाएं होने का समाचार है, जिनमें बहुओं को जलाए जाने, महिलाओं के साथ बलात्कार किए जाने और बालिका-शिशुओं की हत्या किए जाने की घटनाएं शामिल हैं, और

(ख) इन अत्याचारों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) अपराधों जिनमें महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध सम्मिलित हैं, को दर्ज करने, जांच करने, पता लगाने और रोकने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। वर्ष 1988, 1989 और 1990 के दौरान बहुओं को जलाए जाने इत्यादि सहित महिलाओं के प्रति अत्याचारों के मामलों की उपलब्ध संख्या विवरण में संलग्न है। बालिकाओं की हत्या के बारे में केन्द्रीय एजेंन्सियों द्वारा पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते हैं और संकलित नहीं किए जाते हैं।

(ख) दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के उपबन्धों को और अधिक सख्त और प्रभावशाली बनाने के लिए, इसमें संशोधन किया गया है। केवल दहेज मृत्यु के मामलों से ही नहीं अपितु विवाहित महिलाओं के प्रति अत्याचार के मामलों से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए आपराधिक कानून

(द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1983 द्वारा भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को संशोधित किया गया है।

वर्तमान निर्देशों के अनुसार दहेज मृत्यु के मामले की जांच-पड़ताल पुलिस उप-अधीक्षक से कम श्रेणी के अधिकारी द्वारा नहीं की जाती है, शव परीक्षा दो डॉक्टरों के दल द्वारा की जाती है और शव परीक्षा के बिना शव के निपटान की अनुमति नहीं दी जाती है।

महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने और उनका पता लगाने की प्रभावकारी कार्रवाई करने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए गए हैं।

महिला और विकास विभाग ने महिलाओं से संबंधित वर्तमान विधेयकों में कमियों को दूर करने, महिलाओं पर राष्ट्रीय आयोग गठित करने और महिलाओं के उत्थान में लगे संगठनों को सहायता देने के लिए कदम उठाए हैं।

विवरण

क्रम सं०	अपराध शीर्ष	दर्ज मामलों की संख्या		
		1988	1989	1990
1	बलात्कार	8,706	9,150	9,517
2	अभद्र व्यवहार	17,836	20,497	20,186
3	महिलाओं और बालिकाओं का अपहरण और व्यपहरण	9,633	11,673	11,689
4	महिलाओं के साथ छेड़खानी करना	10,109	9,934	8,620
5	दहेज के कारण जल कर आत्म हत्या करना	518	477	633
6	दहेज के कारण अन्य साधनों द्वारा आत्म हत्या करना	777	787	846
7	दहेज के कारण जला कर हत्या करना	418	418	398
8	दहेज के कारण अन्य साधनों द्वारा हत्या करना	496	621	480
9	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 ख के अन्तर्गत जला कर मृत्यु का मामला	उ०न०	774	250
10	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 ख के अन्तर्गत अन्य साधनों द्वारा मृत्यु का मामला	उ०न०	1,138	1,528

टिप्पणी :—(1) "उ०न०" का अर्थ उपलब्ध नहीं।

(2) 1988 की कुल संख्या की तुलना 1989 और 1990 के साथ नहीं की जा सकती है क्योंकि 1988 के लिए मद संख्या 9 और 10 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(3) आंकड़े राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त मासिक अपराध आंकड़ों पर आधारित हैं और इन्हें अस्थाई माना जाए।

इराक में भारतीय भवन-निर्माण कम्पनियां

*93. **डॉ० अमृतलाल कालिदास पटेल :**

श्री शंकरजी बघेला : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय-भवन-निर्माण कम्पनियों की उनके द्वारा इराक में बनाई गई परियोजनाओं के निर्माण की बाबत कुल कितनी धनराशि इराक सरकार की ओर बकाया है अथवा खाड़ी युद्ध के कारण इराक में कितनी धनराशि फंसी पड़ी है;

(ख) प्रत्येक सरकारी उपक्रम की कितनी-कितनी राशि बकाया है;

(ग) क्या सरकार ने इराक सरकार के साथ यह मामला उठाया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर इराक की क्या प्रतिक्रिया रही;

(ङ) क्या कुछ भारतीय कम्पनियां अभी भी इराक में परियोजनाओं के निर्माण कार्य में लगी हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या है और उनके द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाओं की क्रमशः अनुमोदित लागत कितनी-कितनी है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 31 दिसम्बर, 1990 तक इराक द्वारा भारतीय निर्माण कम्पनियों को इराक में उनकी परियोजनाओं के लिए 57 करोड़ 77 लाख 2 हजार अमरीकी डालर का भुगतान किया जाना था ।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 22 करोड़ 95 लाख अमरीकी डालर लेने हैं जिसमें से 3 करोड़ 25 लाख अमरीकी डालर की वह रकम भी शामिल है जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को दी जानी है ।

(ग) जी हां ।

(घ) इराक ने यह पेशकश की है कि वह कच्चे तेल की सप्लाई करेगा और उसकी जो धनराशि हो उससे भारतीय कम्पनियों को उस धन को अदायगी कर दी जाए जो उन्हें इराक से लेनी है । इस प्रकार के निर्यात के लिए सुरक्षा परिषद प्रतिबन्ध समिति की अनुमति जरूरी है जो अभी तक नहीं मिली है ।

(ङ) जी नहीं ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन

[हिन्दी]

*94. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत छः महीनों के दौरान मंत्रियों/उच्च अधिकारियों के आदेशों पर बड़ी संख्या में टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किये गये हैं,

(ख) सामान्य रूप से एक वर्ष में बिना बारी के आधार पर औसतन कितने टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किये जाते हैं,

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बिना बारी के आधार पर राज्य-वार कितने-कितने टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किये गये,

(घ) क्या ऐसे टेलीफोन कनेक्शनों की मंजूरी के संबंध में किन्हीं अनियमितताओं का पता लगा है, और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां, दिसम्बर, 1990 से मई 1991 की अवधि के दौरान तत्कालीन संचार राज्य मंत्री और संचार उप मंत्री के विवेक पर बिना बारी के 21,500 टेलीफोन कनैक्शन मंजूर किए थे ।

(ख) और (ग) बिनाबारी के आधार पर टेलीफोन कनैक्शन सरकार के विवेकाधिकार के अंतर्गत मंजूर किए जाते हैं । गत तीन वर्षों के दौरान "बिना बारी के" आधार पर मंजूर किए टेलीफोनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(घ) और (ङ) फील्ड यूनिटों ने उनके पास प्राप्त होने वाले मंजूरी के कुछ आदेशों म अनियमितताओं का पता लगाया है । इस संबंध में सरकार ने सतर्कता शाखा को मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	निम्नलिखित अवधि के दौरान मंजूर किए गए टेलीफोन कनक्शनों की संख्या		
		जुलाई, 1988 से जून, 1989	जुलाई, 1989 से जून, 1990	जुलाई, 1990 से जून, 1991
1.	असम	191	85	96
2.	आंध्र प्रदेश	384	493	602
3.	बिहार	33	43	388
4.	गुजरात	60	71	374
5.	हरियाणा	289	289	1562
6.	हिमाचल प्रदेश	42	24	41
7.	जम्मू और कश्मीर	96	68	112
8.	कर्नाटक	168	67	701
9.	केरल	108	778	371
10.	मध्य प्रदेश	208	196	614
11.	महाराष्ट्र	857	745	787
12.	उत्तर पूर्वी सर्किल*	70	62	69
13.	उड़ीसा	445	405	99
14.	पंजाब	449	448	648
15.	राजस्थान	567	313	1023
16.	तमिलनाडु	313	449	548
17.	उत्तर प्रदेश	3200	1042	4651
18.	पश्चिम बंगाल	208	213	331
19.	एम० टी० एन० एल०, बम्बई	788	342	1089
20.	एम० टी० एन० एल०, नई दिल्ली	6818	7628	13491
	जोड़	15126	13761	27597

*उत्तर पूर्वी सर्किल में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैण्ड शामिल हैं।

भारत–पाकिस्तान वार्ता

[अनुवाद]

*95. **श्री चन्द्रजीत यादव :**

श्री प्रकाशबापू वसंतराव पाटील : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शांति, सहयोग, मंत्रता-संधि, अनाक्रमण समझौता और दोनों देशों के नागरिकों को वीसा-सुविधा सहित द्विपक्षीय विषयों पर भारत-पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुई बातचीत के क्या परिणाम निकले,

(ख) क्या निकट भविष्य में मन्त्रिस्तरीय वार्ता करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) भारत और पाकिस्तान के बीच हुई हाल ही की द्विपक्षीय बातचीत में शांति, मैत्री और सहयोग संबंधी संधि अथवा युद्ध न करने संबंधी समझौते का सवाल तो नहीं उठा किन्तु द्विपक्षीय वीसा करार के पूर्ण त्रियान्वयन के संबंध में बातचीत चल रही है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

माल द्वीप में हुए दक्षेस के अधिकारी-स्तर के सम्मेलन के निष्कर्ष

*96. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मालद्वीप में हुए दक्षेस के विदेश सचिवों की स्थायी समिति के सम्मेलन के क्या निष्कर्ष निकले;

(ख) क्या क्षेत्रीय विकास के लिए विदेशी धन स्वीकार करने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दक्षेस-मंचों के माध्यम से संबद्ध क्षेत्र के देशों में परस्पर समझदारी बढ़ाने के लिए क्या प्रयत्न किए गए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री माधवसिंह सोलंकी) : (क) माले में सम्पन्न सार्क स्थायी समिति के 14वें सत्र की एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि आर्थिक सहयोग के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाए । इससे व्यापार, विनिर्मितियों, वित्त तथा सेवाओं जैसे प्रमुख क्षेत्र पहली बार सार्क के अन्तर्गत क्षेत्रीय सहयोग की परिधि में आने चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि पर्यटन

के लिए एक तकनीकी समिति गठित की जाए । इन दोनों सिफारिशों को मंत्रिपरिषद के 9वें सत्र में स्वीकार किया गया था जिसकी बैठक स्थायी समिति की बैठक के तुरन्त बाद हुई थी । स्थायी समिति मे चल रहे कार्यक्रमों का जायजा लेने और उनके समन्वय तथा बजट मामलों से संबद्ध अपने दायित्वों का भी निर्वाह किया ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) सार्क ने लगातार क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने तथा उसके द्वारा समझबूझ बढ़ाने की दिशा में काम किया है । इसकी गतिविधियां मुख्यत: एकीकृत कार्ययोजना के माध्यम से तकनीकी सहयोग पर केन्द्रित रही हैं जिसमें प्रशिक्षण, सेमिनार तथा कार्यशालाएं और रिपोर्टें तैयार करना तथा दिशा निर्देश देना शामिल है । इसमें कृषि, मौसम विज्ञान, डाक सेवा तथा पर्यटन जैसे विविध क्षेत्रों को शामिल किया गया है । 1986 में बंगलौर शिखर सम्मेलन में लोगों से लोगों के सम्पर्क का एक नया आयाम जोड़ा गया था । इस पहलकदमी की एक देन सार्क श्रव्य-दृश्य आदान-प्रदान कार्यक्रम भी है । सार्क अब क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है जिसमें व्यापार, विनिर्मितियां, वित्त और सेवाएं शामिल होंगी ।

कृषि विज्ञान केन्द्र

*97. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :**

श्री रूद्रसेन चौधरी : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने कृषि विज्ञान केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) राष्ट्रीय कृषि आयोग ने देश में कृषि विज्ञान केन्द्रों को स्थापित करने के सम्बन्ध में क्या सिफारिशें की हैं;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने-कितने कृषि विज्ञान केन्द्रों को खोलने का प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) महोदय, देश में 109 कृषि विज्ञान केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) राष्ट्रीय कृषि आयोग ने वर्ष 1976 में प्रस्तुत की गयी अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया था कि 1985 तक प्रत्येक जिले में कम से कम एक कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित हो जाना चाहिए ।

(ग) विभिन्न जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जा रहे हैं । इस समय 107 जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र हैं ।

(घ) इस संबंध में अभी निर्णय लिया जाना है ।

पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया

*98. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कश्मीर तथा पंजाब में राजनीतिक प्रक्रिया को पुनरु, जीवित करने का है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या पंजाब में चुनाव कराने हेतु पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने के लिये कोई योजना तैयार की गई है : और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) और (ख) सरकार पंजाब में यथाशीघ्र प्रजातांत्रिक प्रक्रिया शुरू करने के लिए वचनबद्ध है। कश्मीर में भी, कई उग्रवादियों द्वारा आत्म-संर्पण के उत्साहवर्धक संकेतों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्तरों पर "जन समितियों" का गठन किया जाएगा ताकि उनमें उनका सम्मिलित होना सुनिश्चित किया जा सके।

(ग) और (ग) उम्मीदवारों को आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराते हुए उग्रवादियों और अन्य विघटनकारी तत्वों पर प्रभावकारी दबाव बनाए रखने के लिए राज्य सरकार को सहायता दी जाएगी ताकि वे चुनाव प्रक्रिया में व्यवधान पैदा न कर सकें और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कानून का दुरूपयोग न कर सकें।

बिहार की पुनपुन-मोहरार-दुरधा सिंचाई परियोजना

[अनुवाद]

*99. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार की पुनपुन-मोहरार-दुरधा सिंचाई परियोजना काफी समय से केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है और

(ग) क्या इस परियोजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) परियोजना रिपोर्ट अप्रैल' 1981 में केंद्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई थी। चूंकि राज्य सरकार केन्द्रीय जल आयोग को टिप्पणियों के अनुरूप जल विज्ञान के मूल पहलुओं, जल प्रबन्ध आयोजना तथा परियोजना प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दे सकी, इसलिए रिपोर्ट को जून, 1988 में लौटाना पड़ा था। राज्य सरकार को दोबारा तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

(ग) निवेश स्वीकृति न मिलने के कारण इस परियोजना को राज्य सरकार के आठवीं योजना प्रस्तावों में शामिल नहीं किया गया है।

साम्प्रदायिक दंगे

*100. **श्री अर्जुन चरण सेठी :**

श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान देश के विभिन्न भागों में राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने साम्प्रदायिक दंगे हुए ; और

(ख) बार-बार ऐसे दंगे होने के क्या विशेष कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के आधार पर उन स्थानों का उल्लेख करते हुए एक विवरण संलग्न है जहां पर 1990 और 1991 (जून तक) में साम्प्रदायिक दंगों की प्रमुख घटनाएं घटीं।

लोक व्यवस्था राज्य का विषय होने के कारण समस्याओं से निपटने और सुधारात्मक उपाय करने का काम राज्यों का है। राज्य सरकारों के अनुरोध पर उन्हें अतिरिक्त बल उपलब्ध करा कर केन्द्र सरकार उनकी सहायता करती है। हमने भी राज्य सरकारों को कुछ ऐसे सुझाव दिए हैं, जिनसे उन गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके जो देश में साम्प्रदायिक वातावरण को खराब करती है। राष्ट्रीय एकता परिषद साम्प्रदायिकतावाद की बुराइयों का मुकाबला करने के लिए उपाय ढूंढने की कोशिश कर रही है।

विवरण

भाग (क) उपलब्ध सूचना के आधार पर 1990 तथा 1991 की अब तक की अवधि के दौरान देश के विभिन्न भागों में हुई साम्प्रदायिक दंगों की घटनाओं की संख्या, राज्यवार तथा संघ शासित क्षेत्रवार नीचे दी जाती है :—

क्रम संख्या	स्थान का नाम
1	2
1990	**आन्ध्र प्रदेश**
1	हैदराबाद सिटी
2	हैदराबाद सिटी
3	हैदराबाद
4	रंगारेड्डी
	असम
5	हेलाकांडी

क्रम संख्या	स्थान का नाम
	बिहार
6	बड़ी गुलानी (जिला-नवदा)
7	जमशेदपुर
8	पटना
9	दिल्ली
	गुजरात
10	पाटन (जिला–मेहसाना)
11	आनन्द (जिला–खेड़ा)
12	अहमदाबाद
13	अहमदाबाद
14	बड़ौदा
15	बड़ौदा
	कर्नाटक
16	रामनगरम
17	चेन्नापटना (बंगलौर ग्रामीण)
18	कोलार
	राजस्थान
19	जयपुर
20	जोधपुर
	महाराष्ट्र
21	बम्बई
	तमिलनाडु
22	दैनकअनीकोटाई (जिला–धरमपुरी)
	उत्तर प्रदेश
23	कानपुर,
24	कानपुर

1	2
25	बिजनौर
26	करनलगंज (जिला–गोंडा)
27	एटा
28	अलीगढ़
29	मेरठ
30	आगरा
31	जहांगीरपुर (जिला–बुलन्दशहर)
32	खुर्जा
1991	**बिहार**
1	जमशेदपुर
	गुजरात
2	सूरत
3	बड़ौदा
4	अंक्लेश्वर
	उड़ीसा
5	भादरक (बालासौर)
6	सोरो टाउन (बालासौर)
	मध्य प्रदेश
7	खारगांव
	महाराष्ट्र
8	बम्बई
	उत्तरप्रदेश
9	गाजियाबाद
10	कानपुर
11	वाराणसी

1	2
12	सिकन्दराबाद (बुलंदशहर)
13	सहारनपुर
14	मेरठ
	पश्चिम बंगाल
15	नादिया
16	आसनसोल

सेन्ट्रल स्टेट फार्म, बहराइच

303. **श्री शत्रु सेन चौधरी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैन्ट्रल स्टेट फार्म, बहराइच उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है ; और

(ख) विभिन्न खाद्यान्नों के बीजों के उत्पादन के लिए कुल कितने क्षेत्र को उपयोग में लाया जाता है और वहां पर वर्ष 1990-91 के दौरान कुल कितना उत्पादन हुआ ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) केन्द्रीय राज्य फार्म, बहराइच का कुल क्षेत्रफल 3828 हैक्टेयर है ।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान बीज उत्पादन के लिए कुल 1382 हैक्टेयर क्षेत्र खेती के तहत था । वर्ष 1990-91 के दौरान, केन्द्रीय राज्य फार्म बहराइच में 26,350 क्विंटल बीजों का उत्पादन होने का अनुमान है ।

अल्पसंख्यक अधिकारों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय घोषणा

[अनुवाद]

304. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानव अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र आयोग/उप-आयोग द्वारा अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में तैयार किए जा रहे प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय घोषणा के प्रारूप को वर्तमान में क्या दर्जा दिया गया है ;

(ख) क्या इसका प्रारूप तैयार करने में भारतीय प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो भाग लेने वाले देशों के नाम क्या हैं और उनकी भागीदारी कब तक रहेगी ; और

(घ) संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद/यू० एन० जी० ए० के समक्ष प्रारूप को प्रस्तुत करने की सम्भावित तारीख क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का एक कार्यकारी दल 1978 मे "राष्ट्रीय अथवा जातिय, धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में घोषणा का एक प्रारूप" तैयार कर रहा है। इस समय प्रारूप के पाठ का द्वितीय वाचन चल रहा है।

(ख) और (ग) विगत 14 वर्षों के दौरान संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के विभिन्न अधिवेशनों में भाग लेने के लिए गये भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने प्रारूप बनाने के कार्य में योगदान किया।

(घ) कार्यकारी दल द्वारा घोषणा के प्रारूप को अन्तिम रूप दे दिये जाने के बाद इसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद इसे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

नर्मदा सागर परियोजना

305. श्री राम नाईक : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का ध्यान दिनांक 28 जून, 1991 के टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित "नर्मदा प्रोजेक्ट गैट्स डब्लु० बी० क्रेडिट" शीर्षक समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने विश्व बैंक द्वारा नर्मदा परियोजना के सम्बन्ध में लगायी गई शर्तों को पूरा कर लिया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) परियोजना से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की संशोधित संख्या कितनी होगी ; और

(ङ) महाराष्ट्र में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्हें कृषि योग्य भूमि और मकानों के प्लाट आवंटित किये गये हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां,। यह समाचार "टाइम्स ऑफ इंडिया" में दिनांक 29-6-1991 को प्रकाशित हुआ।

(ख) और (ग) विश्व बैंक ने सरदार सरोवर परियोजना के परियोजना–प्रभावित व्यक्तियों के पुनः स्थापना के सम्बन्ध में कुछ शर्तें निर्धारित की हैं। पुनर्वास और पुनः स्थापना से सम्बन्धित विश्व बैंक पुनरीक्षा मिशन ने अप्रैल-मई, 1991 में भारत का दौरा किया तथा इस सम्बन्ध

में की गयी प्रगति की पुनरीक्षा की। राज्यों और भारत सरकार के अधिकारियों दोनों के साथ व्यापक रूप से क्षेत्रों का दौरा करने तथा विचार विमर्श करने के बाद पुनरीक्षा मिशन भागीदारी राज्यों द्वारा किए गए उपायों से सन्तुष्ट हो गया था। ऋण 1 जुलाई, 1992 तक बढ़ा दिया गया है।

(घ) सरदार सरोवर परियोजना द्वारा जलमग्न क्षेत्र से प्रभावित परिवारों की संशोधित संख्या इस समय 30,464 है, जिसमें से गुजरात में 4,500, महाराष्ट्र में 2,464 तथा मध्य प्रदेश में 23,500 (अन्तिम) है।

(ङ) महाराष्ट्र से 327 परिवारों को मकानों के प्लाट आवंटित किए गए हैं तथा 325 परिवारों को कृषि योग्य भूमि आवंटित की गयी है।

महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में डाकखानों का खोला जाना

306. **श्री गोविन्दराव निकम :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक डाकखाने खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने डाकखाने खोलने की सम्भावना है और उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर उन्हें खोला जाएगा ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० बी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां।

(ख) फिलहाल बडचूड़ी, फादए तथा गिमहावाने में क्रमशः एक-एक डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

जम्मू और कश्मीर में घुसपैठियों की गतिविधियां

307. **डॉ० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में गत 6 महीनों के दौरान कितने घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया और कितने घुसपैठिए मारे गए ;

(ख) क्या कश्मीर घाटी में गत 6 महीनों के दौरान ऐसी घटनाओं में वृद्धि हुई है जिनमें घुसपैठिए शामिल हों ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) घुसपैठियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

जम्मू और कश्मीर ने सूचित किया है कि 1 जनवरी, 1991 से 30 जून, 1991 की अवधि के दौरान चोरी-छिप कर अन्दर आने वाले/बाहर जाने वाले 200 व्यक्ति पकड़े गए और 133 सीमा/सीमा रेखा नियंत्रण पर मारे गए।

2. सीमाओं पर गहन सतर्कता के बावजूद कठिन पर्वतीय भूभाग तथा लम्बी सीमा के कारण चोरी छिप कर अन्दर आने वालों/बाहर जाने वालों को पूरी तरह से रोकना सम्भव नहीं है।

3. सीमा पर सतर्कता बढ़ाने के अलावा सीमा तथा नियन्त्रण रेखा के साथ-साथ 5 कि० मी० पट्टी पर रात-दिन का कर्फ्यु लगाया गया है, आसूचना तंत्र को मजबूत किया गया है। सीमावर्ती क्षेत्र में विक्षुब्ध अधिनियम तथा सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) अधिनियम लागू किया गया है और सेना, अर्ध-सैनिक बलों तथा राज्य पुलिस के मध्य बेहतर समन्वय है।

भारी हिमपात के कारण हुई क्षति

308. **प्रो० प्रेम धुमल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1991 के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर में हिमपात के कारण जन-धन को हुई क्षति का कोई मूल्यांकन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) स्थिति का सामना करने के लिए इन राज्यों को अब तक कितनी केन्द्रीय सहायता दी गयी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) ओलावृष्टि के कारण उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर द्वारा सूचित की गई क्षति का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(क) उत्तर प्रदेश		जनवरी, 1991 के दौरान 12 व्यक्तियों की मौत हुई और 2 व्यक्ति घायल हुए।
(ख) हिमाचल प्रदेश	:	जनवरी, 1991 के दौरान 34 व्यक्तियों तथा 2085 पशुओं की मौत हुई तथा 4132 घरों को नुकसान पहुंचा।
(ग) जम्मू एवं कश्मीर		1990-91 की शीत ऋतु के दौरान 23 व्यक्तियों की मौत हुई, 5 व्यक्ति घायल हुए, 15,733 घरों, 106 हाऊस बोटों और 536 दुकानों को नुकसान पहुंचा।

(ग) राहत व्यय के घन लगाने की वर्तमान नीति के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के साथ, प्रत्येक राज्य के लिए आपदा राहत निधि का गठन किया गया है जिसमें गैर-योजना अनुदान के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा 75 प्रतिशत और राज्य सरकार द्वारा शेष 25 प्रतिशत का योगदान करने

निजी स्रोतों से किया जाता है । इस निधि का ओलावृष्टि सहित सभी प्राकृतिक आपदाओं की हालत में राहत कार्यों के वित्त पोषण के लिए उपयोग किया जाता है । राज्य स्तरीय समिति को सहायता के मानदण्डों सहित राहत व्यय के वित्त पोषण से सम्बन्धित सभी मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है । आपदा राहत निधि के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश को क्रमश: 18.00,12.00 और 90.00 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है । केन्द्रीय सरकार ने मार्च, 1991 के अन्त तक 1990-91 के लिए आपदा राहत निधि का अपना समूचा अंश निर्मुक्त किया था । 1991-92 के लिए भी केन्द्रीय सरकार ने अब तक प्रथम दो तिमाही किश्तें निर्मुक्त कर दी हैं ।

संविधान का अनुच्छेद 370

309. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम ०एम ०जैकब : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

परमाणु अप्रसार सन्धि

[अनुवाद]

310. **प्रो ०के ०वी ०थामस :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु अप्रसार सन्धि पर भारत का क्या रवैया है;

(ख) क्या किसी अन्य देश की सरकार ने भी भारत सरकार से ऐसी सन्धि पर हस्ताक्षर करने की पेशकश की है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) भारत ने नाभिकीय-अप्रसार सन्धि पर हस्ताक्षर इस लिए नहीं किए है कि इस संधि में नाभिकीय हथियार रखने वाले राज्यों तथा नाभिकीय हथियारों से विहीन राज्यों के बीच दायित्वों और जिम्मेदारियों के बारे में किसी प्रकार के संतुलन की व्यवस्था नहीं है । एक ओर इस संधि में जहां नाभिकीय हथियार रखने वाले राज्यों पर नभिकीय अप्रसार के दायित्वों के लिए कोई प्रावधान नहीं है वहीं दूसरी ओर यह नाभिकीय हथियारों से विहीन राज्यों के नाभिकीय कार्यक्रमों पर पूरे सुरक्षा उपाय लागू करने के साथ-साथ उन पर नियत्रंण भी लगाती है । इस प्रकार यह संधि भेदभाव मूलक है और नाभिकीय हथियार रखने वाले राज्यों द्वारा नाभिकीय हथियार रखने के मामले को उचित ठहराती है ।

(ख) और (ग) नाभिकीय अप्रसार संधि के बारे में हमारी नीति में परिवर्तन करने के लिए कुछ राज्यों ने समय-समय पर हमें समझाने अथवा हमारे ऊपर दबाव डालने की कोशिश की है; लेकिन नाभिकीय अप्रसार संधि के संबंध में भारत की नीति अपरिवर्तनीय है ।

हथियारों के लाइसेंस जारी करना

[हिन्दी]

311. **श्री संतोषकुमार गंगवार :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथियारों के लाइसेंस जारी करने के संबंध में राज्य सरकारों को कोई निदेश दिये गये हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने हथियारों के लाइसेंस जारी करने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये हैं;

(ग) क्या आम जनता को अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों के लाइसेंस जारी किये जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) से (घ) शस्त्र अधिनियम, 1959 और शस्त्र नियम, 1962 के प्रावधानों के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट जिले अथवा संबंधित राज्यों के लिए गैर-निषिद्ध बोर हथियारों के शस्त्र के लाइसेंस जारी करने के लिए सक्षम है और राज्य सरकार सारे देश के लिए ऐसे वैध लाईसेंस जारी करने के लिए सक्षम है । ऐसी अनुज्ञप्तियां व्यक्तिगत सुरक्षा सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए जारी किए जाते हैं । केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को इस संबंध में ऐसे कोई निर्देश नहीं दिये हैं कि वे किस प्रकार के मानक अपनाए ।

आय-कर निर्धारण आदेश

[अनुवाद]

312. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर निर्धारण आदेश दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 107/151 का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों की जमानत देने के लिए एक वैध और यथेष्ट दस्तावेज है;

(ख) यदि हां तो गत एक वर्ष के दौरान कितने मामलों में इस दस्तावेज की अनदेखी कर दी गई और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) अन्य कौन-कौन से कागज पत्र/दस्तावेज जमानत देने के लिए वैध माने जाते हैं;

(घ) क्या उन मामलों की जांच करने का कोई प्रस्ताव है जिनमें गत एक वर्ष के दौरान आय-कर आदेशों को जमानत के लिए नकार दिया गया; और

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम ०एम ० जैकब)

(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 और 151 के अन्तर्गत निरोधक कार्यवाही में जमानत देने के लिए यह एक वैध दस्तावेज है ।

(ख) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि पिछले वर्ष के दौरान दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/151 के अन्तर्गत कार्यवाही में जमानत देने के मामलें मे किसी ऐसे दस्तावेज की अनदेखी नहीं की गई ।

(ग) जमानत मंजूर करने के लिए अन्य वैध दस्तावेजों में जमा पर्ची से संबधित दस्तावेज फैक्टरी दुकान के लाईसेंस सरकारी कर्मचारियों के मामले में परिचय पत्र, आदि शामिल हैं ।

(घ) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ड़) प्रश्न नहीं उठता है ।

केरल को बाढ़ सहायता

313. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में भारी वर्षा के कारण आयी बाढ़ तथा समुद्री कटाव से हुई क्षति से निपटने के लिए केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) :

(क) जी नहीं :

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

खाड़ी के देशों को छोड़ कर निकले भारतीय

314. **श्री वी० एस० विजयराघवन :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुवैत, ईराक और सऊदी अरब से पृथक-पृथक कुल कितने भारतीय खाड़ी युद्ध के दौरान निकले;

(ख) खाड़ी युद्ध की समाप्ति के बाद कुल कितनी भारतीय नर्सें इस बीच अपने खाड़ी देशों को लौट चुकी हैं ;

(ग) क्या सरकार के पास इन भारतीयों के पुनर्वास तथा इनको खाड़ी देशों को वापस भेजने के लिए इनकी कोई सहायता करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड) क्या केरल सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(च) यदि हां, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन भारतीयों द्वारा कुवैत ग्रौर खाड़ी के ग्रन्य देशों में छोड़ी गई उनकी सम्पत्ति एवं परिसम्पत्तियों के लिए किसी मुग्रावजे की मांग की है ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) ग्रनुमान है कि भारत सरकार की सहायता से 1,47,839 भारतीय खाड़ी से स्वदेश लौटे है ।

(ख) कुवैत : लगभग 150

इराक : कोई नहीं

सऊदी ग्ररब : ग्रांकड़े उपलब्ध नहीं ।

(ग) ग्रौर (घ) भारत सरकार ने ग्रभी तक खाड़ी देशों से स्वदेश प्रत्यावर्तित भारतीयों के पुनर्वास के लिए कोई योजना ग्रारम्भ नहीं की है । जहां तक हमारे राष्ट्रिकों द्वारा वापिस जाने का संबंध है, भारत सरकार ने कुवैत सरकार के साथ मामले को उठाया है ग्रौर हमारे लोगों ने वापस जाना ग्रारम्भ कर दिया है । इसके ग्रतिरिक्त, सरकार ने उत्प्रवासन क्रियाविधि को भी उदार बनाया है ।

(ङ) ग्रौर (च) सरकार को केरल के मुख्य मंत्री का ज्ञापन मिला है जिसमें ग्रन्य बातों के साथ-साथ स्वदेश लौटे लोगों के शीघ्र पुनर्वास के उपायों ग्रौर इस प्रयोजनार्थ एक समिति ग्रौर कोष की स्थापना की बात कही गई है इन सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

(छ) संबंद्ध संयुक्त राष्ट्र संकल्पों के ग्रनुसार, इराक को मुग्रावजे का भुगतान करना होगा । इस समय भारतीय राष्ट्रिकों से मुग्रावजों के दावों की जानकारी एकत्र की जा रही है ग्रौर यह जानकारी समेकित करके संयुक्त राष्ट्र मुग्रावजा ग्रायोग को भेजी जाएगी । वसूली योग्य परिसम्पत्तियों के संबंध में हम ग्रपने राष्ट्रिकों को हर संभव सहायता देंगे ।

उच्च और मध्यम कोटि की मैंगनीज की कमी

315. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ मैंगनीज एलॉय उत्पादकों को उच्च एवं मध्यम कोटि की मैंगनीज की कमी के कारण उत्पादन में कटौती करनी पड़ी है ग्रथवा उन्होंने ग्रपनी भट्टियों को बन्द कर दिया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, ग्रौर

(ग) इस कमी के क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहनदेव) : (क) से (ग) वर्ष 1990-91 के दौरान देश में इस्पात उत्पादन के लिए मैंगनीज एलॉय की कोई कमी नहीं थी । मैंगनीज एलॉय उत्पादकों की कुछ इकाइयों को कुछ ग्रवसरों पर मैंगनीज ग्रयस्क की कमी का सामना करना पड़ा हो, इसका कारण योजना न बनाया जना, ग्रयस्क की सप्लाई में होने वाले उतार-चढ़ाव का सामना करने के लिए पर्याप्त स्टाक का न होना ग्रादि भी सकता है ।

चण्डीगढ़, मनीमाजरा और पंचकुला में टेलीफोन कनेक्शन

316. **श्री पवन कुमार बन्सल :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय चंडीगढ़, मनीमाजरा और पंचकुला में कुल कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये गये हैं,

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त तीनों स्थानों पर कितने नये कनेक्शन दिए गये; और

(ग) टेलीफोन लाइनों की वृद्धि से पूर्व एवं पश्चात चंडीगढ़ में इस विभाग में कार्य कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्रीय(श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) :

(क) चंडीगढ़	22519
मनीमाजरा	252
पंचकुला	2300
(ख) चंडीगढ़	5583
मनीमाजरा	15
पंचकुला	1633

(ग) टेलीफोन लाइनों में वृद्धि से पूर्व और पश्चात् चंडीगढ़ में कार्य कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या 1104 है ।

जोधपुर में "स्टील स्टॉकयार्ड"

(हिन्दी)

317. **श्री गुमानमल लोढ़ा :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोधपुर में एक "स्टील स्टाकयार्ड" स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है ।

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहनदेव) : (क) : जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

साम्प्रदायिक दंगों को शान्त करने के लिए "त्वरित कार्यवाही बल"

(अनुवाद)

318. **श्री चित्त बसु :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांप्रदायिक दंगों को शांत करने के लिए एक मिश्रित त्वरित कार्यवाही बल बनाने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम ० एम ० जैकब):

(क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) इस अवस्था में इसके ब्यौरे बताना लोकहित में उचित नहीं होगा ।

सहरसा जिले की सभी ग्राम पंचायतों में डाक-घर खोलना

[हिन्दी]

319. **श्री सूर्य नारायण यादव :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिहार के सहरसा जिले के सभी ग्राम पचायतों में डाकघर खोलने का विचार कर रही है ।

(ख) यदि हां, तो कितने गांवों में डाकघर खोलने का विचार है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी ० वी ० रंगय्या नायडू) : (क) जी , नहीं । सरकार का सहरसा जिले की सभी ग्राम पंचायतों में डाकघर खोलने का विचार नहीं है ।

(ख) 1991-92 के दौरान सहरसा जिले के गांवों में छह डाकघर खोलने का प्रस्ताव है ।

(ग) सभी ग्राम पंचायतों को डाकघर मुहैया कराना संभव नहीं है क्योंकि वे डाकघर खोलने के लिए निर्धारित मानदण्ड पूरे नहीं करते हैं ।

पाकिस्तान के योजना मंत्री के साथ बातचीत

[अनुवाद]

320. **डॉ ० सी ० सिलवेरा :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में उन्होंने पाकिस्तान के योजना मंत्री के साथ मुलाकात की थी;

(ख) यदि हां, तो इस मुलाकात के दौरान किन मसलों पर बातचीत की गई;

(ग) क्या इस बातचीत के दौरान पंजाब और कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को प्रोत्साहन दिये जाने के मसले को भी उठाया गया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) :

(क) जी हां ।

(ख) से (ङ) यह मुलाकात पूर्णतः शिष्टाचार के नाते की गई थी और इसके दौरान महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा नहीं हुई ।

महाराष्ट्र में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार

321. **श्री प्रकाशबापू वसंतराव पाटील :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 और 1990–91 के दौरान महाराष्ट्र में कितने मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार किया गया, और

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान कितने टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार किए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) महाराष्ट्र में, 1989-90 के दौरान 210 टेलीफोन एक्सचेंजों (61055 लाइनें) का विस्तार किया गया और 1990-91 में 189 टेलीफोन एक्सचेंजों (43030 लाइनें) का विस्तार किया गया।

(ख) 1991-92 के दौरान 79 टेलीफोन एक्सचेंजों (81050 लाइनें) का विस्तार करने का प्रस्ताव है।

महाराष्ट्र में टेलीफोन एक्सचेंज

322. **श्री प्रकाशबापू वसंतराव पाटील :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान कितने टेलीफोन एक्सचेंज खोले गये, और

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान वहां कितने टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) महाराष्ट्र में वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान खोले गए नए टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या क्रमशः 94 और 146 है।

(ख) 1991-92 के दौरान 163 नए एक्सचेंज खोले जाने का प्रस्ताव है।

पटसन की खेती

323. **श्री सैयद सहाबुद्दीन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य-वार कितने क्षेत्र में पटसन की खेती हुई;

(ख) इस अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यवार कितनी मात्रा में पटसन का उत्पादन हुआ;

(ग) स्तरीय पटसन का प्रत्येक वर्ष औसत बाजार मूल्य कितना था और तदनुरूप केन्द्रीय सरकार द्वारा समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) वर्ष 1988-89 से 1990-91 तक पटसन की खेती का क्षेत्रफल और उत्पादन का अनुमान संबंधी राज्यवार विवरण संलग्न है :—

(ग) वर्ष 1988-89 से 1990-91 तक न्यूनतम समर्थन मूल्यों के साथ-साथ कलकत्ता (मुख्य विपणन केन्द्र) में पटसन की टी० डी०-5 किस्म के औसत बाजार मूल्य नीचे दिए गए हैं :—

(रुपए प्रति क्विंटल)

वर्ष	न्यूनतम समर्थन मूल्य	वार्षिक औसत बाजार मूल्य (कलकत्ता)
1988-89	290.00	462.92
1989-90	325.50	644.58
1990-91	347.50	645.00

विवरण

राज्य	क्षेत्र (हजार हैक्टेयर)			उत्पादन (प्रत्येक 180 कि० ग्रा० की हजार गांठें)		
	1988-89	1989-90	1990-91	1988-89	1989-90	1990-91
असम	95.8	94.8	95.5	673.3	794.4	865.9
बिहार	137.1	118.0	137.4	1124.00	912.7	1012.4
मेघालय	5.0	4.8	5.0	37.3	34.7	50.5
नागालैंड	0.2	0.2	0.2	0.7	0.7	0.8
उड़ीसा	31.9	29.7	35.8	291.7	295.4	333.9
त्रिपुरा	2.8	2.1	2.7	22.7	16.8	23.6
उत्तर प्रदेश	2.8	1.3	1.1	30.0	13.8	9.8
पश्चिम बंगाल	415.3	426.5	500.2	4530.7	5003.3	5496.3
अखिल भारत	690.9	677.4	777.9	6710.4	7071.8	7793.2

महानन्दा बेसिन बाढ़ नियंत्रण योजना

324. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या जल संसाधनमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानन्दा बेसिन बाढ़ नियंत्रण योजना की वर्तमान स्थिति और अनुमानित लागत क्या है,

(ख) महानन्दा बेसिन पर इस समय कौन-कौन सी योजनाओं पर कार्य चल रहा है,

(ग) इन योजनाओं की अनुमानित लागत और अब तक इन पर किया गया योजनावार व्यय क्या है; और

(घ) योजना के लिए केन्द्रीय सरकार ने कितनी धनराशि आबंटित की है और गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार को वर्षवार कितनी राशि दी गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) महानन्दा बेसिन योजना में बाढ़ नियंत्रण के कार्यों की वर्ष 1987 में अध्ययन की गई अनुमानित लागत 255 करोड़ रुपए है ।

(ख) और (ग) 20.83 करोड़ रुपए की लागत की महानन्दा बाढ़ नियंत्रण स्कीम पर 17.73 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं । इसके अतिरिक्त, कई कटाव-रोधी तथा नगर सुरक्षा स्कीमों का भी निष्पादन किया जा रहा है ।

(घ) केन्द्र से किसी प्रकार के आबंटन के बगैर बाढ़ नियंत्रण कार्यों का क्रियान्वयन राज्य की योजनागत निधियों से किया जाता है ।

पाकिस्तान द्वारा जम्मू एवं कश्मीर पर विवादास्पद फिल्म का प्रसारण

325. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार का ध्यान दिनांक 23 अप्रैल, 1991 के "टेलीग्राफ" में "पाक टेलीकास्टस् कन्ट्रोवर्सियल फिल्म ऑन जे एन्ड के" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी हां ।

(ख) टेलीविजन पर इस फिल्म का प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मसले पर चलाए जा रहे तीखे भारत-विरोधी प्रचार अभियान का एक हिस्सा है जिस में जम्मू और कश्मीर की घटनाओं को गलत और तोड़-मरोड़ कर दिखाया गया है । सरकार ने उन्हें यह बता दिया है कि ऐसा झूठा प्रचार शिमला समझौते का उल्लंघन है और दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास व भरोसे का वातावरण बनाने के उपायों में बाधा उत्पन्न करता है । सरकार ने ऐसे प्रचार का खंडन करने और सभी संबंधित पक्षों को सही स्थिति से अवगत कराने के लिए कदम उठाए हैं ।

कार-फोनों का लगाना

326. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिजिटल सैल्युलर रेडियो मोबाइल सिस्टम जिसे कार-फोन भी कहा जाता है, सम्बन्धी 260 करोड़ रुपयों का एक प्रस्ताव सरकार की मंजूरी के लिए लम्बित है;

(ख) क्या प्रारम्भ में चार बड़े महानगरों में इस प्रस्ताव की जनता में लोकप्रियता के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) क्या राजधानी में वर्तमान में प्रयोगाधीन कारफोन प्रणाली पुरानी हो चुकी है;

(ङ) यदि हां, तो इसमें कुल कितनी धनराशि व्यय होगी; और

(च) क्या सरकार इस महत्वाकांक्षी प्रस्ताव को समाप्त करने पर विचार कर रही है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, नहीं। दूरसंचार विभाग वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके, यह सुविधा प्रदान करने संबंधी एक प्रस्ताव पर वचार कर रहा है।

(ख) बम्बई में एक प्रारंभिक मार्केट-सर्वे किया गया था।

(ग) "सर्वे" से पता चला है कि बम्बई में इस प्रकार की प्रणाली के लिए पर्याप्त क्षमता है।

(घ) जी नहीं। राजधानी में कार-फोन-प्रणाली चल रही है।

(ङ) प्रारंभ में, जब वर्ष 1985 में यह परियोजना राजधानी में आरंभ की गई थी, उस समय 200 कनेक्शन प्रदान करने के लिए इस परियोजना की लागत 2.18 करोड़ रुपये थी। और अधिक कनेक्शनों की वर्तमान मांग को देखते हुए इस प्रणाली का हाल ही में 2.41 करोड़ रुपए की लागत से 200 से 400 कनेक्शनों तक विस्तार किया गया है।

(च) इस प्रस्ताव की तकनीकी आर्थिक दृष्टि से प्रारंभिक स्तर पर जांच की जा रही है।

बर्नपुर में इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का आधुनिकीकरण

327. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने बर्नपुर स्थित इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय संकाय और सरकारी क्षेत्र के संकाय के दो प्रस्ताव अस्वीकार कर दिए हैं,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) बढ़ती हुई लागत पर इस विलम्ब का क्या प्रभाव पड़ा है, और

(घ) इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी की आधुनिकीकरण योजना पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक क्या निर्णय लिया गया है ?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहनदेव) : (क) से (घ) सुझाए गए सभी विकल्पों की पूरी तरह जांच करने के पश्चात इसको आधुनिकीकरण परियोजना के बारे में सरकार द्वारा शीघ्र ही अन्तिम निर्णय लिया जाएगा। निवेश संबंधी निर्णय लिए जाने के पश्चात् ही मूल्य में वृद्धि होने के प्रभाव का पता लग सकता है।

भारत में चकमा शरणार्थी

328. **श्री समत कुमार मंडल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में विभिन्न शरणार्थी शिविरों में कुल कितने चकमा शरणार्थी रह रहे हैं;

(ख) क्या बंगलादेश में नये प्रबंध होने के बावजूद चकमाओं को वापस भेजे जाने के संबंध में अभी अनिश्चितता बनी हुई है;

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है कि उनको सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से प्रत्यावर्तित किया जाये; और

(घ) 31 मार्च, 1991 तक उनके रख-रखाव पर अनुमानतः कितनी धनराशि व्यय की गई ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम ०एम ०जैकब) :

(क) त्रिपुरा के शरणार्थी शिविरों में रह रहे चकमाओं सहित बंगलादेश से आये जनजातीय शरणार्थियों की कुल संख्या 53,344 है।

(ख) बंगलादेश में नयी व्यवस्था के बावजूद शरणार्थियों ने बंगलादेश वापस जाना आरम्भ नहीं किया है।

(ग) बंगलादेश सरकार से विभिन्न स्तरों पर कई अवसरों पर जोर देकर कहा गया है कि वे शरणार्थियों को बंगलादेश वापस जाने के लिए सभी संभव उपाय करें। हमारे स्तर पर भी इसी प्रकार के प्रयास किये जा रहे हैं।

(घ) 31 मार्च, 1991 तक बंगलादेश से आये जनजातीय शरणार्थियों के रख-रखाव पर 27,76,267 लाख रु० की राशि खर्च की गई।

[हिन्दी]

राज्य के विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति

329. **श्री राजबीर सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य विधान मंडलों द्वारा पारित कौन-कौन से विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़े हैं और ये विधेयक कब से लम्बित पड़े हैं; और

(ख) इन विधेयकों पर शीघ्र सहमति प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम ०एम ०जैकब) :

(क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) संबंधित राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को मामले में अपने विचार शीघ्र भेजने के लिए लगातार अनुस्मारक भेजे जाते हैं । जहां आवश्यक होता है, विधेयकों पर शीघ्र सहमति प्राप्त करने केलिए विचार-विमर्श भी किया जाता है ।

विवरण

दिनांक 12-7-1991 को राज्य विधान सभा द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति हेतु लंबित पड़े विधेयकों का विवरण

क्रम संख्या	प्राप्ति की तिथि	विधेयक का नाम
1	2	3
		आन्ध्र प्रदेश (8)
1	24-2-1987	आंध्र प्रदेश वीडियो कैसेट रिकार्डर के माध्यम से टेलिविजन स्क्रीन पर फिल्मों की प्रदर्शनी (विनियमन) विधेयक, 1987
2	1-11-1989	मोटर वाहन (आंध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1989
3	15-11-1989	आंध्र प्रदेश सहकारी समितियां (तीसरा संशोधन) विधेयक, 1989
4	20-11-1989	आंध्र प्रदेश राजमार्ग विधेयक, 1989
5	20-11-1989	आंध्र प्रदेश मण्डल प्रजा न्याय परिषद विधेयक, 1989
6	27-11-1989	आंध्र प्रदेश के उद्योगों का प्रबोधन विधेयक, 1989
7	27-11-1989	आजमाबाद औद्योगिक क्षेत्र (पट्टे को समाप्त और नियमित करना) विधेयक, 1989
8	28-11-1989	आंध्र प्रदेश औद्योगिक कामगार (प्रबंधकों में अभ्यावेदन भागीदारी और सहायता) विधेयक, 1989
		असम (5)
1	9-6-1987	असम भूमि पट्टों पर अधिकतम सीमा का निर्धारण (संशोधन) विधेयक, 1986
2	16-11-1987	असम कृषि भूमि का गैर कृषक लोगों को हस्तांतरण निषेध विधेयक 1987

विवरण—जारी

1	2	3
3	20-3-1989	असम औद्योगिक प्रतिष्ठान कामगारों को (स्थायी दर्जा देना) विधेयक, 1985
4	9-8-1989	असम राजमार्ग विधेयक, 1989
5	20-6-1990	असम भूमि हड़पना (निवारण) विधेयक, 1990
		बिहार (2)
1	6-1-1987	बिहार ऋण राहत (संशोधन) विधेयक, 1987
2	17-2-1988	मोटर वाहन (बिहार संशोधन) विधेयक, 1988
		गुजरात (1)
1	18-3-1991	गुजरात एडवोकेट कल्याण निधि विधेयक, 1991
		गोवा (3)
1	1-7-1988	गोवा औद्योगकि विकास (संशोधन) विधेयक, 1988
2	9-5-1989	गोवा पब्लिक मैन भ्रष्टाचार (जांच और पूछताछ) विधेयक, 1988
3	27-5-1991	गोवा के विश्वविद्यालय, बोर्ड और अन्य विशेष परीक्षाओं में दुराचार निवारण अधिनियम, 1991
		हरियाणा (9)
1	22-4-1987	भारतीय विद्युत (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1987
2	9-5-1988	महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 1988
3	9-5-1988	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1988
4	17-4-1989	भारतीय विद्युत (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1989
5	3-5-1989	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1989
6	18-4-1991	हरियाणा सार्वजनिक वक्फ (परिसीमा की वृद्धि) विधेयक, 1991

विवरण—जारी

1	2	3
7	7-5-1991	पंजाब गांव सामान्य भूमि (विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक, 1991
8	7-5-1991	हरियाणा और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1991
9	29-5-1991	हरियाणा श्री माता मनसा देवी धर्मशाला विधेयक, 1991
		हिमाचल प्रदेश (1)
1	11-2-1987	अनिवार्य वस्तुएं (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1986
		केरल (1)
1	29-4-1991	केरल महिला आयोग विधेयक, 1991
		कर्नाटक (6)
1	16-7-1984	कर्नाटक शिक्षा विधेयक, 1983
2	30-6-1987	कर्नाटक इस्तेमाल के लिए स्थानीय क्षेत्रों में प्रयोग अथवा बिक्री के लिए सामान पर चुंगी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1987
3	2-6-1988	कर्नाटक विस्थापित व्यक्तियों के लिए पुनर्वास, परियोजना विधेयक, 1987
4	5-4-1989	भूमि अधिग्रहण (कर्नाटक संशोधन) विधेयक, 1988
5	10-4-1991	कर्नाटक भारवाहन संविदा (अधिग्रहण) संशोधन विधेयक, 1990
6	2-7-1991	कर्नाटक भूमि (हस्तान्तरण पर रोक) विधेयक 1991
		मध्य प्रदेश (1)
1	16-7-1990	मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा तथा लोक व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1990

विवरण—जारी

1	2	3
		मणिपुर (6)
1	6-12-1988	मणिपुर जन पुस्तकालय विधेयक, 1988
2	6-12-1988	मणिपुर लाटरी नियंत्रण विधेयक, 1988
3	16-5-1989	मणिपुर मत्स्य पालन विधेयक, 1989
4	11-9-1989	मणिपुर होम गार्ड विधेयक, 1989
5	19-1-1990	मणिपुर पुलिस (अग्निशमन सेवाएं) विधेयक, 1989
6	21-5-1990	मणिपुर वीडियो फिल्म प्रदर्शन (विनियमन) विधेयक, 1989
		मेघालय (3)
1	23-2-1988	मेघालय चिकित्सा परिषद् विधेयक, 1987
2.	14-2-1991	मेघालय कैंचमेन्ट क्षेत्र संरक्षण विधेयक, 1990
3	3-5-1991	भारतीय सहभागिता (मेघालय संशोधन) विधेयक, 1991
		उड़ीसा (5)
1	20-12-1988	उड़ीसा अनिवार्य सेवाएं (रख-रखाव) विधेयक, 1988
2	19-11-1990	उड़ीसा विशेष न्यायालय विधेयक, 1990
3	6-6-1991	उड़ीसा सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 1991
4	6-6-1991	पंजीकरण (उड़ीसा संशोधन) विधेयक, 1991
5	6-6-1991	सिविल प्रक्रिया संहिता (उड़ीसा संशोधन) विधेयक, 1991
		राजस्थान (5)
1	23-5-1984	जोधपुर विश्वविद्यालय (नाम व पते में संशोधन) विधेयक, 1984
2	15-3-1990	राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्थान (संशोधन) विधेयक, 1989
3	22-8-1990	राजस्थान विलासिता (होटल और ठहरने के स्थान (विधेयक), 1990

विवरण—जारी

1	2	3
4	22-8-1990	राजस्थान शहरी सुधार (संशोधन और वैधता) विधेयक, 1990
5	22-8-1990	जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन और वैधता) विधेयक, 1990
		सिक्किम (2)
1	1-11-1989	सिक्किम भूमि अंतरण (विनियमन) विधेयक, 1989
2	1-11-1989	सिक्किम भूमि हस्तान्तरण (विनियमन) विधेयक, 1989
		तमिलनाडु (5)
1	17-5-1983	तमिलनाडु स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, उपयोग अथवा बिक्री हेतु सामान पर प्रवेश कर विधेयक, 1983
2	2-8-1985	तमिलनाडु शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनिमन) संशोधन विधेयक, 1985
3	29-5-1986	मद्रास रेस क्लब (उपक्रमों का अधिकरण और हस्तान्तरण संशोधन) विधेयक, 1986
4	4-6-1990	तमिलनाडु स्टेज कैरिजेज और कान्ट्रेक्ट कैरिजेज (अधिग्रहण) संशोधन विधेयक, 1990
5	11-6-1990	तमिलनाडु भूमि सुधार (भूमि पर सीलिंग) संशोधन विधेयक 1990
		त्रिपुरा (4)
1	25-11-1988	त्रिपुरा अन्तर्भूमि मत्स्यपालन विधेयक, 1986
2	2-8-1989	त्रिपुरा कृषि उत्पाद विपणन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1988
3	8-7-1991	त्रिपुरा वन (विशेष अनाचार कार्य के रोकथाम) विधेयक, 1991
4	8-7-1991	त्रिपुरा वन (टिम्बर निराकरण विनियमन) विधेयक, 1991

विवरण—समाप्त

1	2	3
		उत्तर प्रदेश (2)
1	15-5-1988	उत्तर प्रदेश भवन विनियमन और भूमि उपयोग आणविक प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 1988
2	26-10-1989	उत्तर प्रदेश कानून (हरियाणा से हस्तांरित क्षेत्रों का विस्तार) विधेयक, 1989
		पश्चिम बंगाल (7)
1	22-11-1983	मजदूर संघ बंगाल (संशोधन) विधेयक, 1983
2	22-5-1984	कलकत्ता विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1984
3	5-6-1989	रविन्द्र सांस्कृतिक संस्थान [(प्रबंध का अपने हाथ में लेना (संशोधन)] विधेयक, 1989
4	23-10-1990	हावड़ा नगर पालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990
5	10-12-1990	सिटी सिविल कोर्ट (संशोधन) विधेयक, 1990
6	31-1-1991	आसन सोल नगर पालिका विधेयक, 1990
7	7-5-1991	पश्चिम बंगाल मोटर-वाहन अतिरिक्त कर और एक बार कर (संशोधन) विधेयक, 1991

उत्तर प्रदेश के पेंशन पाने वाले स्वतंत्रता सेनानी

330. **श्री राजबीर सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में उत्तर प्रदेश के पेंशन पाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या कितनी है;

(ख) स्वतंत्रता सेनानी पेंशन पाने के लिये उत्तर प्रदेश से कितने आवेदन-पत्र अभी लम्बित हैं; और

(ग) उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों के कितने आश्रितों को उपर्युक्त सुविधा मिल रही है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) 30-6-1991 तक उत्तर प्रदेश के 17,754 स्वतंत्रता सैनानियों (उनके आश्रितों सहित) को पेंशन मंजूर की गई है ।

(ख) निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात् 31-3-1982 तक प्राप्त आवेदन पत्रों में से कोई भी आवेदन-पत्र लम्बित नहीं है । उसके बाद प्राप्त आवेदनों का कोई भी अलग रिकार्ड नहीं रखा जा रहा है। ऐसे आवेदन-पत्र विलम्ब से प्राप्त हुए आवेदन-पत्र समझे जाते हैं और यदि विलम्ब माफ करने के पर्याप्त आधार मिलते है तो उन्हें गुण-दोष के आधार पर निपटाया जाता है।

(ग) स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों के नाम पेंशन करने का कोई अलग रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

भारत-पाक सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए सेना की तैनाती

[अनुवाद]

331. **श्री प्रकाशबापू वसंतराव पाटील** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाक सीमा पर स्थित कुछ संवेदनशील जिलों में घुसपैठ और उग्रवादी तत्वों को रोकने के लिए सेना तैनात की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) पाकिस्तान के साथ लगने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के निकट के कुछ क्षेत्रों में सैनिक इकाईयां अपना सामान्य प्रशिक्षण का अभ्यास करती रहती है । जहां इससे दोनों ओर से होने वाली घुसपैठ को रोकने में मदद मिलती है, वहां सेना की उपस्थिति से स्थानीय लोगों में विश्वास पैदा करने में भी मदद मिलती है ।

झारखण्ड राज्य की मांग

332. **श्री प्रकाशबापू वसंतराव पाटील** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखण्ड राज्य की मांग बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास झारखण्ड क्षेत्र के लिये स्वायत्त परिषदें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव के कब तक प्रभावी होने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) से (ग) कुछ संगठन झारखण्ड राज्य की मांग कर रहे हैं । झारखण्ड मामलों की समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद झारखण्ड मुद्दे का व्यवहार्य हल निकालने के लिए उपायों का पता लगाने की दृष्टि से बिहार के अनेक राजनैतिक दलों तथा बिहार सरकार के बीच विचार विमर्श हुआ ।

केरल में स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिए आवेदन-पत्र

333. **श्री रमेश चेन्निथला :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल से वर्ष 1990 और वर्ष 1991 के दौरान अब तक स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिये कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) इनमें से कुल कितने आवेदन-पत्रों को निपटाया गया है और कितने आवेदन पत्रों पर अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है; और

(ग) इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

संसदीय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम ० एम ० जैकब) : (क) 31-3-1982 तक, जो कि आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि थी, केरल राज्य से 30089 आवेदन प्राप्त हुए थे। इन आंकड़ों में वे आवेदन शामिल नहीं है जिनमें आवेदकों ने आजाद हिन्द फौज तथा आर्य समाज आंदोलन में भाग लेने का दावा किया है। 31-3-1982 के उपरान्त प्राप्त हुए आवेदनों के संबंध में राज्य-वार तथा वर्षवार सूचना नहीं रखी गई है।

(ख) और (ग). 31-3-1982 तक प्राप्त हुए सभी आवेदन पत्रों का निपटान कर दिया गया है। 31-3-1982 के बाद प्राप्त हुए और निपटाए गए आवेदनों का अलग से रिकार्ड कोई नहीं रखा जा रहा है। विलम्ब से प्राप्त हुए (अर्थात् 31-3-1982 के बाद) आवेदन-पत्रों के संबंध में यदि विलम्ब रद्द करने के लिये पर्याप्त कारण उपलब्ध हो तो राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके उनके गुणों के आधार पर निपटान कर दिया जाता है।

उर्वरकों में मिलावट

334. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उर्वरकों में बड़े पैमाने पर मिलावट की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें मिलावट को रोकने तथा किसानों को अच्छे किस्म के उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) सरकार को उर्वरकों में बड़े पैमाने पर मिलावट की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) राज्य सरकारों को उर्वरक नियन्त्रण आदेश के प्रावधानों के तहत उर्वरकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं। उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए समय-समय पर याद दिलाया जाता है। राज्य सरकारों ने उर्वरक नियंत्रण आदेश के प्रावधानों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए उर्वरक निरीक्षकों को अधिसूचित कर दिया है। उन्होंने उर्वरकों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए गुणवत्ता नियन्त्रण प्रयोगशालाओं की भी स्थापना

की है। एस० एस० पी० और उर्वरक मिश्रणों के थैलों पर बैच नम्बरों को अनिवार्य रूप से मुद्रित करने तथा उर्वरकों का निर्माण करने वाली सभी इकाईयों के उत्पादों से अपेक्षित गुणवत्ता नियन्त्रण हेतु प्रयोगशाला संबंधी न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में उर्वरक नियन्त्रण कानून में संशोधन किया गया है। केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान राज्य प्रवर्तन अधिकारियों और उर्वरक विश्लेषकों को नियमित रूप से प्रशिक्षण देता है।

जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब में उग्रवादी गतिविधियां

335. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी**
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री
श्री लाल कृष्ण अडवाणी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब राज्यों में अपहरण, हिंसा तथा सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ निरन्तर बढ़ती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इन गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार पूरी पाकिस्तानी सीमा पर एक "सुरक्षा पट्टी" बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो उसकी क्या कार्य-योजना है और समय-सीमा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार ने समस्या के समाधान के लिए उग्रवादियों से वार्ता के प्रयास किये थे; और

(छ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष रहा ?

संसदीय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब)
(क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) से (छ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

जम्मू और कश्मीर और पंजाब में, सीमा पर चौकसी तेज करने के अलावा, आतंकवादी विरोधी अभियान तेज करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है, तदनुसार प्रभावित/संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी अर्द्ध-सैनिक बल तैनात कर दिए हैं और नाकाघात दल गठित कर दिए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में दिन-रात गश्त लगाने तथा आतंकवादियों और बलपूर्वक घन ऐंठने वाले व्यक्तियों के छुपने के स्थानों पर छापे मारने की गति तेज कर दी गई है। आसूचना को भी मजबूत किया गया है। आतंकवादियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई को जारी रखने के अलावा आतंकवाद विरोधी अभियान में जनता में सहयोग की भावना जागृत करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

2. भारत-पाक सीमा पर सुरक्षा क्षेत्र बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

3. सरकार ने कश्मीर समस्या का हल ढूंढ़ने के लिए किसी भी व्यक्ति से बातचीत करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है लेकिन बातचीत भारत के संविधान के मूल ढांचे के अन्तर्गत की जाएगी।

उग्रवादियों द्वारा अपहरण

336. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति**
श्री हरि किशोर सिंह
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर में कश्मीरी उग्रवादियों ने और असम में उल्फा उग्रवादियों ने हाल ही में "भारतीय तेल निगम" और "तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग" के कई अधिकारियों का अपहरण कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो अपहृत किये गये अधिकारियों को तथा उनमें से कितने लोगों को छोड़ा गया, इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कश्मीर और असम में उग्रवादी अपहृत अधिकारियों के एवज में हिरासत में लिये गये कट्टर उग्रवादियों को छोड़ने की मांग कर रहे हैं, और

(घ) यदि हां, तो अपहृत अधिकारियों को छुड़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) अपहृत व्यक्तियों के नाम निम्नलिखित हैं :—

कश्मीर घाटी में

(1) श्री के० दोराईस्वामी, कार्यकारी निदेशक, आई०ओ०सी०

असम में

(1) श्री वी० एन० जैसवाल, मुख्य भूभौतिकी-विज्ञ
(2) श्री सी० के० मोहान्ती, उप अधीक्षक, मेन इंजीनियर
(3) श्री एस० एस० गुप्ता, उप निदेशक
(4) श्री वी० एस० राजू, सहायक भूतपूर्व-इंजीनियर
(5) श्री पी० पी० श्रीवास्तव, अधीक्षक अभियन्ता
(6) श्री किशन लाल, केमिस्ट
(7) श्री नरेन्द्र शर्मा, उप निदेशक

उक्त सभी अधिकारी ओ०एन०जी०सी० के हैं।

उपरोक्त अपहृत व्यक्तियों में से सर्व श्री नरेन्द्र शर्मा और बी० एन० जैसवाल रिहा कर दिए गए हैं।

(ग) जी हां, श्रीमान।

(घ) बंधक व्यक्तियों की रिहाई के लिए आतंकवादियों को मनाने के प्रयास जारी हैं।

दिल्ली में बम विस्फोट

337. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष के दौरान दिल्ली में कितने बम विस्फोट हुए और पिछले तीन वर्षों की तुलना में यह कितना रहा;

(ख) कितने लोग मारे गए/घायल हुए और कितने मूल्य की सम्पत्ति का नुकसान हुआ, प्रत्येक का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) मारे गए तथा घायलों के निकट संबंधियों का दिये गये मुआवजे का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस मामले की कोई जांच कराई गयी है और यदि हां, तो उसका निष्कर्ष क्या रहा; और

(ङ) इन घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) इस वर्ष तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए बम विस्फोटों की संख्या निम्न प्रकार है :—

1988	1989	1990	1991 (30-6-91 तक)
3	4	10	12

(ख) और (ग) एक विवरण सलग्न है।

(घ) प्रत्येक घटना के लिए एक अपराधिक मामला दर्ज किया गया है। इन मामलों के लिए अब तक 21 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किए गए प्रमुख उपायों में प्रत्येक पुलिस जिले में आतंकवाद विरोधी कक्ष की स्थापना करना, संवेदनशील/सामरिक महत्व के स्थानों पर सशस्त्र टुकड़ियां तैनात करना, गश्त गहन करना, सामरिक महत्व के स्थानों पर 300 पुलिस नियंत्रण कक्ष वाहन तैनात करना, संवेदनशील केन्द्रों पर पहचानकर्ता/नजर रखने वाले तैनात करना, आतंकवादियों को शरण देने वालो/छुपने के स्थानों पर निकट से निगरानी रखना, सार्वजनिक स्थानों पर ज्ञात आतंकवादियों के फोटो लगाना इत्यादि शामिल हैं।

विवरण

जनवरी, 1991 से जून, 1991 तक दिल्ली में बम विस्फोट की 12 घटनाएं घटी । इन घटनाओं में 23 व्यक्तियों की जानें गई और 190 घायल हुए । मारे गए और घायल हुए व्यक्तियों के निकट संबंधियों को अभी तक 11,54,000 रु० की राहत अनुदान वितरित किया गया है। मामलों के ब्यौरे निम्न प्रकार है :—

(1) 17-1-1991 को 78 जनपथ पर निशावन ट्रैवल सर्विस (अमेरिकन एअर लाइन्स) के प्रथम तल में एक बम विस्फोट हुआ । विस्फोट में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ । लगभग 8 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ ।

(2) 22-1-1991 को तीस हजारी जिला न्यायालय के समीप एक बम विस्फोट हुआ । एक व्यक्ति मारा गया और 53 व्यक्ति घायल हुए । तीन दोपहिए क्षति ग्रस्त हुए ।

(3) 22-1-1991 को दिल्ली पुलिस मुख्यालय के मुख्य भवन के पीछे एक बम विस्फोट हुआ । पांच व्यक्ति घायल हुए । नौ स्कूटर क्षति-ग्रस्त हुए ।

(4) 25-1-1991 को जे०पी०एन० अस्पताल स्थित दिल्ली नगर निगम के पार्किंग स्थल पर एक कार न० डी डी क्यू–920 के नीचे बम विस्फोट हुआ । एक व्यक्ति घायल हुआ ।

(5) 27-1-1991 को जुबली सिनेमा के शौचालय में एक बम विस्फोट हुआ । एक व्यक्ति मारा गया और छह व्यक्ति घायल हुए । करीब 40,000 रु० तक की संपत्ति क्षतिग्रस्त हुई ।

(6) 18-3-1991 को नल्ला रेस्तरां (कनाट प्लेस) के प्रथम तल के शौचालय कक्ष में 4.30 बजे अपराह्न एक जोरदार बम विस्फोट हुआ । इस विस्फोट के कारण एक व्यक्ति मारा गया और तीन अन्य घायल हुए ।

(7) 22-3-1991 को नई दिल्ली में कनाट प्लेस स्थित मोहनसिंह पैलेस, के शौचालय में एक जोरदार बम विस्फोट हुआ । इस मामले में चार व्यक्ति घायल हुए ।

(8) 23-3-1991 को लगभग 7.45 बजे अपराह्न जे०जे० कालोनी, ख्याला, नई दिल्ली के बस अड्डे के पास "शनि बाजार" में एक के बाद एक दो शक्तिशाली बम विस्फोट हुए । इस घटना में 15 व्यक्ति मारे गये और 58 अन्य जख्मी हुये । लगभग 15,000 रु० मूल्य की संपत्ति क्षति-ग्रस्त हुई ।

(9) 26-4-1991 को लगभग 18.50 बजे कनाट प्लेस, नई दिल्ली के दुकान न० के–6 के समीप पालिका पार्किंग के शौचालय में एक बम विस्फोट हुआ जिसके परिणामस्वरूप 3 व्यक्ति घटनास्थल पर ही मारे गए और 9 अन्य घायल हुए ।

(10) 24/25-6-91 की मध्य रात्रि को लगभग 00.40 बजे एयर इंडिया पूछताछ और बुकिंग काउन्टर के समीप टर्मिनल बिल्डिंग के बाहर की ओर प्रस्थान स्थल पर एक विस्फोट हुआ । इस घटना में 13 व्यक्ति जख्मी हुए ।

(11) 17-5-1991 को श्री जगदीश टाइटलर लगभग 11.20 बजे अपराह्न टैगोर मार्केट, कीर्ति नगर, नई दिल्ली में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। जब वे सभा को संबोधित कर रहे थे, तब अज्ञात अपराधी ने सड़क की ओर कम से कम एक स्वचालित राइफल से लैस होकर भीड़ पर गोली चलाई। गोली-बारी के तुरन्त बाद एक स्टिक हथगोला भीड़ पर छोड़ा गया। दो व्यक्ति मारे गए और 35 घायल हुए।

(12) 6-6-1991 को 28/29 ब्लाक, त्रिलोकपुरी, दिल्ली में एक बम विस्फोट हुआ और तीन व्यक्ति घायल हुए।

भारत-पाक सीमा पर कांटेदार तार लगाना

338. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान से उग्रवादियों की घुसपैठ और हथियारों की सप्लाई को रोकने के लिए पंजाब और राजस्थान की सीमाओं पर कांटेदार तार लगाने का कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने क्षेत्र में तार लगाए जा चुके हैं;

(ग) यदि नहीं, तो भारत-पाक सीमा पर तार लगाने का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा; और

(घ) उग्रवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिये आगे और क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) पंजाब और राजस्थान में क्रमशः 356.2 कि०मी० और 58.8 कि० मी० क्षेत्र में बाढ़ लगाने का कार्य पूरा हो चुका है।

(ग) राजस्थान में 144 कि०मी० में और बाड़ लगाने के कार्य का अनुमोदन हो चुका है तथा कार्य शीघ्र आरम्भ होने की आशा है।

(घ) बाढ़ लगाने के अतिरिक्त, सीमा सुरक्षा बल ने सीमा पार से आतंकवादियों/उग्रवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाए किए हैं :—

(i) सीमा चौकियों के बीच की दूरी को सी० सु० बल की अतिरिक्त बटालियनें तैनात करके कम कर दिया गया है।

(ii) गश्त/नाकाओं की संख्या बढ़ा दी गई है।

(iii) अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर बेहतर निगरानी रखने के लिए निगरानी बुर्जों का निर्माण किया गया है।

(iv) सीमा पर तैनात सैनिकों को सीमा पर बेहतर निगरानी तथा कड़ी चौकसी रखने के लिए रात्रि में देखने के काम आने वाले उपकरण, दूरबीन, हाथ में प्रयोग आने वाली खोजी बत्तियां, इत्यादि उपलब्ध कराए गए हैं।

(v) जीप/मोटर साईकिलों, द्वारा चलती/फिरती गश्त लगाना आरम्भ किया गया है। ताकि तुरन्त कार्रवाई की जा सके तथा प्रभावकारी ढंग से चौकसी की जा सके।

(vi) अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर सवेदनशील क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा बाड़ तथा फलड लाईट लगाई गई है।

(vii) सीमा सुरक्षा बल के आसूचना तन्त्र को और सक्रिय बनाया गया है तथा सीमा पर निकट से चौकसी रखने के लिए उसे और मजबूत बनाया गया है।

(viii) आतंकवादियों/उग्रवादियों के प्रवेश को रोकने के लिए तार के अवरोधक खड़े किए गए हैं।

देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति

339. **श्री एम ० वी ० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आम कानून और व्यवस्था की स्थिति गत कुछ माह के दौरान बहुत बिगड़ गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने हेतु किसी कार्य योजना पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम ०एम ०जैकब): (क) पिछले कुछ महीनों के दौरान देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति तनावपूर्ण रही।

(ख) और (ग) संविधान की आठवीं अनुसूची के अतर्गत "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य का विषय है। इस प्रकार से कानून और व्यवस्था बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेवारी प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों की है। फिर भी केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क बनाए रखती है और स्थिति की निरन्तर प्रबोधन और पुनरीक्षण करती है। जब कभी आवश्यकता होती है राज्य सरकारों को उचित सहायता प्रदान की जाती है।

पंजाब, असम तथा जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां

[हिन्दी]

340. **श्री काशीराम राणा :**
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :
श्री राजबीर सिंह :
श्री रामविलास पासवान :
डॉ ० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब, असम तथा जम्मू और कश्मीर में 1991 के दौरान आज तक कितने लोग मारे गए और कितनों का अपहरण किया गया;

(ख) उनमें से असैनिक आतंकवादी सरकारी अधिकारी और अर्द्ध-सैनिक बलों के लोग कितने-कितने थे;

(ग) क्या यह सच है कि हत्याओं की संख्या बढ़ती जा रही है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) मारे गए लोगों के निकटतम संबंधियों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इन गतिविधियों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम ०एम ०जैकब) : (क) और (ख) पंजाब और जम्मू व कश्मीर के संबंध में उपलब्ध सूचना निम्नवत् है :—

(क) और (ख)—

	मारे गए व्यक्तियों की संख्या			अपहरण किए गए व्यक्तियों की संख्या
	सिविलियन	सुरक्षा कर्मी	आतंकवादी	
पंजाब	1,149	234	972	42
जम्मू व कश्मीर	162	76	254	125
असम	राज्य सरकार से सूचना आने की प्रतीक्षा की जा रही है।			

(ग) और (घ) आतंकवादियों की संख्या और हथियारों में वृद्धि होने, सीमा पर से आतंकवादियों को उनके प्रेरकों से दिशा-निर्देश मिलने तथा लोक सभा भंग हो जाने के कारण राजनीतिक अनिश्चतता का वातावरण हो जाने के कारण अपराध में वृद्धि हुई है।

(ङ) इस संबंध में संबंधित राज्य सरकार से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

(च) सुरक्षा एजेंन्सियां सतर्क हैं तथा स्थिति से निपटने के लिए उचित कार्रवाई करती हैं।

केरल में नारियल की खेती को बढ़ावा देना

[अनुवाद]

341. **श्री रमेश चेन्निथला** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास केरल में वर्ष 1991 के दौरान नारियल की खेती का संवर्धन एवं विकास करने के लिए कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) 1991-92 के दौरान, भारत सरकार ने केरल में नारियल योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 140 लाख रुपयों की स्वीकृति दी है। गुणवत्ता रोपण सामग्री के उत्पादन क्षेत्र के विस्तार' नारियल की उत्पादकता में सुधार तथा नारियल के प्रसंस्करण/विपणन से सम्बद्ध प्रौद्योगिकी के विकास के लिए नारियल विकास केन्द्र की स्थापना के उद्देश्य से नारियल विकास बोर्ड योजनाओं को क्रियान्वित करता रहेगा। 1991-92 के दौरान क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

1. 1,50,000 टी० एक्स० डी० संकर पौधों का उत्पादन तथा विपणन;
2. 1000 हैक्टेयर में नारियल के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार;
3. 10,000 हैक्टेयर के त्रियागत क्षेत्र में उत्पादकता के सुधार के लिए केरल में छोटी जोतों में नारियल की समेकित खेती;
4. नारियल उत्पादकों को सिंचाई सुविधाओं के लिए सहायता उपलब्ध कराना;
5. 50 एकड़ क्षेत्र में एक प्रदर्शन सह बीज उत्पादन फार्म की स्थापना;
6. नारियल की फसल के बाद प्रसंस्करण तथा विपणन के सुधार के लिए एक नारियल प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र की स्थापना।

"वायस ऑफ अमरीका" द्वारा श्रीलंका में ट्रांसमीटर चालू किया जाना

342. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि "वॉयस ऑफ अमरीका" श्रीलंका में भारत के बहुत निकट एक ऊंची शक्ति का ट्रांसमीटर स्थापित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अमरीका अथवा श्रीलंका से कोई विरोध प्रकट किया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार ने इस मामले को श्रीलंका की सरकार के साथ उठाया है ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी सुविधाओं का इस्तेमाल केवल लोक प्रसारण के लिए ही किया जाए।

"उड़ीसा में इस्पात संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव"

343. श्री लोकनाथ चौधरी : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में गैर-सरकारी क्षेत्र के सहयोग से राज्य में एक दूसरा इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव भेजा है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबध में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहनदेव) : (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा सरकार के एक उपक्रम, मैसर्स इण्डस्ट्रीयल प्रोमोशन एण्ड इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन ग्रॉफ उड़ीसा लि० ने संयुक्त क्षेत्र में कटक जिले के सुकिन्दा तहसील में 30 लाख मी० टन वार्षिक क्षमता वाले एक इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए ग्राशय-पत्र हेतु ग्रावेदन किया है। इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

उड़ीसा में मच्छली-पत्तन का निर्माण

344. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा तट के साथ-साथ मछली पत्तनों का निर्माण करने के लिए ग्रनेक प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) ग्रब तक कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) उड़ीसा राज्य सरकार ने नवगढ़ और गोपालपुर में मात्स्यिकी बन्दरगाहों के लिए परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।

(ख) नवगढ़ और गोपालपुर मात्स्यिकी बन्दरगाहों की ग्रनुमानित लागत क्रमश: 313.22 लाख रुपये ग्रौर 672.40 लाख रुपये है। इन बन्दरगाहों की ग्रभिकल्पित क्षमता क्रमश: 140 ग्रौर 120 यांत्रिकी मत्स्यन नौकाए हैं।

(ग) दोनों परियोजनाग्रों को मंजूरी दे दी गई है।

डाक प्रभारों में कमी

345. **श्री जॉर्ज फर्नांडीज** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पोस्ट-कार्ड, ग्रन्तर्देशीय पत्र ग्रौर डाक लिफाफों के मूल्यों को कम कर के जुलाई, 1990 के मूल्यों तक लाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; ग्रौर

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) से (ग) विभिन्न डाक सेवाग्रों की दरों में संशोधन, ग्रामतौर पर सरकार की समूची बजट प्रक्रिया का ही एक भाग है। इस प्रकार, इस सबंध में ग्रभी कुछ भी बता पाना सम्भव नहीं है।

दिल्ली की भावी संरचना

[हिन्दी]

346. **श्री मदनलाल खुराना :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने दिसम्बर, 1987 में सरकारिया आयोग का गठन किया था;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने सरकारिया आयोग का प्रतिवेदन कब प्राप्त किया था;

(ग) क्या सरकारिया आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली की भावी संरचना के विषय पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली की संभावित भावी संरचना का ब्यौरा क्या है और यह नई संरचना कब तक अपनाए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम ०एम ०जकब) : (क) और (ख) संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन करने के लिए न्यायमूर्ति श्री आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में 24-12-1987 को एक समिति गठित की गई थी। समिति ने 14-12-1989 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी।

(ग) और (घ) समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद 31-5-1990 को लोक सभा में संविधान (72वां संशोधन) विधेयक 1990 प्रस्तुत किया गया और 6-9-1990 को इस विचार के लिए पेश किया गया।

तथापि, लोक सभा भंग हो जाने के कारण, संविधान के अनुच्छेद 107 के खण्ड 5 में निहित उपबन्धों की शर्तों के अनुसार संविधान (72वां संशोधन) विधेयक, 1990 व्ययगत हो गया।

महानगर परिषद् और दिल्ली नगर निगम के चुनाव

347. **श्री मदनलाल खुराना :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का दिल्ली महानगर परिषद और दिल्ली नगर निगम के चुनाव कराने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम ०एम ०जैकब) : (क) और (ख) प्रशासक, दिल्ली द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति ने 13-1-1990 से शुरु होने वाले 4 महीनों की अवधि के लिए दिल्ली प्रशासन अधिनियम के कुछ उपबन्धों के प्रचलन को स्थगित कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप महानगर परिषद भंग हो गई। इन उपबन्धों के स्थगन की अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया। इस समय बढ़ाई गई अवधि 12-9-1991 को समाप्त होगी।

6-1-1991 को केन्द्र सरकार द्वारा चार महीने के लिए दिल्ली नगर निगम का अधिक्रमण इस आधार पर कर दिया गया था कि दिल्ली नगर निगम ने अपने कार्यों के निष्पादन में लगातार गलतियां की थीं। अधिक्रमण की अवधि समय-समय पर बढ़ाई गई। अधिक्रमण की बढ़ाई गई वर्तमान अवधि 5-9-1991 को समाप्त होगी।

इन दोनों निकायों के लिए चुनाव कराने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

टेलीफोन बिलों में एस०टी०डी० कॉलों का ब्यौरा

[अनुवाद]

348. **श्री मदनलाल खुराना :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालयों और उनके आवासों में सरकारी टेलीफोनों से की गई एस० टी० डी० कालों का विवरण उनके टेलीफोन के बिलों में दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह विवरण चाणक्यपुरी, सेना भवन, शास्त्री भवन इत्यादि टेलीफोन एक्सचेंजों के बिलों में नहीं दिया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप सरकार को सरकारी कार्यालयों में एस० टी० डी० के लाभार्थियों द्वारा देश में तथा विदेशों में की गई एस० टी० डी० कालों के लिए बिल का भुगतान करना पड़ रहा है;

(ग) सरकारी टेलीफोनों के दुरुपयोग का पता लगाने के लिए देश में सभी एक्सचेंजों के टेलीफोन बिलों में एस० टी० डी० कॉलों का विवरण देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) 1-12-89 से, ई-10बी अथवा इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों से जुड़े सभी टेलीफोनों के मामले में एस० टी० डी० कॉलों का विवरण दिया जा रहा है।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) इस उद्देश्य से आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रमिक रूप से और ऑटोमैटिक मैसेज अकाउंटिंग उपस्कर की व्यवस्था करने की योजना है।

विवरण

चाणक्यपुरी

चाणक्यपुरी एक्सचेंज क्षेत्र में तीन एक्सचेंज अर्थात् "60", "67" और "687" एक्सचेंज काम कर रहे हैं। की गई एस० टी० डी० कॉलों का विवरण "687" एक्सचेंज से दिया जा रहा है क्योंकि यह ई-10बी एक्सचेंज है। "60" और "67" एक्सचेंजों से ऐसे विवरण देना सम्भव नहीं है।

सेना भवन

सेना भवन एक्सचेंज क्षेत्र में दो एक्सचेंज अर्थात् "301" फेटेक्स और "379" ई-10बी एक्सचेंज काम कर रहे हैं। "379" एक्सचेंज से की गई एस० टी० डी० कॉलों का विवरण दिया जा रहा है, जबकि "301" एक्सचेंज के मामले में ऐसा सम्भव नहीं है।

शास्त्री भवन

शास्त्री भवन क्षेत्र में दो एक्सचेंज अर्थात् "38" स्ट्रोजर और "378" ई-10बी काम कर रहे हैं। "38" एक्सचेंज से ऐसा विवरण देना सम्भव नहीं है जब कि "378" ई-10बी एक्सचेंज से यह विवरण दिया जा रहा है।

कृषि उपज के मूल्यों का निर्धारण

349. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनाजों के खरीद मूल्य और उत्पादन लागत के बीच बहुत अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या खाद्यान्नों के मूल्यों को निर्धारित करने की प्रक्रिया में कृषकों को भी शामिल किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा कृषि वस्तुओं के खरीद/न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश उत्पादन की लागत सहित विभिन्न घटकों पर विचार करने के पश्चात की जाती है। लेकिन निवेश को और फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने को प्रोत्साहन देने के लिए संस्तुत मूल्यों में कुल मिला कर उत्पादन की लागत के अलावा लाभ का उचित अंश होता है।

(ग) और (घ) कृषि लागत और मूल्य आयोग ने किसानों सहित विभिन्न पक्षों से परामर्श लेने की प्रणाली विकसित की है और वह मूल्य नीति संबंधी सिफारिशों को तैयार करते समय किसानों के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखता है।

दंगा विरोधी बल की स्थापना

350. **श्री चन्द्रजीत यादव :** (क) क्या साम्प्रदायिकता के बढ़ते खतरे को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से अखिल भारतीय स्तर पर एक दंगा-विरोधी बल की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने ऐसे बल की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम ०एम ०जैकब): (क) से (घ) सरकार रेपिड एक्शन फोर्स के गठन के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इस समय, इसके ब्यौरे बताना जनहित में नहीं होगा।

बागमती नदी परियोजना

351. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्रीय सरकार से बागमती नदी परियोजना को आठवीं पंच-वर्षीय योजना में सम्मिलित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या हिमालय से निकलने वाली नदियों के जल स्रोतों का उपयोग करने हेतु भारत और नेपाल ने कोई संयुक्त प्रयास किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) बागमती नदी परियोजना जो एक निर्माणाधीन स्कीम है, को बिहार के 8वीं योजना प्रस्तावों में शामिल किया गया है।

(ग) और (घ) नेपाल के साथ अंतिम वार्ता अप्रैल, 1991 में जल संसाधन पर उप-आयोग की दूसरी बैठक में की गई थी। पंचेश्वर और करनाली परियोजनाओं पर अध्ययन पूरा करने का निर्णय लिया गया था।

अयोध्या में राम मन्दिर

352. **श्री हरि किशोर सिंह :**

श्री चित्तबसु :

श्री के ०पी ०उन्नीकृष्णन : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राम जन्म-भूमि-बाबरी-मस्जिद विवाद का बातचीत द्वारा हल निकाले जाने के लिए कोई नई पहल की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा और उसके परिणाम क्या हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम ०एम ०जैकब) :

(क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तेलुगु-गंगा परियोजना

353. **श्री शोभनाद्रीश्वर राववाड्डे** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेलुगु-गंगा परियोजना अभी भी केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उक्त परियोजना को कब तक स्वीकृति दिये जाने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) तेलुगु गंगा परियोजना का यद्यपि केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तकनीकी आर्थिक रूप मे मूल्यांकन कर दिया गया तो भी अप्रैल 1988 में परामर्शदात्री समिति द्वारा इस पर विचार करना अस्थगित रखा गया क्योंकि परियोजना को अन्तर्राज्यीय दृष्टि से स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी थी। अन्तर्राज्यीय मुद्दों को हल करने के लिए तत्कालीन मंत्री (जल संसाधन) द्वारा बुलायी गयी आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के मुख्य-मंत्रियों की बैठक आयोजित नहीं की जा सकी, क्योंकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने सूचित किया कि मुख्य मंत्री कृष्णा जल के बंटवारे से संबंधित मुद्दों को अपने आप हल करेंगे। तीनों मुख्य मंत्रियों ने वर्ष 1990 में दो बार बैठक की। उनकी दूसरी बैठक के दौरान तय किये गये चार अनन्तिम वैकल्पिक प्रस्तावों पर विचार करने हेतु वे दोबारा बैठक आयोजित करेंगे।

आंध्रप्रदेश की पुलिचिन्ताला बालनर्सिंग जलाशय परियोजना

354. **श्री शोभनाद्रीश्वर राववाड्डे** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु पुलिचिन्ताला बालनर्सिंग जलाशय परियोजना भेजी है, और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार नें 138.57 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पुलिचिन्ताला परियोजना के प्रस्ताव अक्तूबर 1985 में केन्द्र में भेजे थे। यह पाया गया था कि परियोजना विस्तृत सर्वेक्षणों तथा अन्वेषणों पर आधारित नहीं थी और परियोजना के लिए औचित्य भी सही रूप से स्पष्ट नहीं किया गया था। इसलिये संशोधित परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के वास्ते यह परियोजना अक्तूबर 1986 में राज्य सरकार को लौटा दी गई थी। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पुलिचिन्ताला परियोजना के सभी पहलुओं की विस्तृत जांच करने तथा केन्द्रीय जल आयोग को स्वीकार्य पद्धति के अनुसार परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए उन्होंने मई, 1991 में एक विशेषज्ञ समिति गठित की है।

वामसाधारा परियोजना चरण–II

355. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वामसाधारा परियोजना चरण–II केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना को मंजूरी के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस परियोजना को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां। परियोजनाओं के निर्बाधन के वास्ते परामर्शदात्री समिति ने उड़ीसा में भूमि की जलमग्नता से संबंधित अन्तर्राज्यीय मुद्दों को हल नहीं किये जाने की वजह से परियोजना पर विचार करना आस्थगित कर दिया था। आंध्र प्रदेश सरकार को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और कल्याण मंत्रालय से क्रमशः पर्यावर्णिक और पुर्नवास तथा पुर्नस्थापना की दृष्टि से भी स्वीकृति प्राप्त करनी है।

(ख) और (ग) अन्तर्राज्यीय मुद्दों को हल करने के लिए मार्च, 1991 में मंत्रालय में आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा के अधिकारियों की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि हाइड्रोलिक मॉडल अध्ययनों की आवश्यकता की जांच करने के लिए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों द्वारा स्थल का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जाना चाहिए। तद्नुसार, केन्द्रीय जल आयोग राज्य सरकारों के साथ इस मामले पर कार्रवाई कर रहा है। परियोजना पर पर्यावर्णिक तथा वन स्वीकृति सहित सम्बद्ध मुद्दों का संतोषजनक हल करने के पश्चात् ही इसकी स्वीकृति के संबंध में विचार किया जा सकता है।

पिछड़े क्षेत्रों में कृषि का विकास

[हिन्दी]

356. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि निवेशों की कीमतों में लगातार वृद्धि होने से कृषि उत्पादकता में गिरावट आई है,

(ख) क्या सरकार ने कृषि निवेशों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कोई योजनाएं बनायीं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश के पिछड़े, पहाड़ी और पठारी इलाकों में रहने वाले कृषकों के लाभ हेतु कोई योजना बनाई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी नहीं, । कृषि उत्पादकता में 1967-68 से 1989-90 की अवधि में 2.47 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि दर बनी रही है।

(ख) और (ग) उत्पादन की लागत को सीमाओं में रखने के लिए सरकार मुख्य कृषि आदान अर्थात्, उर्वरक, बिजली, सिंचाई, कृषि नाशी दवाइयां आदि उचित व राज सहायत। प्राप्त मूल्यों पर सुलभ कराती रही है। वास्तव में, उर्वरकों, जो खरीदे जाने वाले मुख्य आदान होते हैं, के मूल्य 1986 से नहीं बढ़ाए गए हैं।

(घ) और (ङ) उत्पादन प्रधान योजनाएं कार्यान्वित करते समय पिछड़े इलाकों, पर्वतीय इलाकों और पठारी क्षेत्रों के किसानों को तरजीह दी जा रही है, ताकि देश के इन क्षेत्रों के किसानों को लाभ मिल सके। पर्वतीय और पिछड़े इलाकों सहित सभी वर्गों के किसानों तक कृषि प्रौद्योगिकी के अंतरण हेतु कृषि विस्तार सेवाओं को पुर्नगठित किया जा रहा है।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में भीमकुण्ड बांध परियोजना

[अनुवाद]

357. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने प्रस्तावित भीमकुण्ड जल-सिंचाई परियोजना का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को स्वीकृति के लिए पेश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना को कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार का भीमकुण्ड बहुप्रयोजनी परियोजना को दो स्तरों में शुरू करने का प्रस्ताव है। परियोजना के चरण– I में नियोपारा के पास बैतरणी नदी पर एक बांध तथा 3 × 16 मेगावाट और 3 × 115 मेगावाट की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता सहित दो विद्युत गृहों के निर्माण की परिकल्पना की गई है, इसमें बैतरणी डेल्टा में 1400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण लाभ की भी परिकल्पना है। परियोजना के चरण–दो में भीमकुंड जलाशय से नियमित निर्मुक्तियों से अखुआपाडा डेल्टा के अधीन सिंचाई के स्थिरीकरण के अतिरिक्त लगभग 40500 हेक्टेयर नए क्षेत्र को सिंचाई लाभ प्रदान करने की परिकल्पना है। 328.15 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से परियोजना के चरण–I के लिए परियोजना प्रस्ताव जून, 1980 में राज्य सरकार से प्राप्त हुए थे और केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियां राज्य सरकार को भेज दी गई थीं। चूंकि राज्य सरकार ने एक वर्ष से अधिक समय तक टिप्पणियों की अनुपालना नहीं की, अतः परियोजना को अक्तूबर, 1983 में लम्बित परियोजनाओं की सूची से निकाल दिया गया था। चरण–दो के वास्ते विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केन्द्र में प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) राज्य सरकार द्वारा परियोजना के चरण–I तथा चरण–II की आशोधित रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की जानी है।

कच्चे माल की रॉयल्टी में वृद्धि

358. **श्री अर्जुन चरण सेठी :** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लोहा, अभ्रक और क्रोमियम जैसी धातुओं में मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए विभिन्न राज्य सरकारों ने इन धातुओं के अयस्कों की रायलटी में वृद्धि की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) रायल्टी दरों में संशोधन हेतु सिफारिशें करने के लिए खान विभाग द्वारा गठित अध्ययन दल की प्रश्नावली के उत्तर में, राज्य सरकारों से विभिन्न सुझाव प्राप्त हुए थे। बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा ओड़िसा की राज्य सरकारों द्वारा लौह अयस्क, मैंग्नीज अयस्क, तथा क्रोम अयस्क की राल्टी दरों में वृद्धि करने का सुझाव दिया गया है। प्रस्तावित वृद्धि का विवरण संलग्न है।

कुछ राज्य सरकारों ने इन खनिजों के घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़े हुए मूल्यों के कारण ऊंची रायल्टी दरों की मांग को उचित ठहराया है।

विवरण

क्रम सं०	खनिज का नाम	विद्यमान रायल्टी दर प्रति टन	राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित दर प्रतिटन
1	लौह अयस्क (विभिन्न ग्रेड)	रु० 0.50 से रु० 6.00 तक	रु० 0.50 से रु० 14.00 तक
2	मैग्नीज अयस्क (विभिन्न ग्रेड)	रु० 2.00 से रु० 45.00 तक	रु० 4.00 से रु० 92.00 तक
3	क्रोम अयस्क (विभिन्न ग्रेड)	रु० 5.00 से रु० 60.00 तक	रु० 6.00 से रु० 78.00 तक

उड़ीसा में डाकघरों का खोला जाना

359. **श्री अर्जुन चरण सेठी : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

उड़ीसा में वर्ष 1990-91 के दौरान शाखा डाकघर और उप-डाकघर दोनों को मिला कर कुल कितने डाकघर खोले गये हैं और वर्ष 1991-92 के दौरान कितने डाकघर खोलने का विचार है?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : उड़ीसा में वर्ष 1990-91 के दौरान 88 शाखा डाकघर और 7 विभागीय उप-डाकघर खोले गये थे।

उड़ीसा में वर्ष 1991-92 के दौरान 100 शाखा डाकघर और 10 विभागीय उप-डाकघर खोलने का प्रस्ताव है।

उड़ीसा में ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों का खोला जाना

360. **श्री अर्जुन चरण सेठी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में वर्ष 1990-91 के दौरान कुल कितने ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज खोले गये और वर्ष 1991-92 के दौरान कितने ऐसे एक्सचेंज खोलने का विचार है;

(ख) क्या इनमें से अधिकांश टेलीफोन एक्सचेंज जो 1990-91 के दौरान खोले गये थे अभी चालू किये जाने हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी ० वी ० रंगय्या नायडु) : (क) उडीसा में वर्ष 1990-91 के दौरान कुल 42 ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज खोले गए और वर्ष 1991-92 के दौरान 30 एक्सचेंज खोलने का विचार है।

(ख) सभी 42 ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज चालू किए जा चुके हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजीव गांधी की हत्या के संबंध में हुई गिरफ्तारियां

[हिन्दी]

361. **श्री राम विलास पासवान** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री राजीव गांधी की हत्या के संबंध में अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ख) क्या हत्या के प्रयोजन का पता लगा लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम ०एम ०जैकब) : (क) और (ख) मामला अभी विचाराधीन है और इस संबंध में कोई विवरण बताना जनहित में नहीं होगा ।

दिल्ली में 'रोड साइड पुलिस चैक पोस्ट'

[अनुवाद]

362. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में रोड साइड पुलिस चैक पोस्ट वाहनों पर उनके नम्बर खुदवाने के लिए कारों, स्कूटरों आदि को रोकते हैं;

(ख) यह व्यवस्था किस संगठन/एजेंसी द्वारा की गई है;

(ग) पुलिस चैक पोस्टों को क्या कार्य सौंपा गया है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार को इन चैक पोस्टों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किए जाने की कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम ०एम ०जैकब) :

(क) और (ख) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि दिल्ली में कई पेट्रोल पम्पों पर कारों, स्कूटरों आदि पर नम्बर खुदवाने की सुविधा है। इन पेट्रोल पम्पों के नजदीक तैनात पुलिस दल कारों/स्कूटरों के मालिकों को वहां पर नम्बर खुदवाने की सुविधा की उपलब्धता के बारे में अवगत करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वे चोरी से बचने तथा चोरी होने पर पता लगाने की सुविधा के लिए अपने कारों पर नम्बर खुदवाएं। किसी भी वाहन मालिक पर वाहन पर नम्बर खुदवाने के बारे में दबाव नहीं डाला जाता है।

(ग) चैक पोस्ट पर तैनात पुलिस स्टाफ का मुख्य कार्य, चोरी के वाहनों, आपराधिक/आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रयुक्त वाहनों, आपराधिक गतिविधियों में लगे व्यक्तियों, आदि पर लगातार नजर रखना और सामान्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, तथा कानून और व्यवस्था बनाए रखना है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

झुग्गियों में आग लगने की घटनाएं

363. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री**
श्री हरि केवल प्रसाद :
श्री राम सागर } क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में यमुना के पुराने पुल के निकट झुग्गी बस्ती में विध्वंसकारी आग लगी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितने जान-माल की क्षति हुई तथा आग लगने के क्या कारण थे;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान दिल्ली में आग लगने की कितनी घटनाएं दर्ज की गई हैं;

(घ) इन घटनाओं में जान-माल की कितनी क्षति हुई है; और

(ङ) आग लगने की उक्त घटनाओं से पीड़ित व्यक्तियों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम०जैकब): (क) 17-4-1991 को यमुना के पुराने पुल के निकट झुग्गी में एक भीषण आग लगी।

(ख) पांच व्यक्तियों की जानें गई और लगभग 1890 झुग्गियां जल गईं। आग लगने का संभावित कारण इलैक्ट्रिक शार्ट सर्किट था। संपत्ति को हुई अनुमानित हानि लगभग 19.65 लाख रुपए आंकी गई है।

(ग) से (ङ) 1-4-1989 से 31-3-1991 तक की अवधि के दौरान आग लगने की 71 घटनाएं घटीं : 43 व्यक्तियों की जानें गईं। नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार आग लगने की घटना से पीड़ित व्यक्तियों में 63,40,686 रु० वितरित किए गए :

वर्ष	राशि
1989-90	35,19,136 रु०
1990-91	28,21,550 रु०

नारियल उत्पादकों को लाभ

364. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या : **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने प्रकार के (वनस्पति) बीजों को तिलहन घोषित किया गया है;

(ख) तिलहन उत्पादक किसानों को क्या लाभ दिये गये हैं;

(ग) क्या नारियल उत्पादकों को वे सभी लाभ मिल रहे हैं जो अन्य तिलहन उत्पादकों को दिये जा रहे हैं;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है कि नारियल उत्पादकों को भी वे लाभ मिले ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) नौ।

(ख) 18 राज्यों के 319 जिलों में चलाए जा रहे केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की विशिष्ट वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है ताकि बीज, पौध रक्षण उपायों, जैसे आधारभूत मुख्य आदानों राज्यों द्वारा आयोजत किए जाने वाले प्रदर्शनों/ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अग्रणी प्रदर्शनों, उन्नत कृषि उपकरणों, बीजों और बीज उपचार रसायनों के मिनिकिटों आदि का लाभ किसानों को दिया जा सके। प्रजनक बीज उत्पादन, अग्रणी प्रदर्शन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को और आधारी बीजों के उत्पादन के लिए राज्यों को 100 प्रतिशत सहायक अनुदान दिया जाता है। अन्य घटकों में भारत सरकार और राज्यों, के बीच वित्तीय सहायता का प्रतिमान 75 : 25 के आधार पर है।

91-M/S259LSS—6(a

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) नारियल उत्पादकों के लाभ के लिए नारियल विकास बोर्ड पहले ही कुछ योजनाएं चला रहा है। सरकार अब तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन के अधीन नारियल उत्पादकों को लाभ प्रदान करने के लिए कदम उठा रही है।

केरल में मत्स्य बन्दरगाहों का निर्माण

365. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अब तक केरल की कितनी मत्स्य बन्दरगाह परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है;

(ख) इन परियोजनाओं के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कुल कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) तक एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	मात्स्यकी बन्दरगाह	प्रगति	निर्मुक्त की गयी केन्द्रीय सहायता की राशि
1	2	3	4
1	नीनदकारा	100 प्रतिशत	292.50
2	विझिजम	75 प्रतिशत	529.43
3	पुथिअप्पा	85 प्रतिशत	120.00
4	थंगासरी	5 प्रतिशत	90.00
5	मुनम्बम	10 प्रतिशत	22.5

मराठवाड़ा में टेलीफोन एक्सचेंज खोलना

366. **श्री अशोकराव आनन्दराव देशमुख :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान मराठवाड़ा में, विशेष रूप से परवानी, मनमाड, औरंगाबाद और नांदेड जिलों में टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना के क्या लक्ष्य रखे हैं;

(ख) क्या लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त किया गया और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) 1991-92 के दौरान परभनी, मनमाड, औरंगाबाद और नादेड़ जिलों में जिन 14 टेलीफोन एक्सचेंजों को बदलने/उनका विस्तार करने का प्रस्ताव था उनमें से चार एक्सचेंज, उपस्कर उपलब्ध न होने के कारण चालू नहीं किए जा सके। ये एक्सचेंज क्रमशः परभनी और औरंगाबाद जिलों में जिन्टूर और पैथान में आईएलटी 512 एक्सचेंज और नांदेड़ और परभनी जिलों में तमसा और कलामनुरी स्थानों में 128 पोर्ट सी-डाट एक्सचेंज है। वर्ष 1990-91 के दौरान उपलब्धियां इस प्रकार है से :–

क्रम सं०	जिले का नाम	बदले गए/विस्तार किए गए एक्सचेंजों की संख्या
1	परभनी	4
2	मनमाड	शून्य
3	औरंगाबाद	4
4	नादेड़	2

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान टेलीफोन एक्सचेंजों को बदलने/उनका विस्तार करने के लक्ष्य इस प्रकार से हैं :–

क्रम सं०	जिले का नाम	बदले गए/विस्तार किए गए एक्सचेंजों की संख्या	स्विचिंग क्षमता में निवल वृद्धि
1	परभनी	12	1190
2	मनमाड	शून्य	शून्य
3	औरंगाबाद	14	3189
4	नांदेड़	12	608

दिल्ली में दहेज के कारण हुई मौतें

367. श्री अशोकराव आनन्दराव देशमुख : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 6 महीनों के दौरान दिल्ली में दहेज के कारण हुई मौतों के संबंध में कितने मामले दर्ज किए गए; और

(ख) कितने मामलों में संबंधित पार्टियों ने अपने दावे वापस ले लिए हैं और कितने मामलों मे अपराधियों को दण्डित किया गया ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम ०एम ०जैकब) (क) संदर्भाधीन अवधि के दौरान दहेज तथा दहेज के कारण हुई मौतों से संबंधित 301 मामले दर्ज किए गए ।

(ख) न तो किसी पर दोषसिद्ध हुआ और न ही किसी मामले को वापस लिया गया है ।

नदी जल से संबंधित भारत-बंगलादेश वार्ता

368. **श्री अशोकराव आनन्दराव देशमुख :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1991 में भारत और बंगलादेश के बीच नदी जल बांटने संबंधी द्विपक्षीय वार्ता हुई थी, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष और ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) नदी जल बांटने पर सचिव स्तरीय वार्ता अप्रैल, 1991 में हुई थी।

(ख) गंगा और तीस्ता के प्रवाहों के बंटवारे के लिए प्राथमिकता देने पर सहमति हुई। यह भी सहमति हुई कि सम्बद्ध भूमि की स्थिति का पता लगाने तथा तीस्ता जल के बंटवारे के लिए भारत और बंगलादेश में बंटवारा किए जाने वाले गंगा के प्रवाहों पर निर्भर क्षेत्रों का संयुक्त तकनीकी दल दौरा करेगा। बंगला देश पक्ष आगे विचार-विमर्श करने के वास्ते संचलनात्मक योजना का मसौदा तैयार करेगा।

लोक सभा की बैठक में उत्तर दिए जाने के लिए इथोपिया में हुए हाल के गृह युद्ध में मारे गये भारतीय

369. **श्री वी ०एस ०विजयराघवन :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इथोपिया में हुए हाल के गृह युद्ध में भारतीय मूल के कई लोग मारे गए अथवा अपंग हो गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त संकट के दौरान भारतीय मूल के कई लोगों को देश से बाहर भेजना पड़ा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की सुरक्षा-व्यवस्था

370. श्री पवन कुमार बंसल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के लिए श्रीपेरम्बदूर में किये गये सुरक्षा प्रबन्धों का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की सुरक्षा से एस०पी०जी० को कब हटाया गया था; और

(ग) एस०पी०जी० को उनकी सुरक्षा से हटाते समय उनके जीवन को खतरे के प्रबोधन का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम ०एम ०जैकब) : (क) श्री पेरम्बदूर में हुई आम बैठक में स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के लिए सुरक्षा व्यवस्था तमिलनाडु सरकार/पुलिस द्वारा की गई थी। सुरक्षा व्यवस्थाओं का स्वरूप न्यायिक जांच का विषय है।

(ख) श्री राजीव गांधी की सुरक्षा से एस०पी०जी० को 10-2-90 से हटाया गया था।

(ग) सूचना के अनुसार, एस०पी०जी० को हटाते समय श्री राजीव गांधी के जीवन की सुरक्षा को बहुत अधिक खतरा था।

जम्मू व कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई

371. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू व कश्मीर में वर्ष 1990-91 के दौरान मारे और पकड़े गये आतंकवादियों की अलग-अलग संख्या क्या है;

(ख) 1 अप्रैल, 1990 और 1 अप्रैल, 1991 को जेलों में बंद पड़े आतंकवादियों की संख्या क्या है ;

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान पूछ ताछ के लिये कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया या बन्दी बनाया गया या फिर हिरासत में लिया गया और इनमें से कितनों को पूछताछ के बाद रिहा किया गया ;

(घ) वर्ष 1990-91 के दौरान जम्मू व कश्मीर में विद्रोह विरोधी कार्रवाई के दौरान मारे गये या घायल सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा बलवार संख्या क्या है ; और

(ङ) क्या ऐसे सुरक्षा कर्मियों के रिश्तेदारों ने कोई अनुग्रह राशि या किसी अन्य रूप में कोई मुआवजा प्राप्त किया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम ०एम ०जैकब) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

जम्मू और कश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 1990 और 30 जून, 1991 तक के दौरान नजरबंद और पूछताछ के बाद छोड़े गए/पकड़े गए/मारे गए आतंकवादी और इसी अवधि के दौरान मारे गए और घायल हुए सुरक्षा बल कार्मिकों की संख्या निम्नलिखित है :

	1990	1991 (30 जून, तक)
(i) **आतंकवादी**		
मारे गए	550	296
पकड़े गए	4,593	2,653
प्रारम्भिक जांच के बाद छोड़ दिए गए	1,409	986
1-4-1990 23		
1-4-1991 को नजरबन्द 1,198		
(ii) **सुरक्षा बल कार्मिक**		
(क) मारे गए		
जे०के०एल०एफ०	27	22
सी०आर०पी०एफ०	38	27
सी० सुरक्षा बल	42	26
सेना	4	19
भारतीय वायु सेना	6	–
एम०ई०एस०	1	–
अन्य	17	–
(ख) घायल हुए		
1990 में लगभग 550 और 1991 में 250 सुरक्षा बल कार्मिक घायल हुए ।		

जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हिंसा के शिकारग्रस्त लोगों के निकटस्थ संबंधियों/आश्रितों को दी गई आर्थिक सहायता

पुलिस कार्मिक

(i) मृत्यु के मामले में	1.25 लाख रुपए
(ii) स्थायी विकलांग के मामले में	0.25 लाख रुपए
(iii) आंशिक विकलांग के मामले	0.10 लाख रुपए

इसके अलावा, ऐसे राज्य पुलिस/सुरक्षा कार्मिकों सहित केन्द्रीय/राज्य सरकार कर्मचारियों के परिवार, परिवार पेंशन, ग्रुप बीमा समझौता और उनके सेवा नियमों के अन्तर्गत अन्य लाभ पाने के पात्र हैं, जो नौकरी करते हुए मारे गए।

स्व० श्री यशपाल पर स्मारक डाक टिकट जारी करना

(हिन्दी)

372. **प्रो० प्रेम धुमल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रसिद्ध क्रांतिकारी साहित्यकार स्व० श्री यशपाल पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई हैं और सरकार का यह स्मारक डाक टिकट कब तक जारी करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विभाग में एक फिलैटलिक सलाहकार समिति है जो स्मारक/विशेष डाक टिकट जारी करने के संबंध में तथा अन्य संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देती है। इस प्रस्ताव को इस समिति की 20-1-1988 को हुई बैठक में विचारार्थ रखा गया था लेकिन समिति ने इसकी सिफारिश नहीं की। तथापि, इस संबंध में एक नया प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिस पर कार्यवाही की जा रही है और प्रस्तावक से आवश्यक जानकारी मांगी जा रही है।

उड़ीसा के मयूरभंज जिले में दूर-संचार सेवाओं में सुधार

[अनुवाद]

373. **श्री भाग्ये गोवर्धन :** क्या संचार मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में दूरसंचार सेवाओं में सुधार करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो रैरंगपुर, करंजिया और उडाला में टेलिफोन, एक्सचेजों में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं,

(ग) क्या वहां एस०टी०डी० सुविधा देने की व्यवस्था की जा रही है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां।

(ख) रैरंगपुर, करंजिया और उडाला में कार्यरत एक्सचेंजों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए किए गए उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) रैरंगपुर तथा करंजिया में मौजूदा मैनुअल एक्सचजों के स्थान पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की संस्थापना करने का कार्य प्रगति पर है। इस कार्य के मार्च 92 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(2) उडाला में सी-डॉट किस्म का इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज पहले ही काम कर रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) उडाला में एस० टी० डी० सेवा का परीक्षण 5-7-91 से चल रहा है। करंजिया और रैरंगपुर में 1992-93 के दौरान एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने की योजना है।

भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा इस्पात का उत्पादन

374. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात संयंत्र की हॉट मेटल, इनगॉट स्टील और सेलेबल स्टील के संबंध में उत्पादन की निर्धारित क्षमता कितनी है,

(ख) मार्च, 1990 से जून, 1990 के दौरान उक्त मदों हेतु महीनावार उपयोग की गई क्षमता का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान उक्त संयंत्र के क्षमता उपयोग में कोई कमी आई है,

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ङ) सेलेबल इस्पात के संदर्भ में मार्च, 1990 से जून, 1991 के दौरान आई कमी का मूल्य रुपयों में कितना है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) गलित धातु, इनगॉट इस्पात तथा बिक्री योग्य इस्पात के संबंध में भिलाई इस्पात कारखाने के उत्पादन की निरूपित क्षमता निम्नलिखित है :—

(दस लाख मी० टन)

गलित धातु	4.08
इनगॉट इस्पात	4.00
बिक्री योग्य इस्पात	3.15

(ख) मार्च, 1990 से जून 1991 तक की अवधि के दौरान तप्त धातु, इनगोट इस्पात तथा बिक्री योग्य इस्पात के संबंध में क्षमता की महीनेवार प्रतिशत उपयोगिता निम्नलिखित है :—

महीना	तप्त धातु	इनगोट इस्पात	बिक्रेय इस्पात
मार्च, 1990	97	99	104
अप्रैल, 1990	89	90	83
मई, 1990	77	75	67
जून, 1990	90	86	75
जुलाई, 1990	88	87	82
अगस्त, 1990	68	67	83
सितम्बर, 1990	84	87	87
अक्टूबर, 1990	86	90	93
नवम्बर, 1990	86	90	90
दिसम्बर, 1990	88	90	93
जनवरी, 1991	98	102	101
फरवरी, 1991	94	94	101
मार्च, 1991	95	97	109
अप्रैल, 1991	82	83	91
मई, 1991	74	76	82
जून, 1991	84	83	79

(ग) और (घ) जी हां, निम्नलिखित कारणों से क्षमता उपयोगिता में गिरावट आई :

(i) स्वदेशी कोककर कोयले की निम्न एंव दोषपूर्ण प्राप्ति जिससे बारम्बार संमिश्रण में परिवर्तन आया जिसके परिणाम स्वरूप गलित धातु उत्पादन प्रभावित हुआ ।

(ii) स्वदेशी कोककर कोयले की राख धारिता में अत्यधिक उतार-चढ़ाव 1990-91 के दौरान औसत राख प्रतिशतता 20 प्रतिशतता थी जबकि वचनबद्धता 18.42 प्रतिशत की थी ।

(iii) अपेक्षा की तुलना में धमन भट्टी संख्या 7 की निम्न उपलब्धता ।

(ङ) मार्च 1990 से जून 1991 के दौरान बिक्री योग्य इस्पात के संबंध में आई गिरावट का मूल्य लगभग 331 करोड़ रुपए है ।

विवरण--जारी

	नवम्बर-90	दिसम्बर-90	जनवरी-91	फरवरी-91	मार्च-91	अप्रैल-91	मई-91	जून-91
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
भि० इ० सं०								
स्वदेशी	6533	7497	8387	9457	8468	7827	6616	6757
आयातित	6123	6026	4574	4364	4210	4157	4245	3547
कुल	12657	13523	12961	13821	12677	11983	10861	10303
दु० इ० सं०								
स्वदेशी	3287	3348	3697	3579	3471	4213	2852	2513
आयातित	1080	1294	1184	811	768	1137	842	820
कुल	4367	4642	4881	4389	4239	5350	3694	3333
रा० इ० सं०								
स्वदेशी	3800	3339	3755	3761	3784	3003	2845	3507
आयातित	1423	1839	1735	1064	1455	1440	1255	1480
कुल	5223	5177	5490	4825	5239	4443	4100	4987
बो० इ० सं०								
स्वदेशी	6813	5542	6268	6439	5603	5613	7184	5893
आयातित	4603	4590	4513	4250	3852	4147	3119	4040
कुल	11417	10132	10781	10689	9455	9760	10303	9933
इस्को								
स्वदेशी	3363	3094	3368	4046	3790	3837	2868	3280
आयातित	287	429	287	243	329	453	394	647
कुल	3650	3523	3655	4289	4119	4290	3261	3927
सेल								
स्वदेशी	23797	22819	25474	27282	25116	24493	22365	21950
आयातित	13517	14177	12294	10732	10613	11333	9855	10533
कुल	37313	36997	37768	38014	35729	35827	32219	32483

महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में रेडियो टेलीफोन सेवा

377. **श्री गोविन्दराव निकम :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष रूप से रत्नागिरी जिले में रेडियो टेलीफोन सेवा स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) 1991-92 के दौरान संस्थापित किए जाने वाले सार्वजनिक रेडियो टेलीफोनों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

जिला रत्नागिरी	महाराष्ट्र के पहाड़ी क्षेत्र
69	46

(ग) उपर्युक्त (ख) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज

378. **श्री गोविन्दराव निकम :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के उन शहरों के नाम क्या हैं जहां पर इस समय इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज हैं;

(ख) महाराष्ट्र के उ न शहरों के नाम क्या हैं जहां पर इस वर्ष के दौरान इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या रत्नागिरी जिले के वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंज को भी इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज में बदले जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) 31-3-91 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र के शहरों/कस्बों में इस समय 40 इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं। नाम संलग्न विवरण-I में दिये गए हैं।

(ख) महाराष्ट्र के शहरों/कस्बों में उपस्कर उपलब्ध होने पर इस वर्ष (1991-92) 118 इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज संस्थापित किए जाने की योजना है। नाम संलग्न विवरण-II में दिये गए हैं।

(ग) जी, हां।

विवरण-I

(क) महाराष्ट्र के उन शहरों/कस्बों के नाम जहां 31.3.91 की स्थिति के अनुसार इस समय इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज काम कर रहे हैं ।

क्रम सं०	शहर/कस्बे का नाम	क्रम सं०	शहर/कस्बे का नाम
1	बालापुर	21	परांडा
2	पाटूर	22	नालदुर्ग
3	चन्दूर रेलवे स्टेशन	23	सोपपेठ
4	खुलताबाद	24	पठारी
5	वारठी	25	पुणे
6	गोंदिया एम आई डी सी	26	जेजुरी
7	मोहाडी	27	अलीबाग
8	पवनी	28	करजाट
9	तुमसर	29	माथेरान
10	संग्रामपुर	30	बम्बई
11	भोकरडान	31	नाहड़
12	पनहाला	32	रौहा
13	औसा	33	डामोल
14	नागपुर	34	दुधानी
15	बिल्लोली	35	कुरूड़वाड़ी
16	मुंडखेड़	36	जवाहर
17	मनमाड़	37	वाड़ा
18	त्रिम्बक	38	देवली
19	धूम	39	सिंदी
20	मूरू	40	लोहारा एम आई डी सी

विवरण-II

(ख) महाराष्ट्र के उन शहरों/कस्बों के नाम जहां इस वर्ष (1991-92) के दौरान लेक्ट्रानिक एक्सचेंज सस्थापित करने के प्रस्ताव हैं।

क्रम० सं०	शहर/कस्बे का नाम	क्रम० सं०	शहर/कस्बे का नाम
1	करांजा	26	महेकर
2	मंगरूलपीर	27	राजुरा (एम)
3	तेलहरा	28	वरोरा
4	मुर्तिजापुर	29	चन्द्रपुर
5	दमनगांव रेलवे स्टे०	30	डोंडियाचा
6	चन्दूर बाजार	31	शहाडा
7	दरियापुर	32	तलोडा
8	अंजनगांव	33	नवापुर
9	वारुड	34	देसाईगंज
10	मोरसी	35	सावदा फैजपुर
11	चिखलदरा	36	धरणगांव
12	वैजापुर	37	इरंडोल
13	कन्नाड	38	परोला
14	गंगापुर	39	वरणगांव
15	अबेजोगई	40	रावेर
16	अष्टी	41	परतूर
17	गेवराय	42	अंबाड़
18	मजलेगांव	43	मोकरडान
19	तिरोरा	44	गर्दिगलाज
20	मलकापुर	45	कुरुंडवाड़
21	देवलगांव राजा	46	मुरगुड
22	शेगांव	47	कागल
23	जलगांव	48	वाडगांव
24	नन्दुरा	49	अहमदपुर
25	चिखाली	50	नीलांग

विवरण-[] जारी

क्र० सं०	शहर/कस्बे का नाम	क्रम० सं०	शहर/कस्बे का नाम
51	लातूर	73	ओमरगा
52	कटोल	74	साइलू
53	नारखेड़	75	हिंगोली
54	उमरेड	76	मनवाड़
56	रामटेक	77	कलमनुरी
56	स्योनार	78	बसमतनगर
57	नागपुर–अधिक लाइनें जोड़ दी जाएंगी	79	जिंतूर
58	हडगांव	80	गंगाखेड़
59	मुखेड	81	भोर
60	देगलूर	82	नेराल
61	शर्माबाद	83	गोरेगांव
62	कांधार	84	महाड
63	किन्वाट	85	रोहा
64	उमाड़ी	86	कारजाट
65	कुन्दलवाड़ी	87	रेवडांडा
66	इगतपुरी	88	दपोली
67	ओजार	89	खेड़
68	लासलगांव	90	राजापुर
69	चांदवाड़	91	अलोरे
70	नन्दगांव	92	आस्था
71	कालाम	93	किर्लोस्करवाड़ी
72	तुलजापुर	94	तासगांव

विवरण-II जारी

क्र० सं०	शहर/कस्बे का नाम	क्रम० सं०	शहर/कस्बे का नाम
95	कराड़	107	दहानू
96	सावंतवाड़ी	108	बासांई
97	मालवन	109	भार्वी
98	वंगरला	110	हिंगनघाट
99	कनकवली	111	पुलगांव
100	करमला	112	घाटंजी
101	मंगलवेढ़ा	113	उहेरखेड़
102	संगोला	114	दिगरास
103	मलासोपाड़ा	115	दरवहा
104	शाहापुर	116	पंडारकावाड़ा
105	वाडा	117	बम्बई–अधिक लाइनें जोड़ी जाएंगी
106	उल्हासनगर	118	पुणे–अधिक लाइनें जोड़ी जाएंगी

महाराष्ट्र में एस० टी० डी० की सुविधा

379. **श्री गोविन्दराव निकम : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में जिलावार उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर इस वर्ष एस० टी० डी० की सुविधा प्रदान करने का विचार है;

(ख) क्या रत्नागिरी जिले स्थित चिपलुन भी इनमें शामिल है; और

(ग) यदि हां, तो वहां पर यह सुविधा कब तक प्रदान किए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) केन्द्रों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी हां।

(ग) विभाग ने यह सुविधा मार्च, 1992 तक उपलब्ध कराने की योजना बनाई है।

विवरण

खण्ड अ

महाराष्ट्र में 1991-92 तक एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने के लिए चुने गए स्थानों की जिलावार सूची नीचे लिखे अनुसार है

जिला का नाम	स्थान जहां पर एस ० टी० डी० सुविधा प्रदान करनी है
अहमद नगर	कोपरगांव, शिरडी
औरंगाबाद	पैठान
अकोला	मुर्तिजापुर
बीड़	पार्लीवैजनाथ
बुलढ़ाना	बुलढ़ाना
जलगांव	चालीसगांव, सावदा
कोल्हापुर	गोकुल सिरगांव
लातूर	चाकूर
नागपुर	उमरेद, कटोल
नान्देड	किन्वट
पूणे	भोर
परभनी	हिन्गोनी
रायगढ़	नागोथाणे, करजत
रत्नागिरि	चिपलून
सतारा	भून्ज
सांग्ली	वीटा, किर्लोस्करवाड़ी
शोलापुर	पनोहरपुर
थाणे	दहाणु, पालघर, मुरबाद
वर्धा	हिंगनगढ़

महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में टेलिफोन एक्सचेंज खोलना

380. **श्री गोविन्दराव निकम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में नये टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए क्या मानदंड निर्धारित हैं;

(ख) महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इस समय कितने टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं ;

(ग) क्या यहां ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में और अधिक टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उन स्थानों की संख्या और नाम क्या हैं जहां टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) कम से कम दस भुगतान-शुदा कनेक्शनों की पंजीकृत मांग।

(ख) महाराष्ट्र की रत्नागिरी जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 54 एक्सचेंज और शहरी क्षेत्र में 8 एक्सचेंज काम कर रहे हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) 1991-92 के दौरान, सोमेश्वर, अंसुरे, खाती, सखालोली, ठाकुरवाड़ी, कलेशी और पन्हालजी में 7 टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है और सभी एक्सचेंज ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होंगे।

चण्डीगढ़ में पे-फोन्स

381. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ में दिसम्बर, 1989 से आज तक कितने पे-फोनों की मंजूरी दी गई है; और

(ख) ऐसे फानों के लिये अब तक कितने आवेदन लम्बित पड़े हुए हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) चंडीगढ़ में दिसम्बर, 1989 से आज तक 235 पे-फोनों को मंजूरी दी गई है। इनमें 42 टेलीफोन अभी लगाए जाने हैं क्योंकि अभी उनके संबंध में औपचारिकताएं पूरी नहीं हो पाई हैं।

(ख) ऐसे फोनों के लिए इस समय 500 आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हुए हैं।

पाक प्रशिक्षित आतंकवादियों की घुसपैठ

382. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान में प्रशिक्षित आतंकवादी राजस्थान में श्रीगंगानगर से सीमा पार करके भारत में प्रवेश कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो देश में आतंकवादियों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए क्या कड़े कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब)

(क) राजस्थान में श्रीगंगानगर क्षेत्र से अवैध घुसपैठ करने की कोशिशों के कुछ मामले ध्यान में आए हैं।

(ख) सीमा चौकियों की बीच की दूरी कम की गई है। गश्त और नाकाओं की संख्या में वृद्धि की गई है। निगरानी बुर्जों का निर्माण किया गया है। सीमा पर बेहतर निगरानी और सख्त सतर्कता बरतने के लिए सीमा पर तैनात सुरक्षा बल के कार्मिकों को नाईट विज़न डिवायस, दूरबीन, हाथ से पकड़ी जाने वाली सर्च लाइटें जारी की गई हैं। चलती-फिरती गश्त में बढ़ौत्तरी की गई है। संवेदनशील क्षेत्रों के साथ-साथ सीमा की सुरक्षा के लिए कंटीले तार और फ्लड लाइटिंग लगाई गई है। घुसपैठियों के प्रवेश को रोकने के लिए तारों की बाड़ से व्यवधान पैदा किया गया है। सीमा सुरक्षा बल के आसूचना तंत्र को सक्रिय किया गया है और सीमा पर कड़ी निगरानी रखने के लिए इसे और सुदृढ़ किया गया है।

स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा इस्पात का उत्पादन

383. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का वर्ष 1990-91 के दौरान हॉट मेटल इन्गट स्टील और सेलेबल स्टील का उत्पादन इन मदों के लिए निर्धारित लक्ष्य से कम था, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां

(ख) मुख्य कारण थे, कोयले और बिजली की सप्लाई में गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों ही प्रकार की कमी, इसके अतिरिक्त औद्योगिक सम्पर्क समस्याएं, उपस्करों की खसता हालत और प्रबंधकीय खामियां भी इसका कारण थीं। इस संबंध में उठाए गए उपचारात्मक कदम हैं; देशी कोयले और बिजली के सप्लायरों से निरन्तर पारस्परिक संबंध अच्छे कोकर कोयले के आयात का बेहतर प्रबन्ध, निजी विद्युत उत्पादन में बढ़ौत्तरी, आधुनिकीकरण, संयंत्र और उपस्कर का बेहतर रख-रखाव और उत्तम कार्य करने का निश्चय।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का आधुनिकीकरण

384. **श्री चित्त बसु** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दुर्गापुर तथा "इस्को" इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण के संबंध में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) दुर्गापुर इस्पात कारखाने के आधुनिकीकरण की मंजूरी सरकार ने पहले ही दे दी है और इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है तथापि, इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लि० (इस्को) के बर्नपुर कारखाने के आधुनिकीकरण के बारे में निवेश संबंधी निर्णय परियोजना से संबंधित विभिन्न विकल्पों पर विचार-विमर्श करने और अन्तिम रूप से दृष्टिकोण बनाए जाने के पश्चात् शीघ्र ही लिए जाने की सम्भावना है।

बिहार में वीरपुर को एस० टी० डी० द्वारा सुपोल जिले से जोड़ना

[हिन्दी]

385. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार के सहरसा जिले में सुपौल को एस० टी० डी० द्वारा वीरपुर से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन क्षेत्रों में यह सुविधा कब तक प्रदान की जाएगी ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां।

(ख) वीरपुर और सुपौल दोनों को पटना से जोड़ कर एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(ग) यह सुविधा 1992-93 के दौरान प्रदान किए जाने की योजना है।

अन्तर्राष्ट्रीय सैनिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम

[अनुवाद]

386 **श्री चित्त बसु** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमेरिका के हाउस ऑफ रेप्रजेन्टेटिव्स ने वित्तीय वर्ष 1992-93 के लिए विदेशी सहायता अनुमोदन विधेयक के एक भाग में हाल में एक संशोधन पारित किया है जिसमें भारत के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सैनिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने निम्नलिखित वक्तव्य जारी किया है :—

"ऐसे आदान-प्रदान के लिए भारत सरकार द्वारा कोई शर्त स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता हर मामले में इन कार्यक्रमों का आशय परस्पर लाभ है और इनसे लाभ उठाने वाला भारत एकमात्र देश नहीं है।

यह संशोधन प्रच्छन्न रूप से हमारे सशस्त्र बलों के ऊपर अवांछित लांछन लगता है जो निरन्तर और व्यापक रूप से हो रही आतंकवादी हिंसा और अत्यधिक उत्तेजनात्मक स्थिति में बहादुरी और अत्यन्त संयम के साथ कार्य कर रहे हैं। वे ऐसे आतंकवादियों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं जिन्हें प्रशिक्षण देकर और जबरदस्त तरीके से हथियारबन्द कर के सीमा पार से हमारे देश में भेजा जा रहा है। ये लोग निर्दोष नागरिकों की आड़ में अपना आश्रय खोजते हैं। हमारे सशस्त्र बल पूरी तरह से प्रशिक्षित और अत्यन्त अनुशासन में रहने वाले बलों के रूप में सुविख्यात हैं। उन्हें दूसरों से अनुकम्पा, नैतिकता अथवा मानवाधिकारों और मानवता के मानदण्डों को सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

नक्सलवादी गतिविधियां

387. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में बढ़ती हुई नक्सलवादी गतिविधियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो नक्सलवादी समस्या से ग्रस्त क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) :

(क) से (घ) जी हां, श्रीमान्। आन्ध्र प्रदेश और बिहार नक्सलवादी गतिविधियों से सबसे अधिक प्रभावित राज्य हैं। वामपंथी उग्रवादियों का, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में प्रभाव है। हालांकि देश में नक्सलवाद के बढ़ने के सही कारणों को बताना सम्भव नहीं है तथापि आर्थिक पिछड़ापन बेरोजगारी और इसके कारण युवकों के एक वर्ग में असंतोष उत्पन्न होना, इसके कारण हो सकते हैं। हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार से राज्य में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए वित्तीय सहायता देने का अनुरोध प्राप्त हुआ। इस पर योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श किया गया और तदनुन्तर राज्य सरकार को सलाह दी गई कि योजना आयोग द्वारा उनके लिए अनुमोदित सामान्य योजना परिव्यय से योजना को लागू करने पर होने वाले खर्च को पूरा करें। इसी प्रकार आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार से अतिरिक्त अर्द्ध-सैनिक बलों और हथियारों के लिए अनुरोध प्राप्त हुए थे। आन्ध्र प्रदेश राज्य को, केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों की कुछ कम्पनियां और हथियार उपलब्ध कराए गए। सरकार की यह नीति है कि देश में उग्रवादी तत्वों से सख्ती से निपटा जाए और साथ-ही-साथ प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास को तेज किया जाए और स्थानीय लोगों की वास्तविक कठिनाईयों को दूर किया जाए। केन्द्र सरकार प्रभावित राज्यों को सभी सम्भव सहायता दे रही है।

संयुक्त राष्ट्र उपसंधि की पुष्टि में विलम्ब

388. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बच्चों के अधिकारों के संबंध में संयुक्त-राष्ट्र उपसंधि (कनवेंशन) का अनुसमर्थन करने में विलम्ब के क्या कारण हैं :

(ख) इसका अनुसमर्थन शीघ्र सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं : और

(ग) उनके क्या नतीजे निकले हैं ।

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) से (ग) अनुसमर्थन प्रक्रिया में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से विस्तृत विचार-विमर्श किया जाना है । उम्मीद है कि यह विचार-विमर्श शीघ्र पूरा हो जाएगा ।

12.00 **मध्याह्न** **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप शांत रहना नहीं चाहते । कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं । श्री बसुदेव आचार्य, कृपया बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब कोई नहीं बोलेगा । अगर आप चाहते हैं कि आप की बात सुनी जाए तो आप को एक एक करके बोलना होगा । अगर आप सभी लोग खड़े होकर एक साथ बोलना चाहते हैं तो कुछ भी नहीं सुना जा सकेगा । क्या मैं आपसे अनुरोध करूं कि आप लोग बारी-बारी से बोलें ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब मैं खड़ा हूं तो आप बैठ जाइए । अब मैं आप से अनुरोध कर रहा हूं कि आप बारी-बारी से ही बोलें ताकि आपकी बात को सुना जा सके । यदि आप नहीं चाहते कि आपकी सुनी जाए तो आप सभी एक साथ खड़े होकर बोल सकते हैं । एक साथ बोलने से हमें कोई मदद नहीं मिलेगी । अतः कृपया एक एक करके बोलें । अब श्री सैफुद्दीन चौधरी बोलेंगे ।

(व्यवधान)

सोने को गिरवी रखे जाने के बारे में

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, मैंने वित्त मंत्री द्वारा दी गई इस वचनबद्धता कि सोने की दूसरी खेप भेजे जाने के बाद इस प्रकार गुप्त रूप से कोई भी सोना बाहर नहीं भेजा जाएगा, को तोड़ने और गुप्त रूप से सोना बाहर भेजने के बारे में स्थगन प्रस्ताव की एक सूचना दी है । बाहर भेजे गये कुल सोने की मात्रा लगभग 57 टन बैठती है । ऐसा कदम विदेशी मुद्रा के संकट से निबटने के लिये उठाया गया है ।

महोदय, यदि अब हमें सोना गिरवी रखना है, विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिये हमें सोना बाहर भेजना था तो हमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जाने की क्या जरूरत थी ? और ऋण प्राप्त करने के पहले आपको हमारी अर्थव्यवस्था पर लगायी जाने वाली शर्तों को स्वीकार करना पड़ेगा जो कि बहुत ही हानिकारक है। यदि संकट से निबटने के लिये इस प्रकार की कार्यवाही करना अनिवार्य है, तो वे सदन में क्यों नहीं आए। उन्होंने विरोधी दलों से बात क्यों नहीं की कि हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से धन नहीं ले रहे हैं, इसलिये हमें अपना सोना बेचना है, उसे गिरवी रखना है। हमें सहमति पर पहुंचना चाहिये। यह गुप्त कार्य क्या है, महोदय, मैं इसे जानना चाहता हूं। मैं मांग करता हूं कि वित्त मंत्री अथवा प्रधानमंत्री जी सदन में आएं तथा ब्यान दें। इस विषय पर चर्चा होनी चाहिये। यह बहुत गंभीर मामला है। इस मुद्दे पर आपका क्या निदेश है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं कोई निदेश नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन चौधरी, इस तरह से नहीं, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं जानता हूं कि कई लोग इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। मैंने आपको अनुमति दी है और कई अन्य वरिष्ठ सदस्यों को भी बोलना है। आइए सुनें कि वे क्या कहते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में नया-नया आया हूं, मुझे पता नहीं है कि इस सदन की प्रक्रिया क्या है। अगर जीरो आवर में बात उठाने से मौका मिलता है तो मैं इसका अवलम्बन कर सकता हूं। लेकिन मैं आपसे आपके चैम्बर में मिला था... **(व्यवधान)**.....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं पता था कि वह यह मुद्दा उठाने जा रहें हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : हां, आपने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है लेकिन मुझे पता नहीं था कि आप इस मुद्दे को सदन में उठाने जा रहे हैं।

[हिन्दी] **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, सदन में इस सवाल पर जो उत्तेजना है वह स्वभाविक है। अच्छा होता वित्त मंत्री महोदय सदन में होते। पार्लियामेंट की बैठक हो रही है, यह आश्वासन दिया जा चुका है कि भविष्य में और सोना नहीं बेचा जाएगा, इसके बावजूद सोना बेचने की खबर हम अखबार में पढ़ते हैं। एक झटका लगता है। क्या इस सदन को विश्वास में नहीं लिया जा सकता, क्या सरकार सारे देश को भरोसे में लेकर यह नहीं बता

सकती कि उसकी कितनी देनदारियां हैं और उसके लिये कुल मिलाकर कितना सोना बेचने या रहन रखने की जरूरत होगी ? वित्त मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया था कि जब सोना देश से बाहर जाता है तो लोगों को धक्का लगता है, विशेषकर महिलाओं को धक्का लगता है। सरदार मनमोहन सिंह जी ने जो कुछ करना है एक झटके में करें, यह हलाली क्यों कर रहे हैं। यह तीसरी किश्त जा रही है। क्या इसके बाद सोना नहीं बेचा जाएगा, किन परिस्थितियों में यह सोना बेचा गया, हमारी कितनी देनदारियां हैं ? अगर देश आर्थिक संकट में है तो उस संकट का सामना सारे सदन को विश्वास में लेकर किया जा सकता है। अगर फैसले टुकड़ों में आएं और इस तरह से हमारे साथ बर्ताव हो रहा है, पार्लियामैंट की बैठक हो रही है और यह औचित्य का भी सवाल है। इस सम्बन्ध में आप भी सरकार को निर्देश दें कि सारे तथ्य देश के सामने रखें, भले ही तथ्य भयावह हैं, भले ही तथ्य हमारी कल्पना के बाहर के हैं, मगर पूरी तस्वीर आनी चाहिये, टुकड़ों-टुकड़ों में सोने को बेचना और संकट को हल करने का तरीका ठीक नहीं है।

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने सुबह जब अखबार में पढ़ा तो तुरन्त आपको लिखा इसलिए कि जो अटल जी ने कहा कि आप हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं। लोक सभा बैठ रही है, सदन बैठ रहा है, लेकिन हमको बहुत तकलीफ है कि इंडियन एक्सप्रेस की खबर में निकला है कि बम्बई में सहार एयरपोर्ट से सोना लेकर जा रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस के फाटोग्राफर ने चोरी-छिपे जो सोना ले जा रहे थे उसका पीछा किया। इसलिये उनको सावधान करना पड़ा कि किस तरह से वे ले जा रहे हैं। सवाल यह है कि देश में क्या हो रहा है। सरकार ने, अर्थ मंत्री ने खुद सोचा था कि वे राजनीतिज्ञ नहीं हैं, वे विशेषज्ञ हैं, शायद सत्यता के प्रतिनिष्ठा रखें तो हो सकता है कि उनका यह पता नहीं है कि जब संसद बैठ रही है कोई नीति सम्बन्धी चीज संसद को बिना बताए नहीं करनी होगी। हो सकता है कि वे पौलीटिशियन नहीं हैं, स्टेटसमैन नहीं हैं इसलिये उनके दिमाग में नहीं है कि जब संसद बैठ रही है हम लोगों को अखबार से पता चलता है कि देश का थाती चोरी-छिपे बाहर भेजा जा रहा है जबकि सरकार का बयान है कि हम आगे चलकर सोना नहीं बेचेंगे। सवाल यह है कि यह आपके अधिकारों के अन्दर है। अधिकारों के अन्दर यह है कि प्रधानमंत्री या अर्थ मंत्री आज हाउस उठने से पहले इस बारे में सदन के समक्ष आयें और सारा ब्यौरा सदन के समक्ष रखें कि इस तरीके से चोरी-छिपे ऐसा क्यों कर रहे हैं और इस बात का आश्वासन दें कि आगे चल कर यानी कि कल से ऐसे नहीं होगा। आपको भी इस पर सोच कर निर्णय देना है। 5–6 बजे के पहले प्रधान मंत्री या मनमोहन सिंह जी को इस पर अपना ब्यान देना चाहिये।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसार): मैं इस कार्यवाही का कड़ा विरोध करता हूं। इससे सदन की अवमानना होती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि माननीय मंत्री महोदय ने श्री उन्नीकृष्णन द्वारा उठाए गये इसी प्रश्न का सदन में जवाब देते हुए सरकार की तरफ से स्पष्ट वादा किया था कि इसके बाद और सोना बाहर नहीं भेजा जाएगा। सरकार की ओर से सदन में इस प्रकार की वचनबद्धता व्यक्त करने पर भी सरकार ने चोरी-छिपे सोना बाहर भेजने की अनुमति कैसे प्रदान की है ?

सभी नीतिगत मामलों को सदन के सम्मुख लाया जाना चाहिये । यद्यपि यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है, फिर भी सरकार ने भविष्य में सोने को बाहर भेजने से सम्बन्धित निर्णयों के बारे में सदन को अवगत कराना उचित नहीं समझा । अतः, मेरे विचार से, इससे सदन की अवभावना होती है । इससे पहले एक अवसर पर यह कहा गया था कि सोने की बिक्री पुनःखरीदारी के आधार पर की गई है । अब मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इसे अंतिम रूप से बेच दिया गया है अथवा इसे वापस लाया जाएगा । यदि हां, तो क्या सरकार के पास इसे पुनः खरीद लेने की वित्तीय क्षमता आ गई है । लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी है ।

अतः, सरकार को सदन में स्पष्टीकरण देना चाहिये । आप सरकार को इस सम्बन्ध में आज ही ब्यान देने का निर्देश दें ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : जब मैंने पिछले सप्ताह इस सदन में यह प्रश्न उठाया तो उस समय मैंने यह महसूस किया कि इसे गिरवी नहीं रखा गया है जैसा कि सरकारी प्रवक्ता ने हमें ऐसा विश्वास दिलाया था अपितु यह और कुछ न होकर एक ऐसी बिक्री थी जिसे 90 से 180 दिन के भीतर ब्याज का भुगतान करके पुनः खरीदा जा सकता है । और इसके पश्चात् माननीय वित्त मंत्री जी ने यह कह कर मामले पर लीपापोती करने की कोशिश की कि उस बिक्री, जिसके लिये मैंने सूचना दी है, का सम्बन्ध सरकारी भण्डार के तथा जब्त किये गये सोने की बिक्री से है । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बेचे गए सोने के बारे में वह कुछ भी कहने को तैयार नहीं थे । वह काफी क्रोधित मुद्रा में बोले भारतीय रिर्जव बैंक एक बहुत बड़ी संस्था है । कृपया उसकी निन्दा मत कीजिए । हम उसकी निन्दा नहीं कर रहे थे । हम भौचक्के रह गए, जो कुछ हो रहा था हम उस बारे में चिंतित थे क्योंकि यह भारतीय रिजर्व बैंक ही है जो आरक्षित मुद्रा का सहारा है । यह कार्य किसी दूसरे द्वारा नहीं किया जाता है । मंत्रालय इसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं करता है । अतः जब वह मुद्दा उठाया गया था तो हमने बहुत सी सूचनाओं के जरिए आपका ध्यान इस मामले को उठाने की आवश्यकता की ओर आकर्षित किया था तथा हमने इस पर एक श्वेत पत्र जारी करने की भी मांग की थी । लेकिन अब तक कुछ भी नहीं किया गया है । इसके विपरीत हम देखते हैं कि निश्चय ही यह बिक्री सरकार की सुविचारित नीति के परिणति के रूप में एक अनवरत प्रक्रिया है । वह बहुत महत्वपूर्ण बात है । यह नीति सोना बेचने की नीति है । पहली बार में 25 टन सोना बेचा गया, फिर 21 टन बेचा गया और अब यह 9 या 12 टन बेचा गया है । हमें यह बात मालूम ही नहीं है । सभा की बैठक हो रही है, पर उसे अंधेरे में रखा गया है । अतः मैं यह मांग करता हूं कि :–

(1) वित्त मंत्री जी इस पर तत्काल बयान दें । आप वित्त मंत्री जी से कहें कि आज सभा स्थगित होने से पूर्व वह अपना बयान दें ।

(2) इस सोने की बिक्री के सभी पहलुओं पर अगले सप्ताह एक श्वेत पत्र जारी किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रजीत यादव आप, कृपया, अपनी बात बहुत संक्षेप में कहिये ।

श्री चन्द्रजीत यादव : (आजमगढ़) मुझे दूसरे विषय पर बोलना है ।

श्री निर्मल कान्त चटर्जी (डमडम) : महोदय, मैं जो बात कहना चाहता हूं, हो सकता है यह आवश्यक हो, मैं यह स्वीकार करने को तैयार हूं कि हमारी विदेशी मुद्रा का सामना करने के लिये सोने की बिक्री आवश्यक है। मैं यह स्वीकार करने को तैयार हूं कि समय के अन्दर हमें अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिये सोना बेचा जाना चाहिये । इसके लिये संगत प्रश्न यह है कि हमें यह नहीं बताया गया है कि यह संकट कितना गम्भीर है। दूसरा प्रश्न है, इसके लिये वे जो भी तरीके अपना रहे हैं उसे सरकार गुप्त रख रही है और इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बता रही ।

अध्यक्ष महोदय : यह वाद-विवाद आर्थिक स्थिति पर वाद-विवाद न बन जाए । हम उस पर इसी विशेष सत्र में चर्चा करेंगे ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : हमें कल बताया जाएगा कि सर्वाधिक कीमती चल सम्पत्ति चोरी छिपे देश के बाहर भेजी जा रही है । अचल सम्पत्ति को भी बेचने का समय आ सकता है । मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा यदि कल मुझसे यह कहा जाता है कि कलकत्ता शहर किसी दूसरी पार्टी को बेच दिया गया है । यदि सरकार जो कि अल्पमत में है, इस तरह का आचरण करेगी तो इस देश का भविष्य क्या होगा ? मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भूतपूर्व अध्यक्ष श्री रवि राय जी का अनुरोध स्वीकार करें और वित्त मंत्री जी से यह स्वयं कहें कि वह आकर आज ही इस प्रश्न का उत्तर दें ।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान निकोबार) : प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा अपनी शंका जाहिर करना स्वाभाविक है—लेकिन प्रश्न यह है कि सरकार को एक श्वेत पत्र जारी करते हुए लोगों को यह बताना चाहिये पूर्व सरकार द्वारा विरासत में छोड़ी गई हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है और उसे सुधारने के लिये वर्तमान सरकार द्वारा क्या उपचारी उपाय किये जा रहे हैं । समाचार पत्र जो भी रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं उन रिपोर्टों की सत्यता की जानकारी भी नहीं होती । यह नितान्त आवश्यक है कि सरकार अर्थव्यवस्था की स्थिति पर श्वेत-पत्र जारी करे । सोने की बिक्री सम्बन्धी नीति के बारे में ध्यान आज ही दिया जाना चाहिये और वित्त मंत्री द्वारा पहले दिया गया ध्यान अब की गई कार्यवाही से मेल खाना चाहिये । (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : सरकार सदन को अधिक महत्व नहीं दे रही है ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी सदन में आएं ।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आप वित्त मंत्री जी से सदन को यह बताने के लिये कहें कि सोने को गुप्त रूप से बाहर क्यों भेजा गया । उन्हें सदन को अवश्य ही यह बात बतानी चाहिये । वह आ गए हैं ।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढाना) : यह क्या है ? हमें किसी भी लिये गये निर्णय से जानकारी नहीं है। कौन सा निर्णय किया जाने वाला है ? मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी आज तथा अभी इसी वक्त बयान दें कि "इंडियन एक्सप्रेस" में छपी रिपोर्टें सही हैं अथवा गलत।

दूसरी बात, अगर ऐसी बातें अकसर और बार-बार हो रही हैं तो मेरा माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वह सोने की बिक्री अथवा इसे गिरवी रखने से सम्बन्धित स्पष्ट नीति की घोषणा करें। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, आप कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं। अब, चूंकि वित्त मंत्री जी यहां उपस्थित हैं, मैं जानना चाहूंगा कि वह कोई ब्यान देने के लिये इच्छुक हैं अथवा नहीं।

एक माननीय सदस्य : अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भी गिरवी रख दें तो और अच्छा होगा।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : मैं आज ही सदन में बयान दूंगा मेरे पास छिपाने को कुछ भी नहीं है और मैं इस सदन तथा राष्ट्र को सब कुछ साफ-साफ बताना चाहता हूं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा न करें।

(**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री महोदय, क्या आप आज वक्तव्य देंगे।

श्री मनमोहन सिंह : हां, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। चूंकि आपने आज वक्तव्य देने की मांग की है, इसलिये वित्त मंत्री आज वक्तव्य देने के लिये तैयार हैं। मैं उन्हें समय दूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कब देंगे।

अध्यक्ष महोदय : सदन के उठने से पहले।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कोई गुपचुप कार्यवाई आगे न की जाए। (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एडजॉर्नमेंट मोशन दिया है, मैं चाहता था कि क्वेश्चन-आवर सस्पैंड करके उठाऊंगा। यह बहुत ही गंभीर मामला है। कल इस सवाल को हम लोगों ने उठाया था कि सरकार मंडल कमीशन के संबंध में कोरी-नीति

अपना रही है। श्री अर्जुन सिंह जी आप सदन के नेता है, मैं नहीं चाहता हूं कि इसके संबंध में हम कोई नोटिस दें। लेकिन कल इन्होंने कहा, जो चीज हमको करनी होगी, मैं सुप्रीम कोर्ट में जवाब दूंगा। सुप्रीम कोर्ट का नतीजा यह हुआ कि कल सुप्रीम कोर्ट के जज ने साफ तौर से कहा और यहां तक कह दिया कि मैं इस केस को नहीं देखूंगा, मैं क्विट करूंगा। क्योंकि बार-बार कहने के बावजूद भी भारत सरकार मंडल कमीशन के संबंध में अपनी स्थिति को साफ नहीं कर रही है और नतीजा यह हो रहा है कि आज 6 अगस्त तक के लिये कोर्ट ने मामले को स्थगित कर दिया है। आप इकोनोमिक क्राईटेरिया जोड़ना चाहते हैं। मंडल कमीशन का सीधा मामला था कि मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया जाए। आप उसमें इकोनोमिक क्राइटेरिया जोड़ना चाहते हैं और वह उसके जुरिस्डिक्शन के बाहर आएगा। इसका मतलब यह है कि आपकी नीयत साफ नहीं है। आप मंडल कमीशन को लागू करवाना नहीं चाहते हैं। इसलिये हम आज सरकार से साफ तौर से जानना चाहते हैं, सरकार बतलाए कि सरकार की स्थिति क्या है, मंडल कमीशन के संबंध में सरकार क्या करना चाहती है? आपकी दोहरी नीति नहीं चल सकती है कि उत्तर भारत के बच्चों को दबाया जाए और दक्षिण भारत में मंडल कमीशन को सपोर्ट करें। आज कोर्ट का मामला है और इस सदन को सरकार को बतलाना पड़ेगा कि सरकार मंडल कमीशन के संबंध में क्या सोच रही है? सरकार मंडल कमीशन के पक्ष में है या नहीं है? यदि है, तो कोर्ट में मामले को सरकार क्यों स्पष्ट नहीं कर रही है?

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुज्जफरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत गम्भीर मामले की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले कई दिनों से आतंकवादियों के बारे में बार-बार यह बात कही है, विशेषकर पंजाब के आतंकवादियों के बारे में, कि पुलिस और उनके बीच में ऐसी कई घटनायें होती हैं, जिसमें आतंकवादी मारे जाते हैं। आज से पांच-छः रोज पहले अखबार में छपकर आया उत्तर प्रदेश से कि आतंकवादी मारे गए 13 जुलाई को और दस सिक्ख आतंकवादी पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गये। आज यह जानकारी है कि पुलिस के साथ कोई भी मुठभेड़ नहीं हुई। एक मोटर बस किराए पर लेकर, 25–30 हजार रुपए उसका किराया है, वह भर करके, कम्पनी का नाम है, बस का नम्बर है, यह सिक्ख नौजवान महिलाओं और पुरुषों के साथ पीलीभीत से महाराष्ट्र नान्देड़ जा रहे थे और वहां से पटना साहिब जाकर अपने घर लौटना था। स्थिति ऐसी बन गई, रास्ते में पीलीभीत पुलिस ने उस गाड़ी को रोका। उसमें से दस लड़कों को खींचकर के दूसरी पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया। बदाऊं में पकड़ने का काम किया गया। वहां से उनको पीलीभीत वापिस ले जाने की बात हो गई। 12 तारीख की रात को पुलिस थाने तक ले जाने का काम हुआ। 13 तारीख की सुबह चार बजे से लेकर पांच बजे के दरमियान तीन जगहों पर इन बच्चों को ले जाकर सीधे उनको गोली मारकर खत्म कर दिया गया। एसपी की तरफ से इस प्रकार का निवेदन हो गया और उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से भी इसकी तारीफ करने में आ गई कि आतंकवादियों का सफाया करने के अभियान में हमको बहुत बड़ी कामयाबी मिली पीलीभीत में। .....(व्यवधान)...दस निर्दोष बच्चों को मारने का काम एक एस पी ने स्वयं अपने मार्ग दर्शन में किया है। यह कितना गम्भीर

मामला है, गृह मंत्री जी यहां पर नहीं हैं, अच्छा होता यदि वे यहां पर होते, काश्मीर को लेकर, असम को लेकर, पंजाब को लेकर आप बार-बार कहते हैं कि .....(**व्यवधान**)....

अध्यक्ष महोदय : यह जीरो-आवर का मामला है ?

(**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, नहीं, हमारे बच्चे दो तरफ मारे जा रहे हैं। आतंकवादियों के नाम पर पुलिस जाकर इनको मार रही है और दूसरी तरफ निर्दोष लोगों को इस तरह से मार डालने का काम पुलिस खुद कर रही है। इस परिस्थिति में मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सरकार से, इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार से भी जानकारी हासिल करके इस सदन को बतायें कि क्या कांड है और ऐसे कांड नहीं होंगे। जो पुलिस आफिसर इससे संबंधित थे उनको तत्काल निलंबित करने का आदेश भी देने का काम हो। यह उत्तर प्रदेश सरकार को तत्काल करना चाहिये। (**व्यवधान**)।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : कई लोगों के मारे जाने का यह मामला काफी गम्भीर है। क्या हुआ है (**व्यवधान**) पुलिस यह कहने का प्रयास कर रही है कि वे आतंकवादी थे। किन्तु रिपोर्ट कहती है कि बात कुछ और है। (**व्यवधान**) यह कहा जा रहा है कि पुलिस का ब्यान वास्तविक घटना से पूर्णतया भिन्न है (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में अनुमति दूंगा

(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह बहुत गम्भीर मामला है। इसकी इस प्रकार उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए तथा कथित आतंकवादियों के नाम पर, युवकों के साथ नकली मुठभेड़ें हुई जो तीर्थयात्रा पर गए थे। उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। यह सरकार क्या जांच करने जा रही है ? हम जानना चाहेंगे कि 13 जुलाई से अब तक उन्होंने क्या किया है ? जहां तक इन गम्भीर आरोपों का संबंध है, सरकार की ओर से कौन जवाब देगा ? हम चाहते हैं कि सरकार तुरन्त जवाब दे और इस पर एक वक्तव्य दे (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री भक्त का नाम पुकारा है। आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप श्री भक्त द्वारा भाषण समाप्त करने के पश्चात बोल सकते हैं।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री भक्त का नाम पुकारा है। मैं इस बात की प्रशंसा नहीं करता। आपको यह बंद करना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं एक के बाद एक को बुला रहा हूं। यहां कोई व्यक्ति नहीं बैठा हुआ बल्कि यहां सभापति महोदय बैठे हैं। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं ऐसे ठीक नहीं मानता। (**व्यवधान**)

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान जी, अण्डेमान और निकोबार द्वीप समूह एक केन्द्र शासित प्रदेश है और अण्डेमान निकोबार के अच्छे प्रशासन और इसके विकास के लिए भी केन्द्र सरकार विशेष रूप से उत्तरदायी है। इस समय, वहां बड़ी संख्या में पढ़े-लिखे बेरोजगार युवक हैं जिनकी परेशानी दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है क्योंकि इस छोटे से द्वीप में रोजगार पैदा करने की कोई सम्भाव्यता नहीं है। अण्डेमान-निकोबार प्रशासन द्वारा लगभग एक सौ निम्न श्रेणी लिपिकों की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई थीं। तब ये लिपिक केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, कलकत्ता में पाए गए। न्यायाधिकरण ने आदेश दिया है कि उन्हें तत्काल बहाल किया जाए। किन्तु प्रशासन ने उच्चतम न्यायालय में अपील करने को वरीयता दी। मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं चूंकि यह सरकार की नीति है कि जब न्यायाधिकरण ने अपना निर्णय शिकायतकर्ता के पक्ष में दे दे, तो ऐसे मामलों में प्रशासन को बिना-वजह अपील नहीं करनी चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सरकार हमेशा ऐसा करती है।

श्री मनोरंजन भक्त : और हर बार मुकदमों की संख्या में वृद्धि हो रही है। अतः मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि विशेषतः इस संबंध में निदेश जारी करें और हजारों की संख्या में पड़े रिक्त स्थानों को तुरन्त भरें।

[हिन्दी]

श्री कांशीराम राणा (सूरत) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा कि नेचुरल गैस के प्राइस के बारे में केलकर कमेटी ने अपनी सिफारिशें सरकार को दी हैं। जब चन्द्रशेखर गवर्नमैंट थी तब इस सिफारिश की कैसी प्रतिक्रिया प्रदेशों में होगी, इसका उपाय सोचे बिना इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया। इस रेकोमेंडेशन से गुजरात को बहुत भारी अन्याय होने वाला है और गुजरात सरकार की रिक्वेस्ट से इस रिपोर्ट का इम्पलीमेंटेशन एक अगस्त तक रोक दिया गया है क्योंकि इस सिफारिश से गुजरात की इण्डस्ट्रीज खत्म होंगी और जो भी इलैक्ट्रीसिटी उत्पादन होता है उसकी लागत बहुत ज्यादा होगी। केलकर कमेटी ने जो सिफारिश की है उसकी एक हजार क्यूबिक मीटर गैस की दर 2300 रुपए लगाई है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बार इस ओर से और एक बार उस ओर से अनुमति दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री कांशीराम राणा : ये बिहार से कोयला मंगाकर इलैक्ट्रीसिटी का उत्पादन करता है उसकी लागत बहुत ज्यादा आती है। (**व्यवधान**) इस कारण से गुजरात की इण्डस्ट्री और वहां के लोगों के ऊपर बहुत भारी बोझ पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इस सिफारिश को रद्द कर दिया जाए और इस पर पुनर्विचार किया जाए (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह एक ऐसा मामला है जिसे आप बिना सूचना दिए उठा रहे हैं। आप को संक्षेप में बोलना होगा।

(**व्यवधान**)

डा० कान्तिकेश्वर पात्र : (बालासोर) : महोदय, उड़ीसा सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। वह विधान सभा चुनावों के समय किए गए वायदों को पूरा करने में असफल रही है। उसने उड़ीसा के लोगों को वचन दिया था कि वह गरीब उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति किलो की दर से चावल उपलब्ध कराएगे। दूसरे, उसने वायदा किया था कि 10,000 रुपए तक के कृषि ऋणों को माफ कर दिया जाएगा। तीसरे, उसने विधान सभा चुनावों के दौरान लोगों से यह वायदा किया था कि वह उड़ीसा में दूसरे इस्पात संयंत्र की स्थापना करेगी। उसने बेरोजगार युवकों से वायदा किया था कि वह रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। इसके साथ-साथ उसने आश्वासन दिया है कि वह कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखेगी। सरकार ये सभी वायदे पूरा करने में असफल रही है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री राव, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। आपको यह बात समझनी चाहिए कि इस मामले पर सदन में बिना किसी प्रक्रिया का अनुसरण किए चर्चा हो रही है। यह सभा द्वारा सदस्यों के प्रति किया गया अनुग्रह है न कि सभापति द्वारा। जब आप भाषण दे रहे हैं तो आप अन्य सदस्यों का भी समय ले रहे हैं। इसलिए, आपको बहुत सावधान होना चाहिए। आप इसे जारी नहीं रख सकते। अब, मैं श्री सूर्य नारायण यादव का नाम पुकार रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग सबसे पहले अपनी जगह पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा करने से क्या फायदा है, न तो उनकी बात सुनाई देती है और न आप की बात सुनाई देती है। बैठ जाइए। सूर्य नारायण यादव।

(व्यवधान)

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, बिहार से सीमावर्ती इलाके में नेपाल बार्डर पर भारत सरकार द्वारा निर्मित बांध, कोसी बांध हनुमान नगर के नजदीक टूट जाने से लाखों लोग उसमें फंस गए हैं। अध्यक्ष महोदय यह बांध कल शाम को टूटा, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अध्यक्ष महोदय, लाखों लोग सहरसा, मधुबनी, समस्तीपुर दरभंगा और नेपाल में फंस गए हैं। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि क्योंकि यह भारत सरकार का बांध है, इसलिए लोगों की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था शीघ्र करने का कष्ट करें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमति गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मैं व्यवस्था संबंधी एक प्रश्न उठा रही हूं। आपने शून्य-काल के लिए औपचारिक सूचना देने के लिए कहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैंने नहीं कहा। यदि आपको ऐसा लगा हो तो कृपया आप इसे त्याग दें।

(व्यवधान)

श्रीमति गीता मुखर्जी : अब औपचारिक सूचनाएं दी जा चुकी हैं। चूंकि गैर-सरकारी तौर पर शून्य-काल प्रारम्भ हो चुका है, मैं मांग करती हूं कि जिन्होंने नोटिस दिए हैं पहले उन्हें ही बुलाया जाए। मेरे विचार से सदन को चलाने का यही तरीका है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महोदया, आपने एक प्रश्न उठाया है और मैं आपकी बात मानता हू। मुझे स्पष्ट करने दीजिए, कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं स्पष्ट करूगा ताकि आप लोग गलत फहमी में न रहें। कृपया मेरी बात थोड़ी देर तक शान्तिपूर्वक और ध्यानपूर्वक सुनें। मुझे बहुत से नोटिस प्राप्त हुए हैं। यदि मैं सभी नोटिसों को लेता हूं तो मेरे विचार से, और आप भी यह महसूस करेंगे कि सदन का पूरा समय इसी में लग जाएगा। इसलिए, मुझे इनमें से चुनाव करना है। मुझे इसको बैलट करना होगा अथवा मुझे इनमें से अपनी मर्जी से बोलने की अनुमति देनी होगी।

अब, यह वह समय नहीं है जब हमें लम्बे भाषण देने हैं। यह तो सभा द्वारा सदस्यों के प्रति दर्शाया गया एक प्रकार का अनुग्रह है। जब एक सदस्य बोल रहा हो, तो अन्य सदस्य शान्त रह कर उसकी बात सुनते हैं। यही कारण है कि हमें उस धैर्य का आदर करना चाहिए और हमें अपनी बात संक्षेप में कहनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश मामले अति महत्वपूर्ण हैं और सदस्य अपने विचार रखना चाहते हैं और अब सदस्यों में होड़ लग जाएगी। हमें इसे नियमित करना होगा और इसीलिए कि ऐसा किया जाता है।

महोदया, मैंने किसी नोटिस अथवा कोई अन्य चीज नहीं मांगी है। आपको जो कुछ कहना है वह संक्षेप में कहें।

(व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : महोदय, यह मामला आपको सौंपा जाना चाहिए था। मेरा प्रश्न यह है कि जो नोटिस देता है उसे यह तो बताना ही चाहिए कि वह क्या मामला उठाना चाहता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अपने कक्ष में इस मामले पर आपसे बात करूंगा।

श्रीमति गीता मुखर्जी : महोदय, आज के स्टेट्समैन में छपी खबर के अनुसार, पर्मानेंट पीपल्स ट्रिब्यूनल—रोम स्थित एक जन भावना मंच ने बहुराष्ट्रीय निगमों और सरकारी एजेन्सियों को औद्योगिक आपदा से पीड़ितों के मानवीय अधिकारों के दुरुपयोग का दोषी ठहराया है।

हमारे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण "घोर औद्योगिक विपत्ति" भोपाल गैस त्रासदी है, इसने इसे कारखाने के संचालन में असुरक्षित डिजाईन, खतरनाक ढंग से संचालन और बहुत अधिक असावधानी को उत्तरदायी ठहराया है।

91-M/S259LSS—8(a)

अध्यक्ष महोदय : महोदया, आपको अपनी बात बहुत संक्षेप में कहनी होगी।

श्रीमति गीता मुखर्जी : मैं जितना सम्भव होगा उतना संक्षेप में कहने का प्रयत्न कर रही हूं, आपने सभी को अनुमति प्रदान की है। मैं संक्षेप में कहने का प्रयत्न कर रही हू। (**व्यवधान**) मैं आमतौर पर संक्षेप में ही अपनी बात कहती हूं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा लगता है कि आज आप अपनी बात संक्षेप में नहीं कहेंगी।

श्रीमति गीता मुखर्जी : आप रिकार्ड देख लीजिए। मैं आमतौर पर अपनी बात संक्षेप में ही कहती हूं। (**व्यवधान**) अब, यह भी बताया गया है कि गैस पीड़ितों को न्याय की कोई झलक दे पाने में अमेरिका और भारत, दोनों की कानूनी प्रणालियां असफल रही हैं।

मैं अपनी सरकार से यह जानना चाहूंगी कि किस तरह से सरकार की आलोचना की गई है कि हमारी सरकार इतनी मजबूत नहीं थी कि वह न्यायालय से भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को सही न्याय दिला पाती और जब बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हमारे यहां हैं तो भविष्य में भी ऐसी कई घटनाएं घट सकती हैं, उनमें भी न्याय नहीं दिला पाएगी।

मैं आपके माध्यम से सरकार से इसके बारे में जानना चाहूंगी।

[**हिन्दी**]

श्री विश्वेश्वर भगत (बालाघाट) : अध्यक्ष महोदय, एक गम्भीर घटना दिनांक 16-7-91 को 11.00 बजे ग्राम सीतापार, तहसील लांजी, जिला बालाघाट में घटी। नक्सलियों द्वारा एक पुलिस वैन को बारूदी सुरंग बिछा कर उड़ाया गया, जिसमें 9 पुलिसकर्मी मारे गए और 11 लोग घायल है तथा कुछ और पुलिसकर्मियों का पता नहीं है। आए दिन बालाघाट जिले, रजनांन गांव और महाराष्ट्र के भण्डारा जिले से लगे बार्डर से नक्सलियों की एक्टीविटीज जिस तरह से हो रही है, आज उस क्षेत्र में पूरी तरह से जनता में भय और आतंक का वातावरण है। पुलिस का मनोबल जो गिर रहा है उसको पूरी तरह से साज-सज्जा से सुसज्जित करना चाहिए। यह पूरी तरह से नहीं मिल रहा है, इसके लिए एक चीज जरूरी है कि जनता का समर्थन वहां मिलना चाहिए। जनता की समस्याओं को जब तक हम दूर नहीं करेंगे तब तक हमें जनता का सहयोग प्राप्त नहीं होगा। भाजपा सरकार स्थिति पर काबू पाने में पूरी तरह असफल रही है। मेरा निवेदन है कि भाजपा सरकार को बर्खास्त किया जाए। (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री वी. धनंजय कुमार (मंगलौर) : अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक राज्य के किसानों, कृषि मजदूरों और यहां तक कि कारीगरों ने भी 15 जुलाई, 1991 से राज्यव्यापी आन्दोलन शुरू किया हुआ है। यह आन्दोलन सरकारी एजेन्सियों द्वारा बलपूर्वक ऋण की वसूली किए जाने के विरोध में है। हमें खुशी है कि भारत सरकार ऋण माफी के लाभ को व्यापक बनाने के लिए सहमत हो गई है। लेकिन कर्नाटक में सरकार बलपूर्वक ऋण की वसूली कर रही है। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना से कर्नाटक में केवल 10 प्रतिशत कृषक और कृषि मजदूर ही लाभान्वित हुए हैं। क्या मैं

सरकार से अनुरोध कर सकता हूँ कि वह शीघ्रातिशीघ्र मामले में हस्तक्षेप करे और कर्नाटक सरकार को निदेश दे कि वह आगे बलपूर्वक और पीड़ा दायक उपायों से ऋण की वसूली किए जाने को रोके। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम निहोर राय (राबर्टस गंज) : अध्यक्ष जी, जनपद मिर्जापुर व सोनभद्र में स्थित उ० प्र० सीमेंट निगम की तीन फैक्ट्रियों डाला, चुर्क, चुनार को संजय डालमिया ग्रुप के हाथों बेचे जाने व 2 जून 1991 की डाला गोली कांड की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इनकी कीमत 400, 250 व 150 करोड़ है। पिछली सरकार के मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह जी ने इन तीनों फैक्ट्रियों को कौड़ी के भाव यानि 26 करोड़ में बेच दिया। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री राम निहोर राय: 2 जून से गोली कांड की वजह से सीमेंट कारखाने बन्द पड़े हैं। 2 जून को मजदूरों पर गोली चलाई गई जिसकी वजह से 15-16 लोगों की जानें चली गई। इसकी न्यायिक जांच हो और मरने वालों के परिवारों को उचित सहायता दी जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। आप जो बोल रहे हैं वह रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मृत्युंजय नायक (फूलबनी) : अध्यक्ष महोदय, खाड़ी युद्ध से प्रभावित लोगों के लिए कई डिब्बे खाद्य सामग्री और बच्चों के लिए दवाईयां पिछले एक महीने से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रुकी पड़ी हैं। लेकिन यह सत्य है कि सम्बन्धित मन्त्रालय को बार-बार लिखे जाने पर भी इस सामग्री की डिलीवरी के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए मैं अनुरोध करता हू कि इन मदों की डिलीवरी किए जाने के लिए सम्बन्धित विभाग द्वारा तत्काल कार्रवाही की जानी चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कृशिन पटेल (सीवान) : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने इस सदन में घोषणा की थी कि सदन के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर साल में 15 टेलीफोन कनैक्शन दिए जाएगे। चुनाव के समय चुनाव आयोग ने इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन चुनावों के बाद यह रोक नहीं रही। अब वर्तमान मंत्री ने पुनः इस पर रोक लगा दी है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सदन के तमाम माननीय सदस्यों के अधिकारों का सवाल है और ऐसे छोटे-छोटे अधिकारों से माननीय सदस्यों को वंचित करना न्यायोचित नहीं है। दूर संचार मंत्री को बताना चाहिए कि माननीय सदस्यों को यह हक दिया जाएगा।

संचार मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री राजेश पायलट) : ऐसी कोई रोक नहीं लगी है। पिछली सरकार में संचार मंत्री संजय सिंह के वक्त कुछ गड़बड़ियां हुई थीं उस पर विजिलेंस चल रही है। मैंने कहा है कि यह कंटीन्यू रहेगा और इस पर कोई रोक नहीं लगी है।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : क्या गड़बड़ी हुई थी ?

श्री राजेश पायलट : वह आपको मुझ से ज्यादा पता है।

श्री रामप्रकाश चौधरी (अम्बाला) : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब आप पहले भी इस कुर्सी पर विराजमान थे तब भी मैंने इस मामले को उठाया था और अब फिर उठा रहा हूं। पंजाब में जो भी मर्डर होते हैं, ये मर्डर उग्रवादी नहीं, बल्कि पुलिस करती है इसको सब जानते हैं। उस पुलिस को अगर बिहार या उड़ीसा में भेज दिया जाए तो पंजाब में क्राइम और मर्डर बन्द हो जाएंगे। अगर यह नहीं कर सकते हैं तो पंजाब पुलिस को चार जोन में बांट दें।

[अनुवाद]

वे सोचते हैं कि पंजाब और हरियाणा के राजा हैं और वे इन कत्लों और हत्याओं के जिम्मेदार हैं।

[हिन्दी]

अगर यह नहीं होगा तो वहां कत्ल और उग्रवाद होता ही रहेगा क्योंकि ये उग्रवादियों की मदद करते रहेंगे। अगर आप ये बातें कर देते हैं तो पंजाब में किसी तरह का आतंकवाद नहीं रहेगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, मैं जिस विषय पर सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं यह अत्यन्त गम्भीर विषय है। मण्डल कमीशन का केस सुप्रीम कोर्ट में है . . .

अध्यक्ष महोदय : वह हो गया है।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह गम्भीर चीज है, वह अभी पूरी नहीं हुई। अगर गोल्ड पर 6 आदमियों को मौका दे सकते हैं तो इस पर भी आपको हमें बोलने का मौका देना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह मामला इस देश के 52 फीसदी लोगों का जिन्दगी और दूसरे अधिकार के साथ सम्बन्ध रखता है . .

अध्यक्ष महोदय : गम्भीर मामला आप जीरो आॅवर में उठाना चाहेंगे ?

श्री चन्द्रजीत यादव : इसकी आज बड़ी अहमियत है। सुप्रीम कोर्ट के साथ जिस तरीके से यह सरकार व्यवहार कर रही है उससे एक बात बहुत साफ हो गई है कि सरकार मण्डल कमीशन के केस की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में ठीक से नहीं करना चाहती है। इस सरकार का जो पिछड़ा वर्ग विरोधी चरित्र है वह चरित्र इस केस को लेकर पूरी तरह से उजागर हो गया हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ पांच न्यायाधीशों ने इस बात को कहा है कि यह सरकार स्पष्ट नीति के साथ नहीं आना चाहतीहै। मैं आपको बता दूं कि इस सरकार ने दुहाई दी कि हम अपने घोषणा पत्र को पूरी तरह से लागू करना चाहते हैं। इन्होंने अपने घोषणा-पत्र के पेज 32 के अन्दर यह कहा था कि

सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके उत्थान के लिए आरक्षण सहित हम उनके लिए काम करेंगे। इन्होंने यह भी कहा था कि चालीस साल में हमने जो आरक्षण दिया था उसका श्रेय लेते हुए उन्होंने कहा कि केन्द्र में भी हम उसको लागू करेंगे।

यह अपने घोषणा-पत्र का 32 पेज पढ़ लीजिए और फिर नहीं कर रही है। उसके बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, उसमें पेज न० 9 देख लीजिए उसमें.....

अध्यक्ष महोदय : ऐसा अगर आप करेंगे.....

श्री चन्द्रजीत यादव : श्रीमान्, यह बहुत गम्भीर बात है (**व्यवधान**) श्रीमन्, यह मामला तो आपको सुनना पड़ेगा। मेरी बात तो सुनिए। चूंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा पर सुप्रीम कोर्ट के इनके वकील ने कहा कि मण्डल कमीशन के ऊपर हमारी राय वही है जो हमारे राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इन्होंने मण्डल कमीशन का नाम तक नहीं लिया है। (**व्यवधान**)

अनेक माननीय सदस्य : नहीं लिया है, नहीं लिया है।

श्री चन्द्रजीत यादव : अब चूंकि यह कह रहे हैं तो मैं पढ़ना चाहूंगा। इन्होंने पेज 10 पर राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यह कहा कि

[**अनुवाद**]

"सरकार सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी श्रेणियों के लोगों के वास्ते विशिष्ट उपाय करने के लिए वचनबद्ध है। ऐसे उपायों को क्रियान्वित करने में, ऐसी श्रेणियों से गरीब वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी"।

[**हिन्दी**]

और अपने मैनिफैस्टो में कांग्रेस पार्टी ने कहा है, आप यह भी सुन लीजिए :

[**अनुवाद**]

"कांग्रेस पार्टी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी श्रेणियों के लोगों के वास्ते विशिष्ट उपाय करने के लिए वचनबद्ध है, जिनमें नौकरियों में आरक्षण भी शामिल है।"

और यह इन्होंने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बिल्कुल छोड़ दिया एवं रिजर्वेशन की चर्चा उन्होंने बिल्कुल नहीं की और अब ये कह रहे हैं कि हमने जो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कहा है, वही हमारा स्टैंड मण्डल कमीशन के ऊपर है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप हमको स्पेसिफिकली बतलाइए कि आपका मापदण्ड सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए क्या है या आप उसमें एक्नॉमिक क्राईटीरिया लगाना चाहते हैं, इसको आप हमें बताइए।

श्रीमन्, मेरा चार्ज यह है कि यह सरकार बैकवर्ड क्लास विरोधी सरकार है, यह आरक्षण की पूरी नीति को बदलना चाहती है। यही नहीं मण्डल कमीशन पर बल्कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों की आरक्षण नीति को डाईलूट करना चाहती है और यह सरकार ऐसे गम्भीर प्रश्नों के ऊपर अपना कोई रुख नहीं लेना चाहती है और जो कमिटमैंट जनता के सामने किए हैं, आज उसको बैक-आऊट कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : नाऊ कनकलूड . .

श्री चन्द्रजीत यादव : इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस केस की ठीक से पैरवी न करके यह चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मण्डल कमीशन के खिलाफ हो जाए तो इनको बहाना मिलेगा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने मण्डल कमीशन के खिलाफ फैसला किया है, इसलिए हम लागू नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनका यह सोचा-समझा, डेलीब्रेट एक्शन है क्योंकि कार्यान्वित यह इप्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं। हमें इनकी नीयत पर शक है। (**व्यवधान**)

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस बात पर वेदना प्रकट करना चाहता हूं। सख्त एतराज करना तो शायद यादव जी जैसे सीनियर मैम्बर के लिए मेरा कहना उचित नहीं होगा। मैं केवल अपनी वेदना व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने केवल अपनी भावनाओं में बहकर जो आरोप सरकार पर लगाया है कि हम लोग पिछड़े वर्ग के हितों और अधिकारों के खिलाफ मानसिकता बनाए हैं, हमारा चरित्र ऐसा है, यह सरासर गलत है (**व्यवधान**) अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप अगर बोल सकते हैं तो सुनने की भी आप कृपा करें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आपकी नियत खराब है, आपकी नीयत गलत है।

श्री अर्जुन सिंह : अगर आप बोल सकते हैं तो सुनने की भी कृपा करें। ऐसा नहीं कि आप बोल सकते हैं इस सदन में। आप अपनी बात कहें लेकिन मुझे भी अपनी बात कहने का अधिकार है। अध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल गलत है कि सरकार पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति या जनजातियों के लोगों के हितों–आरक्षण के समेत उनको किसी प्रकार से अनदेखा करना चाहती है, यह कतई गलत है। जहां तक सवाल मण्डल का है, मैं समझता हूं कि मण्डल का नाम संदर्भवश आया है।

संदर्भ यह है कि आरक्षण होना चाहिए उस कमीशन के नाम से, यह बात सामने आई है। क्या यह जरूरी है? (**व्यवधान**) आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह जरूरी है कि जब कभी आरक्षण किया जाए, तो प्रस्तावना पहले मंडल की की जाए? (**व्यवधान**) हम आरक्षण के पक्ष में हैं। हम आरक्षण करेंगे और अपने तरीके से करेंगे। (**व्यवधान**)

श्री रामविलास पासवान : मंडल कमीशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है। आपको उस पर कहना चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री चन्द्रजीत यादव : अध्यक्ष महोदय, मामला मंडल कमीशन का है। (**व्यवधान**) सुप्रीम कोर्ट ने मंडल कमीशन की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट में आज मंडल कमीशन के सवाल पर यहां चर्चा हो रही है और आप यहां मंडल कमीशन के ऊपर अपना फैसला नहीं देना चाहते हैं। यह हमारे लिए भी वेदना की बात है कि मंडल कमीशन के ऊपर आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं। (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह एक बुनियादी मामला है। भारत का उच्चतम न्यायालय इस देश में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है। यह 27 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी श्री वी० पी० सिंह की सरकार द्वारा स्वीकृत मंडल आयोग की सिफारिशों की संवैधानिकता की लम्बे समय से जांच कर रहा है।

श्री राजेशपायलट : यह रिपोर्ट समुचित रूप से स्वीकार नहीं की गई है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: नई सरकार को सत्ता में आए तीन सप्ताह से अधिक का समय हो गया है। उच्चतम न्यायालय जानना चाहता है कि वर्तमान सरकार का 27 प्रतिशत आरक्षण के प्रति क्या दृष्टिकोण है? उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह यह जानना चाहता है, यदि सरकार नीति में परिवर्तन कर रही है, यदि सरकार उस अधिसूचना पर कायम नहीं है तो इस विषय की जांच करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, क्योंकि श्री वी० पी० सिंह की सरकार की उस अधिसूचना की प्रमाणिकता ही मुख्य मुद्दा थी। अब उच्चतम न्यायालय यह जानना चाहता है कि सरकार की नीति क्या है ?

यह मामला कल उठाया गया था। सदन के नेता ने कहा था, हमें यहां कहने की आवश्यकता नहीं है कि क्या किया जाना है, उच्चतम न्यायालय के समक्ष जो कुछ कहा जाना है, हम कह देंगे। अब देखें उच्चतम न्यायालय के समक्ष पहले क्या कहा गया है ? न्यायाधीशों ने इस बारे में कहा है :

> "उन्होंने वकील द्वारा राष्ट्रपति के संसदविदों के समक्ष दिए गए अभिभाषण को पढ़े जाने के किए गए अनुरोध पर अप्रसन्नता व्यक्त की, जिसमें इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि सरकार जनता दल सरकार द्वारा प्रस्तावित आरक्षण नीति का समर्थन करती हैं या विरोध करती है।"

उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है। इसलिए वे वर्तमान सरकार की नीति के बारे में अब भी अन्धेरे में हैं, जिसके कारण देश के सबसे बड़े न्यायालय को यह कहना पड़ा कि जब आप आर्थिक नीतियों को तीन दिन में तैयार कर सकते हैं, तो आप अपनी आरक्षण नीति तैयार क्यों नहीं कर सकते ?

अध्यक्ष महोदय : आप समाचार पत्र में प्रकाशित उच्चतम न्यायालय के निर्णय के उद्धरण से पढ़ रहे हैं। यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हू वह यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के सामने सरकार की तरफ से क्या कहा गया। सरकार को बताना चाहिए कि यह ठीक है अथवा नहीं।

श्री अहमद ने निम्नवत् कहा :

> "आरक्षण पर नीति तैयार करना कोई आसान कार्य नहीं है, क्योंकि सरकार को आरक्षण के लिए ज्ञापन में सशोधन करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों पर विचार करना पड़ेगा।"

1.00 म० प०

इसलिए सरकार ज्ञापन में संशोधन करना चाहती है। हम जानना चाहते हैं कि सरकार निर्णय लेने में कितना समय लेगी। श्री अर्जुन सिंह ने कहा, 'मण्डल' शब्द में कोई विशिष्ट विलक्षणता नहीं है। लेकिन पिछली सरकार द्वारा आरक्षण के जो मूल सिद्धांत बताए गए हैं, आप उन्हें स्वीकार कर रहें हैं या नहीं ? आप 'हां' या 'नहीं' क्यों नहीं कह सकते ? यही वास्तविक मसला है। सरकार को सुस्पष्ट वक्तव्य देना चाहिए। यही हम चाहते हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को यह जानना चाहिए कि वे इस स्थिति में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते, क्योंकि जो कुछ हम अब कर रहें हैं, वह नियमों में नहीं दिया गया है। और जब आप इस तरह चर्चा कर रहे हैं तो आप व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते। यह एक मुद्दा है।

दूसरा मुद्दा यह है कि आपके अपने विचार हैं। आपने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ, अन्य सदस्यों के भी उनके अपने विचार होंगे। सम्भवत: उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का अवसर नहीं मिल पाए और इसलिए यह फिर एक तरफा तसवीर ही रह जाएगी। अब आप इस विषय पर कोई चर्चा करना चाहें तो बहुत से ऐसे अवसर आएंगे जब आप यह चर्चा कर सकते हैं। इस प्रकार दोनों पक्ष अपने-अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रश्न यह है कि उच्चतम न्यायालय के सामने क्या हुआ। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्लीज़, सोनकर जी, आप बैठ जाइये।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (संदपुर) : आप हमें 50 बार बैठा चुके हैं परन्तु बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आपको बैठना पड़ेगा क्यों कि अभी मैं खड़ा हूं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यदि आप कहें तो हम हाउस से उठकर बाहर चले जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आपको बैठना पड़ेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिये, वही बात होती है, मैं आपको ही प्रोटैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप हमें 50 बार बैठा चुके हैं, हमें प्रोटैक्ट कीजिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूं। आप मेहरबानी करके बैठिए। देखिये, सोनकर जी इधर से बोलना चाहते हैं लेकिन दूसरे मैम्बर अपना बोलना खत्म करें तभी तो सोनकर जी बोल सकते हैं और मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूं।

[अनुवाद]

कृपया आप बैठ जाइये। जब मैं बोल रहा हूं तो आप खड़े न हों।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं 50 बार उठकर बैठ चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : जब दूसरे बोलना खत्म करें तभी तो आप शुरु कर सकते हैं। मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूं।

[अनुवाद]

आप समझ सकते हैं कि हम एक घन्टे का समय ले चुके है। मैं यह चाहता हूं कि सभी सदस्यों को समान समय मिले। यदि आप अन्य सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं देगें तो मेरे पास ऐसा कोई यन्त्र नही है जिससे मैं किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकूं। इसलिये कृपया सुनो और मेरे साथ सहयोग करो। यह आपके हित में है। मैं सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं बोल रहा हूं। कृपया, सोनकर जी, मैं आपके लिये ही समय पाने का प्रयास कर रहा हूं। आपको सहयोग करना चाहिये और अन्य सदस्यों को भी सहयोग करना चाहिये। इस विषय पर जो कार्यसूची में नहीं है हम एक घन्टे का समय ले चुके हैं। और जो विषय कार्य सूची में है, वह टाल दिया गया है। यह आपके अपने हित में है। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप अपने विचार व्यक्त करके कोई गलत कार्य कर रहे हैं। लेकिन अन्य सदस्य बोलना चाहते हैं। यही कारण है कि आप मुझे आपके बोलने के लिये ही अपनी सहायता करने की अनुमति दें। कृपया दूसरे सदस्यों को भी अनुमति दें। जो सदस्य अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं, उन्हें खड़ा नही होना चाहिये और अन्य सदस्यों को बोलने की अनुमति दी जानी चाहिये। उनके भी अपने विचार है : श्री सोनकर।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री सोनकर का नाम लिया है। श्री एन्थनी, आपको मैं बाद में अवसर दूंगा।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : वैसे मैंने नोटिस तो किसी और विषय पर दिया था लेकिन उससे भी गम्भीर मसला माननीय मंत्री जी ने यहां उठा दिया है। इस पार्लियामैंट के अंदर कम से कम पिछले 10 वर्षों में, मेरा ख्याल है कि 200 घन्टे तक मण्डल कमीशन के ऊपर बहस हुई है और काफी महत्वपूर्ण बहस हुई, रात के एक बजे तक बैठकर हाउस ने वह चर्चा की, एक बजे तक पार्लियामैंट चलती रही, मण्डल कमीशन की सिफारिशों को लेकर। स्व० श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के समय से यह देश महसूस कर रहा था कि मण्डल कमीशन की सिफारिशों को लागू करना चाहिए। इस हाउस के दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष, सहमत थे लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बदली जिनमें मण्डल कमीशन की रिपोर्ट यहां से वहां चलती गयी, चलती गयी।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या कर रहे हैं आप।

(**व्यवधान**)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : पिछली सरकार ने उस मण्डल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया परन्तु आज माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने सदन में स्पष्ट रुप से इंकार कर दिया है. . . (**व्यवधान**) . . .

मैं आज यह बड़े ताज्जुब की बात सुन रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप तो पूरा भाषण दे रहे हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : माननीय मानव संसाधन विकास मन्त्री ने इस हाउस में, स्पष्ट रुप से इन्कार कर दिया है कि मण्डल कमीशन की रिपोर्ट कोई चीज नही है बल्कि हम अपने तौर से, अपने तरीके से मण्डल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। (**व्यवधान**) श्रीमन्, हिन्दुस्तान की करोड़ों जनता के लिये यह बड़ा ही दर्द और दुखभरा मामला है और मानव संसाधन विकास मन्त्री के वक्तव्य के विरोध में हम इस सभा से बहिगमन करते हैं (**व्यवधान**)

श्री चन्नजीत यादव : हम विरोध स्वरुप बाहर जा रहे हैं।

1.05 म. प. (**इस समय श्री चन्नजीत यादव और कुछ अन्य सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गये।**) . . . (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर, मैं इस सदन में निवेदन करना चाहता हूं कि मोहन नगर, उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े उद्योगपति ने अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए वायुसेना और थल सेना के सैनिकों को अपने जन्मदिन पर बुलवाकर उनसे रक्तदान करवाया। सैनिकों से जबर्दस्ती रक्तदान करवाना एक प्रकार से गलत है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि कोई कितना ही बड़ा उद्योगपति क्यों न हो, इस प्रकार के कार्य नहीं होने चाहिए और इस उद्योगपति के बारे में तो कहा जाता है कि यह शराब की सप्लाई करने वाला दलाल है। ऐसे व्यक्ति के जन्म दिवस पर हिंडन हवाई अड्डे से वायु सैनिकों को बुलवाना और थल सेना के सैनिकों को बुलवाना, अपने प्रभाव का दुरुप्रयोग करना, सेना के जवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। मेरी सरकार से मांग है कि इस प्रकार के आचरणों को रोका जाए। (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र लेंगे।

1.06 म. प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

पुनर्वास बागान लिमिटेड पुनालुर और रिपेट्रीएट्स कोआपरेटिव फाइनेंस एंड डवलपमेंट बैंक लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1989–90 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम जैकब) : श्री एस०बी० चव्हाण की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) पुनर्वास बागान लिमिटेड, पुनालुर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) पुनर्वास बागान लिमिटेड, पुनलूर का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (i) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल०टी० 63/91]

(3) (एक) रिपेट्रीएट्स कोआपरेटिव फाइनेंस एंड डिवलपमेंट बैंक लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे ।

(दो) रिपेट्रीएट्स कोआपरेटिव फाइनेंस एंड डिवलपमेंट बैंक लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 64/91]

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1991 द्वारा तत्काल विधान बनाने के लिए कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : श्री के० विजय भास्कर रेड्डी की ओर से मैं तत्काल विधान बनाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक टिप्पण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 65/91]

नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1989–90 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

दूरसंचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : श्री वी० सी० शुक्ला की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (i) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (i) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 66/91]

भारतीय डाकघर अधिनियम, 1948 और भारतीय तार अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय डाक घर अधिनियम, 1898 की धारा 74 के अंतर्गत जारी भारतीय डाक घर (पहला संशोधन) नियम, 1991, जो 1 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 3(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी० 67/91]

(2) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय तार (चौथा संशोधन) नियम, 1990, जो 20 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 985 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका शुद्धि-पत्र 25 अप्रैल 1991 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 237(अ) में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) भारतीय तार (पहला संशोधन) नियम, 1991, जो 2 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 74 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) सा० का० नि 251 (अ), जो 2 मई, 1991 के भारत के राजपत्र म प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 3 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 933(अ) का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

(3) उपर्युक्त (2) के भाग (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०68/91]

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत अधिसूचना

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): मैं दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 490 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या यू० 14011/160/89-दिल्ली, जो 3 मई, 1991 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 6 जनवरी, 1990 की अधिसूचना संख्या यू०14011/160/89-दिल्ली में कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 69/91]

आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के अन्तर्गत अधिसूचना और तमिलनाडु कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, मद्रास तथा पंजाब कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 1989–90 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षाएं

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तुअधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 397 (अ), जो 14 जून, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 1 अप्रैल, 1991 से 31 सितम्बर, 1991 तक की अवधि के दौरान (खरीफ, 91 मौसम) घरेलू उर्वरक निर्माताओं द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/वस्तु बोर्ड को उर्वरक की पूर्ति बताने वाला आदेश दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं० एल. टी. 70/91]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) तमिलनाडु कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) तमिलनाडु कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल. टी. 71/91]

(ख) (एक) पंजाब कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चंड़ीगढ़ के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) पंजाब कृषि उद्योग लिमिटेड, चंड़ीगढ़ का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल. टी. 72/91]

(4) (एक) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल. टी. 73/91)

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली और विदेश संचार निगम लिमिटड, मुम्बई के वर्ष 1989–90 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा की गई समीक्षा

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडु) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 74/91)

(ख) (एक) विदेश संचार निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) विदेश संचार निगम लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 75/91)

1.07 म. प.

राज्य सभा का संदेश

महासचिव : महोदय : मुझे राज्य सभा क महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की जानकारी देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया संबंधी नियमों और कार्य-संचालन के नियम iii के प्रावधानों के अनुसार, मुझे जनप्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1991 को, जिसे राज्य सभा ने 16 जुलाई, 1991 को हुई अपनी बैठक में पारित कर दिया है एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

जनप्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1991

राज्य सभा द्वारा यथा पारित

महासचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा यथापारित जनप्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1991 को सभा पटल पर रखता हूं।

1.07 म. प.

समिति के लिए निर्वाचन

राज्यभाषा समिति

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम लाल राही) : महोदय, मैं श्री एस० बी० चव्हाण की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में, लोक सभा के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनार्थ हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करने तथा उन पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के अनुसरण में अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में, लोक सभा के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनार्थ हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करने तथा उन पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को, एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के अनुसरण में अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव पारित हुआ।

1.08 म. प.

कार्य मंत्रणा समिति

पहला प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव लाना चाहता हूं :

"कि यह सभा 17 जुलाई, 1991 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के पहले प्रतिवेदन से सहमत है।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 17 जुलाई, 1991 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के पहले प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

1.09 म. प.

सभापति तालिका

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन को सूचित करता हूं कि प्रक्रिया संबंधी नियमों के नियम 9 के अधीन मैंने श्री पी० एस० सईद को सभापति तालिका में नाम निर्दिष्ट किया है ।

श्री फ्रैंक एन्थनी (मनोनीत आंगल भारतीय) : मैं विषय पर गोल-गोल बातें सुन रहा था । लेकिन एक चीज हमारे मस्तिष्क में साफ था और वही प्रश्न मेरे दोस्त उन्नीकृष्णन ने उठाया । मेरे मन से वह एक बड़ा मुद्दा था। इसकी पुष्टि मेरे पुराने मित्र श्री अटल बिहारी वाजपेयी किये कि सोने के हस्तान्तरण के प्रश्न को स्पष्ट किया जाना चाहिए । मंत्री जी यहां आये.....

अध्यक्ष महोदय : वे 4 बजे इस पर अपना वक्तव्य देंगे ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : जहां तक मंडल आयोग का संबंध है मैंने केवल यह कहना चाहा.....

अध्यक्ष महोदय : वह बात बीत गई । हमने प्रश्न का दूसरा पहलू उठाया है ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : मैंने इसका विरोध किया था और श्रीमती इंदिरा गांधी ने मुझे इसे स्वीकार करने के लिए बधाई दी थी..... **(व्यवधान)** वह बोली कि यदि इसे मुझ पर छोड़ दिया जाए तो मैं चाहूंगी कि पिछडे वर्ग के लोगों को सामाजिक शब्दावली से निकाल दिया जाए.....

अध्यक्ष महोदय : हमने दूसरा प्रश्न उठाया है ।

1.11. म. प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) कावेरी जल-विवाद न्यायाधिकरण के अंतरिम आदेश को अभी लागू न किए जाने की आवश्यकता :

श्रीमती बासव राजेश्वरी (बेल्लारी) : कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण ने प्रति वर्ष तमिलनाडु को 205 टी० एम० सी० फुट कावेरी नदी का पानी देने के बारे में अंतरिम आदेश पारित किया है । तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश के मुकाबले कर्नाटक में सिंचित भूमि का क्षेत्रफल काफी कम है । यदि उपर्युक्त अंतरिम आदेश कार्यान्वित किया जाता है तो कर्नाटक के सिंचित भूमि के क्षेत्र में और कमी आ जाएगी और इसकी सारी प्रगति रुक जाएगी। कर्नाटक के रैयत (किसान) पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। यह आदेश अवैज्ञानिक और अनुचित है। उपरोक्त न्यायाधिकरण के अंतरिम आदेश

के प्रति लोगों में पहले ही व्यापक असंतोष और क्षोभ है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त अंतरिम आदेश पारित न किया जाए तथा इसे स्थगित रखा जाए और इस विवाद को आपसी बातचीत से सुलझाने का अवसर दिया जाए।

(दो) बाड़ी बरसिंहसर राजस्थान के उन किसानों को, जिनकी भूमि ताप लिग्नाइट संयंत्र के लिए अधिग्रहीत की गई थी, देय मुआवजे की राशि में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मनफूल सिंह (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, बासी बरसिंहसर में थर्मल प्लांट लिग्नाइट के आधार पर बनाने की स्वीकृति मिली हुई है तथा इसकी आधारशिला रखने की पूरी योजना सन् 1989 के अक्तूबर में पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के कर-कमलों से रखी जानी थी, लेकिन किसी कारण यह उस समय नहीं की जा सकी।

बासी बरसिंहसर के किसानों की जमीन के मुआवजे का प्रश्न भी ज्वलंत समस्या बनी हुई है क्योंकि बीघे का मुआवजा किसानों को मात्र 2500 रुपए मय ब्याज दिया जा रहा है जो कि अत्यधिक कम है।

बासी बरसिंहसर गांव बीकानेर शहर के बहुत नजदीक बसा हुआ है। इस गांव की जमीनें बीकानेर शहर की हद तक सटी हुई हैं। इसलिए बाजार भाव इन जमीनों का 10,000 रु० से 15,000 रु० प्रति बीघा है। दूसरा प्रश्न यह भी है कि इस गांव के किसानों के पास 10–15 बीघा से ज्यादा जमीन की होल्डिंग नहीं है। इसलिए 2,500 रु० (पच्चीस सौ रुपया) प्रति बीघा मुआवजा अत्यधिक कम है क्योंकि किसान लोग अपने गांव छोड़ कर दूसरी जगह जाएंगे तथा दूसरी जगह जमीन खरीदेंगे तो उनकी आजीविका चलने वाली नहीं है।

अतः भारत सरकार को जमीन के मुआवजे के प्रश्न पर पुनः विचार करना चाहिए।

(तीन) मध्य प्रदेश में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र लगाने की मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री सरताज सिंह (होशंगाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि एच० बी०जे० गैस पर आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना में मध्यप्रदेश के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो रहा है। एच० बी० जे० गैस पाइप लाइन मध्यप्रदेश में 550 किलोमीटर क्षेत्र से गुजरती है। मध्यप्रदेश विद्युत मंडल द्वारा गैस पर आधारित विद्युत ताप संयंत्रों का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया है लेकिन किसी भी प्रस्ताव की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा नहीं दी गई जब कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान के 8 विद्युत संयंत्रों को स्वीकृति दी जा चुकी है। इससे स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है।

550 मेगावाट प्रति संयंत्र क्षमता के ये संयंत्र झाबुआ, राजगढ़, गुना एवं ग्वालियर जिलों में स्थापित करने का प्रस्ताव है। चारों जिलों से एच० बी० जे० गैस पाइप लाइन गुजरती है। इन संयंत्रों की स्थापना से यह मध्य प्रदेश के विकास में तो सहायक होगा ही साथ ही राष्ट्रीय बिजली की कमी दूर करने में भी सहायक होगा। अभी मध्य प्रदेश में 20 प्रतिशत बिजली की कमी है जो कि 8 वर्षों में बढ़ कर 35 प्रतिशत होने का अनुमान है। इसलिए आवश्यक है कि गैस आधारित इन विद्युत संयंत्रों की स्वीकृति शीघ्र दी जाए। मध्य प्रदेश के 550 किलोमीटर क्षेत्र से गैस पाइप लाइन गुजरने के बावजूद मध्य प्रदेश को केवल 10 प्रतिशत गैस का उपयोग करने दिया जाता है जब कि उत्तर प्रदेश का हिस्सा 66 प्रतिशत है। अनुरोध है कि इस विसंगती को शीघ्र दूर किया जाए।

(चार) गुजरात में अहमदाबाद जिले के धन्धुका, विरमगांव और छोलेरा में उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता ।

श्री रति लाल वर्मा (धन्धुका) : अध्यक्ष महोदय, अहमदाबाद जिले के धन्धुका, विरमगाम, छोलेरा और गढ़डा जिला में तो हमेशा सूखा पड़ता है। परिणामस्वरूप यहां के ग्राम वनों को गांव छोड़ कर शहर की ओर जाना पड़ता है। इसलिए मेरा उद्योग मंत्री से निवेदन है कि उपरोक्त जिलों में भारत सरकार के सहयोग से कोई भी उद्योग स्थापित किये जाएं जिससे वहां की ग्राम्य गरीब जनता को रोजी-रोटी उपलब्ध हो सके। गरीबों के विकास के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बजट में इसका प्रावधान किया जाएगा।

(पांच) ब्राह्मणी नदी पर बने जाकोडिया बांध को पुनः चालू करने के लिए उसकी मरम्मत किए जाने की आवश्यकता ।

[अनुवाद]

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर): ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ब्राह्मणी नदी पर जकोड़िया बांध का निर्माण किया गया था। परिणामस्वरूप इसके बनने से चन्दाबली से कटक तक नाव में यात्रा करने में सहायता मिलती बल्कि कटक और बालासोर जिले के काफी बड़े क्षेत्र की सिचाई भी होती है।

बाद में यह बांध काम में नहीं लाया गया। इस समय रेंगाली बांध का पानी ब्राह्मणी नदी द्वारा समुद्र में बह जाता है। जकोड़िया बांध को मरम्मत करके उससे जाजपुर उप-मंडल के रसालपुर, बारी और जाजपुर प्रखडों की लाखों एकड़ भूमि की सिचाई के लिए इस फालतू पानी का उपयोग किया जा सकता है।

इसके अलावा फालतू पानी वैतरणी नदी में बहाया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप वैतरणी नदी पर स्थित रुधिया बांध से जाजपुर उप-मंडल के सिंचित क्षेत्र को जो पानी मिलेगा उससे दुगुनी फसल लेने में मदद मिलेगी।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस परियोजना को लागू करने हेतु शीघ्र कदम उठाए।

(छः) कोयला खान उद्योग के श्रमिकों की दशा में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : महोदय, कोयला उद्योग जो कि ऊर्जा के काफी बड़े भाग की आपूर्ति करता है, में हाल ही में काफी बड़े पैमाने पर यंत्रीकरण करने के बावजूद भी पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं होता है। अत्यधिक लागत पर आयातित अधिकांश मशीनरी भारतीय भू-खनन परिस्थितियों के अनुकूल सिद्ध नहीं हुई। इससे हमारे देश में उत्पादित कोयले की लागत बढ़ रही है। इस मामले पर विचार करने के लिए नियुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है परन्तु इसे काफी अधिक सीमा तक लागू नहीं किया गया।

खदान कार्य हेतु जिन लाखों लोगों को विस्थापित करके उनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है उन्हें वायदे के मुताबिक रोजगार नहीं दिया गया और उनके पुनर्वास की ओर भी ध्यान नहीं दिया गया।

खान भूमि के धंसने और आग और गैस से कोयला खदान पट्टी में अनेक सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं और लोग दूषित व संकटपूर्ण वातावरण में रह रहे हैं।

रानीगंज और धनबाद-झरिया कोयला पट्टियों की दशा अत्यन्त दयनीय है। संयुक्त द्विपक्षीय समिति द्वारा कोयला उद्योग के कर्मचारियों को दिये गए वायदों को प्रबन्धकों द्वारा लागू नहीं किया गया है। संयुक्त रूप से बनाई गई पेंशन योजना को भी लागू न किए जाने पर कोयला खनिकों में अत्यधिक रोष व्याप्त है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि मामले को सुलझाने के लिए शीघ्रता से कार्यवाही करें।

(सात) अनूपगढ़, राजस्थान में उच्च शक्ति वाला रिले केन्द्र शीघ्र स्थापित किए जाने की मांग।

श्रीमति वसुन्धरा राजे (झालावाड़) : महोदय, मैं इस सदन का और विशेष रूप से सूचना तथा प्रसारण मंत्री का ध्यान राजस्थान के लोगों से संबंधित एक अत्यधिक गम्भीर विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूं।

राजस्थान के सीमावर्ती शहरों के निवासी जिनकी पाकिस्तान से सीमा लगती है वे पाकिस्तान दूरदर्शन और रेडियो के सांस्कृतिक दुष्प्रचार को रोकने का सभी संभव प्रयास कर रहे हैं। कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों के न होने के कारण राजस्थान के लोगों को पाकिस्तान टीवी/रेडियो से प्रसारित कार्य क्रमों को देखना पड़ता है जिसमें वे अपना प्रचार करते हैं तथा जम्मू व कश्मीर के बारे में मनमाने-तरीके से समाचार देते हैं और साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश करते हैं। वे आतंक-वादियों को मुजाहिद कहते हैं और उनके द्वारा मारे गए भारतीय अधिकारियों को हिन्दू अधिकारी कहते है और भारत की बहुत ही गलत तस्वीर पेश की गई है।

कुछ समय पूर्व अनूपगढ़ में एक 10 कि० वा० के रिले केन्द्र स्थापित किए जाने की मंजूरी दी गई थी परन्तु दुर्भाग्यवश इसकी स्थापना में विलम्ब होने से लोगों को पैसा एकत्र करना पड़ा और वे स्थानीय निकायों से अनुदान देने के लिए अनुरोध कर रहे हैं ताकि 'केबल टेलीविजन' के लिए निःशुल्क कनेक्शन देने हेतु 'डिस्क एंटीना' खरीदा जाए ताकि उन्हें पाकिस्तानी संस्कृति के प्रचार से बचाया जा सके और साथ ही युवा वर्ग पर इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से रोका जा सके।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए, मेरा सरकार से अनुरोध है कि शीघ्र ही अनूपगढ़ रिले केन्द्र स्थापित किया जाए और पाकिस्तान द्वारा इस सांस्कृतिक दुष्प्रचार को रोकने के लिए आवश्यक/महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएं।

(आठ) केरल में पुनलुर कागज मिल को पुनः खोले जाने की मांग

श्री कोड्डीकुनील सुरेश (अडूर) : महोदय, केरल के अडूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पुनाललुर पेपर मिल ही एक मात्र उद्योग है। भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लि० द्वारा रिसीवर की नियुक्ति के कारण यह बन्द पड़ा है। कारखाने के पांच हजार श्रमिक कारखाने में काम करने वाले एक हजार कर्मचारी और वन क्षेत्र में काम करने वाले 4 हजार कर्मचारी भूखे मर रहे हैं। इससे पुनालूर शहर की अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यदि कारखाने को पुनः चालू किया जाता है तो इससे राज्य सरकार को 5 करोड़ रु० बिक्री कर और केन्द्रीय सरकार को 10 करोड़ रु० उत्पाद-शुल्क के रूप में प्राप्त होंगे।

भारत औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लि० ने कारखाने को मशीनें बेचने की पहल की है। इस संबंध में समाचार-पत्रों में भी विज्ञापन दिए गए हैं। मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करके पुनालूर पेपर मिल को पुनः चालू करे।

मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि वह औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लि० को रिसीवर को हटाने और मिल को पुनः चालू करने के लिए शीघ्र निदेश दे।

1.23½ म० प०

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे और इससे पहले कि हम इस विषय को लें, मैं सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि इस चर्चा के लिए 9 घंटे का समय नियत किया गया है। कांग्रेस (इ) के लिए 3 घंटे 29 मिनट का समय निर्धारित किया गया; उन्होंने 3 घंटे 6 मिनट का समय लिया; भारतीय जनता पार्टी के लिए 1 घंटा 54 मिनट का समय निर्धारित किया गया, उन्होंने एक घंटा 10 मिनट का समय लिया; जनता दल के लिए 54 मिनट का समय निर्धारित किया गया था, उन्होंने 1 घंटा 27 मिनट का समय लिया, और सी पी आई के लिए 34 मिनट का समय निर्धारित किया गया था, उन्होंने 56 मिनट का समय लिया। मैं अन्य छोटे दलों के लिए निर्धारित समय के बारे में उल्लेख नहीं करना चाहता हूं।

क्योंकि इस समय समय कम है, मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे बहुत ही संक्षेप में और केवल उन्हीं मुद्दों पर बोलें जिन पर पहले चर्चा नहीं हुई है ताकि अन्य सदस्यों को भी बोलने का अवसर प्राप्त हो। मैं एक सदस्य के बाद दूसरे सदस्य का नाम पुकारूंगा और मुझे आशा है कि वे इस मामले में सहयोग करेंगे। **श्री चाक्को**

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : महोदय, मैं मणिपुर पीपल्स पार्टी का सदस्य हूं।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप बोलना चाहते हैं ?

श्री याइमा सिंह युमनाम : जी हां। मेरी पार्टी को समय नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय: जिन सदस्यों ने समय लिया है, मैंने उनको उल्लेख किया है। यह केवल आपको जानकारी देने के लिए है कि समय कम है और हमें समय के साथ समझौता करना होगा।

श्री याइमा सिंह युमनाम: धन्यवाद महोदय।

अध्यक्ष महोदय : श्री पी०सी० चाक्को।

श्री पी० सी० चाक्को (त्रिचूर) : अध्यक्ष महोदय, सभा की बैठक स्थगित होने से पूर्व मैं एक मुद्दे का उल्लेख कर रहा था। मुझे अपना भाषण समाप्त करने की अनुमति दी जाए। मेरे मित्र जो इस समय विपक्ष में हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि हम एक साथ मिलकर उन दायित्वों को पूरा करें जिनका इस समय देश सामना कर रहा है और जो दल सदन में एक-साथ मिलकर बैठे हैं उनसे भी मेरा यही अनुरोध है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण के पृष्ठ 5 पैरा 18 पर औद्योगिक उत्पादन के बारे में उल्लेख किया गया है। इस सदन ने इस प्रश्न पर काफी उत्सुकता दिखाई है। औद्योगिक उत्पादन का लक्ष्य 8.5% निर्धारित किया गया है उसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, हमें यही लक्ष्य प्राप्त करना होगा। श्रीमती सुशीला गोपालन कल इस बारे में बता रही थीं मैं उनकी बात सुन रहा था। वह बता रही थीं कि बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है।

केरल की वामपंथी सरकार ने प्रति वर्ष 10 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने का वायदा किया था। 4 वर्षों तक राज्य में शासन करने के बाद उन्होंने बेरोजगारी की समस्या को सुलझाए बिना ही छोड़ दिया। कोई भी वायदा अगर वे पूरा नहीं करते हैं तो वे युवा वर्ग का विश्वास खो देंगे। अतः मुझे आशा है कि औद्योगिक क्षेत्र में अधिक मात्रा में निवेश किया जाएगा। विपक्षी दलों ने इस बारे में काफी उत्सुकता जाहिर की है। कोई भी सदस्य जो अर्थशास्त्र की जानकारी रखता है इस बात से सहमत होगा कि वृद्धि की दर केवल निवेश की दर से समानुपात हो सकती है। एक समय विशेष के दौरान पर्याप्त मात्रा में निवेश किया जाना है तो किसी भी व्यक्ति को चाहे वह आदिवासी भारतीय हो या अन्य को यहां आने और निवेश करने की अनुमति दी जाए। सभी जिज्ञासाएं शायद

पूरी न हों। इस सरकार का पर्याप्त बहुमत नहीं है। लेकिन हमें देश पर शासन करने की इच्छा शक्ति है। अतः जब भी अपेक्षित हो कोई भी प्रतिबंध लागू किया जा सकता है। औद्योगिक क्षेत्र में भी क्षेत्रीय असन्तुलन से बचा जाना चाहिए।

महोदय, मैं केरल राज्य से निर्वाचित हुआ हूं। केरल में केन्द्रीय क्षेत्र का निवेश तुलनात्मक रूप से कम है। राष्ट्रीय औसत के मुकाबले भी यह बहुत कम है। पूरे देश में 1,13,000 करोड़ रु० के केन्द्रीय क्षेत्र के निदेश में से केरल राज्य का भाग मात्र 1.5% से भी कम है। यह पूर्णतः अनुपयुक्त है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार केन्द्रीय क्षेत्र में निदेश पर फिर से विचार करते समय इसमें वृद्धि करने पर भी विचार करें।

1.29 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]:

इस संबंध में मैंने एक बहुत ही संगत बात बताई है। औद्योगिक विकास में भी बैंकों का भी निर्णायक भूमिका निभानी होती है। राज्य में अनुसूचित और राष्ट्रीयकृत बैंकों का ऋण जमा अनुपात प्रतिकूल है। राज्य में जमा के रूप में बैंकों ने केवल 7,858 करोड़ रु० एकत्र किए है और उसमें से 4,638 करोड़ रु० अग्रिम धन राशि के रूप में दिए हैं जो कुल जमा का मात्र 59 प्रतिशत है। अतः ऋण व जमा राशि के अनुपात में वृद्धि की जानी चाहिए। यदि 5 प्रतिशत की वृद्धि होती है तो औद्योगिक विकास के लिए 400 करोड़ रु० प्राप्त हो सकेंगे।

रेल सेवा में वृद्धि करने के संबंध में भी राष्ट्रपति के वर्तमान अभिभाषण में कुछ उल्लेख किया गया है। जी हां, हम सभी बड़े आशावान रहे हैं तथा राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो कुछ कहा गया है, हम उसे बड़े उत्साहपूर्ण ढंग से सुन रहे थे। लेकिन जब रेल बजट प्रस्तुत किया गया तो हम सभी को निराशा हुई। महोदय, केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर पिछले 25 वर्षों से रेल लाइनों का कोई महत्वपूर्ण विस्तार नहीं हुआ है। सिवाय त्रिचुर से गुरुवयूर तक की छोटी लाइन के, जो कि अभी विचाराधीन है और जो धन की कमी के कारण शुरु ही नहीं हो रही है। रेल लाइनों पर यातायात भी काफी ज्यादा है। त्रिवेन्द्रम-त्रिचूर क्षेत्र का उपयोग प्रतिशत 125 है। रेल बजट में केरल में रेल लाइनों को विद्युतीकरण का कोई उल्लेख नहीं है, और मुझे आशा है कि वाद-विवाद के दौरान इस सभा के प्रस्तावों को स्वीकार करते समय मंत्री महोदय इसमें सुधार कर लेंगे। त्रिवेन्द्रम-त्रिचूर खण्ड सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि केरल में रेलों के विद्युतीकरण के संबंध में विचार किया जाए। केरल सरकार ने केरल में रेल लाइनों के विद्युतीकरण के लिये विद्युत संबंधी पूरी आवश्यकताएं पूरी करने का प्रस्ताव किया था लेकिन वह प्रस्ताव पिछले 15 वर्षों से विचाराधीन पड़ा है। जोलारपेट-इरोडे खण्ड का विद्युतीकरण पूरा किया जा रहा है। इरोडे-त्रिवेन्द्रम रेल लाइन के विद्युतीकरण पर भी सर्वोच्च प्राथमिकता से विचार किया जाए।

विद्युत क्षेत्र में भी राज्य की आवश्यकताओं पर सम्यक ध्यान नहीं दिया जा रहा। राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह उल्लेख किया गया है कि विद्युत क्षेत्र को मजबूत किया जाएगा। कायमकुलम

में स्वीकृत किए गए सुपर ताप विद्युत केन्द्र को भी अभी मंत्रिमंडल की अंतिम स्वीकृति का इंतजार है। केवल प्रारम्भिक कार्य ही किए जा रहे हैं, मेरा अनुरोध है कि इसको अंतिम स्वीकृति प्रदान की जाए।

परिवहन क्षेत्र में भी काफी कुछ किया जाना है। लेकिन समयाभाव में, मैं उनका उल्लेख नहीं कर सकता। मेरे माननीय साथी, श्री के०जी० उन्नीकृष्णन इस विभाग के प्रभारी थे। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी पूरी कोशिश पर्याप्त नहीं थी। इस क्षेत्र के लिए आबंटित धन वहां पर विकास कार्य शुरु करने के लिए पर्याप्त नहीं है। केरल एक 'विस्तारित शहर' है और राष्ट्रीय राजमार्ग 'गांव की सड़क' की तरह नजर आते हैं और केवल यहीं पर ही चार-लाइन का राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं बनाया जा रहा है।

महोदय, गरुवयूर-कुट्टीपुरम लाइन पर अभी तक सर्वेक्षण शुरु नहीं किया गया है और इसे शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण ने उल्लिखित बातों को क्रियान्वित करते समय, केरल की लम्बित मांगों पर विचार किया जाए। मैं एक और बात कहना चाहूंगा और उसके बाद अपनी बात समाप्त कर दूंगा। वह है प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में, जब किसी राज्य अथवा देश के किसी हिस्से में प्राकृतिक आपदा आती है, तो कोई उपयुक्त सहायता नहीं मिलती। इस वर्ष पहली जून को, केरल में दक्षिण-पश्चिम मानसून भारी वेग की आंधियों, समुद्र कटाव और भू-स्खलन के साथ शुरु हुआ था। इस आपदा में, केरल में पिछले कुछ सप्ताहों में 104 लोग मारे गए तथा हजारों परिवार बेघर हो गए और अभी भी वहां राहत शिविर चल रहे हैं। वहां पर 75 से 100 करोड़ रु० की क्षति का अनुमान लगाया गया है और केरल को अभी तक कोई धन नहीं दिया गया। जब देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक आपदाएं आ रही हों, तो केन्द्रीय सरकार का कर्त्तव्य बन जाता है कि वह राज्य सरकारों के बचाव के लिए आगे आएं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इन सभी बातों का उल्लेख किया गया है।

निष्कर्षत: मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लिखित बातों का स्वागत करता हूं। सरकार को केरल जैसे राज्यों के पिछड़ेपन के बारे में सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। मैं श्री बूटा सिंह द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करता हूं। मैं प्रधान मंत्री के इस वक्तव्य का भी स्वागत करता हूं कि यह सरकार सर्वसम्मत्ति से कार्य करेगी और कांग्रेस सरकार के दृष्टिकोण को उचित भावना से सराहा जाना चाहिए। हम ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां पर हमें सभी को अवसर के अनुसार कार्य करना चाहिए और देश के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का सामना करना चाहिए तथा इस संकट की घड़ी में सभी दलों का कर्त्तव्य है कि वे मिलजुल कर सहयोग से कार्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं श्री बूटा सिंह द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का पुन: समर्थन करता हूं और अध्यक्ष महोदय को भी बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद करता हूं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का अनिच्छापूर्वक विरोध करता हूं। मैं इसका इसलिए विरोध करता हूं कि क्योंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण एक शुष्क वक्तव्य के अलावा कुछ नहीं है, जो कि सरकार को देश की सर्वाधिक जटिल

समस्याओं के समाधान के मामले में अपनाई जाने वाली नीतियों के संबंध में कोई उपयुक्त दिशा प्रदान करने के स्थान पर भारी भरकम अभिधारणाओं और घिसीपिटी बातों से भरा हुआ है। यह आज देश के समक्ष उपस्थित है ज्वलंत समस्याओं का सही स्वरूप प्रस्तुत नहीं करता। इन समस्याओं का उपयुक्त समाधान नहीं बताता। आज देश जिन संकटों का सामना कर रहा है यह गहराई और तीव्रता की सही जानकारी नहीं देता जिनका आज यह देश सामना कर रहा है।

महोदय, मैं अपने को मिले इस थोड़े से समय में सरकार का ध्यान देश की कुछ मूल समस्याओं की तरफ दिलाना चाहता हूं। पहली समस्या, जिसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह देश में मूल्य वृद्धि की है। कांग्रेस (इ) ने एक चुनावी वादा किया था। देश में सभी लोगों, मंत्रियों और इस सभा के सदस्यों को भली-भांति विदित है कि कांग्रेस (इ) ने क्या बचन दिया था। मैं माननीय वित्त मंत्री जी के दृष्टिकोण की सराहना करता हूं। उन्होंने एकदम साफ और सही-सही कहा कि जैसा कि कांग्रेस (इ) ने चुनाव के दौरान वादा किया था, 100 दिनों के भीतर आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में कमी लाना सरकार के लिए सम्भव नहीं है। वह सीधे सच्चे हैं, क्योंकि वह एक राजनीतिज्ञ नहीं है। उन्हें अपने विषय के बारे किसी अन्य से अधिक जानकारी है। मैं भी उनसे सहमत हूं कि सरकार जिन वर्तमान सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक नीतियों का अनुसरण कर रही है, उनमें जुलाई 1990 के स्तर पर मूल्य लाने की बात तो छोड़िए, मूल्य दर को कम करना ही सम्भव नहीं है। अगर आप हमारे देश के पिछले तीन दशकों की मूल्य स्थिति को देखें तो, आपको, पता चलेगा कि ऐसा अवसर कभी नहीं आया कि कोई भी सरकार चीजों के मूल्य मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण कम करने में सफल हो पाई कि वह वित्तीय और आर्थिक नीतियों में समग्र परिवर्तन लाने के लिये कोई साहसिक कदम नहीं उठा सकी। अगर आप मूल्यों में कमी लाना चाहते हैं तो आपको वित्तीय और आर्थिक नीतियों में आमूल-चूल परिवर्तन करने होंगे।

महोदय, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। 1960 में 100 पर आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सातवें दशक के दौरान 6 प्रतिशत वार्षिक की दर बढ़ा, आठवें दशक में 8.5 प्रतिशत, नौवें दशक में 9.8 प्रतिशत बढ़ा और 1990-91 के दौरान यह 11.6 प्रतिशत बढ़ गया। यह सूचकांक बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि सरकार जिस वित्तीय नीति का अनुसरण कर रही है, उससे मुद्रास्फीति होती है और इसका समान प्रभाव होता है। यदि आप वास्तव में मूल्य स्तर कम करना चाहते हैं, तो आपको नई नीति अपनानी पड़ेगी। स्वाभाविक रूप से, बजट बहस के दौरान सरकार जिस वित्तीय नीति को बनाने का प्रस्ताव करती है, हम उसकी आलोचना अथवा समर्थन भी कर सकते हैं।

महोदय, प्रधान मंत्री जी ने अनुग्रहपूर्वक कहा कि सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने और इसका विस्तार करने का विचार है। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करने का प्रश्न ही नहीं है, बल्कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं में विविधता लाने का प्रश्न भी यहां पर प्रासांगिक है। श्रीमान, हम काफी दिनों से यह मांग कर रहे हैं कि सरकार यदि मूल्य स्तर को कम करने में जरा भी रुचि रखती है, तो इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दैनिक जरूरत की जरूरी चीजों को राज सहायता प्राप्त दरों पर उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार अथवा शुरु करना चाहिए। सरकार जिस आर्थिक

नीति का अनुसरण करना चाहती है, उसको दृष्टि में रखते हुए इसको राज सहायता में भारी कटौती करनी पड़ेगी। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि लोगों की भलाई के लिए, आम लोगों के लिए जो आर्थिक सहायता निर्धारित की गई है, उसमें कटौती नहीं की जानी चाहिए। वस्तु स्थिति यह है कि संकट का सामना करने के लिए कतिपय मामलों में लोगों की तकलीफें दूर करने के लिए आर्थिक सहायता में और वृद्धि करनी होगी।

राष्ट्रपति महोदय के ध्यान में जो एक अन्य महत्वपूर्ण बात नहीं आई, वह है बढ़ती हुई क्षेत्रीय असमानता। यह बढ़ती हुई क्षेत्रीय असमानता हमारे देश में कोई आर्थिक स्थिति से जुड़ी बात नहीं है, बल्कि इससे अधिक है यह। इस बढ़ती हुई क्षेत्रीय असमानता ने गम्भीर राजनैतिक समस्या पैदा कर दी है। राजनैतिक समस्या से मेरा अभिप्राय अलगाववाद और आतंकवाद के लिए आन्दोलन से है। एक चिन्ताजनक बात है आतंकवाद जो अलगाववाद के उद्देश्य से प्रेरित है और यह असम में "उल्फा" में देखा जा सकता है। यह आतंकवाद पंजाब में देखने को मिलता है। जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां तीव्र हुई हैं और ये लम्बे समय से चल रही है। मुझे मजबूरन कहना पड़ता है कि अलगाव की ये आवाजें आज देश के अन्य भागों में भी सुनाई पड़ रही है और तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग भी तथा बिहार के दक्षिणी भाग का उल्लेख किया जा सकता है। मेरा उद्देश्य देश के इन भागों में अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों की तरफ ध्यान दिलाना नहीं है, बल्कि उद्देश्य है बढ़ रहे आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ती हुई भावना, भेदभाव और पृथकतावाद की बढ़ रही भावना के मूल कारण की तरफ ध्यान दिलाना। यह भावना बढ़ रही क्षेत्रीय असमानताओं से भी उत्पन्न होती है।

जब तक सरकार क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने अथवा कम करने के लिए कोई नई आर्थिक नीति नहीं अपनाती, तब तक देश की एकता और अखण्डता खतरे में रहेगी। अतः आर्थिक दिनों की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि व्यापक राजनैतिक हितों की दृष्टि से भी देश की एकता और अखण्डता के लिए क्षेत्रीय असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए।

इस मामले में, मैं सरकार का ध्यान पं० बंगाल और देश के पूर्वी क्षेत्रों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों द्वारा लम्बे समय से की जा रही मांगों की तरफ भी दिलाना चाहता हूं। इस संबंध में, मैं लोहा और इस्पात के संबंध में भाड़ा समानीकरण योजना और रेलवे के टेलीस्कोपिक भाड़े का उल्लेख कर सकता हूं। इन दो योजनाओं द्वारा, पूर्वी क्षेत्र के राज्य, अर्थात बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राज्य स्थानीय लाभ से वंचित किए गए हैं। यह इसलिए हुआ है क्योंकि ये इस्पात तथा कोयले का उत्पादन करने वाले राज्य हैं और उनमें से उनकी स्थिति में होने वाले फायदों से वंचित रखा जा रहा है। पहले सरकार की एक समिति हुआ करती थी जिसे राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति कहा जाता था, जो पाण्डेय समिति के नाम से जानी जाती थी। पाण्डेय समिति ने पहले ही एक योजना को चरणबद्ध रूप की समाप्त करने की सिफारिश की थी। इसे अब तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। मांग यह है कि या तो आप हमें चरणबद्ध ढंग से समाप्त कर दीजिए या इस प्रणाली को अन्य सामान के लिए विशेष भाड़ा आरम्भ कीजिए, इसका विस्तार कीजिए।

उदाहरण के लिए, कई औद्योगिक वस्तुएं हैं जिनकी अन्य राज्यों को भी अपनी निर्माण संबंधी क्रियाकलापों के लिए आवश्यकता होती है, उदाहरण के लिए कपास। देश के पूर्वी भाग के राज्यों को कपास देश में पश्चिमी भाग में लेनी होती है। परन्तु उनको कपास में मामले समान भाड़े की सुविधा प्रदान नहीं की गई है। लेकिन ये सुविधायें इस्पात, लोहे और कोयले के मामले में पूर्वी और दक्षिणी राज्यों तथा अन्य उत्तरी राज्यों को प्रदान की गई है। अन्य राज्यों के विरुद्ध मेरी कोई शिकायत नहीं है क्योंकि वे औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में है। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक राज्य को तीव्र औद्योगिकीकरण और आर्थिक विकास के लिए अच्छे अवसर मिलने चाहिए। परन्तु समानता की भावना होनी चाहिए। अन्य राज्य जिनको कुछ औद्योगिक कच्चे माल की स्थानिक लाभ प्राप्त हैं, उनमें भी अपने औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को तेज करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर भी ध्यान दें।

प्रधान मंत्री ने एक अपील की है कि हमारा देश एक गम्भीर संकट से गुजर रहा है और लोगों को बलिदान करने चाहिए। हां, हम संकट के प्रति सचेत हैं। लेकिन कौन से व्यक्तियों को बलिदान करने हैं। क्या आप इस पर सावधानीपूर्वक विचार करेंगे? क्या यह बलिदान सबसे गरीब वर्ग या धनी वर्ग को करना है? मैं आपको आंकड़े प्रदान करता हूं।

1981 में, शीर्ष बड़े औद्योगिक गृहों की कुछ आस्तियां 6,541 करोड़ रुपये थीं।

1988 में, उनकी आस्तियां बढ़ कर 18,06,317 करोड रुपये हो गई। किसको बलिदान करना है? मेरे विचार से राष्ट्रपति को यह इंगित करना चाहिए था कि इस गम्भीर संकट का सामना करने के लिए, धनी वर्ग, औद्योगिक घरानों, बड़े घरानों, एकाधिकारियों को भी भार उठाना चाहिए और केवल सामान्य व्यक्तियों को ही नहीं जिनका 40 प्रतिशत अब भी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन निर्वाह कर रहा है।

मुझे आशा है कि सरकार हमारे समाज की आधारभूत वास्तविकताओं को ध्यान में रख कर अपनी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन करेगी।

महारानी विभू कुमारी देवी (त्रिपुरा-पूर्व) : सभापति महोदय, 11 जुलाई, 1991 को संसद में दोनों सदनों में दिये गए राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यावाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद में भाग लेनें का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यावाद करती हूं। मैं इस प्रस्ताव का पूरी तरह से समर्थन करती हूं क्योंकि इसमें विशेषकर पिछड़े वर्ग, ग्रामीण गरीब तबके और महिलाओं को उचित महत्व प्रदान किया गया है। महिलाओं और बच्चों के संबंध में सरकार की नीति प्रशंसा योग्य है।

मैं अपनी टिप्पणियों को विशेष कर सीमा राज्य त्रिपुरा और सामान्यतया उत्तर-पूर्व तक सीमित रखूंगी।

जन-जातियों की प्रतिनिधि होने के नाते उनके सामने जो समस्याएं हैं, वे यह प्रश्न करती हैं कि ये लोग जिन्होंने राष्ट्र और हमारे दल का अत्यधिक प्यार, संरक्षण और मान्यता प्राप्त की है और नेताओं की ओर से अच्छे प्रयासों, शुभ-कामनाओं, और निष्ठा के बावजूद, हम, जनजातीय लोग, दुर्भाग्य से यह महसूस करते हैं कि प्रकृति के इन निर्दोष सन्तानों की आर्थिक उन्नति के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया गया है, ऐसा क्यों है। लगभग सभी राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में अत्यधिक आर्थिक तंगियां हैं और लोग भुखमरी के कगार पर हैं। इससे युवाओं में विद्रोह पनपा है। प्रश्न यह है : जनजातियों के लिए तमाम सहायता और योजना विकास खर्च कहां गया ? इससे इस सदन के सदस्यों के दिमागों में जनजातीय और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रकार, तत्व और भविष्य में उनकी उपयोगिता के संबंध में कुछ मौलिक प्रश्न उठते हैं।

कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे इस देश के सभी जनजातियों के लिए समान हैं। उदाहरण के लिए गैर-जनजातीय लोगों की जनजातीय क्षेत्रों में घुसपैठ। त्रिपुरा में, और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भी हम कह सकते हैं कि हम निरन्तर बंगलादेश से शरणार्थियों के आने की समस्या का सामना कर रहे हैं। अब, इससे काफी कठिनाईयां और आर्थिक शोषण उत्पन्न हो गया है। यह पाया गया है कि महाजन और ऋण देने वालों को सबसे अधिक फायदा हुआ है। हम यह भी पाते हैं कि सभी भूमि अधिनियमों, सभी भूमि राजस्व और भूमि सुधार अधिनियमों के लाभ जनजातीय लोगों तक नहीं पहुंचते। जनजातीय लोगों को उन अधिनियमों के लाभ प्राप्त नहीं होते। अतः, महोदय, मैं फिर से सदन के ध्यान में यह बात लाना चाहती हूं कि जनजातीय लोगों से संबंधित सभी सुधारों को नौवीं अनुसूची में रखा जाना चाहिए। राजस्व और भूमि सुधार अधिनियम के संबंध में एक केन्द्रीय अधिनियम होना चाहिए जिसके अन्तर्गत राजस्व कानूनों की कमियां और कमजोरियां आनी चाहिए। वास्तव में, जैसा कि मैंने पहले कहा, ये अधिनियम नौवीं अनुसूची में रखे जाने चाहिए। एक केन्द्रीय अधिनियम होना चाहिए जो जनजातीय परम्परागत कानून और भूमि की प्रचलित व्यवस्था को संहिता बद्ध करने की आवश्यकता को पूरा करें। मेरे विचार से इस देश में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं हैं। उत्तर-पूर्व में, हमने कुछ राज्यों में इसका प्रयोग किया है। वास्तव में, मेरे अपने राज्य में, मैंने इस जनजातीय परम्परागत कानून और भूमि उपयोग व्यवस्था का प्रारम्भ किया था। हम इसकी प्रक्रिया में है। हमें, इसके लिए भी सहायता की आवश्यकता है।

त्रिपुरा में, 1979 में, 20 लाख शरणार्थी आए थे। वे सभी राज्य में बस गए हैं। इसके परिणामस्वरूप, जनसंख्या में वृद्धि हुई हैं। यही कारण है कि अधिकांश उत्तर-पूर्वी राज्य अपने राज्यों में शरणार्थी नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि जनसंख्या असंतुलन से लोगों के लिए काफी सामाजिक समस्याएं पैदा होती हैं।

हमारे यहां चितागोंग जनजातिय लोग हैं जो त्रिपुरा में विगत 12 वर्षों से रह रहे हैं। आज तक, हम उनकों वापस नहीं भेज सके हैं। हम उनको पर्याप्त सहायता प्रदान कर रहे हैं। मेरे विचार से मानवीय आधार पर हमें उनकी सहायता प्रदान करनी चाहिए। उनको उत्पीड़ित किया गया है और उन्होंने धार्मिक उत्पीड़न का सामना किया है। वे जातीय उत्पीड़त का सामना भी कर रहे हैं। चूंकि वे 12 वर्षों से वहां रह रहे हैं। मैं इस सदन से अनुरोध करती हूं कि त्रिपुरा

मैं रह रहे शरणार्थियों के मसले को यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे अपने देश को सुरक्षित वापस लौट सकें । बंगला देश सरकार के साथ उठाएं । इस बीच उनको कुछ अतिरिक्त शैक्षणिक, स्वास्थ्य और राशन सुविधाएं, जो अब अत्यधिक कम है, प्रदान की जायें । हम उनकों बहुत कम सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं महोदय, त्रिपुरा में, लगातार वर्षा तूफान जो लगातार हमारी फसलों को हानि पहुचाते हैं, के कारण हम अनाज की भयकर कमी का भी सामना कर रहे हैं । ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्र में लोग चावल और खाद्यान्नों में स्टॉक की आपूर्ति की मांग कर रहे हैं । जनजातिय और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पीने के पानी की सुविधाओं को प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रबन्ध अभी किए जाने हैं । उनमें वृद्धि करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए । वहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली अत्यधिक खराब है । जैसा कि आप जानते हैं हमारा राज्य चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है । हमें तीन ओर से बंगला देश घेरे हुआ है और हमारी समस्त आपूर्ति के लिए हमें मुख्य भूमि पर निर्भर रहना पड़ता है । इसलिए हमारे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए और हमारी महिलाओं की सहायता के लिए, गांवों में गरीब महिलाओं और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाली जनजातीय महिलाओं की सहायता के लिए हमें उचित मूल्य की दुकानें खोलनी चाहिए ताकि हम संकट के समय वस्तुओं की उचित मूल्य की दुकानों से आपूर्ति कर सकें ।

अगरतला हवाई अड्डा एक अन्य महत्वपूर्ण मसला है । मेरे विचार से इस राज्य के हित में इसका आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए क्योंकि जैसा कि मैनें अभी उल्लेख किया था हमारा राज्य चारों ओर जमीन से घिरा है संचार प्रणाली अच्छी नहीं है । हम रात के समय हवाई जहाजों के उतरनें और एयर बस जैसे बड़े हवाई जहाजों के उतरनें की सुविधा चाहते हैं । हमारे यहां तीन चार सेवाएं हैं । लेकिन वे पर्याप्त नहीं है । कई कारणों मौसम आदि जैसे कई कारणों से हमारे हवाई जहाज समय पर नहीं पहुंचते हैं । जैसा कि मैने अभी उल्लेख किया है, हमारे यहां रात को हवाई जहाज उतरने की सुविधा नहीं है ।

शैक्षणिक दौड़ में, मैं अनुरोध करना चाहती हूं कि हमें जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए । हम बहुत गरीब छात्रों के लिए स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा चाहते हैं । हमारे यहां त्रिपुरा विश्वविद्यालय है । लेकिन हम यह मांग करते है कि त्रिपुरा विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाये । 15 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए ।

इसके अतिरिक्त, अनुसंधान सुविधाओं सहित एक चिकित्सा महाविद्यालय राज्य में होना चाहिए । इस महाविद्यालय की स्थापना के लिए उचित विचार किया जाना चाहिए ।

हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए विशेष एकीकृत कार्यक्रम की घोषणा की थी । इससे उत्तर पूर्व में सीमावर्ती राज्यों में हम सब को निश्चित रूप से सहायता मिलेगी । हमारे यहां सीमावर्ती क्षेत्रों की, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों की महिलाएं है जिन्हें प्रशासकीय सहायता मिलनी चाहिए जो देश में एकीकृत विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है । महिलाओं में अधिकारों के लिए राष्ट्रीय समिति ठीक दिशा में कदम है । हम इस सरकार में वंचित वर्ग अर्थात् महिलाओं के लिए कार्यक्रमों का स्वागत करते हैं ।

इन शब्दों के साथ, मैं प्रस्ताव का समर्थन करती हूं और मुझे अवसर प्रदान करने के लिए अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करती हूं ।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आज हम इतिहास के कठिन दौर से गुजर रहे हैं दूसरे पक्ष के एक माननीय सदस्य द्वारा घिसीपिटी बात किये जाने के बावजूद में ऐसा कहूंगा । जब पिछले महीने कांग्रेस (आई) ने सरकार चलाने का दायित्व संभाला था, तो हम जानते थे कि हमारा दायित्व देश को उस दलदल से निकालना है जिसमें यह पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान डाल दिया गया था । इस अवधि के दौरान, अस्थिरता ने हमारे तन्त्र को ध्वस्त कर दिया, व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति में लगे रहने के कारण सरकार की सत्ता में पूर्ण रूप से अयोग्यता तथा अनुशासनहीनता आ गई थी । बुद्ध तथा महात्मा गांधी की भूमि में हिंसा का बोल-बाला हो गया । दीर्घावधिन परिप्रेक्ष्य के अभाव में अर्थव्यवस्था पर चरमरा गई, मुद्रा सफीति ने गरीबों की जान निकाल दी । अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश की प्रतिष्ठा बहुत गिर गई तथा अनिश्चितता के कारण उसे उपहास की दृष्टि से देखा जा रहा है ।

इतनी कठिन परिस्थिति में कांग्रेस ने सरकार चलाने की चुनौती स्वीकार की । हमने इसे चलाने में दो प्रकार से असहाय पाया । श्री राजीव गांधी की नृशंस हत्या ने हमें नेहरू गांधी परिवार के उस सहारे से वंचित कर दिया जिनकी राष्ट्र निर्माण के कार्य में अतुलनीय भूमिका रही है तथा भारत के प्रजातंत्र में जिनका अद्वितीय स्थान रहा है । सरकारी उत्तरदायित्व का निर्वाह करना और भी कठिन हो गया है क्योंकि लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है । स्पष्टतया, यह कार्य बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण है परन्तु श्री नरसिंह राव के नेतृत्व में पार्टी तथा सरकार पूरी तरह से सक्षम है । हमारे पास महात्मागांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू, श्री लाल बहादुर शास्त्री, इन्दिरा गांधी तथा राजीव गांधी की अमूल्य विरासत है तथा उस विरासत को पूरी शक्ति तथा निष्ठा के साथ आगे बढ़ाने का हमारा दृढ़ निश्चय है ।

राष्ट्रपति का अभिभाषण, आने वाले दिनों की, सरकार की कार्यसूचि की प्रस्तुत करता है । उसमें साम्प्रदायिकता, अहिंसा तथा आतंकवाद से लड़ने को प्राथमिकता दी गई है क्योंकि इसने हमारी राजनीति को ध्वस्त किया है । हमारी अर्थव्यवस्था का सत्यानाश हो गया है तथा इसे दोबारा पटरी पर लाना है ।

महोदय, कठिन परिस्थितियों के कारण सुधारवादी उपाय आवश्यक हैं ।

2.00 म०प०]

[राव राम सिंह पीठासीन हुए]

इस संबंध में किसी भी कार्यवाही का स्वागत किया जाएगा, परन्तु यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि समाज के गरीब तथा निर्धन वर्ग को उससे कठिनाई न हो ।

सरकार का व सार्वजनिक विवरण प्रणाली में सुधार लाने तथा उसका कड़ाई से पालन करने का प्रस्ताव है जिससे कि आवश्यक उपयोग की वस्तुएं गरीब से गरीब लोगों को भी मिल सके । श्री राजीव गांधी इसे बहुत बड़ा सामाजिक कर्तव्य समझते थे । प्रधान मंत्री ने इस महत्वपूर्ण

मामले को अपने हाथ में लिया है। मेरा विश्वास है कि इससे अफसरशाही को यह आवश्यक संदेश पहुंच जाएगा। मैं पुनः विश्वास प्रकट करता हूं कि संसाधनों की कमी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने में आड़े नहीं आएगी, तथा लोग भी पूरे उत्साह से इसमें सहयोग करेंगे।

कांग्रेस ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए वचनबद्ध है जिसमें प्रत्येक नागरिक आदर तथा सम्मान का जीवन जी सके। अतीत में, योजनाओं पर कार्य हुआ था परन्तु बीच में 1977-80 तथा 1989-91 के दो गैर कांग्रेसी शासनों के कारण यह कार्य उल्ट दिया गया क्योंकि उन के कार्य करने की एक विशिष्ट शैली थी जिसने विकास कार्य को ठप्प कर दिया।

मुझे माननीय सदस्यों द्वारा इस प्रस्ताव के संबंध में, तथा विश्वास प्रस्ताव के संबंध में बोलते हुए सुन कर हंसी आ रही थी। ये या तो उस सरकार के सदस्य थे जो ग्यारह महीने चली या उसके समर्थक थे। उस सरकार ने हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को, हमारी विकास की प्रक्रिया को ध्वस्त किया तथा हमारी प्रतिष्ठा को कम किया। आज, वे नई सरकार से सारी बीमारियों का इलाज एक ही रात में चाहते हैं। वे जानते हैं कि उनकी पार्टियों को समझदार लोगों ने रद्द कर दिया था। जनता दल के खिलाफ मत उसके भारत सरकार के रूप में उत्तरदायित्व को निभाने में असफल होने के लिए दिया गया था। भा० ज० पा० की अपने निर्लज्ज साम्प्रदायिक भाषणों द्वारा सत्ता प्राप्ति के अथक प्रयास को देश के धर्मनिपेक्ष लोगों ने नकार दिया।

कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ है परन्तु विभिन्न दलों के लोगों द्वारा सौंपी गई भूमिका स्पष्ट है।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : आपने केवल 36 प्रतिशत मत प्राप्त किये हैं।

श्री पवन कुमार बंसल : कृपया मेरी बात सुनें। सरकार की बागडोर संभाल कर कांग्रेस को अपना कर्तव्य पालन करने में नहीं घबराएगी। मुख्य कार्य लोगों की भलाई है तथा राष्ट्रपति के अभिभाषण से उसका पता चल जाता है कि सरकार मौजूदा मुद्दों को हल करने में कोई भी कार्यवाही करने में नहीं हिचकेगी।

श्री राजीव गांधी ने विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बहुत जोर डाला था। इसके द्वारा लोगों को होने वाले लाभ उसको पता चलेंगे जो पांच वर्ष बाद देश में आएगा। श्री राजीव गांधी के वास्तविक उत्तराधिकारी के रूप में नई सरकार ने आर्थिक योजना के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी को मुख्य आधार बनाया है।

अनिश्चितता तथा निराशा की बात आज समाप्त हो गई है। कांग्रेस की वापसी का महत्व है कि दुनियां हमें पुनः आदर तथा सम्मान से देखेगी। हमारी विश्वसनीयता बहाल हो गई है। राष्ट्र के जीवन में आशा का संचार हो गया है। यह श्री राजीव गांधी के अथक प्रयासों का परिणाम है। वे भारत की एकता तथा अखण्डता के लिए, आज की खुशहाली तथा प्रगति के लिए जिए तथा मरे। भारत को 21वीं सदी में पहुंचाना उनकी अन्तिम इच्छा थी। यही उनका साहित्य, कर्तव्य व उनका

दर्शन था। इसी उमंग में वो आगे बढ़े जा रहे थे; इसी उमंग ने उनमें विश्वास उत्पन्न किया था, यही उमंग उनके जीवन का गीत थी। उन्होंने अपने देशवासियों के मन में आत्म-विश्वास तथा आत्म-सम्मान की भावना भरी तथा उनके 12 महीने की निराशा के बाद जब वे देश के प्रधान मंत्री बनने वाले थे, तो देश की दुश्मन ताकतों ने उनकी हत्या कर दी। वह कप्तान जिसकी सम्पूर्ण विश्व में जै जैकार हो रही थी, हमसे छीन लिया गया। वाल्ट व्हिटमैन के शब्दों में।

महोदय, उदाहरण प्रस्तुत है।

"आह ! कप्तान ! मेरे कप्तान : हमारा भयावह सफर पूर्ण हुआ, जहाज सभी संकटों को पार कर गया, जिस पुरस्कार की चाह थी जीत लिया गया.....

जहाज सुरक्षित रूप से लंगर में बंध चुका है,.....

मैंने शोकाकुल अवस्था में अपने कप्तान को गुला दिया है, वे ठंडे हो चुके हैं तथा मृत्यु को प्राप्त हो चुके है।

महोदय, श्री पी० वी० नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार उन आदर्शों को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है जिन्हें कांग्रेस श्री राजीव गांधी के प्रेरणादायक नेतृत्व में लड़ी थी। हम राष्ट्र निर्माण में युवकों की महत्वपूर्ण भूमिका देखना चाहते थे। वोट डालने के लिए आयु सीमा को 18 वर्ष करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। एक विस्तृत नई शिक्षा नीति बनाई गई तथा नये रोजगारों का सृजन करने के लिए योजनाएं बनाई गई। हम अब विश्वास दिलाते हैं कि उन पर और अधिक ध्यान दिया जाएगा। आप अनुत्पादक रोजगारों के सृजन का समय नहीं है, परन्तु लोगों की आय के स्रोतों के सृजन का समय है तथा यह स्वरोजगार के नये अवसर उत्पन्न करके किया जा सकता है जिससे कि उत्पादन में वृद्धि हो तथा वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए परिदार्य अनुत्पादक व्यय में कमी आए।

महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि, भारत का सबसे बड़ा स्रोत इसकी जनता है परन्तु अब जनसंख्या नियन्त्रण के संबंध में सोचने का समय आ गया है। इसके लिए एक राष्ट्रीय सहमति की आवश्यकता है तथा इसके हानि तथा लाभ को ध्यान में रखकर कोई उपाय सोचा जाए। इसके लिए सभी पार्टियों द्वारा एक राजनैतिक इच्छा शक्ति दिखाने की आवश्यकता है।

महोदय, अपनी बात समाप्त करते हुए मैं चुनाव तथा न्याय संबंधी सुधारों की तुरंत आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। कांग्रेस द्वारा विगत में दल बदल विरोधी विधेयक लाना तथा धांधली पर अंकुश लगाना, मतदान केन्द्रों पर कब्जा करना तथा चुनाव के दौरान अन्य गलत तरीके इस्तेमाल करने को रोकने के लिए कुछ निश्चित उपाय किये गए थे। तथापि, इस ओर अभी भी कार्य हो रहा है। हमें इस बात पर भी गौर करना है कि चुनाव प्रक्रिया पर धन के कुप्रभाव को किस प्रकार कम किया जा सकता है।

न्यायिक प्रक्रिया ने प्रायः देश के सभी नागरिकों को प्रभावित किया है। तथापि, इससे अभी-भी निराशा हो रही है। श्री राजीव गांधी ने 15 अगस्त, 1989, को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र

के नाम अपने संबोधन में न्यायिक सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया था। मेरा विश्वास है कि नई सरकार इस पर कार्य करेगी ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष दिए गए अभिभाषण पर श्री बूटा सिंह द्वारा प्रस्तुत धन्यावाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

[हिन्दी]

श्री सूरज मंडल (गोड्डा) : सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो बूटा सिंह जी ने धन्यावाद का प्रस्ताव पेश किया है, उस प्रस्ताव के विरोध में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । राष्ट्रपति जी के प्रस्ताव के भाषण पर मेरा संशोधन का भी प्रस्ताव था । जब बूटा सिंह जी इस देश के गृह मंत्री थे, उस समय दो कामों का जिम्मा लिया था भूतपूर्व राजीव गांधी जी ने एक तो सबसे पुरानी मांग, जो झारखंड के इलाके में, भारत के संविधान की धारा 244 के अन्तर्गत अलग राज्य की मांग करती है, दूसरी थी बाबरी मस्जिद के बारे में और उन्होंने साथ-साथ दो काम शुरू किए, एक तो बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम जन्म भूमि में मंदिर बनाने के लिए उन्होंने वहां शिलान्यास करवाया और दूसरे झारखंड की समस्या का समाधान करने के लिए 11 सितम्बर, 1988 को उनकी अध्यक्षता में भारत सरकार के द्वारा एक समिति का निर्माण किया गया ।

[अनुवाद] :

श्री गोरेश्वर साबे (औरंगाबाद) : महोदय, यहां कोई मंत्री उपस्थित नहीं है **(व्यवधान)**

श्री सत्य गोपाल मिश्र (तामलुक) : मंत्री कहां है ? **(व्यवधान)** सत्तापक्ष खाली है ।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : सभापति जी, आज तो एक भी मंत्री नहीं है ।

श्री कालका दास (करोल बाग) : सभापति महोदय, इससे ऐसा लगता है कि सरकार इसको गम्भीरता से नहीं ले रही है । यह सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है । **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप लोगों का बोलना था कि केसरी जी पधार गए हैं ।

श्री कालका दास : सभापति महोदय, ऐसा निर्देश दें कि भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए । क्योंकि इससे सदन की गरिमा गिरती है और यह प्रस्ताव तो इन्हीं के द्वारा लाया गया है ।

[अनुवाद] :

श्री के० पो० रेड्डी (महली पट्टनम) : वे बिना गम्भीरता के सदन में प्रवेश कर रहे हैं । **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय : कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता यहां पर बैठे हुए हैं, चन्द्राकर साहब हैं, सब लोग हैं। आपकी भावनाएं प्रधान मंत्री जी तक पहुंच जाएंगी, चिन्ता की कोई बात नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मंडल साहब अपना भाषण शुरू कीजिए।

श्री सूरज मंडल : मैं बी० पी० मण्डल का समर्थक हूं और उनके कमीशन का भी पूरा-पूरा समर्थक हूं। मैं कह रहा था कि 11 सितम्बर, 1988 को कमेटी आन् झारखण्ड मैटर्स नाम की एक कमेटी गृह मंत्रालय के द्वारा बनाई गई थी और 2 साल तक कमेटी की बैठक यहां होती रही। उस कमेटी के द्वारा बिहार का दौरा किया गया, बंगाल और उड़ीसा का भी दौरा किया और उसके बाद 18 मई 1990 को भारत सरकार को, अपनी अनुशंसा के साथ उस कमेटी ने रिपोर्ट भेज दी।

सभापति जी, मुझे आश्चर्य है कि आज देश के अंदर झारखण्ड राज्य, उत्तराखण्ड राज्य और अमाम में बोड़ो राज्य और ऑटोनॉमस स्टेट्स की डिमाण्ड हो रही है। लेकिन महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने इस संबंध में अपने भाषण के अंदर इतनी गम्भीर समस्या के समाधान का कोई जिक्र नहीं किया। यह सबसे बड़ी समस्या है। आप लोगों के बारे में मेरा कहना है कि यदि आप सुन रहे होंगे तो आपको पता लग गया होगा कि जो ऑटोनॉमस डिमाण्ड कमेटी के मैम्बर हैं उन्होंने कहा है कि इसका एक ही समाधान है - ए के--47।

सभापति महोदय, हम भारत सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि इस समस्या का समाधान करने के लिए हिन्दुस्तान जब आजाद हुआ था तब इस देश के अन्दर 14 राज्य थे और आज इस देश में 25 राज्य बन गए हैं, 26 या 27 राज्य क्यों नहीं बनते हैं। आज भारत के संविधान में स्पष्ट लिखा है कि झारखंड के इलाके में, छोटा नागपुर और संथाल में 244 धारा के अन्तर्गत वहां का निर्माण किया गया है। उस जगह में केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। यदि राज्य सरकार ट्राईबल लोगों के हित को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती है तो उसके लिए भारत सरकार को, गृह मंत्रालय को उसकी जिम्मेदारी और दायित्व को देखना होगा। अभी इस सदन में चर्चा हुई कि विदेशी कर्ज हमारे देश में बढ़ता गया और एक हजार करोड़ विदेशी कर्ज लिया गया है। पासवान जी ने कहा कि वह एक हजार करोड़ रुपया कहां गया। मैं उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं कि एक हजार करोड़ रुपया कहां गया। यह रुपया हमारे बिहार केन्द्र में जो 112 प्रखंड हैं वह ट्राईबल सब प्लान के अन्दर आता है, छोटा नागपुर संथाल परगना झारखंड के अन्दर है। वह पैसा ट्राईबल सब प्लान में दिया गया है और उस पैसे से जो विकास किया है आप देखेंगे कि आल टाइप आफ डैवलपमैंट होना चाहिए, बिहार सरकार के डैवलपमैंट विकास विभाग से यह आंकड़े निकाले गए हैं। इसमें जिला वाइज आंकड़े हैं। 112 प्रखंड में जो पुराने 12 जिले आते हैं, मैं साहबगंज जिले से शुरू करता हूं। साहबगंज का 1 प्रतिशत विकास हुआ है, पलामू 2 प्रतिशत दुमका 3 प्रतिशत, कोडा 4 प्रतिशत, गिरीडीह 5 प्रतिशत, हजारीबाग 6 प्रतिशत, गुमला

7 प्रतिशत, देवघर 8 प्रतिशत, रांची 11 प्रतिशत, लोहार डग्गा 12 प्रतिशत, सिंहभूम 13 प्रतिशत, धनबाद 19 प्रतिशत। यह अनुपात 12 जिलों का है। उसी अनुपात में यह पैसा जो ट्राइबल सब प्लान का लिया गया है, वह कितना और कौन से साल में लिया गया है वह भी हमारे पास है लेकिन उसमें बहुत समय लगेगा। मैं बताना चाहता हूं कि इस बोर्ड का पैसा जो हर साल फाइव ईयर प्लान बनाकर अरबों रुपया दिया जाता है उस रुपये से यह विकास किया है। वह पैसा आई० एम० एफ० लोन का है और मैं बूटा सिंह जी से और और लोगों से पूछना चाहता हूं कि यह पैसा किसने खाया। आपने चालीस साल शासन किया है, यह पैसा आप लोगों के पास ही गया होगा। आज इस तरह का विकास हुआ है।

मैं नौकरियों के सवाल पर एक उदाहरण देना चाहता हूं। बूटा सिंह जी कह रहे थे कि कांग्रेस इस देश की आत्मा है। यही कांग्रेस की आत्मा है कि गरीब लोगों की बात मैंने जैसे उस दिन कही थी कि यहां तो खुले बदन वाले पुरुष आते हैं लेकिन हम जिस इलाके से आते हैं वहां तो औरतें अपने शरीर के लिए आधा कपड़ा भी जुटा नहीं पाती हैं। ऐसे इलाके से मैं आता हूं। देश की यह हालत चालीस साल में किसने की है, देश की आत्मा कांग्रेस कैसे हो सकती है। बिहार में, मैंने कहा कि सिर्फ साढ़े चार साल विरोधी पक्ष की सरकार रही है और उसके अन्दर इन लोगों ने क्या किया है, इनके यहां पर नौकरियों में, बिहार सरकार के यहां, राज्य सरकार की पूरी 2,94,173 नौकरियां कुल मिला कर हैं। उसमें अनुसूचित जनजाति आदिवासी जिस को कहते हैं, उनकी संख्या कुल 21387 हैं, उसका परसेंटेज होता है 5.43 और राज्य सरकार के सार्वजनिक प्रतिष्ठान जिसमें 26354 कर्मचारी हैं उनमें बहाली कुल मिला कर की गई 757, उसका परसेंटेज होता है 2.86 और स्थानीय प्राधिकार में 26500 कर्मचारी काम करते हैं लेकिन उसमें आदिवासी और हरिजन जीरो हैं यानी कि उसमें एक भी ऐसे लोगों की बहाली नहीं की गई है। 40 साल तक शासन किस ने किया ? आपने किया। गरीब लोगों के लिए पांच रुपए बहुत बड़ी चीज हैं लेकिन अमीर लोगों के लिए, अम्बानी के लिए पांच अरब रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है। सभापति महोदय, मैं जिस इलाके से आता हूं वहां पांच रुपए बहुत बड़ी चीज हैं। वहां के लोग खेती करते हैं, खेती करके धान, गेहूं और सब्जी उपजाते हैं लेकिन तेल व नमक खरीदने के लिये उनके पास पैसे तक नहीं होते हैं। आपको यह जान कर आश्चर्य होगा कि हमारे इलाके में जो कुछ उपजता है उससे ही सारा हिन्दुस्तान चल रहा है। आप धनबाद जाएं। धनबाद के लोग उसे सोने की चिड़िया कहते हैं। वहां सोना उड़ता है। उसको पकड़ने के लिए हिन्दुस्तान के सारे लोग वहां चले गए। वहां सी० सी० एल० और ई० सी० एल० है यानी कि सारी चीजें हैं। हिन्दुस्तान की तिजोरी के पहरेदार तो हम लोग हैं और उसकी चाबी आप लोगों ने अपने पास रखी हुई है। गरीब बेचारा उसका पहरेदार बना हुआ है। धीरे-धीरे वहां के लोगों को भी सीखने का मौका मिल रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि वह इन सारी समस्याओं को दूसरों के ऊपर थोपने का काम मत करें। आप लीपा-पोती का काम मत करें। अगर ऐसा करेंगे तो उग्रवाद को बढ़ावा मिलेगा। आप असलियत को सामने नहीं रखते हैं।

आज पंजाब के चुनावों के बारे में चर्चा हो रही थी। आपकी सरकार के बनते ही आपने वहां चुनाव स्थगित करा दिए। मैं जानता हूं कि आप गणित के जोड़ का काम राजनीति में करते हैं। अगर चुनाव पंजाब में हो जाते तो 13 में से 13 सीटें आपको प्राप्त नहीं होती। इससे आपको यहां

संख्या जुटाने में मुश्किल होती। इसलिये आपने यह बहाना बनाया कि दूसरे राजनीतिक दल के लोग पंजाब में चुनाव नहीं कराना चाहते थे। जब असम के अन्दर छात्रों का आन्दोलन हुआ था और श्रीमती इंदिरागांधी जब देश की प्रधान मंत्री थीं तो उस समय सभी राजनीतिक दलों और वहां के लोगों ने कहा था कि पहले विदेशी समस्या को ले कर छात्रों का जो आन्दोलन है, उसे समाप्त किया जाए, उसके बाद वहां चुनाव कराए जाएं लेकिन आपने उस समय चुनाव स्थगित नहीं किए। ऐसे में असम के कर्मचारियों ने चुनावों में हिस्सा लेने व काम करने से इंकार कर दिया था। ऐसे में आप बिहार के कर्मचारियों को असम में ले कर गए थे और चुनाव कराए। मतदाता सूची और बैलेट पेपर आपने असमी भाषा में छापे थे। बिहार के लोगों को वोटर लिस्ट पढ़ना नहीं आता था। बड़े पदाधिकारी जो हमारे मित्र थे उन्होंने बतलाया था कि वे बैलेट बॉक्स ले कर लोगों के घरों में चले गए और 10–12 वोट डाल दिए। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि आपने उस समय वहां चुनाव स्थगित नहीं किए। आपने इसमें जो कुछ किया वे सब आपको मानना चाहिए। आपने आज तक जितनी भी भूलें की हैं, उनको सुधारना चाहिए। मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो भी चीजें हैं, उसको गम्भीरता से लें। आज इतनी महत्वपूर्ण चीजें हैं, बिहार सरकार का दो करोड़ रुपया रोज रॉयल्टी का, सैस का नुकसान हो रहा है। भारत सरकार को इतनी फुर्सत नहीं है कि इस पर विचार करे और जो पैसा नहीं मिल रहा है, वह पैसा बिहार सरकार को 2 करोड़ रुपया रोज का, सैस का पैसा दे ताकि उस पैसे से विकास हो सके। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के अन्दर 14 से 25 राज्य हुए लेकिन और राज्य होने चाहिए और भारत सरकार द्वारा राज्य निर्माण कमेटी का गठन होना चाहिए। नहीं तो आप जान लें, तमिलनाडु, कश्मीर, पंजाब और असम, बोड़ो ऑटोनोमस हैं। आपको आज हम एक बात और कहना चाहते हैं, हम लोग यह कह रहे थे कि कांग्रेस तीन गांधियों का जीवनदान है। महात्मा गांधी के मरने ने कांग्रेस को जीवित किया, इतने दिनों तक, जब कांग्रेस लुप्त हो रही थी, फिर इंदिरागांधी की हत्या से कांग्रेस जिन्दा हुई और फिर कांग्रेस समाप्त होने वाली थी, जो राजीव गांधी की हत्या के बाद जिन्दा हुई है इसलिए इन बातों को ध्यान में रखना होगा और राज्य निर्माण के लिए कमेटी गठित करके हम लोगों को समस्या का समाधान करना होगा।

अगर हम लोग एक बार फिर गांधी जी के आदर्शों को, सिद्धान्तों को लोगों तक ले जाना चाहते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2 अक्टूबर, 1991 तक अगर झारखण्ड की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो दो अक्टूबर के बाद झारखण्ड इलाके के लोग सारी कोयले की खदानें बन्द कर देंगे। कोयला वहां से देश में नहीं आने दिया जाएगा, लोहा बन्द कर दिया जाएगा और बहुत बड़ा आर्थिक नाकेबन्दी का आन्दोलन होगा। उस समय फिर आप कहेंगे कि यह उग्रवाद का रूप धारण कर रहा है इसलिए समय रहते हम निवेदन करना चाहेंगे कि इस समस्या को भारत सरकार गम्भीरता से ले।

इन बातों का जिक्र राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं था इसलिए इनको उस में जोड़ा जाए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सुनील दत्त (मुम्बई-उत्तर): महोदय, मैं राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों—लोक सभा तथा राज्य सभा में दिये गए अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

राष्ट्रपित के अभिभाषण में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं तथा इन दो बातों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रथम, देश में हिंसा तथा द्वितीय, देश की अर्थव्यवस्था।

देश में हिंसा जंगल की आग की तरह फैल रही है। हिंसा ने हमारे प्रिय नेता श्री राजीव गांधी जो कि संयुक्त, अखण्ड, धर्म निरपेक्ष, आत्मनिर्भर तथा आधुनिक भारत के पथप्रर्दशक थे, की जान ले ली।

भारत को 21वीं सदी में ले जाने में राजीव गांधी केवल नौ वर्ष दूर थे। वे हमारे देश के युवकों की शक्ति और साहस के प्रतीक थे। ऐसा मुस्कराता पुष्प जो भारत के सुन्दर उपवन में सुगन्ध बिखेर रहा था हिंसा का शिकार हो गया। हिंसा मानवजाति के विनाश का कारण रही है तथा हिंसा ने उस धरती से प्रभु ईसा मसीह, इमाम हुसेन, गुरु अर्जनदेव, गुरु तेग बहादुर, माहत्मा गांधी, इंदिरा गांधी तथा राजीव गांधी जैसे नक्षत्रों को उठा लिया।

मैं कहना चाहता हूं कि श्री राजीव गांधी केवल एल टी टी ई द्वारा ही नहीं मारे गए बल्कि वे उन लोगों, दलों, संगठनों का शिकार हुए जो हिंसा की आग उगलते हैं। ऐसे लोग जो हिंसा में जीते हैं तथा जो हिंसा की भाषा बोलते हैं। चुनावों में हमने इस हिंसा को देखा है। यदि मैं कहूं, कि चुनाव एक लोकतांत्रिक चुनाव नहीं था बल्कि ऐसा लगता था जैसे किसी क्षेत्र में गृह युद्ध हो रहा हो।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि वे मिलकर बैठें, विचार करे, तथा संगठित हों, हम अपनी व्यवस्था से हिंसा को खत्म करने का निश्चय करें। कब तक भारत राजीव गांधी जैसे महापुरुषों का बलिदान करता रहेगा, केवल नेहरू तथा गांधी परिवार ही ऐसी हिंसा का शिकार क्यों हुए।

जब राष्ट्रपति अपना अभिभाषण पढ़ रहे थे, तो मैंने देखा कि केन्द्रीय कक्ष की ध्वनि व्यवस्था ठीक प्रकार कार्य नहीं कर रही थी। जब देश का प्रथम नागरिक बोल रहा हो, तो मैं समझता हूं कि संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है कि वे पहले ही ध्वनि व्यवस्था का परीक्षण कर लें। मैं अपने साथी श्री जसवन्त सिंह जी तथा अन्य माननीय सदस्यों को बात से सहमत हू जिन्होंने ध्वनि व्यवस्था के संबंध में टोका है।

में नहीं जानता कि अन्य बातें ठीक थीं या नहीं। लेकिन मुझे बताया गया था कि अध्यक्ष के चुनाव के समय हमारे प्रधानमंत्री श्री पी० वी० नरसिम्हाराव, ने श्री वी० पी० सिंह का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया, परन्तु, मुझे यह भी पता चला कि उन्होंने समर्थन देने से मना कर दिया है। मैं कामना करता हूं कि यदि प्रधानमत्री उन्हें यह शेर सुनाते तो वे राजी हो जाते। मैं सदन में यह शेर सुनाता हूं:

"रजिश ही सही दिल को दुखाने के लिए आ,
आज फिर से हमें छोड़ के जाने के लिए आ।"

मैं समझता हूं कि इससे उन पर अच्छा प्रभाव पड़ता तथा हमें सर्वसम्मित की समस्या आड़े नहीं आती। मैं प्रधान मंत्री को उनकी स्पष्ट नीतियों तथा दृष्टिकोण, जिनका उल्लेख उन्होंने विश्वास प्रस्ताव पर अपने भाषण में किया है, पर बधाई देता हूं। उन्होंने निम्नलिखित कहा :—

"जनता ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन अवश्य दिया है परन्तु एक चेतावनी के साथ। जनता ने कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने की स्वीकृति तो दे दी है लेकिन कांग्रेस को जनाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु कार्य करना होगा। कांग्रेस को अन्य दलों के साथ मतैक्य स्थापित करने का प्रयास करना होगा।"

यहां देश की प्रगति का प्रश्न है। हम सभी के लिये यह अनिवार्य है कि देश को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिये हम सभी मिलकर प्रयास करें। यदि हम लोग आपस में ही लड़ते रहे और दूसरों की गलतियां ढूंढते रहे, तो मैं समझता हूं कि हमारे देश क समक्ष और बड़ी-बड़ी समस्याएं खड़ी हो जायेंगी। अतएव, मैं आपके माध्यम से सभी राजनैतिक दलों और उनके नेताओं से यह अनुरोध करुंगा कि यद्यपि हमारी सरकार अल्पमत में है तथापि देश और देश के विकास की खातिर, यदि हम किसी प्रकार के कार्यक्रमों का प्रस्ताव करते हैं तो उन्हें हमारे साथ सहयोग करना चाहिए क्योंकि देश को वर्तमान संकट से उबारने का यही एक रास्ता है।

दूसरे, उनके वक्तव्य ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित उस समय किया जब उन्होंने असम के बारे में चर्चा की। उन्होंने निम्नलिखित कहा :—

"अगर मुझसे पूछा जाये तो मैं राज्य सरकार को इस समस्या से अपने स्तर पर दिल्ली से कोई हस्तक्षेप अथवा कदम उठाकर स्थिति को और बिगाड़े बिना सुलझाने दूंगा।"

मुझे विश्वास है कि केन्द्र-राज्य के संबधों पर विस्तार से चर्चा की जायेगी और राज्यों को और अधिक स्वात्तता प्रदान की जायेगी। जिससे वे अपनी समस्याओं का स्वयं अवलोकन करने में समर्थ होंगे क्योंकि प्रत्येक राज्य की अपनी समस्याएं होती हैं और उस राज्य की जनता केन्द्र की अपेक्षा अपनी समस्याओं के साथ अधिक जानकारी रखती है। अतएव, हमें उन्हें अधिक स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए जिससे कि वे अपने राज्य की समस्याओं को स्वयं ही सुलझा सकें।

मुझे यह जानकर बेहद दुःख हुआ कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश के कतिपय महत्वपूर्ण व्यक्तियों के विषय में कोई उल्लेख नहीं था जो कि देश की कुल जनसंख्या का दस प्रतिशत है और वे हैं—सर्वाधिक प्रिय, विकलांग व्यक्ति। राष्ट्रपति के अभिभाषण में विकलांग व्यक्तियों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है और इससे मुझे अत्यंत कष्ट हुआ है। हमारे देश में 85 मिलियन लोग विकलांग हैं। भारत की जनता इस प्रतीक्षा में थी कि भारत के राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में इस देश के विकलांग व्यक्तियों के बारे मे अवश्य उल्लेख करेंगे। राष्ट्रपति को उनके बारे में अवश्य कुछ कहना चाहिए था। जिससे कि उन लोगों को यह महसूस होता कि सरकार उन लोगों के बारे में कुछ कदम उठा रही है मुझे संपूर्ण भारत से दूरभाषिक संदेश प्राप्त हुए हैं जिनमें राष्ट्रपति के अभिभाषण में विकलांग व्यक्तियों का उल्लेख नहीं किये जाने पर चिन्ता व्यक्त की गई है। मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, हमारे देश में विकलांग व्यक्तियों की संख्या कुल जनसंख्या का दस प्रतिशत है यानि कि 85 मिलियन विकलांग व्यक्ति।

भारत सरकार द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार यह प्रतिशत कम अर्थात् केवल आठ प्रतिशत है। एक निजी सर्वेक्षण के अनुसार यह प्रतिशत अधिक अर्थात् 10.8 प्रतिशत है। हमारे देश में प्रति दिन 36 अर्थात् प्रतिघंटा तीन, विकलांग पैदा होते हैं। हमारे यहां 20 मिलियन, मानसिक रूप से विकलांग, 18 मिलियन अन्धे और 25 मिलियन बहरे तथा पोलियो ग्रस्त बच्चे हैं। उन सभी के बारे में बस इतना कहना भर पर्याप्त था कि सरकार उनका पूरा-पूरा ध्यान रखेगी। 85 मिलियन विकलांग लोग सरकार से कितना प्रसन्न हो गये होते क्योंकि सामान्य लोगों की अपेक्षा भगवान राम भी विकलांग व्यक्तियों की प्रार्थना को पहले सुनते हैं।

मेरे सामने इस समय राष्ट्रपति के पिछले तीन अभिभाषणों की प्रतियां रखी हुई हैं जो कि क्रमशः दिनांक 11 जुलाई, 1991, 20 दिसम्बर, 1989 और 21 फरवरी, 1991 के हैं। उन तीनों में सर्वथा भिन्न बातें कहीं गई हैं परन्तु मूल तथ्य समान ही है।

श्री चित्त बसु : सार एक जैसा है।

श्री सुनील दत्त : इसीलिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ। वे लोग पंजाब की बात करते हैं। मैं 20 दिसम्बर, 1989 के राष्ट्रपति के अभिभाषण को पढ़ना चाहूँगा :—

> "पंजाब समस्या को अभी तक हल नहीं किया जा सका है। विगत कई वर्षों में हिंसा में भारी वृद्धि हुई है। अलगाववाद से कोई समझौता नहीं किया जायेगा और उग्रवादियों के सामने घुटने नहीं टेके जायेंगे। परन्तु इस समस्या को सुलझाने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करने की बेहद आवश्यकता है।"

फरवरी, 1991 :

> "पंजाब की स्थिति की निरंतर समीक्षा की जा रही है। सरकार की आतंकवाद से उपजी विवेक-हीन हिंसा के शिकार सभी व्यक्तियों से पूरी सहानुभूति है। सरकार आतंकवाद और अलगाव-वाद के साथ सख्ती से निबटने के प्रति दृढ़संकल्प है।"

और अब 11 जुलाई 1991 :

> "पंजाब में हिंसा और आतंकवाद बिना किसी गतिरोध के बढ़ रहे हैं। तथापि, यह बात उत्साह-वर्धक है कि आतंकवादियों जो कि जनसंख्या का एक बहुत छोटा भाग है। के फिरका-परस्त हथकंडों के बावजूद पंजाब के लोगों ने सांप्रदायिक सद्भाव को बनाये रखा है।

वर्ष 1981 से 1991 तक दस वर्षों की अवधि में 9070 लोग मारे गए हैं। उन लोगों की मृत्यु पंजाब में हो रही हिंसा के कारण हुई है। जो भी नई सरकार आती है, वह यह वायदा करती है कि वे पंजाब में शांति की स्थापना करेंगे और हर बार जो भी प्रयास किया जाता है उसकी परिणति हिंसा और कुंठा में होती है। इस महान सदन के एक सदस्य की हैसियत से पंजाब की शांति और गरिमा को बनाये रखने हेतु मैंने मुम्बई से अमृतसर तक 78 दिनों की पदयात्रा की और पंजाब के निवासियों से मुलाकात की। पंजाब की जनता मूल रूप से शांतिप्रिय है। वहां पर सांप्रदायिक संप्रदाय बना

हुआ है । वहां हिन्दुओं और सिक्खों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता। वहां पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतीय है और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि पंजाब की 90 प्रतिशत जनता शांति और सद्भावपूर्वक रहना चाहती है और सामान्य रूप से मैंने यह महसूस किया कि इस महान सदन में उपस्थित किसी भी राजनैतिक दल में इस समस्या का समाधान खोजने की राजनैतिक इच्छाशक्ति विद्यमान नहीं है भले ही केन्द्र में किसी भी दल की सरकार क्यों न हो।

मैं राजनैतिक दलों की एक बैठक में स्वयं उपस्थित था और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वे सभी उन आतंकवादियों या उग्रवादियों से जिनकी हम यहां बात कर रहे हैं, कहीं अधिक उग्र और हिंसक थे। इस बारे में कोई संदेह नहीं है। इसके बजाय मैं समझता हूं कि हमें इस महान सदन में बैठ कर यह कहना चाहिए कि हमें पंजाब के मसले पर पुनर्विचार करना चाहिए और एक भिन्न नीति को अपनाना चाहिए। हमने सिक्खों की भावनाओं को ठोस पहुंचाई है। हम एक लंबे अर्से से सिक्खों की भावनाओं को ठेस पहुँचाते रहे हैं। मैं यह कहने की अनुमति चाहूंगा कि श्रीमती गांधी 'आपरेशन ब्लू स्टार' के बाद सदा यह कहती रहीं कि, "हमें पंजाब के जख्मों पर मलहम का लेप करना है।" हमने आज तक पंजाब में क्या किया है ? कुछ भी नहीं, हमने पंजाब में गोलियां चलाई हैं। हमने वहां पर सेना भेजी है हमने वहां केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल को तैनात किया है। हमने पंजाब की धरती को सशस्त्र बलों के बूटों से रौंदवाया है। परन्तु हमने कभी पंजाब के जख्मों पर मलहम लगाने की कोई चेष्टा नहीं की है। आप हिंसा के शिकार व्यक्तियों की माताओं से यह पूछिए कि वे लोग निर्दोष थे अथवा आतंकवादी और अब उनके परिवारों और घरों का क्या हश्र हुआ है। मैंने हमेशा यह महसूस किया है कि पंजाब की समस्या का समाधान खोजते समय हमें पर्याप्त सौहार्दता का परिचय देना चाहिए।

महोदय, एक कांग्रेसी होने के नाते मैं श्रीमती इंदिरा गांधी के हत्याकांड की नृशंसता से भली-भांति परिचित हूँ। वह एक अत्यंत दुखद पूर्ण घटना थी। मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि सिक्खों के बच्चों और अन्य लोगों की हत्या भी बहुत बड़ी त्रासदी है। परन्तु इस सदन ने न तो कभी अपनी सम्वेदना व्यक्त की और न ही कभी यह कहा कि यह एक चिंताजनक घटना है।

आज हमें सिक्खों के सम्मान को पुर्नस्थापित करने हेतु प्रयास करने होंगे। कुछ दिन पूर्व मैं दक्षिण भारत गया था वहां जब मैं एक दक्षिण भारतीय से बात कर रहा था तो उसने मुझे बताया कि वह अण्डमान हो कर आया है और वहां जाकर वह प्रसिद्ध अण्डमान जेल भी गया था। उसने कहा कि वहां पर देश की स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु अपने जीवन का उत्सर्ग करने वाले और उस जेल में कैद किये गये तथा वहीं पर फांसी पर चढ़ाये गये कैदियों की एक सूची उपलब्ध है। महोदय, उस सूची में सबसे पहले बंगालियों का और दूसरे स्थान पर सिक्खों का नाम था। सिक्खों ने इस देश की स्वतंत्रता को हासिल करने के लिये अपने प्राणों की बाजी लगा दी। वे लोग हमारे सशस्त्र बलों में भी एक बड़ी संख्या में मौजूद हैं। तब फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि वे लोग एक अलग देश की मांग कर रहे हैं। मैं तो यह बात कभी सोच भी नहीं सकता। महोदय, मैं लगभग साढ़े चार घण्टे स्वर्ण मंदिर में भी रहा था। मैंने वहां के पांचों मुख्य ग्रंथियों और उपस्थित आतंकवादियों से भी मुलाकात की। उन साढ़े चार घंटों में, किसी ने भी मुझसे यह नहीं कहा कि वे खालिस्तान चाहते हैं; किसी ने भी

यह नहीं कहा कि वे एक पृथक देश चाहते हैं अथवा अपने लिए एक अलग राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं। फिर मैं यह कैसे मान लूं कि वे लोग खालिस्तान चाहते हैं ? यह राजनीतिज्ञों द्वारा किया गया मिथ्या प्रचार है क्योंकि वे उन तक पहुँचने में असमर्थ हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को दीवार की ओर धकेलेंगे तो वह अवश्य चीखेगा। हमने उन्हें बहुत दबाया है और जब उन्होंने हमारे शिकंजे से निकल भागना चाहा तो उन्हें क्रोध आ गया। उनके सम्मान को ठेस पहुंची थी। आपको उनका यह सम्मान वापस लौटाना होगा और उनसे यह कहना होगा कि वे महान हैं और वे इस देश की सबसे मूल्यवान सम्पत्ति हैं। महोदय, हम इस बात को कैसे भूल सकते हैं ? मेरा आपसे यही निवेदन है। हम पंजाब के प्रति इतना कठोर रुख क्यों अपनाते हैं ? पंजाब वो राज्य है जो देश की सीमा से दिल्ली तक फैला हुआ। तथा पंजाब वो राज्य था जिसमें हरियाणा और हिमाचल प्रदेश भी शामिल थे। आज पंजाब में 12 जिले हैं। अब यदि आप केवल 12 जिलों में भी शांति नहीं बनाये रख सकते, तो हम महान सदन के अस्तित्व का चुनावों के आयोजन और करोड़ों रुपये व्यय करने का क्या औचित्य है ? मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन लोगों को एक अलग स्वतंत्र देश की कामना नहीं है। उस राज्य का नाम बदलकर 'खालिस्तान' रख देने म कोई बुराई नहीं है। वे भारत के संविधान का पूरी निष्ठा से पालन करेंगे और वह राज्य तब भी भारत का ही एक अविभाज्य अंग बना रहेगा। उन्होंने यह बात मान ली है। फिर, आप उस राज्य को यह नाम क्यों नहीं दे सकते ? जब आप राजस्थान, महाराष्ट्र, मिजोरम नागालैण्ड जैसे नाम रख सकते हैं, जो, फिर पंजाब राज्य का नाम बदलने में कोई नुकसान नहीं है. . . **(व्यवधान)**

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : परन्तु अभी तो आपने कहा था कि वे खालिस्तान को मांग नहीं कर रहे हैं।

श्री सुनील दत्त : वे एक अलग खालिस्तान की मांग नहीं कर रहे हैं। आप इस का नाम खालिस्तान क्यों नहीं रख देते ? 'पंजाब' शब्द का अर्थ है—पांच नदियां। अब पांचों नदियां पंजाब में नहीं बह रही हैं ? अतएव, पंजाब को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

महोदय, मैं तहेदिल से यह महसूस करता हूं कि यदि पंजाब में शांति कायम रहेगी तभी भारत में भी शांति की स्थापना संभव हो सकेगी।

श्री प्रताप सिंह (बांका): मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर श्री बूटा सिंह द्वारा रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं। हमारे देश के इतिहास की यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण घड़ी है और इस अभिभाषण में हम कुछ नयी बातों की आशा कर रहे थे परन्तु हमें निराशा ही हाथ लगी।

मेरा इस धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करने का आधारभूत कारण यह है कि उन्होंने देश के सामने आसन्न खड़े ज्वलंत मुद्दों के बारे में कोई बात नहीं की है। कश्मीर, पंजाब, असम और अन्य अनेक राज्यों में हमारे सामने अनेक समस्याएं खड़ी हैं। आज हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। परन्तु राष्ट्रपति ने इनमें से किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं की। इसी प्रकार इस के अनेक स्थानों जो कि विकास के मानदण्डों से आज भी बेहद पिछड़े हुए

हैं, को विकसित करने की नितांत आवश्यकता है। बिहार राज्य में, जहां से मैं संबंध रखता हूं, हम देखते हैं कि लोगों को सुलभता से उपलब्ध सभी मूलभूत सुविधाओं से हम लोग आज तक वंचित हैं। वहां पर सड़कें न तो मात्रा में पर्याप्त हैं और न ही उनका निर्माण अथवा अनुरक्षण समुचित ढंग से होता है। हमारे यहां अधिकतर प्राथमिक और माध्यमकि विद्यालय जर्जर अवस्था में हैं। हमारे राज्य में शिक्षा प्रणाली की शोचनीय अवस्था है। ये सभी ज्वलंत मुद्दे हैं। इन सभी समस्याओं का निराकरण अनिवार्य है क्योंकि हम अपनी भविष्य की पीढ़ियों के जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहते। हमारे देश में विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में, विकास की जो गति है, उसके आधार पर मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि जब तक मेरे राज्य में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या पर्याप्त होने से पहले ही एक पूरी की पूरी पीढ़ी गुजर जायेगी।

अपने इतिहास के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर, क्या हमारा राष्ट्र शिक्षा के अभाव में एक समूची पीढ़ी को बरबाद होने दे सकता है ? शिक्षा हमारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण सम्पत्ति और सम्पदा है। मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि इस कटु सत्य को पूरी तरह से अंगीकार नहीं किया गया है और इस दिशा में कोई उचित कदम नहीं उठाया गया है।

अपने अभिभाषण के पैरा 12 में राष्ट्रपति कहते हैं :—

"सरकार यह मानती है कि देश अभूतपूर्व आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है।"

मैं समझता हूं कि हममें से अधिकतर वर्तमान स्थिति और देश को इस अवस्था में पहुँचाने वाले कारणों से अच्छी तरह परिचित हैं। वास्तव में, मैं तो यह कहूँगा कि शायद ऐसा कहना भी देश के समक्ष आसन्न विनाश की विकरालता को कम करके आंकना होगा। उन्होंने आगे कहा :

"देश अपनी आय से ज्यादा व्यय करता रहा है और आसान रास्तों को अपनाता रहा है।"

वैसे मुझे ठीक-ठीक यह नहीं मालूम कि "आसान रास्तों" से उनका क्या अभिप्राय है क्योंकि मैं कोई वित्तीय मामलों में पारंगत नहीं हूं। परन्तु एक सामान्य आदमी की हैसियत से स्थिति का अवलोकन करके मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि, "आसान रास्तों" का अभिप्राय यह है कि एक व्यक्ति बैंक जाता है और ओवर ड्राफ्ट लेकर पैसा निकाल लेता है। मैं यह कहना चाहूँगा कि पिछले चालीस सालों में कांग्रेस (ई) पार्टी के नेतृत्व में गठित क्रमिक सरकारों ने देश के साथ मनमाना व्यवहार किया है और वर्तमान संकट के लिये वही उत्तरदायी है। (**व्यवधान**) मैं एक बार पुनः राष्ट्रपति के अभिभाषण में से उद्धृत करना चाहूंगा। पैरा 12 में यह कहा गया है :—

"सरकार दीर्घ-आर्थिक स्थिरीकरण तथा ढांचा गत सुधारों के प्रति वचनबद्ध है जो कि देश में तीव्र प्रगति लाने के उद्देश्य से राष्ट्र की प्रसुप्त ऊर्जा को क्रियाशील बनायेंगे।"

अब, एक नजर डालने पर ऐसा प्रतीत होता है कि शायद हम किसी नवीन जीवाणु के नाम को देख रहे हैं। परन्तु हमारी धारणा समान ही है कि वर्तमान सरकार यह आशा कर रही है कि भारत की जनता उन्हें संकट से बचा लेगी। किसी भी सरकार के लिये वह एक अत्यंत शोचनीय स्थिति होती

है जब उसे यह कहना पड़ता है कि सरकार राष्ट्र की प्रसुप्त ऊर्जा को विकसित किये जाने की प्रतीक्षा कर रही है जोकि विकास की गति को तीव्रता प्रदान करेगी।

अब, मैं काले धन के प्रसार के विषय में कुछ कहना चाहूँगा। हम इस अभिशाप के उन्मूलन और समाप्ति की बात कर रहे हैं। मैं यह आरोप लगाता हूँ कि एक जटिल कराधान प्रणाली, जो कि किसी भी आम व्यक्ति के लिये बहुत कष्ट जन्य है, को आरंभ करके पिछली सरकार ने एक व्यवस्थित ढंग से इस राष्ट्र को बेईमानी करना सिखाया है। मैं पूरी शिद्दत से यह महसूस करता हूँ कि इस मामले की तह में जाना चाहिए। यह देखना सरकार का कर्तव्य है कि लोगों को कालाधन जमा करने की प्रेरणा नहीं मिले। इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। अब यह देखना सरकार का काम है कि वे काले धन को कैसे बाहर निकालती है ?

अब मैं जम्मू और कश्मीर की बात करना चाहूंगा। कश्मीर की समस्या ने गंभीर मोड़ ले लिया है। स्वतंत्रता से लेकर आज तक यह समस्या हमारे सामने ज्यों की त्यों बनी हुई है और मैंने देखा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इसका उल्लेख किया गया है जिसे मैं उद्धृत करना चाहूँगा और जम्मू कश्मीर के बारे में केवल इतना ही कहा जा सकता है :—

> "जम्मू और कश्मीर के बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा।"

इससे यह पता चलता है कि हमें सचमुच कश्मीरियों को रिश्वत देकर और यदि सम्भव हो तो बहला फुसला कर अपनी मुट्ठी में बनाये रखने की आशा है। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि कश्मीर की स्थिति का एक नये सिरे से अवलोकन किये जाने की आवश्यकता है और हमें वस्तु स्थिति को समझना ही होगा।

सभापति महोदय : श्री प्रताप सिंह, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री प्रताप सिंह : महोदय, इस से मुझे एक ऐसी स्थिति का स्मरण हो आता है जिसमें एक पति अपनी पत्नी को काबू में रखने का प्रयास करता है जिसने अपने लिये कोई युवा प्रेमी ढूंढ लिया है। ऐसी स्थिति में, आप के समक्ष कुछ गिने चुने विकल्प बच जाते हैं। एक तो आप के सामने प्रेमी को रिश्वत देकर उसे पत्नी से विमुख करने का विकल्प है और दूसरा विकल्प अपनी पत्नी को अपने साथ रहने के लिये रिश्वत देकर राजी करना है।

सभापति महोदय : आप महिलाओं के प्रति उदार नहीं हो रहे हैं।

प्रताप सिंह : महोदय, महिलाओं से क्षमा प्रार्थना करते हुए, मैं अपना अंतिम मुद्दा जो कि अंतिम विकल्प है आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि आप उनकी मांगों को मान लें। हमें यह समझना होगा कि कश्मीर की समस्या बेहद लंबी खिंच गई है और हमें यह भी समझना चाहिए कि जनता को उनकी मर्जी के खिलाफ दमन से एक जुट रखना संभव नहीं है। ऐसा रिश्वत देकर कर पाना भी संभव नहीं है और इस बिन्दु पर पहुँच कर उन्हें साथ मिलकर रहने के लिये राजी करना तो निश्चय ही दुष्कर कार्य है।

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सरकार भविष्य में केन्द्र राज्यों के संबंधों के विषय में मौन धारण किये हुए हैं। जब तक हम इस बात की आवश्यकता को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम इस देश को संगठित और स्थिर नहीं बनाये रख सकते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

(हिन्दी)

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : सभापति महोदय, 11 जुलाई को राष्ट्रपति महोदय के संसद में दिये गये अभिभाषण पर श्री बूटा सिंह जी ने धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, आज उस पर चर्चा हो रही है। आप जानते हैं कि देश के बहुत बड़े महान नेता श्री राजीव गांधी की जो हत्या हुई, उससे हमारे देश में हिंसा की राजनीति बहुत आगे बढ़ गई है। उससे हमारे देश के लोकतंत्र को बहुत खतरा पैदा हो गया है। इतना ही नहीं पिछले डेढ़ साल में देश की कानून व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया है। इसी तरह से हमारे देश में गरीब और अमीर वर्ग के बीच में आय का अन्तर बढ़ता जा रहा है। इन समस्याओं को हल करने के लिए हमें गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

एक माननीय सदस्य : क्या कानून व्यवस्था डेढ़ साल में ही खराब हुई है ?

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : राजनीति में काम करने के साथ-साथ मुझे अखबार में भी काम करने का अनुभव है। इसलिए मैं लेटेस्ट चीज को बोलता हूं। ताजा बात तो बता रहा हूं। पुरानी भी बताऊंगा। पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने एक बार कहा था कि जब देश खतरे में हो तो पूरी ताकत के साथ उस खतरे का मुकाबला कीजिए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज जो संकट है और इसमें जो स्थिति उत्पन्न हो गई है उस पर पूरी गम्भीरता से विचार करना चाहिए। इसी तरह से महात्मा गांधी ने भी एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि जब कोई व्यक्ति, समाज या जनप्रतिनिधि कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले तब वह स्वयं से पूछे कि उस निर्णय का अन्तिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति अर्थात् गरीब व्यक्ति पर क्या असर होगा। यदि हम राजनीतिक लोग यह सोचें कि जो हम निर्णय लें उसका असर गरीब व्यक्ति पर क्या होगा तो सही होगा। यदि हम सोच विचार कर इस मार्ग पर चलें और इस बात को मानकर चलें तो बहुत सी समस्यायें समाप्त हो जायेगीं।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हमने अभी कुछ वर्षों में मिले जुले समाजवाद और पूंजीवाद दोनों का प्रयोग किया है। उसमें हमको जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली। इसलिए हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या समय नहीं आ गया है कि गांधीवाद को अच्छी तरह से पढ़कर समझकर, चिन्तसकर, मनन कर उसको अमल में लाने का प्रयास करें। मैं समझता हूं कि गांधीवाद का अर्थ यह नहीं है कि हम चरखा युग में चले जायें। गांधीवाद का यह अर्थ नहीं है कि हम बड़े-बड़े कारखाने बन्द कर दें, गांधीवाद का मतलब यह है कि .....

श्री दाऊदयाल जोशी : (कोटा) चालीस साल तक आपने राज किया, तब क्यों नहीं किया।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : मुझे लगता है आपको समझने में कुछ समय लगेगा, आप धैर्य से सुनें, सब समझ जायेगें। लेकिन आप में धैर्य नहीं है। मैं जब यह कह रहा हूं कि हमनें देश में अनेक वर्षों तक समाजवाद और पूंजीवाद का प्रयोग किया। और

3.00 म. प.

उसमें हमें सोचना चाहिये कि जब इतने वर्षों से हमने पूंजीवाद और समाजवाद का मिला-जुला प्रयोग किया, उसमें हमें इतनी सफलता नहीं मिली, तब आप को महात्मा गांधी के बताये हुए मार्ग पर चलने की निश्चित रूप से सोचना चाहिये । बात यह है कि आपने महात्मा गांधी के साहित्य को पढ़ा नहीं है। महात्मा गांधी के "कलेक्टेड वर्क्स" को आप पढ़िये और कुछ नहीं तो 35वें वौलयूम से 82 वौलयूम तक अवश्य ही पढ़िये । उसमें आपको बहुत ज्ञान मिलेगा, विज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ मिलेगा । आपको और कहीं नहीं मिल सकता है । आप कृपा करके उसको पढ़ने की कोशिश करें ।

मैं कह रहा था कि हमारे राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में हमारे देश की बहुत सी बढ़ती हुई समस्याओं की चर्चा की है और उन समस्याओं मे से देश की सबसे बड़ी समस्या बढ़ती हुई बेरोजगारी है । यह बेरोजगारी जो दिन-प्रतिदिन उग्र रूप धारण करती जा रही है, उसको हम कैसे हल करें ? ऐसा नहीं है कि इतने बड़े देश में हमें बहुत से लोग काम करने वाले नहीं चाहियें लेकिन अब समय आ गया है कि हम शिक्षा नीति में परिवर्तन करें या उस पर पुनर्विचार करें । हमारी बुनियादी गलती है कि हम शिक्षा नीति में ठीक ढंग से परिवर्तन नहीं ला पाये हैं । उदाहरण के लिए हमारे देश में आज बेरोजगारों की संख्या कई करोड़ है । साथ ही साथ यदि हम उद्योगों में चले जायें, कारखानों में चले जायें और पुस्तकालयों में चले जायें, हमें वहां कई किस्म के कर्मचारियों की बहुत जरूरत है लेकिन जिसकी जरूरत है वे आदमी मिलते नहीं हैं । हमें शिक्षा पद्धति में प्रायमरी शिक्षा से मिडिल स्कूल तक और हाई स्कूल से कालेज तक ऐसे परिवर्तन करने की जरूरत पड़ेगी । मान लीजिये एक सप्ताह में 45 घण्टे या 45 पीरियड पढ़ाई होती है, उसमें कुछ नहीं तो थोड़े पीरियड के लिए जब ओरियेन्टेड शिक्षा रखनी होगी जिससे आप स्वंय पैरों पर खड़े हो सकें यानि नौकरी कर सकें । यदि आप उद्योगों में भी चलें जायें तो यही दिखाई देगा । यानि सही किस्म के कर्मचारी नहीं मिले । यहां तक कि दिल्ली में ढूंढिये, स्टैनो टाईपिस्ट नहीं मिलते हैं क्योंकि उनको सही ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है । इसलिए शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करने की जरूरत है जिस किस्म के कर्मचारी चाहिए उस किस्म की ट्रेनिंग दीजिए, जितने योग्य व्यक्तियों की जरूरत होगी, वे मिल सकेंगे । आज जरूरत इस बात की है कि हम आज देश में ऐसे कालेज विश्वविद्यालय खोलें जिससे वहां से निकलने के बाद काम मिल सके । आज यह फैशन बन चुका है कि हर एक विद्यार्थी डिग्री लेना चाहता है । डिग्री के अलावा डिप्लोमा से वे संतुष्ट नहीं होते हैं, वे केवल डिग्री चाहते हैं । उदाहरण के तौर में यह कहना चाहता हूं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है । यहां दिन-प्रतिदिन पेड़ कट रह रहे हैं, फारेस्ट कम हो रहा है । दुनिया में केवल ऐसी तीन यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें एक हमारे हि० प्र० में है । जहां हार्टीकल्चर और फारेस्ट की पढ़ाई होती है । लेकिन दुख की बात यह है कि वहां भी पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से होती है । आवश्यकता इस बात की है कि म० प्र०, बिहार, उड़ीसा आदि प्रदेशों में अच्छे ढंग की हार्टीकल्चर और फारेस्ट की युनिवर्सिटीज खोली जायें । इसी प्रकार से इंस्ट्रीट्यूट ऑफ टैक्नालाजी के बारे में है । आप इंग्लैण्ड, फ्रांस या कहीं चले जायें आपको मालूम होगा कि वहां सफेदी जो दीवार पर की जाती है, उसके लिए तीन साल की ट्रेनिंग का डिप्लोमा मिलता है और वे अच्छा काम कर

सकते है जबकि हमारे हिन्दुस्तान में सफेदी करने वाले बहुत से मिल जायेंगे लेकिन उनको ठीक से ट्रेनिंग नहीं होती है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा पद्धति में परिवर्तन कर ऐसी ट्रेनिंग दीजिए कि पढ़ाई यों हो और धन्धा भी सिखाया जा सके 14-15 साल तक की उम्र तक साधारण ज्ञान की शिक्षा दीजिए और उसके बाद धन्धा करने, कारखाने में काम करने, जमीन पर काम करने, विभिन्न किस्मों की नौकरी करने की ट्रेनिंग दीजिए ।

(अनुवाद)

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : महोदय, मैं समझता हूं कि मेरे माननीय मित्र 1986 की इस शिक्षा नीति में परिवर्तन की वकालत कर रहे हैं जो सरकार ने बनाई है।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : यदि आप नहीं समझे, मैं आपको बता सकता हूं, यह सच है ।

(हिन्दी)

मेरे कहने का यही अभिप्राय है, शिक्षा पद्धति में बहुत परिवर्तन की जरूरत है। **(व्यवधान)** इसी तरह से आज हम देखते हैं कि समस्या आ गई है काले धन की। इसे हर कोई जानता है इसे कैसे समाप्त किया जाए । इसके अनेक उपाय हो सकते हैं। मेरा एक सुझाव यह है कि काले धन वालों को 15 दिन, एक महीना या दो महीने का जो भी आप उचित समझें समय दें और बैंकों में जमा करने के लिए कहें, उनसे यह न पूछें कि यह कहां से आया है। वहां किसी न किसी तरह से उसका दुरुपयोग हो रहा है और उसके कारण बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए अच्छा होगा कि उन को समय दिया जाए–15 दिन, 25 दिन दीजिए बैंक में जमा करने के लिए। निजी खाते में जमा उस धन को सरकार रचनात्मक कार्य में लगाए ।

दूसरी बात यह है कि हम लोग जो आयकर लगाते हैं वह निश्चित रूप से आय पर कर होता है जो आदमी कमाता है उस पर हमें कर लगाना पड़ता है। उसको लेना आसान काम नहीं है। आप जितना आयकर वसूल करते हैं और उससे आधी रकम उसकी वसूली पर खर्च कर देते हैं। इसलिए आप आयकर के रेट को क्यों नहीं कम करते हैं ? ·· **(व्यवधान)** ·· जर्मनी में, दूसरे देशों में क्या होता है ? उन देशों में आयकर के लिए अलग से आयकर के अफसर का कमरा नहीं होता है। आप जर्मनी चले जाएं, जापान चले जाएं, फ्रांस चले जाएं। वहां आप देखें एक बहुत बड़ा कमरा होता है जिसमें पांच छह हजार लोग बैठे होते हैं और जिसकी आयकर की पेशी होती है तो एक आदमी बताएगा कि अमुक टेबल पर आपकी पेशी है। इस तरह से जाने के बाद कागजों की जांच होती है उसको समाप्त कर दिया जाता है। दूसरी व तीसरी पेशी में अलग-अलग अफसर के पास जाना पड़ता है। तीन के बाद चौथी बार पेशी नहीं होती है। इसमें आयकर वसूली में भ्रष्टाचार नहीं होता।

मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। वह यह है कि आज हमारे मध्य प्रदेश में बहुत अकाल पड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में वर्षा नहीं हो रही और छत्तीसगढ़ में तो एक ही फसल होती है धान की, जिसके कारण और अकाल होने का खतरा पड़ रहा है। यह सरकार राहत कार्य या निर्माण कार्य नहीं करती इसी तरह से हमारे छत्तीसगढ़ में बस्तर से लेकर बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग राजनांदगांव में बहुत दिनों से आंत्रशोथ की बीमारे फैली है, उसको कुछ लोग हैजा भी कहते हैं।

उसके कारण वहां कई सौ लोग, दो हजार लोगों से अधिक मर चुके हैं लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के कान में जूं नहीं रेंगती है । अभी तक वहां डॉक्टरों की कमी है, औषधियों की कमी है, नर्सों की कमी है । मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट का कोई भी मिनिस्टर वहां जाकर देखता नहीं है (व्यवधान) ।

श्री दाऊ दयाल जोशी : ये बीमारी दो साल में ही आ गई क्या ? आपको सारी कमी अब दिख रही है। आप पहले भी लोक सभा के मेम्बर रहे हैं । 44 साल से आपकी सरकार चल रही है । (व्यवधान) ।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : आप आंख खोलकर देखिए वहां कितने लोग मरे हैं । आपको इस बात पर शर्म आनी चाहिए । जब वहां पर लोग मर रहे हैं तो आप को वहां देखने जाना चाहिए । मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि वहां की सरकार द्वारा कोई विकास के कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं । डेढ़ साल में सरकार ने वहां की कानून व्यवस्था बिगाड़ने के साथ साथ वहां भ्रष्टाचार भी बहुत बढ़ाया है । तेन्दु पत्ता से साढ़े तीन सौ करोड़ का मध्य प्रदेश की सरकार ने जानबूझकर घाटा कराया है एक अपने आदमी को देने के लिए । मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने हालांकि अभी चुनाव में मध्य प्रदेश में जो चुनाव लोक सभा के हुए थे । (व्यवधान)

(अनुवाद)

श्री मोरेश्वर साबे (औरंगाबाद) : सभापति महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं, माननीय सदस्य ने कहा

(हिन्दी)

"आपको शर्म आनी चाहिए ।"

(अनुवाद)

यह असंसदीय है और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस पर ध्यान दें तथा इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दें ।

सभापति महोदय : यदि यह असंसदीय है तो इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि पिछले चुनावों में हमारे यहां मध्य प्रदेश में 40 लोकसभाई क्षेत्रों में चुनाव हुआ, भारत के दूसरे राज्यों में भी चुनाव हुआ, परन्तु मध्य प्रदेश में 40 स्थानों में से 27 स्थानों पर कांग्रेस पार्टी को विजय हासिल हुई । इसी तरह से वहां पर ग्राम पंचायतों के चुनाव होने वाले थे परन्तु वहां की सरकार ने अपनी हार को देखते हुए, उन्हें होने नहीं दिया । कहने का तात्पर्य यह है कि मध्य प्रदेश में जो सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसे तुरन्त बर्खास्त किया जाए । इसका कारण यह है कि आज वहां पर हर स्तर पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है और उसका नैतिक पतन हो चुका है ।

दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ रीजन में आजकल लोगों के सामने अनेक समस्याएं हैं । खास तौर से छत्तीसगढ़ का इलाका प्राकृतिक साधनों से सम्पन्न रहा है, सभी तरह से साधन सम्पन्न है, वहां के लोग बड़े परिश्रमी और ईमानदार हैं परन्तु पिछल सालों

में छत्तीसगढ़ का जितना विकास और तरक्की होनी चाहिये थी, वह नहीं हुई। उसका कारण यह है कि वहां के युवकों को आगे बढ़ने के अवसर समान रूप से नहीं मिले, विकास के समान अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सारे देश का सबसे बड़ा राज्य है लेकिन आई० ए० एस०, आई० पी० एस और आई० एफ एस० की परीक्षाओं के लिये एक ही सेन्टर भोपाल में है जब कि छोटे राज्य महाराष्ट्र में दो जगह सेन्टर हैं--नागपुर और बम्बई। परन्तु हमारे मध्य प्रदेश में केवल एक ही सेन्टर है। अब तक वहां कई सरकारें आयीं और चली गयीं। हमने हर सरकार का ध्यान इसकी ओर दिलाया और मांग की कि रायपुर में, जो भोपाल से 1300 किलोमीटर की दूरी पर है, आई० ए० एस०, आई० एफ० एस० और आई० पी० एस आदि की परीक्षाओं का एक दूसरा केन्द्र खोल दिया जाए लेकिन अभी तक नहीं खोला गया है। उसी तरह बस्तर में राजहरा से लेकर जेलाडीला तक रेलवे लाइन बिछाने का एक प्रस्ताव था जो 20 सालों से निलम्बित चला आ रहा है। इस लाईन की स्वीकृति ललित नारायण मिश्रा जी के समय में दी गयी थी। इस रेलवे लाइन के न होने के कारण भी बस्तर क्षेत्र काफी पिछड़ा रह गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे मध्य प्रदेश में लोगों को विकास का समान अवसर नहीं मिल रहा है जितने बड़े-बड़े कारखाने हैं, उनमें भी हालत बहुत चिन्ताजनक है उनमें स्थानीय लोगों के साथ न्याय नहीं किया जाता। इसके साथ साथ वहां जितने छोटे छोटे उद्योग या छोटे छोटे कारखाने हैं, उन्हें सरकार की ओर से जितना प्रोत्साहन मिलना चाहिये, वह भी नहीं मिल पा रहा है। उदाहरण के लिये, छोटे उद्योगों को भिलाई इस्पात कारखाने से प्रोत्साहन नहीं मिलता। इस कारण छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लोगों में असंतोष की भावना लगातार बढ़ती जा रही है। लोग परेशान हैं। इसलिए मांग होने लगी है कि छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनाया जाये। आज वहां के लोगों में असंतोष इतना अधिक बढ़ चुका है और लगातार उग्र रूप धारण करता जा रहा है इसलिए हमारी मध्य प्रदेश सरकार को चाहिए, चाहे वह किसी भी पोलिटिकल पार्टी की हो, कि छत्तीसगढ़ के लोगों को भावनाओं की कद्र करे, उनकी समस्याओं की ओर विशेष ध्यान दे उनका हर स्तर पर शोषण हो रहा है, विकास के काम रुके हुए हैं। इतना ही कहते हुए, मैं आपको धन्यावाद देता हूं।

(अनुवाद)

श्रीमति पिल्ल कुमारी भंडारी (सिक्किम) : सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यावाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं श्री सुनील दत्त जी द्वारा पंजाब में स्थिति को सुधारने हेतु किए जाने वाले उपायों की आवश्यकता के संबंध में व्यक्त किए गए विचारों का समर्थन करती हूं। मैं कहना चाहूंगी कि हमें अपने विगत से शिक्षा लेनी होगी तथा यह प्रयास करना होगा कि हमारे देश में एक और पंजाब न बन जाए। अपने अभिभाषण में, राष्ट्रपति ने यह कहा है कि :

> "उन सभी के साथ वार्तालाप करना संभव है जो हिंसा से दूर रहें तथा हमारे संविधान में आस्था रखें।"

मैं विश्वास करती हूं कि यह बात हमारे देश के सभी क्षेत्रों में लागू होती है जहां हिंसा प्रवृत्ति बढ़ गई है। यदि मैं यह समझूं कि शासक दल का यही विचार है, तो मुझे इस बात का दुःख है और मुझे इस माननीय सदन को यह बताने में कोई हिचक नहीं है कि आज इस देश

में एक करोड़ से भी ज्यादा नेपाली बोलने वाले भारतीय लोग कांग्रेस दल के एक सदस्य द्वारा दिए गए वक्तव्य से क्रुद्ध है क्योंकि उन्होंने अपने वक्तव्य में यहां तक कह दिया है कि भारत में नेपालियों के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं इस वक्तव्य का विरोध करती हूं तथा अपनी पूरी शक्ति से इसकी निन्दा करती हूं। वैसे यह बात समझ से बाहर है कि ऐसा वक्तव्य एक संसद सदस्य तथा वह भी शासक दल के संसद सदस्य द्वारा दिया गया है। इस प्रकार के वक्तव्य के दूरगामी परिणाम होंगे। मैं इस मामले को सबके सामने नहीं रखना चाहती क्योंकि यह बहुत ही नाजुक मामला है। किन्तु कुछ लोगों के लिए ऐसा मामला सस्ती शोहरत पाने का मामला है। किसी भी ठीक तरह से सोचने वाले व्यक्ति के लिए यह बहुत ही नाजुक मामला है तथा मैं पूरी विनम्रता से ऐसे सदस्य से अनुरोध करूंगी कि वह इस प्रकार के गैर जिम्मेदार वक्तव्य देने से बचें। चूंकि यह विशेष सदस्य शासक दल का है सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री से तथा गृहमंत्री से यह पूछना चाहूंगी तथा साथ ही विपक्षी दल के नेताओं का ध्यान इस सदन के एक सदस्य के गैर जिम्मेदारीपूर्ण वक्तव्य की ओर दिलाती हूं तथा गृह मंत्री से यह स्पष्ट उत्तर मांगती हूं कि क्या इस सदस्य की आवाज में शासक दल की अपनी भावनाएं अन्तर्निहित हैं, यदि हां तो इसके क्या आधार हैं।

महोदय, मुझे यह देखकर बहुत ही दुःख हुआ है कि नेपाली भाषा बोलने वाले भारतीय लोगों की लम्बे समय से की जाने वाली मांग के बावजूद संविधान की आठवीं अनुसूची में नेपाली भाषा को शामिल नहीं किया गया। त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम की राज्य विधान सभाओं ने इससे संबंधित प्रस्ताव पारित कर दिया है। अनेक बार माननीय सदन के समक्ष भी विधेयक लाए गये हैं। इसके अतिरिक्त एक शासक दल के सदस्य ने यह कहकर घाव पर नमक छिड़का है कि नेपाली लोगों को यह देश छोड़ देना चाहिए। ऐसा करके वे उन लोगों की निष्ठा पर कलंक लगा रहे हैं जिन्होंने कई पीढ़ियों से इस देश की सेवा की है तथा अभी भी उनमें से हजारों लोगों ने अपने देश को शत्रुओं से बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। कुछ लोग आज भी जोखिमपूर्ण व खतरनाक भू-भागों में हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं तथा किसी भी क्षण उन्हें इस देश के लिए अपना जीवन बलिदान करना पड़ सकता है।

सभापति महोदय, मैं यह मामला शासक दल के विवेक पर छोड़ती हूं, वे उनकी मातृभाषा के संबंध में विचार करें तथा अच्छा हो कि वे उसे मान्यता दें और संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करें; यह उन लोगों की भाषा है जिन्होंने अपने देश, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना बहुमूल्य रक्त दिया है।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में यह उल्लेख किया है कि हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है। जी हां, यह सच है कि हमें अपने सशस्त्र बलों पर बहुत गर्व है किन्तु खेद की बात है कि जो देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर रहे हैं, जो इस देश की सीमाओं पर चौकसी कर रहे हैं उन हजारों लोगों के परिवारों को यह देश छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। मैं दुःख के साथ यह भी कह रही हूं कि सीमावर्ती क्षेत्रों पर राजमार्गों का रख-रखाव करने में सीमा सड़क संगठन द्वारा की जा रही उत्तम सेवा का भी कहीं उल्लेख नहीं किया गया।

बढ़ती हुई कीमतें तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में मैं विश्वास करती हूं कि सरकार देश के सभी पहाड़ी तथा कठिन भू-भागों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के भार को कम करने संबंधी अपनी वचनों को पूरा करने का सच्चे हृदय से प्रयास करेंगी।

महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, तथा उनके प्रवर्तन के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति का भी उल्लेख किया गया है :

इन्दिरा महिला योजना के कार्यान्वयन के लिए तथा स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के स्वप्नों को पूरा करने के लिए सरकार को महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने पर विचार करना चाहिए। यह लड़कियों की गिरती हुई जन्म-दर को देखते हुए आवश्यक है। महिलाओं के दर्जे से संबंधित समिति का विचार है कि भारतीय समाज में महिलाओं के गिरते हुए दर्जे की मिश्रित प्रक्रिया के धार्मिक परिणामों के कारण महिलाओं की जन्म-दर में कमी आई है। अर्थ-व्यवस्था परिवार सामुदायिक और राजनीतिक प्रक्रिया में समाज के दृष्टिकोण में महिलाओं के प्रति सही दृष्टिकोण न अपनाने से महिलाओं की गरीबी, भूखमरी और सभी वर्गों में उनकी पुरुषों की तुलना में कमी हुई है। इस बात की पुष्टि इससे भी हो जाती है जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने इस सभा में कहा है कि एक मां ने स्वयं तथा अपने बच्चों को लेकर कुएं में छलांग लगा कर मार डाला।

सिक्किम बहुत ही शांतिपूर्ण राज्य है तथा अपराध घटनाएं न केवल हमारे देश में ही बल्कि विश्व में भी कम हुई हैं। सिक्किम में लोग शांतिप्रिय हैं तथा वे शांति बनाए रखते हैं। उन्होंने अपने राज्य में शांति बनाए रखने की आवश्यकता समझ ली है। राज्य में शांति बनाए रख कर अधिक विकास कर पाए हैं। किन्तु कुछ जिम्मेदार लोगों द्वारा दिएगए गैर-जिम्मेदार वक्तव्यों से लोगों के बीच अशांति उत्पन्न होती है। इसे रोका जाना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री के पास यह संदेश भेजना चाहती हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (डमडम) : कुछ बड़े दल कहते हैं कि उन्हें सदन में चर्चा में भाग लेने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जाता।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, मैं यह मानता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति ने अवश्य ही इस संबंध में निर्णय ले लिया होगा तथा अब समय का आबंटन कर दिया गया है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : कार्य मंत्रणा समिति में निर्णय लिया गया था कि प्रधान मंत्री आज पांच बजे बोलेंगे। किन्तु दोपहर को मुझे विपक्षी व शासक दोनों दलों के सदस्यों से अनेक अनुरोध प्राप्त हुए। अतः मैंने कार्य मंत्रणा समिति के सभी सदस्यों को टेलीफोन किया.... (व्यवधान)। यह निर्णय लिया गया कि प्रधान मंत्री आज 5 बजे की बजाय कल प्रश्नकाल के तुरन्त बाद बोलेंगे। इस प्रकार हम कुछ और सदस्यों को बोलने का अवसर दे सकेंगे। यदि सदस्य चाहें तो हम 6 बजे के बाद भी अर्थात् कम से कम 7 बजे तक बैठ सकते हैं ताकि अधिक सदस्यों को बोलने का अवसर मिल सके।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मेरे विचार से मंत्री महोदय अपना कथन ठीक कर लेंगे । उन्हें कहना चाहिए था "शून्यकाल के तुरन्त बाद"। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यदि सदन की बैठक का समय बढ़ाना है, तो जो भी सदन निर्णय ले, हम उसी के अनुसार ही करेंगे । **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कांति चटर्जी : राष्ट्रपति अभिभाषण जैसे महत्वपूर्ण मामले पर सभी दलों के सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए । यह इस सदन की सामान्य परम्परा है ।

सभापति महोदय : जी हां, सभी दलों के सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जा रहा है । मेरे विचार से माकपा के अब तक दो सदस्य बोल चुके हैं । सभी दल के सदस्यों को समय दिया जा रहा है । **(व्यवधान)**

श्री पियूष तीरकी (अलीपुरद्वार) : अपने दल की ओर से एक मैं ही सदस्य खड़ा हुआ हूं और आप मुझे बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं ।

सभापति महोदय : माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने अभी बताया है कि यदि सदन चाहे तो इसकी बैठक का समय बढ़ाया जा सकता है ताकि अधिक से अधिक माननीय सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिल सके ।

श्री गुलाम नबी आजाद : हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, चाहे आज सदन की बैठक 9 बजे तक अथवा 10 बजे तक भी चलती है ।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे आज की बैठक का समय बढ़ाए जाने अथवा न बढ़ाए जाने के संबंध में अपनी इच्छा व्यक्त करें ।

अनेक माननीय सदस्य : बैठक का समय बढ़ाया जाना चाहिए ।

श्री गुलाम नबी आजाद : वे 8 बजे तक बैठ सकते हैं हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री इम्चालम्बा (नागालैंड) : यह एक महत्वपूर्ण विषय है । नागालैंड से मैं अकेला सदस्य हूं । यदि मैं कुछ नहीं कहता तो यह अच्छा नहीं लगेगा ।

सभापति महोदय : मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अवसर मिलेगा । प्रश्न यह है कि क्या आज सदन की बैठक का समय बढ़ाया जाए ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां ।

सभापति महोदय : ठीक है । आज सदन की बैठक का समय बढ़ाया जाएगा । **(व्यवधान)**

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : श्री पीयूष तीरकी को अवश्य बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। श्री वाजपेयी एक वरिष्ठ सदस्य हैं तथा जब वे बोलना चाहें हमें उन्हें समय देना होगा। इसका यह अर्थ नहीं कि विचार-विमर्श समाप्त हो रहा है। शायद आपको यह गलत-फहमी हो कि श्री वाजपेयी बोल रहे हैं और इसके बाद विचार-विमर्श समाप्त किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। वे पहले बोलना चाहते थे। इसके बाद जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया यदि आप चाहेंगे तो हम 8 बजे तक बैठक का समय बढ़ा सकते हैं। सभी को बोलने का अवसर मिल जाएगा। अब मैं श्री वाजपेयी से बोलने का अनुरोध करता हूं।

(हिन्दी)

श्री पीयूष तीरकी : सभापति जी, बी०जे०पी० वाले बहुत बोल चुके हैं। आप मेरे प्यू-प्वांइट्स भी सुनें। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप अटल जी से प्रार्थना कर लीजिए। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : अभी अटल जी बोल रहे हैं, मेहरबानी करके आप सब बैठ जाएं।

(व्यवधान) :

(अनुवाद)

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (पोन्नानी) : श्री वाजपेयी के भाषण के बाद मेरे दल के सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : बात यह है कि श्री वाजपेयी काफी समय से खड़े हैं कृपया उनकी बात सुनिए, बीच में टोकिए नहीं। वे खड़े हुए हैं। **(व्यवधान)**

हिन्दी

सभापति महोदय : नॉर्थ-ईस्ट वाले मैम्बरों को मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा और मुस्लिम लीग को भी बोलने का मौका मिलेगा। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : जब आपका नाम लिया जाता है तब आप हाऊस में नहीं होते हैं। इसका मैं क्या इलाज कर सकता हूं ?

श्री पीयूष तीरकी : सभापति जी, हमें लंच भी तो खाना होता है।

सभापति महोदय : मैं मानता हूं कि वह खाना भी बहुत जरूरी है। **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : सभापति जी, यह मेरा पहला भाषण है, मैं इस पर टोका-टाकी नहीं होने दूंगा। . . . **(व्यवधान)** . . .

(अनुवाद)

श्री गुलाम नबी आजाद : दसवीं लोक सभा का इनका यह पहला भाषण है। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति जी, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति का अभिभाषण एक महत्वपूर्ण घटना होती है। यदि अभिभाषण चुनावों के तत्काल बाद होता है तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम इस अवसर की गरिमा को बनाये रखें। अनेक सदस्यों ने, अभी श्री सुनील दत्त जी बोल रहे थे, उससे पहले जसवन्त सिंह जी ने इस बात का उल्लेख किया था कि उस दिन केन्द्रीय कक्ष में जो सदस्य राष्ट्रपति को सुनने के लिए एकत्र हुए थे, वे उनका अभिभाषण सुनने से वंचित रहे। इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। रिहर्सल किए जाते हैं, प्रबन्ध कई बार देखे जाते हैं। हम इस अवसर पर भाग लेने के लिए विदेशी मेहमानों को बुलाते हैं और लाउडस्पीकर ठीक काम न करें तो ऐसा लगता है कि हम अपने दायित्व का भली-भांति निर्वाह नहीं कर रहे हैं।

उस दिन एक और घटना हुई। कुछ माननीय सदस्यों ने, मैं नहीं जानता, वह किस दल से सम्बन्धित थे या किस सदन के थे, शायद अपनी बात कहना चाहते थे और उस बात के बारे में वह बड़ी उग्रता से अनुभव करते थे। वह राष्ट्रपति जी को उनका भाषण रोक कर अपनी बात सुनाना चाहते थे लेकिन इसके लिए तो वहां गुंजाइश नहीं रहती है। इस तरह से दृश्य न तो राष्ट्रपति के भाषण को हमें सुनने देते हैं, न जो सदस्य अपनी बात कहना चाहते हैं, उनकी बात लोगों तक पहुंचती है। अच्छा तरीका तो यह है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के पहले अगर कुछ माननीय सदस्यों को कहना है और अगर किसी बात पर वह तीव्रता से अनुभव करते हैं तो राष्ट्रपति जी से मिल सकते हैं, भाषण के बाद उन्हें जाकर अपनी बात कह सकते हैं लेकिन यह बीच में टोका-टाकी, अगर हम इसे टाल सकें तो यह बहुत अच्छा होगा।

सभापति महोदय, मैं तो चाहता हूं, यह बात प्रदेशों तक जाए। जब राज्यपाल सम्बोधित करते हैं तो राज्यपाल चुनी हुई सरकारों के लिखे हुए भाषण को पढ़ते हैं। वह संवैधानिक प्रमुख हैं। कभी-कभी तो भाषण पढ़ने के लिए किसी को राज्यपाल का पद खोना पड़ता है। ...(व्यवधान)... लेकिन उस भाषण में शोर-शराबा हो, हाथापाई हो, कभी-कभी तो राज्यपाल भी उस हाथापाई में फंस जाते हैं, यह तो भारतीय लोकतंत्र के गौरव को बढ़ाने वाली घटना नहीं है। इसके बारे में एक आचार-संहिता बनाने की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि इस लोक सभा के चुनाव के बाद अगर इस दिशा में हम कुछ ठोस कदम उठा सकें और यह कदम उठाने का उपयुक्त अवसर है, क्योंकि, अगर कांग्रेस पार्टी यहां सत्ता चला रही है तो अनेक प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठी है और हम अगर यहां विपक्ष में बैठे हैं तो हम अनेक प्रदेशों में सरकार चला रहे हैं। यह बात जनता दल पर भी, मार्क्सवादी दल पर भी लागू होती है। तो अगर हम सब मिल कर कुछ नई परम्पराएं डाल सकें तो लोकतंत्र सबल होगा और लोकतंत्र सफल होगा।

सभापति जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण में राष्ट्रीय संकट की चर्चा की गई है। संकट केवल आर्थिक नहीं है, संकट राजनैतिक भी है, सामाजिक भी है और सबसे बढ़ कर देश इस समय एक गहरे नैतिक संकट का सामना कर रहा है।

मैं अपने भाषण में आर्थिक संकट की चर्चा ज्यादा करना चाहता हूं। सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं और चर्चा इस बात पर हो रही है कि वह कदम ठीक हैं या गलत हैं। जैसे रुपए का अवमूल्यन किया गया है, टुकड़ों में किया गया है। ऐसा लगता है जैसे दबे पांव कुछ किया जा रहा है, सोना बाहर भेजा गया है, वह भी किश्तों में भेजा गया है और उसके बारे में भी ऐसा लगता है, जैसे देश का सोना स्मगल करके, सब की नजर बचा कर, आंख चुरा कर भेजा गया है। क्या इसकी आवश्यकता थी ?

मेरा निवेदन है कि रुपए का अवमूल्यन सही है या गलत है, इस सवाल पर चर्चा होनी चाहिए। मगर बुनियादी सवाल यह है कि रुपये का अवमूल्यन करने की नौबत क्यों आई। देश ऐसे आर्थिक भंवर में क्यों फंस गया, कैसे फंस गया कि हमें रुपए का अवमूल्यन करना पड़ रहा है, सोना बेचना पड़ रहा है और विदेश से सहायता के लिए जी-तोड़ कोशिश करनी पड़ रही है।

राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में इसका थोड़ा-सा उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि—

3.35 म. प.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

[अनुवाद]

"सरकार यह मानती है कि देश एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश अपनी सामर्थ्य से अधिक खर्च करता रहा है और आसान तरीके अपनाता रहा है। हम हालात से मजबूर हो गए हैं।"

इसी अभिभाषण में आगे कहा गया है—

"देश को कुछ कठोर तथा अप्रिय आर्थिक निर्णय लेने के लिए तैयार रहना होगा।"

[हिन्दी]

हम जितना कमाते रहे हैं, उससे ज्यादा खर्च करते रहे हैं। यह कैसे हुआ है, इस परिस्थिति तक हम कैसे पहुंचे ? क्या नीतियां गलत थीं या उन नीतियों का कार्यान्वयन ठीक नहीं हुआ है या अर्थ-व्यवस्था को हमने ऐसे व्यक्तियों के हवाले कर दिया, जिनके लिए राष्ट्र का हित सर्वोपरि नहीं था ?

क्षमा कीजिए, मैं जानता हूं कि मैं कठोर बात कह रहा हूं। आखिर जो नीतियां बनाई गईं, वह देश को दिवालिएपन के दरवाजे पर खड़ा कर देंगी, क्या इसकी अनुभूति नहीं हो सकती थी ? ठीक है, देश में लोकतन्त्र है और लोकतन्त्र में थोड़ा बहुत पोपुलरिज्म चलता है— थोड़ा-बहुत, मगर थोड़ा, बहुत नहीं। अगर हम प्रेय के पीछे दौड़ें और श्रेय को पूरी तरह से छोड़ दें और इस स्थिति पर पहुंचाएं, तो सोचना चाहिए कि कहीं-न-कहीं गलती हुई है।

मैं जानता हूं कि दोषारोपण का समय नहीं है। प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं हैं, वे जब संकट की चर्चा करते हैं तो पुरानी दो सरकारों का उल्लेख तो करते हैं, मगर दो से पहले जो उनकी अपनी सरकार थी, उसका उल्लेख नहीं करते हैं। उसका उल्लेख भी होना चाहिए। आखिर जो पुरानी सरकारें थीं—श्री वी० पी० सिंह जी की सरकार तो थोड़े समय रही और चन्द्रशेखर जी की सरकार

तो कांग्रेस के समर्थन में आई थी और उसी के समर्थन पर टिकी थी। यह बात सही है कि चन्द्रशेखर जी ने कुछ महत्वपूर्ण और साहसी कदम उठाए थे। अगर मेरी जानकारी गलत नहीं है तो प्रधानमंत्री का पद सम्भालने के बाद जब चन्द्रशेखर जी ने ऑफिसरों को बुलाया और कहा---क्या हो रहा है, यह स्थिति देश में कैसे पहुंच गई ? तो ऑफिसरों ने कहा---साहब, यह तो पहुंच गई है, अब स्थिति का सुधार नहीं किया जा सकता। क्या ऑफिसरों की इसमें भूमिका नहीं है ? क्या नीति निर्धारक दोषी नहीं थे ? क्या अन्धाधुन्ध कर्ज लेना और अनाप-शनाप खर्च करना और फिर देश को आर्थिक संकट में फंसा देना, यह ऐसी स्थिति है जिस पर गम्भीरता से विचार होना चाहिए।

अब हम विदेशी ऋण के लिए आई एम एफ से बात कर रहे हैं। किन शर्तों पर कर रहे हैं, कितना ऋण हम लेना चाहते हैं और अभी तक जो ऋण लिया है, उसकी शर्तें क्या हैं ? उस दिन मेरे मित्र, श्री इन्द्रजीत गुप्त, ने यह सवाल खड़ा किया था। मैंने प्रधान मंत्री जी के उत्तर को भी देखा है। वे शर्तें बताने को तैयार नहीं हैं। आई एम एफ हम से क्या चाहता है, हम उसकी बात कहां तक मानने को तैयार हैं ? अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है कि आज के वित्त मंत्री और आई एम एफ के अधिकारियों के बीच, मैनेजिंग डायरैक्टर के बीच पत्र-व्यवहार हुआ है, उसकी प्रतियां सभा-पटल पर रखी जानी चाहिए। इससे पहले जो दो सरकारें थीं, उनके वित्त मंत्रियों ने आई एम एफ से जो व्यवस्था की थी, जो प्रबन्ध किया था, उन पत्रों को भी सभा पटल पर रखा जाना चाहिए।

हम देश से आशा करते हैं कि देश पेट पर पट्टी बांधे, देश त्याग और बलिदान के लिए तैयार रहे, देश नए टैक्सों का बोझ उठाए। देश में अपार सहनशक्ति है। किसी भी संकट के समय यह देश उस संकट का सामना करने के लिए ऊपर नहीं उठेगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। इस सरकार के कारण नहीं, इस सरकार के बावजूद उठेगा, क्योंकि इस देश की जनता अपने देश को प्यार करती है और अपने स्वाभिमान की रक्षा करना चाहती है। लेकिन अगर हम देश का समर्थन चाहते हैं, इसमें अधिकांश गरीब लोग हैं तो क्या उनको विश्वास में लेना जरूरी नहीं है ? क्या इस सदन को विश्वास में लेना जरूरी नहीं है ? इस तरह से सोना भेजने की क्या आवश्यकता है, आई० एम० एफ० क्या शर्तें लगा रहा है, इसको छिपाने की क्या जरूरत है। मगर पर्दा डाल रहे हैं, कोई बात तो है कि ऐसी पर्देदारी है मगर हम से क्या पर्देदारी। **(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, हमें कर्जा वापस करना है। मैं तो पूछता हूं 10 साल में एक-एक साल के हिसाब से कितने कर्जे की राशि वापस करनी है ? यह देश और सदन को बताया जाना चाहिए और हम अपनी जनता को नहीं बता रहे हैं, हम सदन को अंधेरे में रख रहे हैं। मगर आई० एम० एफ० में जो 30 देशों के प्रतिनिधि हैं वे सारी स्थिति जानते हैं, वे देश की सारी स्थिति जानते हैं, आज सरकार ने कितना कर्ज लिया है, लोन कितना है, कमर्शियल लोन लेने की जरूरत क्यों पड़ी ? शॉर्ट-टर्म लोन क्यों लिया और किस स्तर पर लिया गया ?

मेरी जानकारी है कि स्टेट बैंक ने भी लोन लिया, स्टेट बैंक तो इस तस्वीर में नहीं आते हैं विदेशी ऋण के मामले में, ये काम तो रिजर्व बैंक का है। फिर स्टेट बैंक को क्यों तस्वीर में लाया गया ? प्राइवेट कम्पनियों ने कितना लोन लिया, पब्लिक अंडरटेकिंग ने कितना लोन लिया और डिफेंस का लोन कितना है, इसकी तो चर्चा ही नहीं होती है। डिफेंस के मद में भी लोन लिया जाता है। कुल मिलाकर देनदारी कितनी हैं और किन शर्तों पर लिया जाता है और उसको छिपाने में सरकार के दिमाग में कौन-सा नक्शा है ? मैं चाहूंगा कि सरकार इस बारे में सदन को विश्वास में ले।

अध्यक्ष महोदय, एक बात बड़ी विचित्र है विदेशी कर्जा कैसे वापस होगा ? हमारे नए वित्त मंत्री इस चिन्ता में सूख-सूख कर कांटा हो रहे हैं। वे पहले ही काया से कमजोर हैं और अब उन्हें रात-दिन चिन्ता खा रही है। मैं जानता हूं कि उनकी चमड़ी राजनीतिक नेता जैसी मोटी नहीं है, वे नए-नए फंसे हैं इस धंधे में। वे रात भर जगे हों तो इसमें मुझे ताज्जुब नहीं होगा, वे सूख-सूख कर कांटा हो रहे हैं मगर सारे देश में जो शेयर बाजार है वह फूल-फूल कर कुप्पा हो रहा है। शेयरों के दाम किस तरह से बढ़े हैं, कितने बढ़े ? इसका मतलब है कि देश में धन है, वैध रूप से कमाया हुआ धन है। कम्पनियों के शेयरों की कीमतें बढ़ रही हैं और दूसरी ओर देश में आर्थिक संकट है। मुझे ऐसा लगता है कि जो अर्थ-व्यवस्था को उदार करने की बातें हुई हैं और उससे ये पूंजी बाहर आ रही है, वे मैदान में आने के लिए बेचैन हैं। शायद वह प्रोत्साहन की तलाश में थी, लेकिन अर्थ-व्यवस्था में अन्तर्विरोध है। इसको वित्त मंत्री या प्रधान मंत्री स्पष्ट करें, यह मैं चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा देश में पूंजी है, प्रतिभा है, परिश्रम है। मगर देश का शासन जिस तरह से चला है शायद उसमें कोई कमी रह गई है, उसमें कोई दोष है। विदेशों में जो भारतीय जाते हैं वे स्वयं को समृद्ध करते हैं और जिन देशों में फंसे हुए हैं उनकी समृद्धि में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। अमरीका में भारतीय गए थे, किसान के नाते, प्रोफेशनल के नाते और छोटे व्यापारी के नाते। वे 50 बिलियन अमेरिकन डॉलर कमाने की स्थिति में आ गए हैं, कमा चुके हैं। ब्रिटेन में जो भारतीय हैं उनको देख कर वहां के लोगों में ईर्ष्या हो रही है। भारतीय जहां जाता है वहां लक्ष्मी की साधना में लग जाता है और लक्ष्मी की साधना बड़ी सफलता के साथ करता है। मगर इस देश में आते ही ऐसा लगता है कि इस देश में रहने वालों की प्रतिभा कुंठित हो जाती है। हम घाटे की अर्थ-व्यवस्था को ले कर जूझ रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर नीतियां बदली जाएं, एक नया आरम्भ किया जाए और इस नए को आरम्भ करने के लिए जरूरी है कि नेता निष्कलंक होना चाहिए, बेदाग होना चाहिए और सरकारी अफसर अकाउंटेबल होना चाहिए, उद्योगपतियों से कह दिया जाना चाहिए कि उचित मुनाफा ठीक है, मगर अंधाधुंध मुनाफा कमाने की छूट नहीं होगी, देश की स्थिति बदल सकती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ और किसी को भी यह रवैया नहीं अपनाना चाहिए कि आई एम एफ का नाम आते ही बचाओ-बचाओ की मुद्रा में आ जाएं, हमें बचाओ, आई एम एफ आ रहा है, आई एम एफ कोई हौवा नहीं है। भारत एक प्राचीन और विशाल देश है। कोई भारत को खरीद ले, यह संभव नहीं है। मैंने कहा था जब चन्द्रशेखर जी हमारे प्रधान मंत्री थे; कि भारत के प्रधानमंत्री को कोई खरीद नहीं सकता और मैं आज के प्रधानमंत्री के लिए भी कहने को तैयार हूं। इस देश का प्रधान मंत्री, चुना हुआ प्रतिनिधि, भले ही संख्या में थोड़ा कम ज्यादा हो, इसका ज्यादा महत्व नहीं है, मगर वह भारत का प्रधान मंत्री है, कोई उसे खरीद नहीं सकता। हां वह खुद बिक जाए तो बात अलग है, इसमें मैं नहीं जाना चाहता, मगर आई एम एफ हमें खरीद ले, यह नहीं हो सकता। आई एम एफ इतने बड़े देश को हजम नहीं कर सकता, इतने बड़े देश को कोई निगल नहीं सकता।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी : परन्तु ऐसा जापान में हुआ।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर शर्तें लगाई जा रही हैं तो हमें अधिकार है कि हम उन शर्तों के गुण-दोष के बारे में विवेचन करें ! हम आई एम एफ का नाम आते ही भेड़िया आया-भेड़िया आया कहने लगें, यह ठीक नहीं है। यह समझना गलत है अध्यक्ष महोदय कि दुनिया के धन-कुबेर भारत में पूंजी लगाने के लिए अभी भी लार टपका रहे हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। उनके लिए और भी अच्छे चरागाह, हरे चरागाह हैं। हिन्दुस्तान के तो हवाई अड्डे पर आते ही होश उड़ जाते हैं लोगों के। आखिर सोवियत रशा का बाजार है, कम्युनिस्ट चीन में परिवर्तन आया है, पूर्वी योरोप के देश हैं, जिन्हें पूंजी की जरूरत है, जो आकर्षक शर्तें पेश कर रहे हैं, यह ठीक है कि हमें ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना अनुभव है, हम दूध के जले हैं, हम ईस्ट इंडिया कंपनी से छले हैं, लेकिन देश अगर आत्म-विश्वास से काम नहीं लेगा तो इस संकट में से हमारे लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, यह जो विदेशी मुद्रा का संकट है, इसके तीन पहलू हैं। एक चोरी-छिपे सोना लाना, बड़े पैमाने पर सोने की तस्करी। हमारे वित्त राज्य मंत्री ने 12 जुलाई 1991 को पार्लियामेंट को बताया था कि जनवरी और जून के बीच में 2926 किलोग्राम, लगभग 3 टन सोना कस्टम द्वारा पकड़ा गया, जिसका दाम 102 करोड़ रुपया है और सभी इस बात को जनाते हैं कि जितना सोना स्मगल होकर देश में आता है, उसका दो ढ़ाई-प्रतिशत सोना ही पकड़ा जाता है, बाकी का निकल जाता है। ऐसे हम अनुमान लगाएं कि कितना विदेशी सोना देश में चोरी-छिपे लाया जा रहा है तो हमारा अनुमान है कि साल भर में 200 टन सोना चोरी-छिपे देश में लाया जा रहा है। पिछले 10 सालों में, 1981-82 से 1990-91 की कालावधि में 36 करोड़ रुपए प्रति टन रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि 10 वर्षों में हमने 7200 करोड़ रुपये का सोना अपने देश में चोरी-छिपे आने दिया। इसको अगर अमरीकन डालर में देखें तो 36 बिलियन यूएस डालर होता है।

अब यह विदेशी मुद्रा का जो संकट है, इसका एक और पहलू है और वह है ओवर इनवाइसिंग और अंडर इनवाइसिंग। सरकार अनेक आर्थिक सुधारों के प्रस्ताव लेकर आई है, मगर इस संबंध में अभी तक कोई ठोस बात सरकार ने नहीं कही है। तात्कालिक संकट को टालने के लिए हमने विदेश से कर्ज ले लिया, ठीक है ले लिया। आगे क्या होगा ? इस बात की क्या गारण्टी है कि देश फिर से उसी ढर्रे पर नहीं चला जाएगा जिस ढर्रे पर हम जाकर यहां पहुँच गए हैं। विनाश के कगार पर पहुँच गए हैं। सोने की तस्करी रोकनी चाहिए। मैं इसके लिए ठोस उपाय भी दूंगा कि किस तरह से रोक सकते हैं। इसके अलावा और भी उपाय आने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, हम विदेशों से प्लांट लाते हैं, औद्योगिकरण के लिए इक्वीपमेंट्स लाते हैं, स्पेयर्स लाते हैं, रॉ-मैटीरियल लाते हैं। हम इनका इम्पोर्ट करते हैं। 1980 टू 1982 और 1990 टू 1991 के बीच में हमने 2 लाख करोड़, 29 हजार 640 करोड़ की कीमत के प्लांट, इक्वीपमेंट्स और कच्चा माल तथा अन्य सामान आयात किया। आम तौर पर यह समझा जाता है कि इम्पोटर्स लगभग 10 परसेंट का ओवर-इनवाइसिंग करते हैं। हथियार की खरीद में जो कमीशन लिया जाता है वह भी इस ओवर-इनवाइसिंग का हिस्सा है। अगर 10 परसेंट का हिसाब लगाया जाए और तमाम उद्योगपतियों से मैंने बात की है, 10 परसेंट कोई ऊंचे ढंग का आकलन नहीं है। 10 परसेंट

के हिसाब से अगर ओवर-इनवाइसिंग हो रही है तो पिछले 10 साल में हमने 22 हजार 964 करोड़ रुपया विदेशों में छोड़ दिया है। अगर अमेरिकन डालर में इसका हिसाब लगाएं तो फिर 11.4 बलियन डॉलर होता है।

तीसरा तरीका है अंडर-इनवाईसि का। हम यहां से माल भेजते हैं। 1981-82 और 1990-91 के बीच हमारा एक्सपोर्ट 1 लाख 57 हजार 655 करोड़ का हुआ। आम तौर पर यह माना जाता है कि एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट स का औसत 10 परसेंट बाहर जमा करता है। किन्तु एक्सपोर्ट के मामले में कुछ कहने लायक एक्सपोर्ट होते हैं, कुछ एक्सपोर्ट ईमानदारी के भी होते हैं। हम अगर 5 परसेंट अंडर-इनवाइसिंग रख लें तो 5 परसेंट के हिसाब से अंडर-इनवाइसिंग से होने वाला घाटा 7 लाख 8 हजार 883 करोड़ रुपये होता है। यह यूएस डॉलर में देखें तो 3.9 बिलियन डॉलर है। अगर इन सब को जोड़ लें तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि 1 लाख 2 हजार 845 करोड़ इस बीच में हमने इस विकृत पद्धति के द्वारा दिया है। मैं मानता हूं कि इसमें रो-माइकलिंग ऑफ मनी होता है। इसलिए माल लीजिए 25 परसेंट अगर मार्जन निकाल लें तब भी जो पूंजी बाहर गयी वह यू० एस० डॉलर में 39 बिलियन डॉलर आंकी जा सकती है। अगर 1981 से पहले का, 70 का दशक, 60 का, 50 से 70 का दशक जोड़ लें तो यह रकम 56 बिलियन डॉलर होती है। इसे रोका जानां चाहिए। अगर यह रोका नहीं गया और हमने कर्जा लेकर काम चला लिया तो हमें तात्कालिक राहत मिल सकती है, लेकिन हम इस संकट में फिर से फंस जायेंगे।

अभी तो चुनाव नहीं हैं और चुनाव लड़ने के लिए देश में काला-धन काफी है। 90 हजार करोड़ काला धन प्रति वर्ष पैदा होता है। उस दिन प्रश्नोत्तर काल में यह सवाल हुआ था कि काले धन से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। काला धन किस तरह से समाप्त हो, राष्ट्रपति ने अपने भाषाण में उल्लेख किया है। लेकिन उसकी जेनेरेशन रोकनी चाहिए। जो काला धन है वह सरकुलेशन में किस तरह से आए, उसका किस तरह से उपयोग हो, कई योजनाओं के सुझाव दिए जा रहे ह, मैं उसमें विस्तार में जाना नहीं चाहता। मैं इस समय काले धन की बात नहीं कर रहा हूं।

हमें सोचना होगा कि सोने की स्मगलिंग किस तरह से रोकना, अन्डर इन्वाइसिंग और ओवर इन्वाइसिंग किस तरह से बंद करना। सोने के बाण्ड के बारे में सुझाव दिया गया है। सरकार चाहे तो बाण्ड जारी कर सकती है या अन्य उपाय अपना सकती है। देश में सोने की बड़ी मांग है, यद्यपि जगत जननी सीता को सोने के मृग का मोह करने के लिए अपहरण का शिकार होना पड़ा था। अब तो सीता सदन में आ गई है मगर रावण भी यहां मौजूद है। अब, अपहरण का कोई खतरा नहीं है। सच्चाई यह है कि हमने भारतीय जनता पार्टी ने सीता और रावण दोनों को साथ ला दिया है। इसके कारण सामने बैठी बानर सेना में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए।

सोने का मोह बड़ा प्रबल है और घरेलू उपयोग के लिए लोगों को थोड़ा सोना चाहिए। वे तस्करी से अपनी आवश्यकता पूरी न करें। उसके लिए कोई प्रबन्ध किया जाए। इसके लिए अनेक सुझाव दिए गए हैं। अगर आवश्यकता हो, वित्त मंत्री जी रुचि रखते हों सुझाव है और कोई बुनियादी परिवर्तन का काम करना चाहते हों तो सुझाव भी दिए जा सकते हैं।

अन्डर इन्वाइसिंग और ओवर इन्वाइसिंग को रोकने के लिए सुझाव दिए जा सकते हैं। जैसे इम्पोर्ट ओवर इन्वाइसिंग है। अब उद्योग और वाणिज्य के प्रतिनिधियों को बुलाया जाए और हमें जिन प्लांट, इक्वीपमेंट, स्पेयर्स और रॉ मैटीरियल का इम्पोर्ट करते हैं उसका अन्तरराष्ट्रीय भाव क्या है। उनका पता लगाएं। विदेशों के चैम्बरों से संपर्क करें, लगातार भाव की तालिका प्रकाशित करें, निगरानी रखी जाए कि किस कीमत पर प्लांट लाया जा रहा है और किस कीमत पर स्पेयर खरीदे जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसको काफी हद तक रोका जा सकता है। अभी तक इसका प्रयत्न नहीं हुआ है और अगर हम चाहें तो विदेशों के चैम्बरों से उनका सहयोग लें और जो अधिकृत विक्रेता हैं उनसे संपर्क स्थापित करके प्रार्थना पत्र भी ले सकते हैं। शायद यहां कह रहे हैं कि इससे गड़बड़ बढ़ जाए। अगर व्यक्ति बेईमान है तो व्यवस्था लाख सुधारी जाए, कहीं न कहीं छेद रहेगा। मैं यह मानकर नहीं चलता हूँ कि देश में लोग बेईमान हैं। इस देश के नागरिकों की ईमानदारी पर भरोसा होना चाहिए, हमें उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए उन्हें मौका देना चाहिए और देखना चाहिए कि उसे गलत कदम उठाने की जरूरत न पड़े।

एक्सपोर्ट अन्डर इन्वाइसिंग को रोकने का भी सुझाव है। कोई फॉरेन कन्सलटेंसी नियुक्त की जा सकती है जो हमारे द्वारा मंगाए जा रहे माल की कीमत का बाजार भाव पता लगाए। यह काम समय-समय पर होना चाहिए। जो एक्सपोर्ट्स हैं उन्हें मजबूर करना चाहिए कि वे वास्तविक कीमतों पर निर्यात् करें।

अन्य विकासशील देश भी इस इम्पोर्ट में ओवर इन्वाइसिंग में और एक्सपोर्ट में अन्डर इन्वाइसिंग की समस्या से ग्रस्त हैं। हमारा पड़ौसी इंडोनेशिया है। उसने कस्टम का सारा काम स्विस कंपनी को दे दिया है। मैं उसकी वकालत नहीं कर रहा हूं। अगर उन्होंने ऐसा कदम उठाया है तो मैं तो यह चाहता हूँ कि सरकार विदेशी मुद्रा को रोकने की विदेशी मुद्रा की चोरी को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए और जिससे पचास बिलियन डालर बच सकता है।

अन्तरराष्ट्रीय परिस्थिति बदली है। उसमे विकासशील देशों के लिए पश्चिम से सहायता प्राप्त करना और भी कठिन हो गया है। इस तथ्य को हमें समझना चाहिए। अभी बहुत दिन नहीं हुए। दिल्ली में दिसम्बर 90 की बात है। जर्मनी के एक प्रोफेसर आए थे। प्रोफेसर हार्टमट एलमेन आए थे। उन्होंने भाषण दिया। उस भाषण पर अभी मेरी नजर पड़ी। उन्होंने बड़ी ब्लंट बातें कही हैं। वे ब्लंट बातें हमारे लिये चुनौती भी हैं और चेतावनी भी। यह ठीक है कि उन्होंने सहायता प्राप्त करने वाले देशों के बारे में कहा है। लेकिन जो भाषण में भाव है उसको समझने की जरूरत है मैं उसका किस्सा उद्धृत कर रहा हूं।

[अनुवाद]

परन्तु इस सहायता के पीछे शर्त रखी जाएगी। इसे कुछ कठोर शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाएगा क्योंकि दक्षिण के पास उत्तर में एक शक्तिशाली गट से दूसरे के प्रति निष्ठा व्यक्त करने की धमकी देने हेतु अधिक समय तक के लिए कोई विकल्प नहीं बचता है। समझौते में, जिन शर्तों पर हम सहायता चाहते हैं यदि आप उन शर्तों पर नहीं दे सकते, तो हम यह कहीं और से प्राप्त कर लेंगे। यह ज्यादा समय तक प्रभावी नहीं रहेगा।"

[हिन्दी]

यह विकासशील देशों लिए प्रच्छन्न धमकी दी है। अब आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, झक मारकर हमारे पास आना पड़ेगा। हम झक मारने की स्थिति में न आयें, यह ठीक है हम एड नहीं ले रहे, ट्रेड पर जोर दे रहे हैं। यह भी ठीक है कि हमने कर्ज लिया है और कर्ज के लिए हम किस्तें दे रहे हैं। सोना दिया, जिस तरह से दिया उस पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर कर्ज की किस्त देनी है तो हिन्दुस्तान किसी भी कीमत पर उस कर्ज की किस्त को दे। यह सारा देश चाहेगा और हम भी चाहेंगे। यह ठीक है कि देने के बाद हम पूछेंगे कि भगवन यह हालत क्यों पैदा की। हम यह भी कहेंगे कि भविष्य में यह हालत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम यह नहीं समझें कि स्वावलम्बन की बात करते हुए और व्यवहार में स्वावलम्बन का परित्याग करके हम इस देश के भविष्य को बना सकते हैं। जो सहायता हमें मिल जाये वह अगर हमारे हितों के अनुकूल हो तो उसको हम लें, लेकिन जो हितों के अनुकूल नहीं है तो उसको ठुकरा दें उसके साथ देश में एक संकल्प पैदा करें। अगर मैंने मिलीजुली सरकार की बात कही थी जिस पर मेरे मित्र इन्द्रजीत गुप्त ने कहा था...

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : आपने जो कहा था रिपोर्ट में मेरे नाम में लिख दिया गया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ये भी चाहते हैं कि हम और आप मिलकर चलें।

अध्यक्ष महोदय, सरकार को विश्वास का मत मिल गया, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जैसा आडवाणी जी ने अपने भाषण में कहा यह दिहाड़ी पर कब तक काम चलेगा। रोज-रोज खोदोगे, रोज-रोज पानी पीओगे, रोज पकाओगे रोज रोज खाओगे, जरा भोजन का पक्का इंतजाम करो। क्योंकि देश मुसीबत में है इस संकट को अगर एक बार बहुमत में होते, मैं प्रधानमंत्री जी से सहमत हूँ तो भी अकेले हम नहीं कर सकते थे देश जिन मुसीबतों में फंसा है मैं उनकी चर्चा नहीं करना चाहूंगा, मैं केवल आर्थिक संकट पर नजर डालना चाहता हूं। देश युद्ध जैसी स्थिति में है। मैं युद्ध की स्थिति नहीं कह रहा, युद्ध जैसी स्थिति है और जो युद्ध से भी ज्यादा भयानक है। युद्ध में दुश्मन साफ दिखाई देता है यहां पर्दे के पीछे से वार कर रहा है। हमें उसने सस्ती लड़ाई में फंसा दिया है, हम आर्थिक संकट में ग्रस्त हैं। राजनैतिक अस्थिरता है इस समय देश में एक राष्ट्रीय संकल्प जागृत होना चाहिए। यह राष्ट्रीय संकल्प हम सब मिलकर जागृत कर सकते हैं, मगर प्रतिपक्ष को अंधेरे में रखकर नहीं। इसके लिए हमें विश्वास में लिया जाना जरूरी है, देश को विश्वास में लिये जाना जरूरी है। अगर यह सरकार इस तरह से चलती है, तो इस संकट से हम उबरेंगे, इसके बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे वित्त मंत्री से एक पत्र प्राप्त हुआ है। उन्होंने अपनी ओर से एक वक्तव्य देने हेतु सांय 4-45 बजे तक का समय मांगा है।

अब, श्री राजेश पायलट।

[हिन्दी]

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : अध्यक्ष महोदय, अटल बिहारी बाजपेयी के बाद बोलना भी उतनी ही बड़ी समस्या है जिन समस्याओं का जिक्र भाई अटल जी ने किया। मैं बैठे-बैठे सोच रहा था, जब मैं 1980 में राजनीति में आया तो सबसे बात हुई, अटल जी से भी बात हुई, और भाइयों से भी बात हुई। आज 12 साल में मैं इस बात से कहीं तक सहमत हो लिया कि भाषण की शैली भी इस देश में बहुत जरूरी है। काम हो या न हो। और उसका उदाहरण सामने है। भाई अटल जी ने दो कि० मी० सड़क बनवाई है 25–30 सालों में लेकिन भाषणों से आज देश में जो व्यवस्था खड़ी हुई है, उनकी इस बात को समझ रहा था। उन्होंने 2–3 बातें कहीं और आज हमारी 21 दिन की सरकार पर यह सारा बोझ ऐसे रख दिया कि सारी हालत इतनी खराब हो गई कि हमारी सरकार बन गयी। स्पीकर सर, मैं सदन का ध्यान दिलाऊंगा कि नवम्बर, 1989 में हम लोग गये, कैसी हालत छोड़कर गये थे, यह किताबों में है, रिकार्ड पर है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। हम नवम्बर 1989 में जैसा छोड़ गये थे और जैसी हमको जून, 1991 में मिली है, इसकी तरफ भी सारे देश को और सदन को ध्यान जरूर करना चाहिये। प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्पीच में कहा। उस स्पीच के बाद जो भी प्रधानमंत्री ने कांफिडेंस मोशन में कहा, हम सब को ध्यान में रखकर और उसी नीति के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं।

सन् 1989 में जब छोड़कर गये थे तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ इस देश में 8% से ज्यादा थी जो 20 साल के बाद हुई है। बीस साल लगातार प्रयत्न होते रहे, तब जाकर यह ग्रोथ 8.8 प्रतिशत हुई। एग्रीकल्चर प्रॉडक्शन हमारा कितना बढ़ा, यह 177 मिलियन टन पर पहुँच गया था, 1985 में सिर्फ 133 मिलियन टन था लेकिन 1989 में 177 मिलियन टन छोड़कर गये थे। यह मेरी रिपोर्ट नहीं है, यह उस सरकार की रिपोर्ट है जिसकी अटल बिहारी जी सपोर्ट कर रहे थे और इनके खास दोस्त श्री देवी लाल जी उप-प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 1987 का ड्रॉट इस देश में इस शताब्दी का सबसे बड़ा ड्रॉट था। सरकार की यह हिम्मत थी यह सरकार की शैली थी जिन्होंने इस ड्रॉट को फेस करके लोगों की मदद की। यह आपकी सपोर्टेड सरकार की रिपोर्ट है, आपके उस समय के उप-प्रधानमंत्री की रिपोर्ट है। इस हालत में देश चल रहा था। जब कांफिडेंस मोशन की बात आयी तो गरीबी का जिक्र किया गया कि 51-52 प्रतिशत है। कोई भी सदस्य या जिम्मेदार नगरिक यह नहीं चाहेगा कि गरीबी देश में हो। हम भी कम करने की कोशिश करते रहे और कांग्रेस ने तो "गरीबी हटाओ" का नारा भी लगाया था। हमने प्रयत्न किया, नारे के साथ काम भी किया। जब आजादी मिली, उसकी फिगर्स भी दूंगा। तो जब नारा लगता है तो काम होता उसके बिना काम नहीं होता है।

स्पीकर सर, 1989-90 की रिपोर्ट में श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़ ने क्वेट किया कि 51 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन्होंने कम किया। उन्होंने अपनी गरीबी का गलत फार्मूला बनाया और इस फार्मूले को प्लानिंग कमीशन ने बनाया कि जिस परिवार की वार्षिक आमदनी 6 हजार या 6400 से कम है, उस परिवार को ही गरीबी रेखा से नीचे का माना जायेगा। श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़ ने अपना फार्मूला बनाकर दस हजार तक गिना गये। ये तो अपने-अपने फार्मूले हैं। अगर सभी अपने

अपने फार्मूले देते रहेंगे तो परसेंटेज और बढ़ सकती है। लेकिन प्लानिंग कमीशन के उस फार्मूले में 1989-90 की जो गरीबी की रेखा से नीचे वाले लोगों की रिपोर्ट है, उसमें आप्रेशन रिसर्च ग्रुप ने कहा है कि यह 27.5 प्रतिशत है। जो रिपोर्ट आप पढ़ रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। यह हम सब के लिए चिन्ता की बात है कि गरीबी दूर हो और उसे दूर करने के लिए सरकार ने प्रयत्न किया और जब हमारी सरकार आयी तो हम कोशिश में लगातार इस ओर ध्यान रख रहे हैं।

अभी बेरोजगारी का जिक्र किया गया और यह कहा गया कि जब से कांग्रेस सरकार आई है तो बेरोजगारी और बढ़ गई है। बेरोजगारी देश में है, इस बात से मैं मना नहीं कर रहा हूं लेकिन हमारे प्रयत्नों को आप मिट्टी में तो मत मिलाओ। आपके समय में क्या किया गया लेकिन अब कोशिश तो हुई है। 1985–90 तक जो सैवंथ प्लान का टारगेट था 2450 मिलियन डेज, हमारी सरकार ने 3452 मिलियन डेज तक पहुंचाया। मैं मानता हूं कि फीगर्स कागज पर मौजूद रहती हैं लेकिन भाषणों में नहीं हो पाता है। लेकिन 3492 तक हम पहुंचे। इसमें दो परसेंट पांच परसेंट गलत खबर हो सकती है लेकिन रोजगार लोगों को मिला और नयी-नयी योजना गांव तक और देश के कोने-कोने तक पहुंचाई। यह छोड़ कर हम गए।

आज अटल जी ने जिक्र किया, सोने का जिक्र किया, देश की आर्थिक स्थिति का भी जिक्र किया लेकिन स्पीकर सर, जिस दिन इस देश की सरकार, कांग्रेस की सरकार 89 में गई थी, कितना फॉरेन एक्सचेंज हम छोड़ कर गए थे ?

श्री राम विलास पासवान (रोसेड) : विदेशी कर्ज भी बतला दीजिए।

श्री राजेश पायलट : उस पर भी मैं आ रहा हूं। 6605 करोड़ हम छोड़ कर गए थे। आज जब हम आए, हमें क्या मिला है ? 2500 करोड़। अब इस सबका जवाब अटल जी हमसे मांगने लगें तो यह इंसाफी है ? 6650 करोड़ हम लोग रिजर्व में छोड़ कर गए थे, लेकिन आज हमें जो हालत मिली है वह सदन के सामने है और सब सदस्यों को पता है कि देश की क्या हालत है। हमें सरकार में आ कर जिम्मेदारी सम्भालनी पड़ी है। सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है देश की नेशनल क्रेडेबिलिटी में धक्का पहुंचा है। स्पीकर साहब सहमत होंगे, गांव में एक कहावत है–अगर साख बनी रहती है, घर में रोटी न हो लेकिन बाहर साख बनी रहती है तो लाखों का व्यापार चलता है, लेकिन अगर साख चली जाती है और घर में करोड़ों रुपए हों तो उससे कोई फायदा नहीं। हमारी साख में थोड़ी गिरावट आई है और साख में गिरावट क्यों आई ? डेढ़ साल की सरकार और मैं साथी भाई विश्वनाथ जी को ब्लेम क्यों करूं ? क्योंकि जो मैं अखबारों में पढ़ता रहा, कायदे में तो तीन महीने सरकार चल पाई नवम्बर में वह बनी और जनवरी में पता नहीं अटल जी को किस बात ने ताऊ को खड़ा कर दिया और ताऊ ने नारे लगाने शुरू कर दिए और फरवरी से दो-दो प्रधान मंत्री फंक्शन करने लगे। देश की सारी जनता को पता है कि क्या हालत हो गई थी। खबर तो यह भी थी कि 'इफ आई स्टेंड करेक्टेड' जो मैंने अखबारों में पढ़ी उस वक्त तो सरकार आप हो चला रहे थे। शाम को लिस्ट दे दिया करते थे और सुबह बेचारों को मजबूरी में मदद करनी पड़ती थी। अगर नहीं करो तो टेलीफोन तो एवलेबल नहीं थे सुबह, डर जाते थे कि रिवोल्ट न हो जाए। इसलिए मैं

सरकार को दोष देना नहीं चाहता। मेरी अखबारों की यह खबर है कि विचारों को सांस दे-दे कर ऑक्सीजन पर लेटाया। अटल जी, यकीन करो, रोज के सौदे पर सरकार नहीं चलाएंगे, पूरे सौदे पर सरकार चलाएंगे और पूरे पांच साल चलाएंगे।

श्री राम विलास पासवान : तालियां जोर से नहीं बज रही हैं।

श्री राजेश पायलट : दबे-दबे पांव की बात अटल जी ने कही है। जितना अनुभव अटल जी को हो सकता है दबे-दबे पांव का, मुझे नहीं हो सकता। शायद मैं उम्र में भी कम हूं और मैं रहा हूं फौज में। फौज में मार्च की आदत ज्यादा पड़ जाती है, हम दबे-दबे पैर नहीं चलाएंगे बड़े खुले-आम मार्च करके चलाएंगे—लेफ्ट और राईट कौन-सा पैर कहां चल रहा है। आप इस बात की चिन्ता न करें।

स्पीकर सर, राष्ट्रपति के भाषण में सारी बात हमारी सरकार की कही गई। अब राष्ट्रपति का भाषण सारी पॉलिसीज़ का नक्शा नहीं हो सकता। और सारी पॉलिसीज़ भी राष्ट्रपति भाषण में पूरे लफ्ज़ों में नहीं लिख सकते। हमने इसमें कोशिश की है कि जो देश में आज आर्थिक संकट है, उसको सुधारने के लिए हम क्या करेंगे। दूसरा, जो हमारी पार्टी का उद्देश्य रहा है कि जब तक ग्रामीण ऊपर नहीं उठेगा, जब तक इस देश का गरीब भाई ऊपर नहीं उठेगा, गरीब बहन ऊपर नहीं उठेगी, तब तक यह देश ऊपर नहीं उठेगा। हमारी सारी सरकार की पॉलिसीज़ उसी बिन्दु पर चली हैं कि किस तरीके से इस देश की 80 प्रतिशत जनता उठे। इस देश की जनता किस तरीके से उठे। उन बिन्दुओं पर चाहे वह एग्रीकल्चर हो चाहे सिंचाई का हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो चाहे शिक्षा का हो, इन सब पर हमने अपनी सरकार की सारी नीतियां और सारे बिन्दु बहुत खुल कर लिखे हैं। आज सुबह भाई चन्द्रजीत जी पढ़ रहे थे बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन के बारे में। स्पीकर सर, हमारी पार्टी की बहुत स्पष्ट नीति रही है और भाई चन्द्रजीत जी भी हमारे साथ थे कुछ महीने पहले और हम दोनों इस विषय पर खूब बहस कर के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी से मिलते रहे और उन्होंने कहा कि हमारा दिल पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ है और हम पिछड़े वर्ग की नीतियों को लागू करके रहेंगे। आज भी हमारी नीति साफ है। (**व्यवधान**).

श्री राम विलास पासवान : फिर इस पर झगड़ा क्यों कैबिनेट में होता है।

श्री राजेश पायलट : हमारा झगड़ा बिल्कुल नहीं होता इस मुद्दे पर। फर्क सिर्फ इतना है कि आप लोग अपनी समझ से बातों को लिखते हो परन्तु हमारी नीति आज भी वही है और हम पिछड़े वर्गों को रिजर्वेशन दे कर रहेंगे। ऐसा हमने बाहर भी कहा है और यहां भी कहेंगे। मैं बाहर एक भाई से बात कर रहा था कि जो भी बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन होगी, उस में पहले उस बैकवर्ड क्लास के भाई को रिजर्वेशन जानी चाहिए जिसको आज सब से ज्यादा जरूरत है। मैं राम विलास भाई से भी बात कर रहा था कि मैं बैकवर्ड हूं और यदि बैकवर्ड क्लास के लिए कोई कोटा हम फिक्स करते हैं—27 परसेंट, 25 परसेंट या 30 परसेंट—तो वह पहले उन लोगों को मिलना

चाहिए जो हम में से सबसे ज्यादा गरीब हैं, पिछड़े हैं। आज मेरे बेटे को देने की उतनी जरूरत नहीं है जितनी गांव में रहने वाले उस व्यक्ति को देने की जरूरत है जिसका बच्चा गरीबी के कारण लालटेन की लाइट में पढ़ता है। एम्रर-कण्डीशन में पढ़ने वालों को आप क्यों दे रहे हो। मैंने उदाहरण दे कर कहा था।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : देखिए, रिजर्वेशन का सवाल यह नहीं है कि किस अमीर को दो, किस गरीब को दो। रिजर्वेशन का सवाल सत्ता में हिस्सेदारी का सवाल है। हमारे देश के 52 फीसदी लोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं परन्तु कहीं उनके लिए रिजर्वेशन नहीं है। इस लिए यह सत्ता में हिस्सेदारी का सवाल है। रिजर्वेशन देने का वह सवाल नहीं है, जैसा आप कह रहे हैं।

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष महोदय, जहां तक सत्ता में हिस्सेदारी देने का सवाल है, आप हमारी पार्टी के मैन्डेट को देख लीजिए कि बैकवर्ड क्लासेज को हमने कितना हिस्सा दिया है और जो पार्टी बैकवर्ड लोगों की हिस्सेदारी का ज्यादा क्लेम करती है, वह भी देख लें कि उन्होंने कितना हिस्सा दिया है। आज नहीं, 1952 से आज तक फीगर्स उठा कर देख लीजिए। कांग्रेस गवर्नमेंट ने हमेशा अच्छा काम किया है, पिछड़े वर्गों के हित में काम किया है। फिर भी एक बात है कि हमें वास्तविकता से दूर नहीं होना चाहिए। हम इस उद्देश्य को अपनी पार्टी में ले कर चले हैं कि आज यह देखना पड़ेगा कि हमें असली बैकवर्ड को ऊपर उठाना चाहिए या जो बैकवर्ड के नाम पर है, उसे ऊपर उठाना चाहिए। आज बैकवर्ड क्लास में यदि कोई आई०ए०एस० है तो उसके बेटे को रिजर्वेशन की उतनी जरूरत नहीं है क्योंकि उसका बेटा पहले ही किसी अच्छे स्कूल में पढ़ता है लेकिन उस गरीब को रिजर्वेशन जरूर मिलनी चाहिए जिसका बच्चा लालटेन की लाइट में पढ़ रहा है। उसी की तरफ हम जा रहे हैं। ..... (**व्यवधान**) .....

स्पीकर सर, हम पिछड़े वर्गों का कोटा पिछड़े वर्ग में ही रखना चाहते हैं। पिछड़े वर्ग के लिए जो परसेंटेज होगी, हम उससे बाहर नहीं दे रहे हैं लेकिन पिछड़े वर्गों का कोटा सबसे पहले पिछड़े -से- पिछड़े व्यक्ति को देना चाहते हैं। यही हमारी नीति है, जो सही तरीके से लागू की जाएगी। जहां तक सरकार की नियत का सवाल है, वह बिल्कुल साफ है.... (**व्यवधान**).... स्पीकर सर, सरकार की साफ नियत का इससे पता चलता है कि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में साफ कहा गया है कि बैकवर्ड क्लासेज डैवलपमैंट कार्पोरेशन का शीघ्र गठन किया जाएगा। यह हमारा पहला कदम है जिससे कि हम सरकार का लाईन ऑफ एक्शन तय कर सकें और देश के सामने ला सकें। इसलिए हमारी नीति बैकवर्ड के रिजर्वेशन के मामले में बिल्कुल साफ है।

श्री चन्द्रजीत यादव : राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहीं आपने रिजर्वेशन का नाम लिया है या, पिछड़े वर्गों के लिए रिजर्वेशन का जिक्र किया है तो जरा उसे पढ़ कर सुना दीजिए।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, पायलट साहब ने आपसे जो कुछ कहा, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार का जो भी ब्यू है, सरकार उसे सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं बता देती, क्यों सरकार उसे उलझाए रखना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट को कहती क्यों नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा तो यही है कि सरकार की नीति इस मामले में साफ नहीं है, वह अपनी नीति साफ करे। .....

(**व्यवधान**)

श्री राजेश पायलट : यदि हमारे भाईयों में इतनी ही उत्सुकता है तो आप एक बात करो कि यह काम हमें करने दो, क्रैडिट इसका तुम ले लेना। हम बाहर कह देंगे कि हमने रामविलास भाई के कहने पर ऐसा किया। हम लोग दिखाना नहीं चाहते, हम लोग करना चाहते हैं। स्पीकर सर, मैं इस सदन में विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार **(व्यवधान)**

श्री राम लखन सिंह यादव (आरा) : सुप्रीम कोर्ट में आज ही आपकी नीति की आवश्यकता है, क्योंकि एक मामला वहां विचाराधीन है। सही उत्तर सही समय पर न भेजने से आपके प्रति लोगों में आक्रोश और दुर्भावना फैलेगी। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके विरुद्ध जा सकता है। उसका मतलब होगा कि सरकार उस फैसले की आड़ में मण्डल कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं करेगी और भिन्न-भिन्न बहाने ले कर मुकर जाएगी।

श्री राजेश पायलट : रामलखन जी, पहले आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। जो भी यहां कहा जा रहा है उसको सुनने के लिए सब लोग तैयार हैं। फायनेंस मिनिस्टर भी यहां पर हैं। उन्होंने कहा है कि 4.45 बजे वह स्टेटमेंट देंगे। यहां पर जो स्पीचेज होने वाली हैं, उनके बाद मैं उनको परमिशन दे रहा हूं। इसलिए प्लीज टाइम थोड़ा होने की वजह से जो बीच-बीच में चल रहा है, उसको खत्म कीजिए।

श्री राजेश पायलट : थैंक्यू सर। अभी एक माननीय सदस्य ने यहां पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का बहाना लेकर.... **(व्यवधान)**

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : राजेश जी, इस विषय को छोड़िए और आगे बढ़िए।

श्री राजेश पायलट : इस बिन्दु पर भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं—यह हमारा विश्वास है कि हम पिछड़े वर्ग को रिजर्वेशन दे कर रहेंगे और इसमें कोई बाधा नहीं आ सकती है **(व्यवधान)**

श्री श्रीकांत जैन : (कटक) मेरा प्रश्न व्यवस्था का है। यदि मंत्री सदा ही सदन को गुमराह करने की कोशिश करता है, तो सदन में तनाव होगा। इसलिए मैं आपका संरक्षण मांगता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रकार के व्यवधान की अनुमति नहीं देता। यह रिकार्ड में नहीं जाएगा यदि आप चाहते हों तो मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा किन्तु इस प्रकार नहीं।

श्री राजेश पायलट : स्पीकर सर, दो बातें हैं, जैसा जिक्र 2-3 स्पीचेज में आया असम, पंजाब और कश्मीर के बारे में, बड़े ढंग से असम सरकार कोशिश कर रही है कि असम में शायद कोई ऐसी स्थित बने कि जो हालात पीछे बिगड़ रहे थे वे सुधर पांए।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

जहां तक पंजाब और कश्मीर का सवाल है स्पीकर सर, यह सारे देश की चिन्ता का विषय है। इसमें किसी की दो राय नहीं हैं कि पंजाब में क्या होना चाहिए और कश्मीर में क्या होना चाहिए। सारे हाउस के एक सेंटीमेंट्स हैं कि पंजाब और कश्मीर में ऐसे हालात बनाने चाहिए जिससे शांति हो और पिछले एक-दो साल में जो नुकसान हुआ और जो व्यवस्था बिगड़ी उसको हम सुधार सकें मैं अपनी पार्टी की तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी पार्टी ने कभी सत्ता का लोभ नहीं किया है। जब आसाम में हमारी सरकार थी हम लोगों ने एकौर्ड करके शान्ति के लिए वहां पर चुनाव करवाए और वहां पब्लिक का जो फैसला था हमने उसको माना और उसकी सरकार दी। मिजोरम में हमारी सरकार थी, हम लोगों ने शान्ति के लिए एग्रीमेंट किया और लोगों का जो मत था उसको माना और भाई लालडेंगा जी, जो अब नहीं रहे हैं, उनसे हाथ मिलाकर शान्ति लाने की कोशिश की मैं विपक्ष के भाईयों को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इसमें कांग्रेस और सरकार कंधे से कंधा लगाकर पंजाब, कश्मीर में साथ देगी लेकिन उम्मीद है कि हम सब उसी ध्येय से इसको लेंगे और उसी नीति से लेंगे तो पंजाब और कश्मीर की समस्या बहुत जल्दी हल हो सकती है। सरकार की कोशिश रही है और जिस दिन से सरकार ने ओथ ली और सरकार आई है उस दिन से हमारा प्रयास है कि हम सबसे बात करके पंजाब और कश्मीर में ऐसे हालात पैदा करें। एक आखिरी पैराग्राफ अटल जी के बारे में जिक्र करना है। स्पीकर साहब, मैं सहमत हूं कि आज चाहे काले धन की बात करो चाहे यह कि देश के हालात किस तरह से बिगड़े, यह किसी से छुपा नहीं हैं, इसको सब मानते हैं। लेकिन इसका मूल कारण क्या है ? मैं पंडित नेहरू की 1952 की स्पीच पढ़ रहा था। उनका जवाब मैं जयप्रकाश जी के लिए पढ़ रहा था। (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री अमल दत्ता जी, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं मेरी बात सुनिए।

श्री चन्द्र शेखर : नेहरू का उदाहरण मत दो, और कुछ भी करो।

श्री राजेश पायलट : चन्द्रशेखर जी हम पं० नेहरू की विचारधारा पर ही चलते आए हैं और आप भी कुछ हद तक पं० नेहरू की ही विचारधारा पर चलें हैं। हम उस विचारधारा पर ही चलते रहे हैं और यही कारण है कि हम इस पर टिके रहेंगें।

श्री चन्द्र शेखर : आपको नेहरू का उदाहरण नहीं देना चाहिए, आपको इस बारे में चुप रहना चाहिए।

श्री राजेश पायलट : पं० नेहरू की विचारधाराओं का अनुसरण किया जाएगा, हम इसका अनुसरण करते हैं और हम इसका अनुसरण करना जारी रखेंगे। यह तो हमारा मंच है और हम इसे किसी के कहने से नहीं छोड़ेंगे।

[**हिन्दी**]

मैं जिक्र कर रहा था कि आज इस बीमारी का कारण क्या है, इस हालात के जिम्मेदार कौन हैं, आज देश में राजनीतिक हालात क्यों बिगड़े ? इसका सबसे बड़ा कारण देश में राजनीति स्तर में गिरावट आई है, इसको सब पार्टियां मानने को तैयार हैं या नहीं। असल जड़ यह है कि जब तक

हम सब पार्टी वाले और सब पार्टी के भाई यह शुरूआत नहीं करेंगे कि हम रानीतिक स्तर को मजबूत करें तब तक यह बीमारी ऐसे ही चलती रहेगी । मैंने यह जिक्र इसलिए किया कि अटल जी ने बड़े भावुक होकर कहा था और मैं उनकी भावुकता से सहमत हूं कि आज देश को मजबूती की जरूरत है। लेकिन यह तभी होगा जब हमारा राजनीतिक चरित्र मजबूती के साथ चले । जब तक राजनीतिक चरित्र में मजबूती नहीं आएगी हमारी समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी, यह कम नहीं होंगी । यह अभी पूरी होंगी जब देश का राजनीतिक चरित्र मजबूत होगा और उसके साथ देश का राष्ट्रीय चरित्र मजबूत होगा, तब जाकर देश मजबूती के रास्ते पर चलेगा। आज दुर्भाग्य हमारा यह है कि हर राजनीतिक पार्टियां इन बातों से दूर चल रही हैं । जब तक हम उसकी तरफ नहीं आएंगे तब तक हमारा देश आगे मजबूती के साथ नहीं बढ़ेगा । आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया और मैं जो बातें कह सकता था, अपनी सरकार के जो पाइटस अटल जी ने और दूसरे लोगों ने उठाएं हैं वे मैंने आपके सामने रखे ।

[अनुवाद]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान जी, इस सम्माननीय सदन में हमने जनादेश पर चर्चा की है और हमारे बीच वैचारिक मतभेद हैं और निश्चित रूप से भाषान्तरण में कोई असहमति नहीं थी कि यह जनादेश क्या है। वास्तव में, यह जनादेश एकल नहीं था यह तो दो आंशिक जनादेशों का योग था। एक तो 20 मई का चुनाव और दूसरा 15 जून का चुनाव। इसमें केवल समय का ही नहीं बल्कि प्रसंग का भी अन्तर था। यह तो किसी न्यायधीश के दो अलग-अलग निर्णयों को नत्थी करके तथा इन्हें सम्बद्ध मानकर पढ़ने के समान है। स्वाभाविक रूप से, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इन्हें हम सम्बद्ध नहीं पाएंगे । किसी भी तरह यही सम्बद्धता ही इस सदन की वास्तविकता है। मैं यह नहीं जानता कि भविष्य में इसका स्वरूप कैसा होगा। ऐसा लगता है कि राजेश पायलट जी इसके बारे में काफी आश्वस्त हैं। किन्तु यह हमारा प्रयास होगा कि लोगों की आवाज़ निरन्तर सुनी जाए और हम आधार पर प्रतिज्ञाबद्ध हैं, इससे हम दूर नहीं होंगे।

लोगों तथा देश के प्रति हमारी इसी प्रतिबद्धता के कारण ही जब देश की अखंडता, इसकी भावनात्मक और भौगोलिक एकता, राजनैतिक और आर्थिक स्वतंत्रता का प्रश्न आता है तो, महोदय मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दलगत रूप में कार्य नहीं करेंगे बल्कि इस देश के नागरिक के रूप में कार्य करेंगे क्योंकि प्रत्येक देश के इतिहास में संसदीय वाद विवाद के समय एक वास्तविक मुद्दे का प्रश्न आता है जिसमें इस बात का महत्व नहीं होता कि हमने देश को किस प्रकार रखना है बल्कि इस बात का कि स्वयं देश ने हमें किस प्रकार रखना है। आज हमारे सामने दूरदर्शिता की चुनौती है जिसमें हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश अपने आप को ठीक प्रकार से चला सके, इसके लिए हमें कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। जब देश तथा लोगों की बात आएगी तब हम इसमें अपना पूरा-पूरा सहयोग देंगे। और इसके लिए जो अकेला रास्ता है वह है सहमति का। और कोई रास्ता नहीं है और इसी के लिए आज हम सदन में इकट्ठा हैं। और यदि लोगों के इस अस्पष्ट निर्णय मे स्पष्टता को देखना है तो मेरे विचार से इस सदन को आम सहमति से चलाने का आदेश मिला है लेकिन विचार-विमर्श की संस्कृति ही आम सहमति है। निश्चित रूप से, यदि एक पक्षीय निर्णय ले

लिए जाते हैं और तब यदि सहमति मांगी जाती है तो इसे आम सहमति नहीं कह सकते। क्या मैं इसे असहमति कह सकता हूं, इसलिए, आओ हम यह रास्ता न अपनाएँ, और मैं आशा करता हूं कि इस बारे में प्रयास किए गए हैं। प्रधान मन्त्री ने अभी हाल ही में हमें निमन्त्रित किया था किन्तु इसके पश्चात् हमें आश्चर्य हुआ कि बड़े-बड़े निर्णय लिए गए थे और हमें सूचित मात्र किया गया था कि ये निर्णय लिए गए हैं और अब हमें इनसे सहमत अथवा असहमत होना है। सम्वाद की गम्भीरता का विकास किया जाना है। मेरा विचार है कि केवल विश्वास का प्रस्ताव पास कराना ही पर्याप्त नहीं है। जैसा कि सदन का गठन हो चुका है, अब मेरे विचार से सरकार को विपक्ष को विश्वास में लेने हेतु प्रस्ताव लाना चाहिए। मेरे विचार में यही वह चीज है जिसकी आपको अब अधिक आवश्यकता है। इसलिए, यह विश्वास दर्शाने की कृपा करें। जब देश की बात आएगी तब हम निश्चित रूप से उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से व्यवहार करेंगे क्योंकि लोगों के प्रति यह हमारा उत्तरदायित्व है किन्तु निश्चित रूप से हमारा यह उत्तरदायित्व अधिक है कि जब आप गलती करेंगे जब आप लोगों के हितों से विमुख होंगे तब हम आपको किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं करने देंगे। यदि ऐसी कोई बात होगी तब हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। महोदय राष्ट्रपति का अभिभाषण कई बातों के बारे में एक भयावह रूप से चुप है। और यही मौन हमारे अंदर कंपन पैदा करता है। यह देश के संघीय ढांचे के स्वरूप पर मौन है, यह शक्तियों के विकेन्द्रीकरण पर मौन है, यह प्रैस तथा इलेक्ट्रानीकी प्रचार माध्यमों की स्वतंत्रता की प्रतिबद्धता पर मौन है, यह चुनाव सुधारों पर मौन है। यह न्याय सुधारों पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के सम्बध में मौन है। इसलिए, यह मौन स्वयं भाषण में व्याख्या से परे है। मुझे यह पता नहीं है कि क्या यह मौन निष्कपट है अथवा कपटपूर्ण मौन है किन्तु यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मामला शैक्षणिक रूचि का नहीं है। हम इन्हीं मुद्दों को लेकर ही लोगों के पास गए थे। उन्होंने इसी पर अपना निर्णय दिया है और इसका सम्बंध हमारे से है। जब इन महत्वपूर्ण मुद्दों के सम्बंध में जिसका सम्बंध स्वयं प्रजातन्त्र सगठनों से हो, का कोई वर्णन न किया गया हो जिसे समाप्त करने की चेष्टा हो रही हो जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं।

महोदय, जब हम संघीय व्यवस्था की बात करते हैं तो निश्चित रूप से इन सब में हम राजनैतिक एकता के तत्व पाते हैं और संविधान में एक नाजुक संतुलन की व्यवस्था है। कभी-कभी हमें कश्मीर, पंजाब अथवा असम में विदेशियों द्वारा पैदा की गई समस्याओं के बारे में भी आत्म विवेचन करना पड़ता है। वहां विदेशी हस्तक्षेप के अतिरिक्त क्या कुछ हद तक प्रजातंत्र को समाप्त करने में उनका योगदान नहीं रहा है। मैं 'अकेले' नहीं कहता, किन्तु यह भी अलगाववाद की दिशा में एक प्रकार का योगदान है। यह आवश्यक नहीं है, जब हम इस देश की एकता और अखण्डता की बात करते हैं, जब ऐसे तत्व वहां पर हैं तो मुझे विश्वास है कि ये बातें राष्ट्रपति के अभिभाषण में आनी चाहिए जिससे इस देश में संघीय प्रजातंत्र को जीवित रखा जा सके और सरकार इस पर वचनबद्ध है, परन्तु उन्होंने इस विषय को दूर ही रखा है। परन्तु यह एक ऐसा विषय है जिसे सरकार शायद गम्भीरता से नहीं लेगी और मेरा विचार है जब प्रधान मंत्री उत्तर देंगे तो निश्चित रूप से वे इसे स्पष्ट करेंगे। और जब हम लोगों को शक्ति देने की बात करें, वास्तव में, तब शक्ति गरीब लोगों को देने की बात करनी चाहिए। और अभी-अभी इसके बारे में काफी कुछ कहा गया है —"गरीब को शक्ति प्रदान करने की वचनबद्धता"। राष्ट्रपति के अभिभाषण में पंचायती राज

और विकेन्द्रीकरण के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। हम स्पष्ट रूप से यह जनाना चाहते हैं कि सरकार का पंचायती राज, इलैक्ट्रानिकी प्रचार माध्यमों के प्रति क्या रुख है और प्रसार भारती अधिनियम का भविष्य क्या है। प्रेस की स्वतंत्रता के सम्बध में दिए गए आश्वासन पर सरकार की क्या राय है? हां, आज मैं यह कह सकता हू क्योंकि हम विपक्ष में हैं, हम सब प्रैस की स्वतत्रता के समर्थक हैं। जब हम सत्ता में होते हैं तब परीक्षा की घड़ी होती है और जब अगली परीक्षा की घड़ी आती है तब स्थान बदल जाता है। उस क्षण हमने परीक्षा पास की थी। तब किसी पत्रकार अथवा प्रेस के मालिक के ऊपर अपने विचारों अथवा अन्य ऐसी कोई चीज में परिवर्तन करने हेतु कोई दबाव नहीं था। ये बातें प्रजातन्त्र की मौलिकता होती हैं। न्यायिक सुधारों का मामला अति आवश्यक है। हम यह जानते हैं कि न्यायधीशों के रूप में नियुक्ति पाने से पहले अधिवक्ताओं और वकीलों, को सत्ता के गलियारों में ऊपर-नीचे चक्कर काटने पड़ते हैं। हमारी न्यायपालिका का प्रकार क्या है? हमारे संस्थान किस प्रकार के हैं? स्पष्ट रूप से हमारा मुद्दा यह है कि सरकार इन प्रजातांत्रिक संस्थानों की इस ह्रास से कैसे सुरक्षा करने जा रही है जिसने राजनीतिक स्थिति को वर्तमान दशा में ला खड़ा किया है और सरकार को यह स्पष्टीकरण भी देना चाहिए कि इन महत्वपूर्ण मुद्दों को राष्ट्रपति के अभिभाषण से बाहर क्यों रखा गया है?

महोदय अब तक तो सब राष्ट्रपति के अभिभाषण में मौन रहे विषयों के बारे में था। मैं अब उन बातों पर आ रहा हूं जिनके बारे में अभिभाषण में कहा गया है। क्या मैं अंतिम वाक्य की अंतिम सूक्ति से प्रारम्भ कर सकता हू।

वह वाक्यांश इस प्रकार से है :—

> "आपके पास आपके समाने एक शक्तिशाली और समृद्ध भारत, एक सहृदय भारत, एक ऐसे भारत जहां सामाजिक समानता और साम्प्रदायिक सौहार्द हो, ऐसा भारत जहां से गरीबी का उन्मूलन हो चुका हो, ऐसे भारत जो समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित हो, के निर्माण करने का ऐतिहासिक कार्य है।"

पूरे भाषण के अंतिम वाक्यांश को देखें जो अब लाखों लोगों के लिए प्रथम वाक्यांश बन गया है। जिन्होंने हजारों वर्षों से अपने को वंचित रखे जाने और अपमान के अतिरिक्त कुछ नहीं देखा है। उनके लिए हमारा संदेश क्या होगा? इस अभिभाषण के पश्चात्, उन्हें मूर्त रूप में क्या संदेश प्राप्त होगा? क्या यह संदेश उनकी गतिहीनता को स्थिर ही रखेगा अथवा यह एक परिवर्तन का संदेश होगा? इस परिवर्तन को मुझे स्पष्ट कर देना चाहिए जिसका अभिप्राय कोष से धन निकाल कर बांट देना नहीं है। किसी राष्ट्र का भविष्य विधायिकाओं से नहीं बनता, बल्कि राष्ट्र का भाग्य तो समाज के उन लोगों के ऊपर उठने से बनता है जिन्हें अब तक सत्ता से वंचित रखा गया है और उन पर अत्याचार किए गए हैं, हम उनके लिए क्या करने जा रहे हैं? वे लोग खजाने से धन नहीं मांग रहे हैं। वे अपना भाग्य और देश का भाग्य संवारने के लिए हिस्सा मांगते हैं। हम उन्हें सत्ता सौंप देने के लिए कितना हिस्सा दे रहे हैं? मैं यहां गांधी जी का नाम लूंगा जिन्होंने स्वराज के सम्बन्ध में कहा :—

> "स्वराज से मेरा अभिप्राय भारत की ऐसी सरकार जिसे लोगों ने सहमति से चुना हो जिसमें प्रौढ़ जनसंख्या की विशाल संख्या ने, चाहे वह पुरुष हो अथवा स्त्री, मूल निवासी हो अथवा अधिवासी, जिसका राज्य की सेवा हेतु शारीरिक श्रम से योगदान किया हो।"

राष्ट्रपिता का यही स्वप्न था कि जिन लोगों ने देश के लिए अपने हाथों से श्रम करके योगदान किया है वे ही देश का भाग्य बनाएंगे। शारीरिक श्रम से योगदान करने वाले कौन लोग हैं? गांधी जी के मन में 'शारीरिक श्रम' शब्द इस प्रकार से नहीं रखा जिस प्रकार इसका यहां पर्यालोचन किया गया है। वे कौन लोग हैं जो कठिन परिश्रम करते हैं और शारीरिक श्रम से अपनी जीविका कमाते हैं? क्या वे अनुसूचित जाति के लोग नहीं हैं? क्या ये वे लोग नहीं हैं जिन्हें समाज ने 'अछूत' का नाम दिया है? उन्होंने तो ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने तो हमें उन्हें शूद्र कह कर पुकारने के लिए नहीं कहा था। वे पिछड़ी जातियां हैं; यही प्रमुख श्रमशक्ति है। यही देश की उत्पादक शक्ति है और यही देश की उत्पादक श्रेणी है। स्वतंत्रता के 43 वर्ष पश्चात् भी हमारे देश की यह शक्ल है कि देश की प्रमुख उत्पादक श्रेणी के बारे में भी हम यह नहीं कहते कि देश को वे ही चला रहे हैं, यहां यह बात अधिक महत्व की नहीं है कि बजट से उन्हें कितना धन प्राप्त होने जा रहा है।

महोदय, जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा है, तो सामाजिक न्याय का कोई भी कार्यक्रम सामाजिक यथार्थता को जाने-समझे बिना नहीं बनाया जा सकता। यदि आप इस सामाजिक यथार्थता पर पर्दा डालकर सामाजिक न्याय का कार्यक्रम बनाते हैं तो मैं कहूँगा कि हम न केवल अपने आप को धोखा दे रहे हैं बल्कि जनता को भी धोखा दे रहे हैं। देश का हम जो विश्लेषण करते हैं, उसमें केवल यह आवश्यक नहीं है कि आर्थिक और राजनैतिक यथार्थताओं की जानकारी को लिया जाए बल्कि सामाजिक यर्थार्थता को भी लिया जाना चाहिए; न केवल इनको अलग-अलग लिया जाना चाहिए बल्कि इनके पारस्परिक सबधों को भी स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। यह एक अत्यंत दुखद सत्य है कि जो लोग समाज के उच्च वर्ग में हैं उन्हें देश की सत्ता में बहुत बड़ा हिस्सा प्राप्त है और सत्ता में, मैं नौकरशाही को भी शामिल करता हूँ क्योंकि यह भी सत्ता की एक संस्था है। यह भी एक कटु सत्य है कि जो लोग समाज के निचले वर्ग में हैं, उनका सत्ता में बहुत हिस्सा है। यही एक मात्र कारण है कि सभी विकास सम्बन्धी कार्यक्रम उन लोगों तक नहीं पहुचते जिन्हें इन विकास कार्यों का लाभ मिलना चाहिए। अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था सत्ता के अन्यायपूर्ण ढांचे को जन्म देती है और यह सत्ता का ढांचा, सत्ता के लाभों को अन्यायपूर्ण ढंग से बांटता है। जब तक हम इस गठबन्धन पर सीधा हमला नहीं करते, मेरे विचार से, हम कोरी बहस ही करते रहेंगे। अनेक सदस्यों ने बहस में यह बताया है कि ये लाभ निम्न स्तर तक नहीं पहुंचते। इस मामले का संबंध इस दल या उस दल से नहीं है। यह तो वास्तविकता है। इस समूची व्यवस्था में कहीं न कहीं राजनैतिक इच्छा का अभाव है। सत्ता पर जिनका नियंत्रण है उनमें राजनैतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। सच्ची राजनैतिक इच्छाशक्ति किस में होगी? सच्ची इच्छा शक्ति उस वर्ग में होगी जो अधिकार व साधनों से वंचित है। अतः यदि हमें राजनैतिक इच्छा शक्ति का समावेश करना है तो इसके लिए हमें उन वर्गों के लोगों को सत्ता में लाना होगा जो इससे वंचित हैं।

मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि मुझे इस हेतु क्षमा करें कि मैं "एशियन ड्रामा" नामक गोइनार मृदाल की पुस्तक से कुछ अंश पढ़ रहा हूं। उसकी जो अंतदृष्टि है वह यहां आने वाले और इस प्रकार की अन्तदृष्टि रखने वाले एक विदेशी की अंतदृष्टि के रूप में विलक्षण है। उसका कहना है कि भारत ने महान नेतृत्व के साथ अपनी शुरूआत की। यहां अनेक राजनेता थे। बहुत ही थोड़े विकास-

शील देशों में ऐसा होता है। ये व्यक्ति सत्यनिष्ठावान, समर्पण और बलिदान की भावनाओं वाले थे। इसके बाद, बाद के वर्षों में क्या हुआ ? उसने यही बात बताई है। हमने यही बात अनुभव की है। मैं उसकी बात का केवल इसीलिए समर्थन नहीं करता कि उसने ऐसा कहा है बल्कि हमने भी यही बात अनुभव की है। उनका कहना है :

> "जो लोग सत्ता में आते हैं उनमें उच्चवर्गीय स्तर के लोग ऐसी नीतियां नहीं बनाते जो कि विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के लिए अहितकर होती हैं। स्तरीकरण के कारण राजनैतिक शक्तियां लोगों को गरीब, उपेक्षित और अकर्मण्य बना देती हैं।"

राजनैतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के बीच यही संबध है जो कुछ हुआ है उसके संबंध में उन्होंने आगे कहा है :–

> "भारत की गंभीर समस्याओं ने उच्च वर्ग के लोगों को उनकी एकता को खतरा पहुंचाने वाले मामलों को टाले रखा है।"

ठीक यही पाप तो हम लोगों ने किया है।

> "ऊंचा दर्जा पाने और स्थायित्व की तात्कालिता ने बहुत से नेताओं को अपने सैद्धान्तिक वचन बद्धताओं का परित्याग करने और कांग्रेस के सभी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने से रोकने के लिए अपनी मौन स्वीकृति दी है। जहां तक यह सत्य है कि आर्थिक और सामाजिक सुधार व्यावहारिक रूप में बेअसरदार हैं और एक प्रकार से इसे ही स्थायित्व कहा जाता है।"

स्थिरता ने इन वर्षों में जो कुछ किया है उसका इससे अच्छा निदान नहीं किया जा सकता ऐसा मैं सोचता हूं :–

> "परन्तु इस प्रकार की स्थिरता, राजनैतिक व्यवस्था की अक्षमता के जरिए ही हासिल की गई है ताकि विकास हतु आवश्यक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाए जा सकें। आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के विरोधियों के हाथों में वास्तविक सत्ता दे देने पर राजनैतिक स्थिरता का अर्थ हो जाता है प्रगतिरोध या निष्क्रियता।"

मैं सोचता हूं कि यह ऐसा विषय है जिस पर हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए न कि एक दूसरे पर आरोप लगाने चाहिए या दोषारोपण करना चाहिए। बल्कि इस विषय को दलगत भावना से ऊपर उठकर राष्ट्रीय स्तर की कार्यसूची में विचार करने के लिए लेना चाहिए।

प्रश्न यह नहीं है कि इसका प्रभाव हमारे ऊपर या दूसरों पर क्या पड़ेगा। इसका प्रभाव लाखों लोगों पर पड़ने वाला है और यह प्रभाव प्रच्छन्न रूप से नहीं पड़ेगा बल्कि मौजूदा सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक ढांचे में दैनिक जीवन के अनुभव के आधार पर जैसा जीवन वे जन्म से लेकर मृत्यु तक जीते हैं, उस पर पड़ेगा।

इस संदर्भ में मैं निश्चय ही यह आशा करता हूं कि केवल सही रूप से ही प्रकाश नहीं डाला जाएगा बल्कि हम इस पर अधिक गंभीरता से विचार करेंगे।

मैं अभिभाषण के पैरा 36 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा जिसमें राष्ट्रपति ने कहा है:

"प्रशासन को अधिक दक्ष और उत्तरदायी बनाने की बात को सरकार अधिक महत्व देती है।"

अतः अब उत्तरदायित्व पूर्ण प्रशासन बनाने की आवश्यकता की बात रिकार्ड में है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए मात्र गुण दोष के आधार पर योग्यता निश्चित करना क्या सही है? जो भी इस परीक्षा को पास करते हैं क्या उनका आई० क्यू० कम होता है या वे मेधावी नहीं होते या उन्हें ज्ञान नहीं होता। यह सुझाव कभी भी नहीं दिया गया कि प्रशासन को जानकारी नहीं होनी चाहिए। प्रशासन जानकार है परन्तु इसका रवैया उत्तरदायित्वपूर्ण भी नहीं है। आम आदमी की यही शिकायत है। उत्तरदायित्व पूर्ण होना एक मान्य गुण है। क्या हमने नहीं देखा है कि प्रशासनिक गुण क्या है? क्या जनता के प्रति उत्तरदायित्व पूर्ण होना, सभी परीक्षाओं की अपेक्षा सही गुण नहीं है? उदाहरण के लिए रक्षा सेवाएं। केवल परीक्षा के ही बल पर वे यह नहीं कहते "आप जाइए और रक्षा सेवा में कार्मिक बन जाइए" कई अन्य मानवीय गुण भी हैं और यदि उत्तरदायित्वपूर्ण होना एक गुण है तो अनुभव को उसका एक भाग मानना ही होगा और दुख भोगने के अनुभव से ही न कि पुस्तकों में पढ़ने से उत्तरदायित्व की भावना आ सकती है।

इसी पैरे में यह भी कहा गया है कि सरकार विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में अनु० जातियों और अनु० जनजातियों के जो स्थान बहुत समय से रिक्त पड़े हैं और भरे नहीं जा सके, उनको भरने का अभियान पूरा करेगी (**व्यवधान**)। जब आप कोई कदम उठाएंगे तो हम पूरा पूरा सहयोग देंगे (**व्यवधान**)। मैं आपको विश्वास में ले रहा हूं (**व्यवधान**)। हमने मंत्रीमंडल में इस पर विचार किया था (**व्यवधान**)। हमने स्वयं इस पर मंत्रीमंडल में विचार किया था। हमने अपने आप इस पर निर्णय लिया था। श्री राम विलास जी वहां उपस्थित थे कि हम इस बारे में विधान बनाएंगे क्योंकि इस समय तो अनु० जातियों और अनु० जनजातियों के आरक्षण के संबंध में केवल एक सरकारी आदेश है, एक परिपत्र या उसी जैसी कोई चीज है। हमने निर्णय किया था कि हम विधान लाएंगे जिसमें यह अधिनियमित हो जाएगा और न्यायालय के बाद योग्य होगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का सदस्य न्यायालय में जा सकता है। हमने इसका वायदा उनको लगभग आधी शताब्दी पूर्व किया था। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह यह विधान इसी सत्र में लाए। हम सभी सहयोग करेंगे। इसे स्वयं प्रधान मंत्री जी कल भी प्रस्तुत करें।

इस बात से भी आश्वस्त रहिए कि इस प्रकार का सहयोग हमारी ओर से मिलेगा तथापि विपक्ष के रूप में हम यह भी आश्वस्त करना चाहेंगे कि यदि यह विधान इस सत्र में नहीं आता है तो हम जनता के पास जाएंगे और इसके लिए आंदोलन करेंगे और संघर्ष करेंगे क्योंकि हम और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। अतः हमने सहयोग की अपनी मंशा का तथा अपने विरोध की भी समुचित सूचना दे दी है। यह नहीं समझा जाना चाहिए कि हमने कोई बात छिपा रखी है। साथ ही प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी के बारे में चुप्पी है। गूंगे जैसी चुप्पी है। इसका कोई

उल्लेख नहीं है। निःसंदेह मजदूरों का थोड़ा बहुत हिस्सा आदि होने का उल्लेख अवश्य है, किन्तु प्रबन्ध में मजदूरों की भागीदारी के बारे में आपका क्या विचार है ? यदि प्रबंध मंडल धन के उत्पादन में पूंजी का हिस्सा है, उसी प्रकार मजदूर भी उसमें भागीदार है। प्रबंध में उसकी भागीदारी भी क्यों नहीं होनी चाहिए। यह केवल मजदूर यूनियन की मांग मात्र नहीं है। यह कांग्रेस दल की वचनबद्धता है और प्रबन्ध में मजदूरों की भागीदारी की बात उसके घोषणापत्र में कही गई है। प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी के बारे में हमने सदन में एक विधान प्रस्तुत किया है। हम इस बारे में स्पष्ट आश्वासन चाहते हैं कि हमने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसके बारे में सरकार क्या करने जा रही है। हम उसे इसी सत्र में चाहतें हैं क्योंकि उसके लिये न तो बजट की आवश्यकता है और न विदेशी मुद्रा की और न उसे वित्त मंत्रालय में भेजने की जरुरत है—न तो अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति वाले पहले विषय को और न प्रबन्ध में मजदूरों की भागीदारी वाले विधेयक को वहां भेजने की जरुरत है।

महोदय, आशंकाएं व्यक्त की गई हैं। यह कहा गया है कि मजदूर अभी इस स्तर तक नहीं आ पाया है। परन्तु भारतीय रिजर्व बैंक का अध्ययन यह बताता है कि श्रमिकों के कारण रुग्णता केवल 2 प्रतिशत है और प्रबन्ध मंडल के कारण यह रुग्णता बहुत अधिक है। अतः हमें उत्पादन की अपनी शक्तियों पर या श्रम शक्ति पर भरोसा होना चाहिए। अन्य सभी बातों की हम चर्चा क्यों करते हैं ? परन्तु हमें उन पर भरोसा नहीं है। हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। इस सदन से ठीक इसी प्रकार का संकेत दिया जाना चाहिए। हो सकता है हमारे पास धन की कमी हो—हो सकता है हमें कुछ कठिनाई हो किन्तु हममें आत्म विश्वास अवश्य है। इस बारे में हमें सुसम्पन्न बने रहना चाहिए। अपने श्रम करने वाले परिश्रमी लोगों पर भरोसा रखने के मामले में हम विपन्न नहीं है इस सदन से यही संदेश आना चाहिए, मेरी मांग भी यही है। आधुनिकीकरण या विदेशों में प्रतिस्पर्धा संबंधी जो चुनौतियां आज हमारे सामने हैं यह मांग उसके विपरीत नहीं है। जर्मनी में मजदूरों को प्रबन्ध में भागीदारी मिली हुई है और यह देश अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा का रहा है। जापान में औद्योगिक संबंधों में सहयोग का न कि वैर-विरोध पूर्ण संबंधों का एक आदर्श रूप है। यह देश भी प्रतिस्पर्धात्मक है और सक्षम है। हम बहुत ही स्पष्ट आश्वासन चाहते हैं। मैं यह भी नोटिस देना चाहूंगा कि यदि प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी के बारे में आश्वासन इसी सत्र में नहीं मिलता तो हम हर औद्योगिक नगर में मजदूर वर्ग के पास जाएंगे और उन्हें यहां इकटठा खड़ा कर देंगे जब तक कि आप उनका अधिकार उन्हें नहीं दे देते। इस सदन से यही संकेत अब सभी ओर जाना चाहिए (**व्यवधान**)।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० राममूर्ति) : अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य और भूतपूर्व प्रधान मंत्री प्रबन्ध में मजदूरों की भागीदारी के संबंध में चर्चा कर रहे थे। उनकी सरकार ने एक विधेयक प्रस्तुत किया है और वह राज्य सभा में विचाराधीन है। महोदय, क्या मैं उनसे यह जान सकता हूं कि पुनः स्थापित किए जाने के बाद भी यह विधेयक उस समय पारित क्यों नहीं हो सका। कृपया उन्हें स्पष्ट करने दीजिए (**व्यवधान**)।

श्री राम विलास पासवान : कांग्रेस (इ०) ने सहयोग नहीं दिया । **(व्यवधान)**

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं बहुत प्रसन्न हूं कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह उस विधेयक को पेश करने को तैयार हैं । हम आपको पूरा पूरा समर्थन देंगे । **(व्यवधान)**

श्री के० रामामूर्ति : आप उस विधेयक को राज्य सभा में पारित नहीं कर रहे हैं । आप उसे पारित क्यों नहीं कर रहे हैं ? **(व्यवधान)**

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आप इस विधेयक को ला रहे हैं अथवा नहीं ? उससे अधिक आप कुछ मत कहिए ।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : कांग्रेस (आई०) ने स्पोर्ट नहीं किया था, इसलिए हम नहीं ला सके । यह रिकार्ड में है कि वे चाहते हैं कि विधेयक को प्रवर समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए । **(व्यवधान)**

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह वही बात है कि जैसा मैंने अनुरोध किया.....इन बेतुकी टिप्पणियों से गंभीर विषय को खत्म नहीं करना चाहिए । हमें गंभीर हो जाना चाहिए । ठीक है, सारी चूकें हम से हुई हैं । प्रबन्ध में मजदूरों की भागीदारी के संबंध में आप उनमें सुधार करने को तैयार हैं ?

श्री के० राममूर्ति : जी हां । **(व्यवधान)**

5.00 म० प०

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इस संबंध में हमारी वचनबद्धता स्पष्ट है । **(व्यवधान)**

श्री सोम नाथ चटर्जी (बोलपुर) : क्या उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वह एक मंत्री द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर दें । **(व्यवधान)**

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हम इस विधेयक प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी के रचयिता हैं । मैं सत्ता पक्ष द्वारा इसके प्रति वचनबद्धता के लिए एक आखिरी तिथि निर्धारित किए जाने की अपेक्षा करता हूं ।

अब अभिभाषण के पिछड़ी जातियों से संबंधित पैरा 28 पर आएं, जिसमें कहा गया है :—

> "सरकार सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियों के हितों के लिए विशेष उपाय करने हेतु वचनबद्ध है ।"

"विशेष उपाय" शब्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए । अभिभाषण में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के विषय में कुछ नहीं कहा गया है । इसमें आगे कहा गया है :—

> "इनको क्रियान्वित करने में इनमें से जो वर्ग अधिक गरीब हैं उन्हें वरीयता दी जाएगी ।"

हम यह नहीं जानते हैं कि ये उपाय क्या हैं। इसमें आगे कहा गया है :—

"जहां अधिक गरीब प्रत्याशी उपलब्ध नहीं होंगे, तो इसका लाभ पिछड़ी जातियों के दूसरे सदस्यों को मिलेगा। सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि आरक्षण का लाभ आंशिक रूप से उन पिछड़े वर्गों को भी दिया जाए जिन्हें विद्यमान योजनाओं में शामिल नहीं किया गया है।"

वाक्य का इस प्रकार से बनाए गये वाक्य से हमारे अन्दर शंका पैदा होती है। क्यों? पहले ही सरकारी सेवा में नौकरीयों में आरक्षण के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इसमें "केवल विशेष उपायों" की बात कही गई है। यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि सरकार पिछड़ी जातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण के लिए वचनबद्ध है। दूसरी शंका यह है कि सूची के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। आप कौन सी सूची का अनुसरण करेंगे? मुझे स्पष्टीकरण चाहिए। पिछड़ी जातियों की कौनसी सूची का पालन किया जाएगा? क्या आप मंडल आयोग की सूची का पालन करेंगे? यदि वे इसका अनुसरण करेंगे तो वे इसे यहां लिख क्यों नहीं देते। **(व्यवधान)**

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : आपने अपने आदेश में यह क्यों नहीं लिखा? आपने मंडल आयोग की सूची को पूर तौर पर स्वीकार नहीं किया था। **(व्यवधान)** सारी समस्या है तो यही है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृप्या अपने स्थान पर बैठ जाएं। कृपया कोई व्यवधान न डालें। **(व्यवधान)**

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : नौकरियों में आरक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। सूची का कोई उल्लेख नहीं है। मुझे पता नहीं है कि क्या उन्होंने मंडल आयोग की सूचियों में से एक सूची प्रस्तुत की है। हमने राज्य और मंडल आयोग की एक मिली-जुली सूची को स्वीकार किया था। हमने 14 संयुक्त सचिवों को भेजा था। उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी। यह सरकार के पास तैयार है। क्या आप इस सूची का पालन करेंगे। कृपया इसे स्पष्ट करें। नहीं तो आप इसे फिर अगले दस वर्षों के लिए टोकरी में डाल देगें और रिपोर्ट को अलमारी में रख देगें। **(व्यवधान)** मैं विपक्ष में हूं, मुझे प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त है। इसका उत्तर देने का कर्त्तव्य मेरा नहीं है। **(व्यवधान)** एक मंत्री विपक्ष के नेता से कैसे प्रश्न पूछ सकता है? प्रश्न पूछने का अधिकार हमें है। **(व्यवधान)**

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० चुंगन) : यह कैसी अनियमितता है। जहां तक अरूणाचल प्रदेश का संबंध है, पिछड़ी श्रेणीयों का जिक्र किया गया है और वे सूची में हैं, दस नामों का जिक्र किया गया है। वहां 50 लोग भी नहीं हैं। यदि इसका पालन किया जाता है तो 80 प्रतिशत जनसंख्या में से, केवल 50 लोगों को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। महोदय, इस प्रकार की असंगति है। मुझे यह पता नहीं है कि यह जानकारी उन्हें है। **(व्यवधान)**

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मेरे विचार से उन्हें ठीक से पता नहीं है। जो कुछ किया गया था वह एक मिली जुली सूची थी। यदि राज्य की सूची में यह होगा तब यह सही होगा। यदि यह राज्य की सूची में नहीं है तो हम पता लगाएंगे। जब कोई मंत्री खड़ा होता है तब वह एक व्यक्ति न होकर सरकार ही होता है। मंत्री के उत्तर के बाद यह स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है कि सरकार के पास कोई सूची ही नहीं है और उसने इस पर कोई विचार नहीं किया है तथा वह इस वचन को कैसे पूरा करने जा रही है। मुझे स्पस्ट आश्वासन चाहिए। (**व्यवधान**) प्रतिशतता के बारे में कोई परिमापन नहीं है। क्या आप 27 प्रतिशत से पीछे हट रहे हैं ? आप पीछे हटे हैं। आप पक्के तौर पर कुछ नहीं कह पाए हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण हो चुका है। आपने सदन में पुछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया है और एक भी उत्तर आपकी महान सहानुभूति पर आधारित नहीं था। यह कितना है। यह .001 प्रतिशत है या यह क्या है ? (**व्यवधान**) हमने सरकार का आचरण यहां और न्यायालय में भी देख लिया है। जब पहला दिन समाप्त हो रहा था, माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न यहां उठाया था और यही कारण है कि उन्होंने समय मांगा है। हमें इस पर अति स्पष्ट उत्तर चाहिए। किसी भी अवसर पर हमनें आने वाले समय में सदा के लिए आरक्षण नहीं मांगा। हमारे वक्तव्य में भी हमने कहा है कि 10 वर्ष पश्चात् इसकी पुनरीक्षण की जाएगी। मैं सारी चर्चा के बारे में नहीं कहना चाहता। अन्य बातें भी हैं जिन पर चर्चा की जानी है।

[**हिन्दी**]

श्री सुनील दत्त : सारा देश इंतजार कर रहा है कि देश का सोना कहां चला गया और यहां पर वित्त मंत्री जी बैठे हैं जवाब देने के लिए कि देश का सोना कहां जा रहा है, उनकी भी सुनें।

अध्यक्ष महोदय : सुनील दत्त जी आपने जो प्रश्न उठाया है उसके बारे में स्टेटमेंट होने वाला है। लेकिन यहां पर राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर कई माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, वे बोल लें, उसके बाद वित्त मंत्री जी का वक्तव्य होगा।

[**हिन्दी**]

श्री सुनील दत्त : आप बड़े लोगों को तो टाईम देते हैं लेकिन हमें केवल 5–10 मिनट ही मिलते हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मान्यवर, उसका भी जवाब मैं दूंगा जब एक्नॉमी पर आऊंगा लेकिन इतनी बात सुनने को तैयार नहीं हैं।

[**अनुवाद**]

राष्ट्रपति के अभिभाषण के पैरा 27 में महिलाओं के बारे में यह कहा गया है :–

> "इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में एक नई जागरूकता का विकास करना है और उन्हें शक्तिशाली बनाना है ताकि सामाजिक कायाकल्प और पुनर्चेतना के कार्य में वे सक्रिय रूप से भागीदार हो सकें।"

हमारे पंचायती राज विधेयक में जिसका हमने सरकार में क्रियान्वयन किया है, हमारा महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखने का प्रस्ताव था। यदि आप उन्हें विकास और कायाकल्प में सम्मिलित करना चाहते हैं, तो हमें एक स्पष्टीकरण चाहिए। क्या आप महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में कोई स्थान देने जा रहे हैं? **(व्यवधान)** .....

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : क्या आप एक मिनट के लिए रुकेंगे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री तेज सिंह राव भोंसले (रामटेक) : केवल 30 परसेंट के लिए कहा गया है। महाराष्ट्र शासन ने .....। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर : महिला की बात मान ली है तो मेरी बात क्यों नहीं मान लेते ? **(व्यवधान)**

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ठीक है, मैं आपको वही सम्मान दूंगा जो एक महिला को। **(व्यवधान)**

श्री मणि शंकर अय्यर : क्या यह तथ्य नहीं है कि आपके पूर्वगामी, श्री राजीव गांधी ने पहले महिलाओं के लिए पंचायतों में 30 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव किया था ? **(व्यवधान)** दूसरे, क्या यह एक तथ्य नहीं है कि इंदिरा महिला योजना में यह वह प्रसंग है जिसमें आपने इस उक्ति को पढ़ा है—विशेषतौर पर यह कहा गया था कि इस पूरे कार्यक्रम को महिला सभाओं द्वारा चलाया जाएगा जिसमें गांव की प्रौढ़ महिलाएँ होंगी जो अपने में से ही साथिन चुन सकती हैं जो कि कार्यक्रम को लागू करने में मुख्य रूप से कार्य करेंगी।

इस दृष्टि से, मुझे यह पता नहीं है कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री को क्या स्पष्टीकरण चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि वे पंचायती राज में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण करने जा रहे हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। **(व्यवधान)**

क्या आप ला रहे हैं अथवा नहीं ला रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री तेजसिंह राव भोंसले : यह 30 परसेंट होना चाहिये। महाराष्ट्र पहला प्रदेश है जहां पर हमने यह कानून लागू किया है। यही कानून जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां पर भी होगा लेकिन इन लोगों के राज में .....। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने अपना प्रश्न पूछ लिया है, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, वे सत्ता पक्ष में एक लम्बे समय तक रहे हैं **(व्यवधान)** तो भी वे ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे वे विपक्ष में हैं। और हम सत्ता पक्ष में हैं और हमसे प्रश्न तथा उत्तर पूछ रहे हैं।

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : उन्होंने सिवाय शरद यादव और सिवाय पासवान के किसी और को भी बैकवर्ड माना है? कोई लोक सभा का मैम्बर कोई गवर्नर नहीं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। जब आपको यहां पर कोई सदस्य बोल रहे हैं, उन्होंने आपको यील्ड किया तो आप बोल सकते हैं। आप चार-चार सीट से मत उठिएगा। एक बार हुआ, दो बार हुआ, अब फिर मत करिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया दोबारा ऐसा मत कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको बैठ जाना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार से नहीं चल सकता। आप यह समझ लें कि यदि वे मान जायेंगे तब आप बोल सकते हैं

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको यह स्पष्ट कर सकता हूँ। आप मेरे कक्ष में आ जाएं।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र मंडल : हम लोग सब बैठ जाएंगे लेकिन ये डिसटर्ब कर रहे हैं। जब उधर से लोग खड़े हो जायेंगे तो डिसटर्बेंस तो होगा।

अध्यक्ष महोदय : आपको भी कह दिया, उनको भी कह दिया, बाद में मुझे कहने का मौका मत दीजिएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप भी उन्हें परेशान कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह : अर्थव्यवस्था के मामले में सचेत होने की आवश्यकता है क्योंकि हम जानते हैं कि यदि देश एक बार कर्जदार हो जाने पर उसे इससे बाहर निकल पाने में एक दशक से भी अधिक समय लग जाता है। निश्चित रूप से यह हम सब का कर्त्तव्य है। पार्टी विचार-धारा से ऊपर उठकर हम सब इस विषय में सचेत हैं कि देश को ऐसी स्थिति में गिरने दिया जाएगा। किन्तु इसी के साथ-साथ जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी और माननीय वक्ताओं ने भी बताया है कि अब पारदर्शिता की आवश्यकता है। देश को भी विश्वास में लिया जाना है। यह बताया जाना है कि वर्तमान स्थिति क्या है, क्या उपाय किए जा रहे हैं और यदि ये उपाय नहीं किए गए तो क्या परिणाम हो सकते हैं और ये उपाय करने के पश्चात्, आगे आर्थिक सुधार क्या होंगे जिससे हम ऋणों का भुगतान कर सकेंगे अथवा ऐसी स्थिति में फिर नहीं पड़ेंगे जिसमें अब हैं और उन कारणों का विश्लेषण करेंगे जिनके कारण ऐसी स्थिति आई। यदि लोगों को विश्वास में नहीं लिया जाता, मेरे विचार से किए जाने वाले उपाय अथवा अन्य चीज जो आपके मन में है, ऐसा करना राजनीतिक तौर पर कठिन हो जाएगा। यह मधुमेह के रोगी की तरह है। यदि वह मधुमेह रोग से पीड़ित है, तो उसे यह बता देना बेहत्तर है कि वह इससे पीड़ित है। यह समस्या है। नहीं तो यदि आप यह कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं, और यदि आप उसे यह नहीं बताते कि वह मधुमेह रोग से पीड़ित है, बल्कि यह कहते हैं कि "आप मिठाई खाना छोड़ दें", तो वह आपको पीट देगा। **(व्यवधान)** यह ऐसी स्थिति है जो रातों-रात नहीं पैदा हो गई। 1980 से 1989 के बीच विदेशी कर्जा दस गुना हो गया। 1986 में वित्त मंत्रालय में था। मैं मंत्रिमण्डल के सम्मुख अच्छी तरह से तैयार किया हुआ एक दस्तावेज यह दिखाने के लिए लाया था कि किस प्रकार से व्यय राजस्व, ऋण तथा मुद्रा आपूर्त्ति में परिवर्तन अपना असर दिखाएगी तथा यह संभावना व्यक्त की थी कि 1990-91 तक भारत गहरे संकट अथवा वित्तीय संकट में फंसा होगा, हालांकि यह विश्लेषण मूल रूप से घरेलू आधार पर किया गया था। लेकिन हम यह जानते हैं कि विदेशी मुद्रा तथा घरेलू स्थिति में परस्पर अंतर्सम्बन्ध है। चार साल पहले मैंने चेतावनी दी थी कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह संकटों से भरा हुआ है। यदि हम अभी ब्रेक लगा देते हैं तो हम इससे बच सकते हैं और यदि हम दो वर्ष बाद ब्रेक लगाएंगे तो शायद हम इस दुर्घटना को न टाल पाएं। उस दस्तावेज में मैंने यह सम्भावना व्यक्त की थी—मैं अपनी यादास्त के आधार पर बोल रहा हूँ कि वर्ष 1990 तक राजस्व घाटा बढ़कर लगभग 14,000 करोड़ रुपए हो जाएगा और यह वास्तव में इतना हो गया। उस समय जैसा कि मेरा अंतःकरण साफ था मैंने अपना कर्त्तव्य निभाया था तथा आगाह किया था कि आगे ऐसी स्थिति होगी। जिन विभिन्न उपायों की मैंने सिफारिश की थी उन्हें मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार कर लिया गया

था लेकिन मेरा कार्यकाल केवल डेढ़ महीने का ही था। लेकिन एक बात मुझे याद है कि अल्प अवधि के विदेशी वाणिज्यिक ऋण लेने के लिए मेरे ऊपर काफी दबाव पड़ रहा था। मैंने अपने कार्यालय के दौरान इसका दृढ़ता से विरोध किया और इसे नहीं लिया जा सका। मेरे जाने के बाद अल्पकालिक ऋण प्राप्त करने के लिए दरवाजा खुल गया था और जिसके कारण भारी समस्याएं उत्पन्न हुईं। जब लम्बी अवधि के ऋण भी ले लिए जाएंगे तो उससे समस्या और बढ़ जाएगी। लेकिन जो समस्या तुरन्त उठ खड़ी होती है वह अल्पावधि वाले ऋणों को लेने से होती है क्योंकि इन्हें आपको तीन या छः महीनों के अन्दर वापस करना होता है। अतः इसे लेने के कुछ कारण हो सकते हैं जिसका मुझे पता नहीं है क्योंकि उस समय मैं सरकार में नहीं था। लेकिन निश्चय ही जब हम 1990 में सत्ता में वापस आए तो हमने उस अल्पावधि ऋणों पर पुनः रोक लगा दी। हो सकता है यह दिसम्बर और जनवरी में कुछ समय तक जारी रहा हो। अतः ये उपाय किए गए थे। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता कि हमने क्या किया और आपने क्या किया तथा मैं इसे वाद-विवाद की भावना के अनुकूल भी नहीं समझता। यह कार्य हम बजट सत्र में किसी समय कर सकते हैं। मैं इन सारी चीजों को विस्तारपूर्वक नहीं बता सकता लेकिन मैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूं जिन्हें मुझसे पूछा गया है। मेरे विचार से वह इस वाद-विवाद के अनुरूप नहीं है।

सरकार के पास विदेशी मुद्रा का भी बजट है। विदेशी मुद्रा का बजट नियमित बजट का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। ऐसा कोई कारण नहीं है कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। जब मैं सत्ता में था तो विदेशी बजट सामान्य रूप से अक्तूबर तक तैयार हो जाता था। इसमें कोई समझदारी नहीं है। अतः, अगले वर्ष, हमने इसे मार्च तक तैयार करने का प्रयास किया। जब हम घाटे को दिखाते हुए अपना सामान्य बजट पारित करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें रुपया मिल गया है, हम रूपया छाप लेंगे अथवा इसे अर्जित कर लेंगे। लेकिन इसमें अंतर्निहित बात जो है वह है विदेशी मुद्रा का घाटा। इस पर ध्यान नहीं दिया जाता और सदन द्वारा सीधा पारित कर दिया जाता। पास करने के बाद दबाव बढ़ता है। अतः यह ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए बेहत्तर प्रबन्ध की आवश्यकता है। वित्त मंत्री जी यहां हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह विदेशी मुद्रा के बजट को भी नियमित बजट के साथ लाएं। जब हमारे सामने इस प्रकार का संकट है तो ऐसा कोई कारण नहीं कि हम सदन में इस मुद्दे पर चर्चा न करें।

घाटे को वास्तविक रूप में परिलक्षित किया जाता है और इसी लिए, मैंने इसे ठीक करने का प्रयत्न किया। मुझे कुछ आंकड़े मिले। भारतीय रिजर्व बैंक के ऋणों को 'ऋण' शीर्षक के अन्तर्गत दिखाया गया है, न कि 'घाटा' शीर्षक के अन्तर्गत। यह घाटा वास्तविक है क्योंकि कुछ न्यासीय मुद्रा का भी प्रबन्ध किया जाता है। सदन परिकल्पनात्मक रूप में वाद-विवाद करता है तथा सही घाटे को परिलक्षित नहीं किया जाता है। मैंने कुछ सुधार करने का प्रयास किया था तथा इसके परिणामस्वरूप कुछ आंकड़े संसद के समक्ष आते थे। डा० मनमोहन सिंह यहां उपस्थित हैं। वह इन सभी मामलों के विशेषज्ञ हैं और, मैं सोचता हूं, निश्चित रूप से सदन की यह मांग उचित है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि घाटे पर अवश्य ही कुछ नियंत्रण लगाया जाना चाहिए। मैंने पाया कि यह सारा घाटा सरकार के भीतर ही नहीं होता है। हम सभी चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हम सभी कई तरह के कार्यक्रम और योजनाएं बनाने के लिए बाध्य हैं। मैं नहीं मानता कि इसके लिए कोई दबाव डाला जाता है और इसलिए, सामान्य तौर पर हमें उसे स्वीकार करना पड़ता है। सरकार से बाहर किसी प्रकार का निकाय बनाना भी उचित नहीं होगा। चौधरी चरण सिंह द्वारा एक बार व्यय आयोग की स्थापना का सुझाव दिया गया था लेकिन वह आयोग सुपर सरकार होगा। क्यों न हम सदन में ही कोई अर्थव्यवस्था संबंधी नीति बना लें ? यदि सरकार घाटे की किसी निश्चित सीमा अर्थात् 10 प्रतिशत या 15 प्रतिशत से बाहर जाती है, तो सामान्य रूप से प्रत्येक पूरक मांग के लिए वह सदन के पास वापस आती है और यदि सदन में बहुमत है तो वह उसे पास करा लेती है। क्यों न इस बहुमत को दो-तिहाई बहुमत निर्धारित कर दिया जाये ? इससे देश को अन्य ऋण जाल में ढकेलने के बजाय घाटे को लेकर आम सहमति होगी। यदि दो तिहाई बहुमत होगा तो सरकार को और अधिक ऋण लेने के लिए विरोधी दलों से बातचीत करनी होगी। मैं अपनी इच्छा से एक अनुरोध और करूंगा। मैंने इसके बारे में अपनी पार्टी को और कोई वचन नहीं देता। यदि धन विधेयक गिरता है तो सरकार गिर जाएगी। इससे सबके लिये राजनीतिक समस्या उत्पन्न होती है। किसी सरकार को अविश्वास प्रस्ताव पर ही गिरना चाहिए। यदि धन विधेयक गिरता है तो इससे सरकार को नहीं गिरने देना चाहिए। वास्तव में तब हम किसी धन विधेयक पर इसके वित्तीय गुणावगुणों के आधार पर चर्चा कर सकेंगे, न कि किसी अन्य आधार पर। (व्यवधान) यह अधिकार है जिसका सुझाव मैं आपको दे रहा हूं। आप इसे प्राप्त कर लीजिए।

इसके बाद, महोदय, रिजर्व बैंक को रिजर्व बैंक की तरह कार्य करने की छूट प्रदान की जानी चाहिए, न कि सरकार के एक विभाग के रूप में। यह सरकारी विभाग बन गया है। इसे कार्य करने हेतु प्राधिकार और स्वायत्तता प्रदान की जानी चाहिए।

एक माननीय सदस्य : क्या इसे संसद के प्रति जिम्मेदार नहीं होना चाहिए ?

श्री विश्व नाथ प्रताप सिंह : अवश्य ही, इसे संसद के प्रति जवाबदेह होना चाहिए लेकिन एक सरकारी विभाग की तरह नहीं।

उत्पाद शुल्क और प्रत्यक्ष कर में भी स्थिरता होनी चाहिए। जब हम किसी उद्योग पर कर लगाते हैं कि यह इसकी कर भुगतान करने की क्षमता है तो जब तक अर्थव्यवस्था में कोई नाटकीय परिवर्तन न हो अथवा उस विशेष क्षेत्र में कोई नाटकीय सुधार अथवा गिरावट न आए तब तक प्रति वर्ष इस क्षमता में वृद्धि करने का कोई औचित्य नहीं है। जहां तक सीमा शुल्क की बात है, इसके सम्बन्ध में स्थिरता नहीं हो सकती, क्योंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के अनुसार होता है। लेकिन उत्पाद शुल्क और प्रत्यक्ष कर से सम्बन्धित स्थिरता, हमारे सुधारों का एक अंग होनी चाहिए। तथा राजस्व का प्रयोग आर्थिक कार्यों के विस्तार हेतु किया जाना चाहिए और दीर्घकालीन आधार पर राजस्व का उपयोग करने का यही सबसे अच्छा तरीका है।

इसके लिए हम कर लगाने की बात करते हैं। सवाल यह है कि कर किस पर लगाया जाए। क्या गरीब तबके से कर लिया जाए अथवा उनसे जो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं? इन सब उपायों के परिणामस्वरूप जब कीमतों का प्रभाव पड़ेगा तो सरकार गरीब तबके पर गिरने वाली मंहगाई की गाज से कैसे उन्हें बचाएगी ?

ये सारे प्रश्न हमारे ध्यान में हैं। महोदय, मुझे पता नहीं है कि अभी मेरे लिए कितना समय बचा है और अभी अन्य लोगों को भी बोलना है।

पंजाब के बारे में, अभिभाषण में वाक्य में कहा गया है, "कुछ समय से देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति गंभीर चिन्ता का विषय बनी हुई है ....." इस वाक्य के बाद पंजाब और जम्मू तथा कश्मीर की समस्या पर चर्चा की गई है। मुझे पक्का यकीन है कि प्रधान मंत्री ने इसकी संवीक्षा नहीं की होगी और मंत्रिमण्डल ने भी इसकी संवीक्षा नहीं की होगी। मैं प्रधान मंत्री जी का बहुत आदर करता हूं। उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता पंजाब, जम्मू और कश्मीर की समस्या को मात्र कानून और व्यवस्था के स्तर तक ही सीमित नहीं रखेगी। अगर आप इसे मात्र कानून और व्यवस्था के दृष्टिकोण से ही देखते हैं तो वह समस्या का मुख्य पहलू नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन करना होगा। अब पंजाब में अचानक चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। किसी को पता नहीं है कि यह कैसे किया गया और इसे किसने किया तथा निर्वाचन आयोग किस तरह से अपना कार्य करता है। हम मांग करते हैं कि चुनाव की कोई तिथि निर्धारित की जाए। हमने देखा है कि सभी चुनाव स्थगित किए जाने के बाद सरकार स्थिति में सुधार करने में समर्थ नहीं रही है। अतः चुनाव की सही-सही तिथि निर्धारित की जाए तथा हमें चुनाव करवाने चाहिएं। उन्होंने एक कानून के बारे में भी बात की जो कि लागू किया जाने वाला है। जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति अलगाववाद से सम्बन्धि कोई बयान देता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। यह कानून किस प्रकार प्रभावी होगा? इसका दुरुपयोग किया जाएगा और यह बहुत खतरनाक होगा। हमने कुछ उदाहरण देखें हैं। यदि आप कुछ उन सदस्यों की फाइलें देखें जो इस सभा के लिए चुने गए हैं तो आप कहेंगे कि उन्हें बरी नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन चुने जाने के बाद, वे बिल्कुल सामान्य दिखाई देने लगे थे। कुछ को आपने बरी किया और कुछ को हमने किया। वे सदस्य पंजाब से चुने गए थे। स्थिति को सामान्य बनाया जाना चाहिए।

दूसरा पहलू जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, वह पंजाब, जम्मू और कश्मीर में संघीय ढांचे को लेकर है। कहीं न कहीं इस संघीय ढांचे की भावना समाप्त हो गई है। मेरी पार्टी के साथियों ने बताया है कि सत्ताधारी दल के कतिपय जिम्मेदार व्यक्तियों की एक टीम वहां जा चुकी है। उनकी नीयत सरकार गिराने की है। यह बहुत खतरनाक खेल है। कृपया संघीय भावना को समाप्त करने के और उदाहरण मत बनने दीजिए, क्योंकि यहीं से परायेपन को भावना जन्म लेती है। सरकारों को गिराना सर्वसम्मति पर पहुंचने का रास्ता नहीं है। मैं यहां तक स्पष्ट करना चाहता हूं कि कृपया इस तरह के खेल न खेले जाए। इसके बहुत गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं।

मैं रक्षा कर्मचारियों के बारे में एक आश्वासन चाहता हूं और वह है भूतपूर्व सैनिकों के लिए पेंशन। हमने मंत्रिमण्डल में एक फैसला किया था कि सिपाही से लेकर सूबेदार पद तक तथा अधिकारियों की पेंशन में वृद्धि की जानी चाहिए। हम इस पर विचार कर रहे हैं। हम इस सरकार से मांग करते हैं कि वह पिछली सरकार के निर्णयों को बाहर न फेंक कर केवल उन्हें प्रकाशित कर दें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो यह भूतपूर्व सैनिकों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा।

मैं 15 सूत्री कार्यक्रम तथा अल्पसंख्यकों को रोजगार देने के बारे में भी कुछ कहूंगा। हमने यह निर्णय लिया था कि प्रत्येक चयन बोर्ड में एक सदस्य अनुसूचित जाति तथा एक सदस्य अल्प संख्यक समुदाय का होना चाहिए जिससे कि उनके प्रति न्याय को सुनिश्चित किया जा सके। अब, हम न केवल अल्पसंख्यक आयोग से सम्बन्धित मामले के बारे में ही, बल्कि 'रैपिड डेवलेपमेंट फोर्स' (द्रुत विकास शक्ति) के बारे में भी समयबद्ध कार्यक्रम की घोषणा सुनना चाहते हैं। इससे पहले, आप ने कहा था कि आप अल्पसंख्यक आयोग को सांविधिक दर्जा प्रदान करने जा रहे है। आपने धर्मस्थलों इत्यादि के बारे उनकी यथास्थिति बनाए रखने की बात भी कही थी। हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन उन नारों, कैसेटों और विज्ञापनों पर भी प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए जो कि बहुत अधिक भड़काने वाले हैं। मैं चुनौती देता हू कि यह न केवल राजनीतिक, आर्थिक अथवा सामाजिक मुद्दे हैं बल्कि हमारी संस्कृति को भी चुनौती देने का प्रयास किया गया है। यह सरकार के लिए चुनौती नहीं है बल्कि यह जनमानस के लिए चुनौती है। यह बहुत खतरनाक है। मैं सोचता हू कि हमें देश को एकता और अखण्डता को सुदृढ़ बनाना चाहिए।

राम जन्म भूमि मामले के सम्बन्ध में हमारी स्थिति स्पष्ट है। यह मामला शान्तिपूर्वक सुलझाया जाना चाहिए अथवा देश के कानून का पालन किया जाना चाहिए। हमने कहा था कि अदालतों को इस मामले से दूर रखा जाना चाहिए। विवादों को निपटाने और निर्णय लेने संबंधी प्रक्रिया को संविधान मे अंतःस्थापित किया गया है। अब हम कह रहे हैं कि आप उस प्रक्रिया को दूर रखो और उसके पश्चात आप समस्या को हल करो।

शाहबानु का मामला उद्धृत किया गया। इस मामले के संबंध में एक निर्णय था और फिर हमने इसमें संशोधन के लिए संसद से कहा। हमने कानून में संशोधन किया और यह आश्वासन दिया गया कि केवल सदन की इच्छा ही मान्य होगी। अब या तो आप अपने आप को लोगों की इच्छा के समक्ष झुका दीजिए या संसद को उस मामले पर निर्णय लेने दीजिए।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हू कि हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि भारत तब तक अपनी पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता जब तक इसकी दो-तिहाई जनसंख्या जो लाखों वर्षों से वंचित है, को सरकार में स्थान नहीं मिल जाता।

मैं सोचता हूं कि इस विचार विमर्श से यह सन्देश स्पष्ट रूप से निकलता है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई लम्बा भाषण नहीं देना है .... (व्यवधान)

[अनुवाद]

मुझे कोई नहीं दबा सकता। आप तो उसके आदी हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मैं इन विवादों में नहीं पड़ना चाहता, कुछ ऐसे विवाद जो राष्ट्र के भावी जीवन के बारे में हैं और जिन सवालों को देश के अन्दर और इस सदन के सामने उठाया गया है उन सवालों पर मैं जिक्र करना चाहूंगा। मैं शायद इस सदन में नहीं बोलता लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है प्रधान मंत्री जी यहां नहीं हैं। उन्होंने उस दिन अपने भाषण में कहा कि जो उन्होंने आर्थिक समस्याओं के समाधान के बारे में कदम उठाए हैं वे कदम उठाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। कागजात पहले से तैयार थे, मैं कठिनाइयों के कारण उन निर्णयों को नहीं ले पाया और उन्हीं कागजातों के आधार पर प्रधान मंत्री जी ने यह निर्णय लिया है। मैं राष्ट्र के प्रति और सदन के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि यह बात सत्य से परे है। ये सवाल मेरे सामने न आए, न इन सवालों का जिक्र मेरे सामने किया गया, न इन समस्याओं के समाधान के लिये सवाल हमारे सामने उठे। मुझ में और कोई कमी हो सकती है, निर्णय लेने में कोई कोताही करने की कोई कमी मुझ में नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कैसे निर्णय लिया प्रधान मंत्री ने, यह उनकी जिम्मेदारी है, वह बताएंगे। मैं यह जरूर मानता हूं कि जो शक्ति उनमें है, वह शक्ति मुझ में नहीं है, शक्ति केवल इन सदस्यों की सहायता की नहीं, मदद की नहीं, समर्थन की नहीं, उनकी निर्णय लेने की जो क्षमता है, वह अद्वितीय है। मैंने उनको एक पत्र लिखा था जिस में कहा कि आपने बड़ी तेजी से निर्णय लिये हैं। निर्णय तेजी से लिये हैं इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। जिस प्रकार के निर्णय लिये जा रहे हैं उस निर्णय से मुझे लगता है कि भारत का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। मुझे यह भी जान कर दुःख हुआ अध्यक्ष महोदय, कि वह निर्णय स्वयं प्रधान मंत्री लेते, यदि उनकी कैबिनेट ने लिया होता, अगर संसद ने लिया होता, अगर कांग्रेस पार्टी ने लिया होता तो मुझे इस पर कोई एतराज नहीं होता लेकिन समाचार-पत्रों में जो छपा, संसद को तो मालूम नहीं था, कैबिनेट को मालूम था या नहीं मुझे मालूम नहीं लेकिन कांग्रेस पार्टी को कम से कम मालूम नहीं था।

अभी हमारे मित्र श्री राजेश पायलट जी जिक्र कर रहे थे। मैं उनको जानता हूं। नौजवान आदमी हैं। उनके मन में कुछ आगे बढ़ने की तमन्ना है, देश को बढ़ाने की तमन्ना है। वह नेहरू जी का भाषण उद्धृत कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि वह उसे उद्धृत करें लेकिन वह उसे नहीं कर पाए क्योंकि एक परिधि के बाहर नेहरू जी को खींचा नहीं जा सकता। नेहरू जी की सारी नीतियों से मैं सहमत नहीं था लेकिन आर्थिक क्षेत्र में जो उन्होंने देश में एक स्वावलम्बन और स्वदेशी का संदेश दिया, जो गांधी जी के आन्दोलन की विरासत थी। राजेश पायलट जी से आपके जरिये मैं कहना चाहता हूं कि उस परम्परा से आपका कोई सम्बन्ध नहीं रह गया है। पिछले तीन महीनों में उस संबंध की आखिरी कड़ी को आपने तोड़ दिया। मैं आपसे केवल भावात्मक रूप में नहीं कह रहा हूं, मैं पिछले 29 वर्षों से इस संसद में रहा हूं। मैंने देखा कि आर्थिक नीतियां किस तरह से बनाई गईं। एक दिन में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन नहीं बना था, एक दिन में एम०आर०टी०पी० ऐक्ट नहीं बना था, एक दिन में फेरा नहीं बना था, एक दिन में देशी और विदेशी कम्पनियों के बारे में नीति तय नहीं की गई थी। हमारे गुरुदेव अटल जो बैठे हुए हैं, कितना विवाद हुआ था राज्य सभा में, दिन के दिन, रात के रात बैठ

कर एम०आर०टी०पी० ऐक्ट के लिये बने दत्त कमीशन पर बहस हुई। याद होगा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन पर न केवल संसद के अन्दर बल्कि देश के सारे विद्वानों को बुला कर निरन्तर 1948 से 1956 तक पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने बहस किया। जो काम आठ वर्षों में पंडित जवाहर लाल नेहरू जी सम्पन्न कर सके, जो काम इंदिरा गांधी जी को करने में 4–5 बरस लगे, उस काम को करने में पी०वी० नरसिंह राव जी को तीन दिन लगे। मैं इस क्षमता के लिए उनको बधाई देता हूं। उन्होंने इन सारी नीतियों में परिवर्तन कर दिया। दस्तावेज तैयार थे। वह दस्तावेज कहा से आए, किन्होंने उन दस्तावेजों को बनाया और इसलिये इन दस्तावेजों के बारे में चर्चा होनी चाहिए और देश को, मैं यह नहीं चाहता कि सब बातें बताई जाएं। उन्होंने बड़ी सादगी से कहा कि आप बजट नहीं जानना चाहेंगे और हम बजट बताएंगे भी नहीं। संसद में जो लोग आए हैं उनको इतनी परम्परा मालूम है संसदीय बजट को न कोई पूछेगा और न कोई बताएगा।

कभी-कभी आश्चर्य होता है कि नीतियों के बारे में क्या बहस नहीं होगी, क्या जब नीतियों को बदला जाएगा तो कानून को नहीं बताया जाएगा। मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि मुझे कहा गया कि जब मैंने उनको पद का भार दिया, उसके बाद कि मेरे कहने पर यह सब निर्णय हो रहे हैं। मुझे थोड़ी चिन्ता हुई और मुझे बताया गया कि विश्व बैंक की कोई रिपोर्ट है जिस के आधार पर यह निर्णय हुए हैं। वह रिपोर्ट नवम्बर 1990 में मेरे पद ग्रहण करने के बाद सरकार को दी गई थी। 1990 की नवम्बर से 1991 के जून तक मैं प्रधानमंत्री था। मैं मानता हूं कि हमारे मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी की नजरों में एक कहने के लिए प्रधान मंत्री था, किसी के बल पर प्रधान मंत्री था लेकिन बदकिस्मती से आपको और मुल्क को कि मैं ही इस देश का प्रतिनिधित्व कर रहा था–चाहे मुझ में जितनी भी कमजोरियां रही हो, चाहे जितनी भी कमी रही हो समझ की, निर्णय लेने की जितनी क्षमता रही हो, इन 6-7 महीनों में वह रिपोर्ट मेरे सामने नहीं रखी गई, वह रिपोर्ट वित्त मंत्री के सामने नहीं रखी गई, वह रिपोर्ट नहीं रखी गई हमारे उच्चाधिकारियों के सामने। भारत सरकार के 8 या 9 अधिकारी हैं, उनके पास वह रिपोर्ट रही। मैं इस बात को नहीं कहता, क्योंकि, आप जानते हैं, मैं किसी भी अधिकारी का नाम नहीं लूंगा लेकिन इन 8–9 अधिकारियों में अधिकतर अधिकारी वह हैं, जो एक-न-एक समय पर वर्ल्ड बैंक के कर्मचारी रहे हैं और.... (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह एक गम्भीर मामला है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : यह बहुत गम्भीर मामला है। इस पर जांच होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रधान मंत्री जी को खत लिखा कि यह रिपोर्ट कहां थी, यह रिपोर्ट हमको क्यों नहीं दिखाई गई। इस रिपोर्ट के बारे में चर्चा क्यों नहीं हुई ? जब वित्त मंत्रालय के सामने हमारी चर्चा हुई, जैसा अटल जी ने कहा, पहले दिन ही या दूसरे दिन, मेरे पद ग्रहण करने के बाद मुझसे कहा गया–सिचुएशन, हालत इतनी खराब है, जो शब्द उन्होंने उद्धृत किए, वह सही हैं कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। मैंने उस व्यक्ति से कहा, अगर आपकी यह धारणा है तो इस पद पर आज तक आप कैसे बने हुए हैं ? मैं भाई विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से कहना चाहूंगा

कि उनके एक बड़े उच्चाधिकारी हैं, आज भी भारत सरकार में हैं, शायद फिर उच्च पद पर पहुंच जाएं। मैंने उनको उसी दिन कहा, आप कृपापूर्वक यह निराशा, यह भग्नाशा लेकर इस पद से बाहर चले जाएं और शायद इसी कारण वह रिपोर्ट हमको नहीं दिखाई गई। मैंने प्रधान मंत्री जी से कहा, आप जांच कीजिए और मैंने उनसे कहा कि जब तक आप जांच करके हमको बताएंगे नहीं, इस सवाल को मैं सार्वजनिक रूप से नहीं कहूंगा। लेकिन मैं कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं अगर देश का प्रधान मंत्री मेरे पत्र लिखने के बाद यह कहे कि मेरे समय में कागज तैयार हुए थे और उन कागजों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है तो फिर क्या मैं चुप रह जाऊं ? क्या राष्ट्र के लिए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्या इस संसद के लिए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं ?

[अनुवाद)]

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री चन्द्रशेखर का बहुत सम्मान करता हूं। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सभी पेपर्स हमने ही तैयार किये हैं। इन पेपर्स को तैयार किये जाने में कोई भी बाहरी एजेन्सी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल नही है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर : श्री मनमोहन सिंह जी का मैं बहुत आदर करता हूं, मेरे मित्र हैं। उन्होंने पपर्स तैयार किये होंगे लेकिन पिछले 5–7 दिनों से सरकार ने सहायता नहीं की तो मैं भी इतना अनभिज्ञ, अनजान नहीं हूं, मैंने भी कुछ पेपरों को देखा है, उसके बाद वर्ल्ड बैंक की वह रिपोर्ट मैंने देखी है और उस रिपोर्ट के दो पन्ने मेरे पास हैं। मैं क्या पढ़कर सुनाऊं, यह एक अनहोनी घटना होगी। जो शब्द हमारे कामर्स मंत्री जी अपने भाषणों में कहते हैं, वही शब्द इसमें लिखे हुए हैं, जो नीतियां अपनाई जा रही हैं, एकाएक कहा गया है कि आपको क्या करना चाहिए। वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में सारे सजेशंस दिये हुए हैं, सारे सुझाव दिये हुए हैं कि क्या-क्या नीतियां अपनाई जानी चाहिएं। कहा गया है कि स्टट पॉलिसी के बारे में क्या कहा जायगा, इसमें कहा गया है, नीतियों के बारे में क्या कहा जायेगा, इसमें कहा गया है, बजट में कस्टम ड्यूटी को कम करो, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाओ, उसमें इण्डस्ट्रीयल पालिसी के बारे में कहा गया है और मुझे आश्चर्य हुआ, यह 18 कागज हैं, जो 1987 से आज तक वर्ल्ड बैंक ने भेजे हैं, इन कागजों पर आई० एम० एफ० में बहस होती है, इन कागजों पर वर्ल्ड बैंक में बहस होती है, इन कागजों पर दुनिया के मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में बहस होती है लेकिन इस संसद को यह कागज नहीं दिखाये जा सकते, इन कागजों को देश का प्रधान मंत्री नहीं देख सकता और हम को कहा जाता है, निर्णय हमने लिया। अगर मनमोहन सिंह जी, निर्णय आपने लिया तो आपके सोचने के तरीके में और आई० एम० एफ० और वर्ल्ड बैंक के सोचने में इतनी साम्यता है जो प्रकृति की एक अनहोनी घटना है और इस अनहोनी घटना के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन दूसरी बात मैं कहता हूं, मान लीजिए आपने निर्णय लिया तो तीन दिन के अन्दर इसकी क्या आवश्यकता थी, क्या एक हफ्ते तक देश इन्तजार नहीं कर सकता था, क्या आप अपनी पार्टी को विश्वास में नहीं ले सकते थे, जिन नीतियों को 20-21 वर्ष में इस संसद ने, इस राष्ट्र ने बनाया, उन नीतियों को आप देश के नाम पर, जनता के नाम पर, विकास के नाम पर, विवशता के नाम पर बदलना चाहते हैं और देश को कहना चाहते हैं, हमने सोच समझ

कर इन नीतियों को बदलने का निर्णय लिया है। आपकी समझ पर मुझे पूरा विश्वास है लेकिन मैं किसी भी प्रधान मंत्री, किसी भी संसद् सदस्य, किसी भी वित्त मंत्री की समझ को भारत की 21 वर्षों की समुच्चय समझ से ऊंचा मानने के लिये तैयार नहीं हूं। यह मेरी विवशता है। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि इस पर और गंभीरता से विचार करना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि इरादा खराब है, मैं यह नहीं कहता कि नीयत खराब है, मैं यह नहीं कहता कि कोई गड़-बड़ बात है, लेकिन क्या यह गड़-बड़ नहीं है कि आठ अधिकारी रिपोर्ट को सात महीने रख रहें, पन्द्रह दिनों तक उसकी जांच न करें। क्या यह अच्छा होगा कि आप इतनी बड़ी नीतियों में परिवर्तन करें और आप किसी से सलाह-मशिवरा न लें? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत बावेला उठाया गया, कहा गया कि हमारी सरकार के समय में समगल्ड सोना भेजा गया बाहर, तो कहा गया देश के साथ गद्दारी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि यह नेशनल-ट्रिट्रयल है और वही नेशनल-ट्रिट्रयल आज राष्ट्रभक्ति हो गया, जो राष्ट्रद्रोह था मई के महीने में। मैं वे बातें नहीं कह सकता हूं, जो फाइलों पर हैं। मैंने एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, दस दिन-पन्द्रह दिनों तक उस निर्णय को रोके रखा। लेकिन सोमनाथ जी आप जैसे लोगों ने मुझे मजबूर किया, जिन्होंने यह कहा कि काम चलाऊ सरकार है और काम चलाऊ सरकार को जो और ताकतें थीं, जो बड़ी ताकतें थीं, जो गलत निर्णय लेने के लिये कभी-कभी मजबूर करना चाहती थीं। मैं इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इन बातों की जांच हो, मैं चाहता हूं कि इन बातों के ऊपर देश के सामने सफाई से बात हो। मैं यह समझता हूं कि कोई जरूरत नहीं थी। मैं आज भी समझता हूं लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि अवमूल्यन सही हुआ है या गलत हुआ है। मेरी दृष्टि में बिना अवमूल्यन के काम चल सकता था। श्री वी० पी० सिंह ने अवमूल्यन नहीं किया, मैंने अवमूल्यन नहीं किया, मुझ से अवमूल्यन की किसी से बात नहीं चली और अचानक सात दिनों में सारा देश बदल गया और सारी परिस्थितियां बदल गईं और हम इतने अनाथ हो गए। मैं जानता हूं कि हमारे पास धन की कमी है। कर्ज की बात में मैं नहीं जाऊंगा कि किसकी कितनी जिम्मेदारी है। राजेश पायलट जी आप ने विद्वत्तापूर्ण भाषण दिया। मैं आपको बधाई देता हूं, कांग्रेस पार्टी को बधाई देता हूं कि आप जैसा सदस्य उनको बड़ी काबलियत का मिला है। आपने यह तो बताया कि कितना कर्जा छोड़ कर गए थे, लेकिन आपने यह नहीं बताया कि छः हजार करोड़ रुपया जो सिक्रेट रिजर्व में फॉरन एक्सचेंज का रखा था, उसका क्या हुआ? पांच हजार करोड़ रुपय आपने खत्म कर दिये और हजार करोड़ रुपया जो बचा था, वी० पी० सिंह ने खत्म कर दिया ...(व्यवधान)... और छः हजार करोड़ रुपया रिजर्व का...(व्यवधान)... मैं कभी बहुत घबड़ा जाता हूं। दो बातों से मुझे घबराहट हुई। एक तो हमार गुरुदेव जिनको मैं कहता हूं अटल जी ने कहा आदमी बदल जाए, अच्छा हो जाए, तो कोई बात नहीं है, समाज से अपने आप बदल जाएगा। उन्होंने कहा—भाई० एम० एफ० है, तो भेड़िए को भेड़िया मत कहिए। हम भेड़िए को भेड़िया इस लिये कहत हैं, अटल जी, कहीं आप उसे गाय का बछड़ा समझ कर पूजन न लग जाएं। इस लिये भेड़िए को भेड़िया कहना पड़ता है। मैं इसलिये यह बात कह रहा हूं कि यह कोई नई बात नहीं है। मैं नहीं जानता था कि आज मुझे बोलना है। मैं सन् 1982 की उन रिपोर्टों का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन 1982 में यू० एस० ए० ट्रेजरी ने एक

रिपोर्ट दी है---यू एस प्रैसीडेंट और उसमें कहा गया है आई० एम० एफ०, वर्ल्ड बैंक, एशियन डवेलपमेंट बैंक का क्या काम है। उस रिपोर्ट को मैं चाहूंगा कि इस सदन के लोग देखें। उसमें कहा गया है कि इन बैंकों का काम है, अमरीका की आर्थिक, राजनीतिक और स्ट्रैटेजिक नीतियों को आगे बढ़ाना। उसमें कहा गया है---जो देश ऋण लेते हैं, वे देश बाहरी मामलों में अमरीका का समर्थन करें। अगर समर्थन नहीं करते हैं तो कम से कम चुप रहें।

भारत एक पिछड़ा हुआ देश है। तीसरे विश्व का गरीब देश है, लेकिन हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि नेहरु का नाम लेने वाले लोग . . . भारत तीसरे विश्व का नेता है और सारी दुनिया में अकेला भारत है जो अपनी आवाज आज भी उठाए हुए है। हमारे मित्र, इन्द्रजीत जी ने उस दिन कहा था---उरुगुवे-राउन्ड बातों में, पिछले दिनों तक अकेला हिन्दुस्तान है जो अपनी आवाज उठा रहा है और ब्राजिल दूसरा था तथा सब दब गए। एशिया के लोग, पिछड़े हुए इलाकों के लोग आज आपको आशा भरी निगाह से देखते हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय, तरह-तरह की बातें कहीं गईं, जो राजनीतिक ज्ञान से शून्य लोग हैं . . . कभी रूस की बात करते हैं, कभी गोर्बाचोव की बात करते हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय, क्या उनको यह मालूम है कि गोर्बाचोव जिस समाज को चला रहे हैं उस समाज में एक सेना है जो सजग है, सचेत है और राजनीतिक रूप से सक्रिय है। उसमें और हमारे में बड़ा अन्तर है और उसके बावजूद भी गोर्बाचोव जैसा आदमी जी-7 के सामने इन्तजार कर रहा है कि हमको निमंत्रण मिलेगा कि नहीं, उसको भी मदद नहीं मिलने वाली है। हमारे देश को आज दूसरी परिधियों में जाना पड़ेगा, दूसरे संकल्प लेने पड़ेंगे। आज जापान और जर्मनी जैसे देश हमारी सहायता करने को तैयार हैं, ऋण देने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हमारे यहां एक ऐसी प्रवृत्ति है, ऐसा शासन है जो देश को चलाना नहीं चाहता। देश में एक ही भावना बनाने की बात करता है आई०एम०एफ० नहीं रहेगा, वर्ल्ड बैंक नहीं रहेगा, यह देश मिट जाएगा। मैं आई०एम०एफ० और वर्ल्ड बैंक के खिलाफ नहीं हूं, मैंने खुद कर्जा लिया था 1200 करोड़ रुपये, इस देश के अन्दर मैंने टैक्स भी लगाया था। इस देश के बड़ पूंजीपतियों को कहना पड़ेगा कि अगर हमें कमर कसनी है तो पहले तुम को कमर कसनी पड़ेगी।

अध्यक्ष जी, मैं इस बात को कहता हूं कंडीशनेलिटी क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को उठा कर पढ़ लीजिए, अगर आप जानना चाहते हैं तो उसको उठा कर देख लीजिए। ट्रेजरी की जो रिपोर्ट प्रेसीडेंट को है उसको उठा कर देख लीजिए वे कोई छिपा कर काम नहीं करते, इसकी सारी दुनियां को सारे देश को जानकारी है केवल भारत की संसद को इसकी जानकारी नहीं है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर जानबूझ कर कदम उठाए जा रहे हैं, मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन मुझे डर लगता है कि हम एक अन्धेरी गली में घुस रहे हैं, हम भविष्य को गिरवी रख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे डर लगता है कि हम अपनी आर्थिक आजादी को सौदे पर चढ़ा रहे हैं बल्कि अपनी राजनीतिक आजादी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं और यह कोई हमारा अनुभव नहीं है दुनिया के बहुत से देशों ने ये कदम उठाए हैं। कहां गए वे देश, कहां गई वह आर्थिक आजादी, कहां गया उनका आर्थिक विकास ? सभ्यता और संस्कृति के पुजारी, अटल जी, मैं आपसे निवेदन करुंगा कि कोरिया और ब्रिसबान की संस्कृति का क्या हुआ ? ये आर्थिक

विकास, ये सोने-चांदी की चमक, ये मोटर गाड़ियां, क्या यही हमारे देश की मर्यादाएं हैं ? ...[व्यवधान]... मैं उनकी बात करता हूं जी विकसित माने जा रहे हैं साउथ कोरिया हो, चाहे फिलिपिंस हो, थाइलैंड और तेईवान हो, तो क्या हुआ उनकी संस्कृति का, क्या हुआ उन की सभ्यता का ? मैं उस बारे में जिक्र नहीं करना चाहता हूं। ... [व्यवधान]...भारत उस रास्ते पर नहीं जा सकता और जिस दिन इस देश को आप उस रास्ते पर ले जाने की कोशिश करोगे तो यह देश आपके साथ नहीं रहेगा। इसलिये मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं, दो शब्द कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करुंगा पंजाब के मामले में। पंजाब के मामले में चर्चा चली और हमारे इन्द्रजीत गुप्ता ने कहा कि किस ने फैसला लिया, इसका जबाव दें। तो हमारे मित्र बूटा सिंह ने कहा कि मैंने किसी से राय नहीं ली, जब कि राय सब की मालूम थी। सी०पी०एम०, बी०जे०पी० उसमें हिस्सा ले रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी इसमें हिस्सा ले रही थी और चन्द अकाली दल के लोग इसमें हिस्सा ले रहे थे। केवल एक्सट्रीमिस्ट नहीं चाहते थे कि चुनाव न हों और दूसरी ओर हमारे पड़ोस का एक देश था वह चाहता था कि चुनाव न हो।

मैं कोई गुप्त वार्ताएं नहीं करता हूं, मैंने सारे लोगों से सलाह ली, वहां के राज्यपाल से सलाह ली। हमारे प्रशासन के जितने अंग हैं उन सब से सलाह ली और सर्वसम्मति से हमने निर्णय लिया कि आसाम और पंजाब में चुनाव होने चाहिएं। राष्ट्रपति महोदय ने इस पर एतराज किया, यह बात कोई किसी से छिपी हुई नहीं है। मैंने कहा कि आपको एतराज हो सकता है लेकिन हम समझते हैं कि परिस्थितियां ठीक हैं। कांग्रेस के मित्रों से, मैं खासतौर से जो भाई आसाम से आए हैं उनसे कहना चाहूंगा कि बड़ा विरोध हुआ आसाम के चुनाव का, लेकिन आसाम में चुनाव हुए और शांतिपूर्वक वहां चुनाव हुए। आपकी सरकार भी बन गई, 15 दिनों में क्या हो गया, हमारे मित्र बूटा सिंह ने कहा कि मैं दिल्ली से बाहर 4 घंटे के लिए जा रहा हूं और प्रेजीडेंट साहब ने हालत सुधार ली, नहीं तो 1984 जैसी हालत होती। मैं प्रेजीडेंट साहब की बड़ी इज्जत करता हूं और उनका वरदहस्त हर समय प्राप्त था, लेकिन बूटा सिंह ये कैसे भूल गए कि 1984 में वे होम मिनिस्टर थे जो आज के प्रेजीडेंट हैं वे भी मंत्री थे। फिर 84 का यह हादसा कैसे हो गया ? बूटा सिंह जी यहां मौजूद नहीं हैं, उस समय मैंने उनसे फोन पर पूछा था, उनसे बात की थी तो वे रो रहे थे, कह रहे थे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं यह नहीं चाहता कि इन सवालों के ऊपर जो मानवीय संवेदना के सवाल हैं, मानवीय पीड़ा के सवाल हैं, इतनी छोटी बातें की जाएं, लेकिन हमारे यहां जादू का खेल आपने देखा होगा, मदारी जो कहता है, जमूरा वही बोलता है। जमूरे के बोलने का मुझे ऐतराज नहीं जब तक मदारी अपने देश का हो लेकिन अगर मदारी बाहर का हो और जमूरे बोलने लगें, तब हालात बहुत खराब हो जाती है।

असम में क्या हुआ, डिसर्जन फिर शुरू हो गया, आपको तो एक सरकार मिली, वही सेना है, वही फौज है, वही पुलिस है, मैं कोई श्रेय नहीं लेना चाहता, लेकिन बार-बार एक वितृष्णा की भावना पैदा करना, बार-बार कटुता की बातें करना, ये बातें करना अगर हम छोड़ दें तो देश की समस्याओं को शायद हम ज्यादा आसानी से हल कर सकते हैं।

अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी विश्वनाथ जी ने एक बात कही, विश्वनाथ जी नए सिद्धांतों को देने में पड़े उतावले नजर आते हैं, कृपा करके रिजर्व बैंक को इंडिपेंडेंट बनाने का सुझाव मत दीजिए। रिजर्व बैंक ने जो काम किया है, आपको ज्यादा अनुभव होगा, आप वित्त मंत्री रहे हैं, यह कोई व्यक्ति का सवाल नहीं है, संस्थाओं का सवाल है। अच्छे से अच्छा व्यक्ति कितना दबाव में आ सकता है, बाहरी ताकतें कितनी सबल हैं, कितनी सशक्त हैं और दूसरी बात अगर फाइनांस बिल पर नहीं सरकारें जाएंगी तो पता नहीं आडवाणी साहब और नरसिंहराव फाइनांस के मामले में कितने दिन तक अलग रह सकेंगे, यह बात सोचने की है। इसलिए आर्थिक सवालों का सवाल बड़ा पेचिदा सवाल है और चाहे मार्क्स और बातों में गलत निकल गया हो, एक ही बात उसने शाश्वत् सत्य की कही है कि आर्थिक सवाल मनुष्य की चेतना शक्ति से, मनुष्य की आंतरिक शक्ति से निर्णय लेते हैं, उसको ठेस पहुंचती है। उसका उदाहरण दिया है, जो मुझे याद है। बिट्रिश चर्च के पादरी से अगर बहस की जाए और उसके 32 कार्डिनल प्रिंसीपल्स का खण्डन करते रहिए तो वह हमेशा यह कहता रहेगा कि हम सब उसी भगवान की संतान हैं, हमको प्यार से मोहब्बत से, भाई चारे से रहना चाहिए, लेकिन उसी पादरी से, विशप से कहिए कि चर्च की एक गज जमीन हमारी है तो वह सब भूल जाएगा और वही क्रास लेकर तुम्हारे सिर पर पटक देगा। इसलिए बड़ा अच्छा लगता है, सुहावने स्वप्नों का संदेश, लेकिन यह खतरनाक खेल है। आर्थिक मामलों में एक तरफ आपकी पीड़ा गरीबों के लिए है, एक ओर आपकी पीड़ा पिछड़ों के लिए है और दूसरी ओर आर्थिक मामलों का समन्वय इस तरह से। बुद्ध जैसे व्यक्ति ने "बहुजन हिताय-बहुजन सुखाय" की बात कही है, "सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय" नहीं कहा, "सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय" की बात नहीं चल सकती। इन सवालों पर कांसेंसस नहीं हो सकता। इस पर आपको, हमको, कांग्रेस पार्टी को, सब लोगों को सोचना चाहिए, ये बंटी हुई धाराएं हैं, इन धाराओं में मेल नहीं हो सकता, यह बात समझे रहिये। इन बातों को अध्यक्ष महोदय यदि हम सोच सकेंगे तो शायद भारत भविष्य के बारे में और भारत की गरीब जनता के बारे में सही निर्णय ले सकेंगे। धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय वित्त मंत्री अपना वक्तव्य देंगे। अन्य सदस्य बाद में बोलेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : जब माननीय अध्यक्ष महोदय अन्दर थे, सदन की राय ली गई कि सभा की बैठक आठ बजे तक बढ़ा दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : हम आठ बजे तक बैठेंगे और सदस्यों को बोलने की अनुमति देंगे।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

स्वर्ण संव्यवहार के बारे में

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : हम भुगतान संतुलन के एक अपूर्व संकट का सामना कर रहे हैं। हमारी विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि का भंडार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जुलाई 1990 और जनवरी, 1991 में काफी उधार लेने के बावजूद बहुत*** कम स्तर पर रह गया।

रुपए में अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास के कमजोर हो जाने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंकर हमें उधार देने के लिये नितांत अनिच्छुक हो गए हैं। इसी कारण अनिवासी भारतीयों से विदेशी मुद्रा में धनराशि की प्राप्तियां और भारत में इन्हें बैंकों के पास विदेशी रुपए मूल्य वर्ग के सामान्य लेखों में सार्थक रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है और पिछले महीने में इस लेखे में से बड़ी मात्रा में निवल बाहय प्रवाह हुआ। संपूर्ण विश्व में, रुपये के भावी मूल्य के बारे में प्रत्याशाएं बहुत ही प्रतिकूल हैं और इससे भारतीय निर्यातकों को निर्यात से प्राप्त होने वाली आय को भारत में भेजने के लिये विलम्ब करने का प्रोत्साहन मिल रहा है और पूंजी को अवैध रूप से बाहर भेजने का प्रोत्साहन मिल रहा है।

2. इस पृष्ठभूमि में हमने पहली और तीन जुलाई***, 1991 को रुपए के विनिमय मूल्य के समायोजन का निर्णय लिया। इसका अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों और प्रधान पूंजी बाजार के व्यापारियों पर अनुकूल मनोवैज्ञानिक असर पड़ा है। मुझे विश्वास है कि हमने इस समय व्यापार नीति में सुधार संबंधी जो उपाय किये हैं उनके साथ विनिमय दर समायोजन से हमारे भुगतान संतुलन की स्थिति में काफी सुधार होगा। और हमारी मुद्रा में अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास फिर पैदा हो जाएगा।

3. लेकिन इस समय हमारे सामने नकदी की प्रमुख समस्या है। हमने अपने आयात बिल को अभूतपूर्व स्तर तक कम कर दिया है ताकि हम अत्याधिक आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिये विदेशी मुद्रा की बचत कर सकें।

4. इसके साथ ही साथ विदेशी ऋण-परिशोधन की राशि देय हो गई है। हमने पक्का निर्णय लिया है कि सभी अन्तर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं को पूरा किया जाए और अदायगियों में कोई भी चूक न की जाए।

5. इसलिये हमें ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है जहां हमारी ऐसी बड़ी वित्तीय आवश्यकताएं हैं, जिन्हें निर्यात में वृद्धि करके अथवा आयात को और कम करके अथवा अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंकों से अधिकाधिक विदेशी उधार लेकर अथवा अनिवासी भारतीयों से अधिक राशियां प्राप्त करके तत्काल दूर नहीं किया जा सकता।

6. इस पृष्ठभूमि में श्री चन्द्रशेखर की पिछली सरकार ने सरकारी भण्डार से 20 टन सोना विदेशों में बेचने का निर्णय लिया था, जिसमें 6 महीने की अवधि के अन्त में पुनः खरीद का विकल्प रखा गया था। सोने का वास्तविक निर्यात 21 और 31 मई, 1991 के बीच हुआ।

7. पिछली सरकार भी भारतीय रिज़र्व बैंक के इस बारे में निर्णय से सहमत थी कि वर्तमान कठिन स्थिति में भारतीय रिज़र्व बैंक का 15 प्रतिशत तक सोना सेंट्रल बैंक की सुरक्षा में रखने के लिए विदेशों में भेजा जा सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक का आशय भारत से बाहर भेजे गए सोने को गिरवी रख कर अल्पावधि ऋण प्राप्त करना था। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 33(5) के अन्तर्गत, भारतीय रिज़र्व बैंक अपने सोने का 15 प्रतिशत तक विदेश में रख सकता है

और भारतीय रिजर्व बैंक स्वयं इस बारे में निर्णय ले सकता है। लेकिन अत्यधिक सावधानी बरतते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछली सरकार से परामर्श किया, जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की प्रस्तावित कार्रवाई से सहमति प्रकट की। जब हमारी सरकार ने सत्ता सम्भाली, मुझे पिछली सरकार की सहमति से लिये गए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्णय की जानकारी थी। परन्तु मैंने उस निर्णय को बदलना उचित नहीं समझा। अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 जुलाई, 1991 को 4.8 मीट्रिक टन सोने को बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास सुरक्षित रखे जाने के लिए विदेश भेजा। 7 जुलाई को 20.01 मीट्रिक टन सोने की और मात्रा भेजी गई। 11 जुलाई को 10.01 मीट्रिक टन और सोना भेजा गया। 18 जुलाई को 12.09 मीट्रिक टन और सोना भेजा गया। इस प्रकार कुल मिला कर बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास सुरक्षित रखने के लिए 46.91 मीट्रिक टन सोना विदेश भेजा गया।

8. 46.91 मीट्रिक टन सोने की गिरवी से भारतीय रिजर्व बैंक 1 महीने में एक बार लगभग 400 मिलियन डॉलर की कुल राशि ले सकता है, जिससे हम इस समय नकदी की गम्भीर समस्या से निपट सकते हैं।

9. 18 जुलाई को सोने की अंतिम किस्त विदेश भेजने के साथ इस बारे में कार्य पूरा हो गया है जिसके बारे में हमने मूलत: योजना बनाई थी। स्पष्ट सुरक्षा कारणों से सोने को भेजने का कार्य सार्वजनिक घोषणा के बिना किया जाना आवश्यक था। इसके पश्चात् भारतीय रिजर्व बैंक के भंडार से विदेश में आगे सोना नहीं भेजा जाएगा।

10. सोने का निर्यात एक कष्टकर जरूरत थी लेकिन मुझे विश्वास है कि हमने जो निर्णय लिए हैं उनसे कुछ समय में हमारी भुगतान संतुलन की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार होगा। मैं इस बारे में भरसक प्रयत्न करूंगा कि हमने जो सोना विदेश भेजा है उसे यथाशीघ्र भारत में वापस लाया जाए। ... (**व्यवधान**) ...

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (डमडम): मैंने स्पष्टीकरण के लिए एक नोट भेजा है। क्या हुआ? ... (**व्यवधान**) ...

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कुछ आश्वासन दिया था ... (**व्यवधान**) ...

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या यह सही है कि अप्रैल से जून की अवधि के दौरान हमारे पास निर्यात आधिक्य था? क्या इसका प्रयोग किया जा रहा है? क्या यह अब भी उच्च है? ... (**व्यवधान**) ...

अध्यक्ष महोदय : श्री अहमद

... (**व्यवधान**) ...

अध्यक्ष महोदय : श्री अहमद अब बोल सकते हैं।

6.10 म० प०

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री बूटा सिंह द्वारा रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का अपनी पार्टी, इण्डियन यूनियन मुस्लिम लीग की ओर से समर्थन करता हूँ।

महोदय, विगत तीन दिनों से यह सदन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कर रहा है। इन तीन दिनों में मैं इस सदन में माननीय सदस्यों, विशेषकर दलों के नेताओं के भाषण सुन रहा हूँ। राष्ट्रपति के अभिभाषण ने इस सदन के सदस्यों को, विशेषकर राजनैतिक दलों के नेताओं को...

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (डमडम) : महोदय, क्या मैं आपका ध्यान एक बात की ओर दिला सकता हूँ ? एक राज्य सरकार के मंत्री सदन में मौजूद है। जहां तक मुझे याद है, महोदय, लोक सभा में एक निर्णय दिया गया था...

श्री चित्त बसु (बारसांट) : उन्होंने आज सुबह एक भाषण दिया था।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : श्री आडवाणी इसकी पुष्टि करेंगे। लोक सभा में एक निर्णय दिया गया था कि एक राज्य सरकार के मंत्री को लोक सभा में बोलने की अनुमति नहीं दी जाती। राज्य सभा में भिन्न निदेश हैं। चूंकि वह पहले ही अपना भाषण दे चुकी हैं, पूरे भाषण को सभा की कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए। महोदय, मैं इस के संबंध में निर्णय चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करुंगा।

श्री रमेश चेन्निथला (कोट्टायम) : महोदय, वह लोक सभा की सदस्य हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मुझे इसकी जानकारी है। अतः उसे राज्य सभा की तरह यहां बोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी। लोक सभा और राज्य सभा के नियमों में कुछ थोड़ा सा अन्तर है।

श्री ई० अहमद : महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान यह देखना रुचिकर था कि राजनैतिक दलों के नेता विशेषकर वर्तमान आर्थिक संकट के संबंध में आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। महोदय, क्या मैं कह सकता हूँ, कि वर्तमान संकट पिछली सरकार की कुछ गलत नीतियों का परिणाम है। ये सभी राजनैतिक दल, वामपंथी दलों को छोड़ कर, कभी-न-कभी सत्ता में रहे हैं। परन्तु आरोप-प्रत्यारोप लगाने का कोई अर्थ नहीं है। इस समय हम सब को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, इकठ्ठे बैठ कर देश की समस्याओं का समाधान निकालना है।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण देश के राजनैतिक और सामाजिक उत्थान का एक दस्तावेज है। कई नेताओं ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को एक ऐसा दस्तावेज कहा है जिसमें कुछ भी नहीं है। मैं उस विचार से सहमत नहीं हूँ। मेरे अनुसार, महोदय, राष्ट्रपति का यह अभिभाषण वर्तमान सरकार की तात्कालिक वरीयताओं और लम्बी अवधि के राष्ट्रीय उद्देश्यों को पाने के संदर्भ में वर्तमान सरकार की नीतियों का निरुपण है। राष्ट्रपति ने वर्तमान भारत की सही तस्वीर प्रस्तुत की है और उन्होंने इन समस्याओं को हल करने के लिए कतिपय सुधारात्मक उपायों का भी वचन दिया है। महोदय, मैं इन बातों पर सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं केवल इस सदन का ध्यान देश के

बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर दिला रहा हूँ। इस देश की राजनीति में अलगाववादी प्रवृत्तियां खतरनाक ढंग से उभर रही हैं। मेरे मत से, यह अलगाववादी प्रवृत्ति कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है, और न ही राजनैतिक मुद्दा है। यह देश की एकता और अखण्डता से संबंधित समस्या है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में, कतिपय उपायों का उल्लेख किया है, कि हम इन मुद्दों को सुलझाने में कैसे समर्थ होंगे। दुर्भाग्य से, कई नेता जिन्होंने चर्चा में भाग लिया था, वे देश में बढ़ती साम्प्रदायिकता और सामाजिक विभाजन का उल्लेख करना भूल गये हैं। दुर्भाग्य से इस देश में, हम साम्प्रदायिक विभाजन देख रहे हैं, जो, मेरे अनुसार अत्यधिक बुरी घटना है और हमें इसे कम करने के लिए और इसे समाप्त करने के लिए सभी संभव प्रयास करने हैं। वास्तव में, इस रोग की जड़ें गहरी हैं और इसे रोकने के लिए कोई साधारण विकल्प नहीं है। मैं यह पूछता हूँ कि हमारे देश के लोग धर्म के नाम पर क्यों लगड़ा कर रहे हैं? उन्हें धर्म के नाम पर क्यों मारा जा रहा है? ऐसी बातों के लिए हमारे धर्मों में कोई स्थान नहीं है।

महोदय, मैं केरल का रहने वाला हूँ जो एक बहुत छोटा राज्य है। मेरे विचार से केरल अपने साम्प्रदायिक सद्भाव, भाई-चारा, सामाजिक विकास और राजनैतिक उपलब्धि में कई उत्तरी राज्यों के लिए आदर्श का कार्य कर सकता है। केरल साम्प्रदायिक सद्भाव का एक जीता जागता उदाहरण है जहां आप मन्दिरों, चर्चों और मस्जिदों को एक साथ-शांतिपूर्वक रहते देख सकते हैं। वे पूर्ण साम्प्रदायिक सद्भावना की तस्वीर के रूप में साथ-साथ खड़े हैं। यह हमारे राष्ट्रीय नेताओं के लिए केरल की इस सांस्कृतिक विरासत का प्रचार करने और उसकी होड़ करने का समय है। केरल की सांस्कृतिक विरासत भारत की सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न भाग है। हम पंडित जवाहर लाल नेहरू जैसे महान नेता द्वारा दिये गये सिद्धान्त का ईमानदारी पूर्वक अनुसरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि इस देश की एकता उसकी विविधता में है। हम इस सिद्धान्त का पालन करते रहे हैं। अतः हमारे देश में लोगों के लिए पूर्ण सद्भावनापूर्वक रहने का यह एक अच्छा अवसर है।

महोदय, राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कई समस्याओं का उल्लेख किया है। उनमें से एक बाबरी मस्जिद-राम जन्म भूमि विवाद है। इसके बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है। हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ में एक सिविल मामला भी लम्बित है। इसलिए मैं इस मामले के गुण दोषों का वर्णन नहीं करना चाहता। परन्तु साथ ही, हमें इस मामले के राजनैतिक पहलुओं पर भी विचार करना है। इस दुर्भाग्यपूर्ण विवाद के नाम पर कई व्यक्ति मारे जा चुके हैं, हिन्दु, मुस्लिम, सभी भारतीय हैं। अतः राष्ट्रपति द्वारा अपने अभिभाषण में उक्त समाधान के विषय में किया गया उल्लेख स्वागत योग्य लक्षण है। पृष्ठ 4 के पैरा 9 में अभिभाषण में कहा गया है:

> "हम साम्प्रदायिक तत्वों को कोई विवाद उत्पन्न करने और फूट डालने के लिए धर्म-स्थलों का उपयोग करके उनकी पवित्रता को नष्ट करने की अनुमति नहीं दे सकते। सरकार राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को दोनों समुदायों की भावनाओं का समुचित आदर करते हुए बातचीत द्वारा हल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।"

यह एक स्वागत योग्य लक्षण है । लेकिन साथ ही, मैं सरकार का ध्यान उनके चुनाव घोषणा-पत्र की ओर भी दिलाना चाहता हूँ, जो स्वर्गीय राजीव गांधी ने जारी किया था। इस चुनाव घोषणा-पत्र में पृष्ठ 29 में राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद के बारे में निम्नलिखित बताया गया है :

> "कांग्रेस इस मुद्दे को बातचीत द्वारा हल करने के लिए वचनबद्ध है जो दोनों सम्प्रदायों की भावनाओं का पूरा आदर करे। यदि ऐसा हल नहीं निकलता है, तो सभी दलों को न्यायालय के आदेश और निर्णय का सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस मस्जिद को गिराये बिना मन्दिर के निर्माण के पक्ष में है।"

राष्ट्रपति के अभिभाषण में मुझे ये शब्द नहीं मिलते, "यदि ऐसा हल नहीं निकलता है, तो सभी दलों को न्यायालय के आदेश और निर्णय का सम्मान करना चाहिए।" मेरे विचार से यह गलती से छूट गया होगा।

अतः, मैं यह कहने का साहस करता हूँ कि यदि हम इस ज्वलंत मुद्दे का बातचीत द्वारा कोई हल निकालने का प्रयत्न करें, तो यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्त्तव्य है कि ऐसे सौहार्द्रपूर्ण हल के लिए सहायता करें। यदि हम बातचीत द्वारा हल निकालने में सफल नहीं होते हैं तो हमें न्यायालय के निर्णय का इन्तजार करना पड़ेगा। एक सभ्य समाज में यह प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है कि वह न्यायालय में ऐसे निर्णय का सम्मान करें।

अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा, जिसका मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूँ वह आरक्षण के संबध में है। हम सदा आरक्षण के सिद्धान्त का समर्थन करते हैं। लेकिन साथ ही, मैं यह कह सकता हूं कि अल्पसंख्यकों, मुस्लिमों की स्थिति इस देश में अत्यधिक शोचनीय है। मुसलमानों को देश भर में पिछड़ा वर्ग समझा जाना चाहिए। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में मुसलमानों को संविधान में अनुच्छेद 15 और 16 के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग में शामिल किया गया हैं। परन्तु समस्त भारत में, ऐसा नहीं किया गया है। यहां तक कि मण्डल कमीशन की रिपोर्ट में भी कई विसंगतियां हैं। हमने मण्डल कमीशन की रिपोर्ट को सीमित समर्थन इस शर्त के साथ दिया है कि ऐसी विसंगतियों, विशेषकर केरल के मुस्लिमों के संबंध में, को दूर किया जाना चाहिए। अतः हम आरक्षण के पक्ष में हैं लेकिन हम अनुरोध करते हैं कि अल्पसंख्यकों को विशेष आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। जब तक अल्पसंख्यकों के लिए नौकरियों में ऐसा आरक्षण नहीं किया जायेगा ; सरकार के लिए पिछड़े वर्ग को राष्ट्रीय मुख्य धारा में ले जाना कठिन होगा।

6.24 म० प०

[श्री पी० एम० सईद पीठासीन हुए]

अतः, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह मुस्लिमों को पिछड़े वर्ग में शामिल करने और उनको आरक्षण में विशेष कोटा देने के लिए, चाहे यह 27 प्रतिशत के घोषित कोटे में हो या किसी अन्य साधन से, आवश्यक उपाय करें।

91-M/S259LSS—13(a)

क्या मैं सरकार के नोटिस में मुस्लिमों की सेवाओं में वर्तमान शोचनीय स्थिति को भी ला सकता हूँ? सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों में भी उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। अतः सरकार को मुस्लिमों के लिए नौकरियों में प्रावधान करने के लिए अत्यधिक प्रयास करने चाहिएं। यदि आवश्यक हो, तो आरक्षण भी किया जाना चाहिए। हमारी गरीब मुसलमानों को कुछ मंत्री पद या राजदूत पद प्रदान करने में अत्यधिक रुचि नहीं है। हम वास्तव में नीचे के स्तर पर नौकरियां प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। मुझे आशा है कि सरकार इसे ध्यान में रखेगी और आवश्यक उपाय करेगी।

दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ वह अल्पसंख्यक समुदाय में सदस्यों के जीवन, सम्पत्ति और सम्मान की रक्षा और सुरक्षा की है।

मैं राष्ट्रपति द्वारा अपने अभिभाषण में एक संयुक्त त्वरित कार्रवाई बल गठित करने के संबंध में कही गई बात की अत्यधिक प्रशंसा करता हूँ। यह शर्मनाक है कि राज्य सरकार में नियंत्रण अधीन सशस्त्र बल साम्प्रदायिक फसादों में पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं। अतः स्वर्गीय श्री राजीव गांधी द्वारा व्यक्त किया गया यह विचार कि ऐसी स्थिति में एक संयुक्त त्वरित कार्रवाई बल का गठन करके निपटा जायेगा, एक स्वागत योग्य लक्षण है और यह निश्चित रूप से राहत होगी यदि सरकार साम्प्रदायिक दंगों से निपटने के लिए ऐसे त्वरित कार्रवाई बल का गठन करने के लिए आवश्यक उपाय करती है।

क्या मैं सरकार के नोटिस में देश में अल्पसंख्यकों के सामने अन्य कठिनाईयों, जैसे कि कॉलेजों और स्कूलों में प्रवेश ला सकता हूँ? अब भी एक अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में शिक्षा में अत्यधिक पिछड़े हुए हैं। जब तक सरकार उनकी सहायता नहीं करती उनके लिए आवश्यक शैक्षणिक सुविधाएँ प्राप्त करना बहुत कठिन होगा। मुझे आशा है कि सरकार अल्पसंख्यक समुदायों की इन कठिनाइयों को समझेगी और इस संबंध में उचित कदम उठायेगी।

महोदय, क्या मैं यहां जम्मू और कश्मीर के बारे में भी एक शब्द कह सकता हूं? जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न भाग है। इस देश की कोई भी ताकत जम्मू और कश्मीर को हमारे देश से दूर नहीं ले जा सकती। लेकिन साथ ही, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि आम आदमी जिसमें देशभक्ति है और भारत की मुख्य भूमि में विश्वास भी है, उसका भी विचार किया जाना चाहिए। सरकार और अधिकारियों को उन के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अतः जम्मू और कश्मीर में राजनैतिक प्रक्रिया प्रारम्भ की जानी चाहिएं। उसी से भारत के उस प्रांत में स्थायी शांति आयेगी।

मैं सरकार की विदेश नीति के सम्बन्ध में एक प्रश्न करना चाहूंगा। राष्ट्रपति ने विदेश-नीति का काफी विस्तार से उल्लेख किया है। लेकिन पिछले खाड़ी युद्ध के दौरान हमारी सरकार ने खाड़ी क्षेत्र के देशों को गलत संकेत दिया था। उस समय सरकार का दृष्टिकोण अत्यधिक भ्रांतिपूर्ण था। भारत सरकार के लिए खाड़ी देशों के शासकों के मस्तिष्क में यदि कोई गलत धारणा बन गई

है तो उसे दूर करने का समय आ गया है और सरकार की निकटता और हमारे निर्यात में सुधार लाने की संभावना को देखते हुए इन देशों के साथ भारत के वाणिज्यिक सम्बन्धों में सुधार लाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने चाहिए। इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार को यह भी पता लगाना चाहिए कि खाड़ी देशों को किन वस्तुओं का निर्यात किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस क्षेत्र में वस्तुओं को बेचने की बहुत दक्षता हममें नहीं है। हमारे अधिकांश अवसरों को नजरअंदाज कर दिया गया है और जहां तक इसका सम्बन्ध है हमारे अधिकांश संसाधनों को इसमें नहीं लगाया गया है। अतः, महोदय, क्या मैं पुनः विरोधी दलों के प्रति समुचित सम्मान का भाव रखते हुए, यह कह सकता हूँ कि जहां तक इस देश के प्रशासन का सम्बन्ध है हमें एकमत होना चाहिए। अब समय आ गया है कि हमें देश की समस्याओं को एक जुट होकर सुलझाना चाहिए।

इन्हीं कुछ शब्दों के साथ, मैं फिर श्री बूटा सिंह द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री इम्चालम्बा (नागालैण्ड) : सभापति महोदय, हम लोगों की बारी काफी पहले आनी चाहिए थी। लेकिन आज तक हमें यह अवसर बिल्कुल नहीं मिल रहा है।

सभापति महोदय : मेरे पास एक लम्बी सूची है। हमने देर तक बैठकर काम निपटाने का निर्णय पहले ही कर लिया है। इससे प्रत्येक सदस्य को अवसर मिलेगा।

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : क्या आपके पास कोई सूची है या आप किसी भी सदस्य को बोलने की अनुमति दे रहे हैं? क्या आप ऐसा ही कर रहे हैं?

सभापति महोदय : नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। मुझे अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया है कि कार्यवाही का संचालन कैसे करना चाहिए। उन्होंने मुझे सूची दी है। सूची पहले ही तैयार की जा चुकी है। यदि आप इस तरह तर्क-वितर्क करते रहेंगे तो हमें अधिक समय तक बैठना होगा। क्या मैं आपकी सहायता के लिए आप से सहयोग ले सकता हूँ? कृपया, आप अपनी सीट पर बैठ जाइये। मैं अब श्री मणिशंकर अय्यर से बोलने को कहूँगा।

श्री पीयूष तीरकी (असीपुरद्वार) : हम यहाँ तीन दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं। सभी दलों को अवसर दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : आपका नाम पहले ही शामिल कर लिया गया है। सभापति महोदय की सूची के अनुसार आप तीसरे वक्ता होंगे।

श्री मणिशंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : महोदय, मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

महोदय, राष्ट्रपति का अभिभाषण उस दल के साहस और आत्मविश्वास को प्रतिबिम्बित करता है जिसने हमारे इस महान देश के शासन में नैसर्गिक दल के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। बार-बार, हमारे प्रजातन्त्र ने गैर-कांग्रेसी दलों को अपने साहस का प्रदर्शन करने के लिए अवसर दिया है। पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल को छोड़कर देश और शेष सभी सम्बन्धित राज्यों ने गैर–कांग्रेसी शासन से ऊबकर उस पार्टी को सत्ता सौंपी है जिसका अटूट सम्बन्ध 106 वर्षों से एलान आक्टेवियन ह्यूम से लेकर राजीव गांधी और अब श्री पी. वी. नरसिंह राव से बना हुआ है।

महोदय, मैं सरकार से निर्भय और निःसंकोच होकर अपने कथनानुसार कांग्रेस पार्टी के महान सिद्धांत और परम्परा के अनुकूल कांग्रेस के घोषणा–पत्र को ध्यान में रखते हुए कार्य करने का अनुरोध करता हूँ—श्री राजीव गांधी की यही अंतिम इच्छा थी।

मेरे अलावा इस सभा के और दो या तीन सदस्य जानते हैं कि स्वर्गीय श्री राजीव गांधी का कांग्रेस के चुनावी घोषणा-पत्र में कितना व्यक्तिगत योगदान रहा है। निश्चय ही, कई प्रारूप पेश किये गये और अनेक सुझाव दिये गये। इन प्रारूपों और सुझावों पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया और इन्हें कार्यवाही सम्बन्धी सशक्त दर्शन और सम्बन्धी कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया। जहां तक घोषणा-पत्र की धारणा और विवरण का प्रश्न है, यह राजीव गांधी का निजी घोषणा-पत्र था। इसकी मुख्य-मुख्य बातें उन्होंने लिखी थीं। मुझे आशा है कि मैं कोई गुप्त बातें नहीं कह रहा हूं जब मैं यह कहता हूं कि घोषणा-पत्र जारी करने में एक सप्ताह से अधिक का विलम्ब हुआ क्योंकि श्री राजीव गांधी ने घोषणापत्र की प्रत्येक पंक्ति, खंड और पैरा पढ़ना चाहते थे। मुझे मालूम नहीं कि वे क्यों इस घोषणा-पत्र पर इतना अधिक ध्यान देना चाहते थे। शायद उन्हें अपनी आनेवाली मृत्यु की पूर्व जानकारी थी. शायद प्रत्येक मामले की बारीकी में जाने के उनके स्वभाव की यह एक झलक ही थी। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन वास्तविकता यह है कि उन्होंने आगामी पांच वर्षों तक कांग्रेस पार्टी द्वारा शासन चलाने के लिये एक कार्य-प्रणाली बहुत बारीकी से तैयार की थी। यदि हम स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की अंतिम इच्छा और दूरदर्शिता के अनुसार कार्य करते रहे तो भारी बहुमत के युग की समाप्ति के बाद भी कांग्रेस की किसी विशेष चुनाव में साम-यिक उतार–चढ़ाव के बावजूद देश के शासन में एक नैसर्गिक पार्टी के रूप में भूमिका निभाने में कोई ताकत आड़े नहीं आ सकती है।

हम दसवीं लोक सभा के गठन के गणित को भलिभांति समझते हैं। दो बुनियादी बातें हैं। एक हमारी पार्टी सभा में सबसे बड़ी पार्टी है। दूसरा, हमारे सदस्यों की संख्या पूर्ण बहुमत से मात्र कुछ ही सदस्य कम हैं। इसलिए, जैसाकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सहमति और समझौते के क्षेत्र के विस्तार के लिए सभी पार्टियों के बीच और अधिक परामर्श और सहयोग की भावना बढ़ाने की आवश्यकता है। हम यदि बहुमत भी प्राप्त करते तो भी ऐसा ही होना था। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर बल दिया है और मैं उसे उद्धृत करता हूं:

> "मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं अपना मस्तिष्क खुला रखूंगा। सरकार का मस्तिष्क किसी भी दिशा से आते हुए नये विचारों के लिए बिल्कुल खुला रहेगा।"

मैं सभा से अनुरोध करता हूँ, सभापति महोदय, कि इस शिष्ट वक्तव्य को उस अशिष्ट टिप्पणियों से अलग किया जाये जो धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद के दौरान प्रतिपक्ष ने की हैं। मुझे प्रसन्नता है कि कुछ रचनात्मक सुझाव दिये गये परन्तु कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जी द्वारा नया जोश जगाने के बाद भी विपक्ष ने वही पुराने हथकंडे अपनाए जो कि रचनात्मक दृष्टिकोण नहीं है। विपक्ष मानों ऐसा सोचता है कि हम मजबूत नहीं हैं क्योंकि हमें पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं है। हम उन्हें यह दिला दें ताली दोनों हाथ से बजती है। हमारा हाथ तैयार है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से विपक्ष के हाथ तैयार नहीं है इसलिए हमें उपदेश दिये जाते हैं जिसे वे नई "वास्तविकता" के नाम से पुकारते हैं। ये नयी वास्तविकतायें क्या हैं? जब वर्तमान विपक्ष सत्ता में था उस समय उनमें फूट थी। उन प्रश्नों पर उनमें अभी भी मतभेद है। जब वे सरकार में थे तो उस समय उन्होंने देश का बँटवारा कर दिया। अब वे जब विपक्ष में है तो उन्होंने देश को तीन मुद्दों पर बांट दिया। सरकार में उनकी राजनीति अवसरवादिता की थी। अब विपक्ष में उनकी राजनीति स्वार्थ पर आधारित है। सबसे बड़ा विपक्षी दल कांग्रेस का आधा भी नहीं है। सबसे बड़ा विपक्षी दल रेलगाड़ी का एक डिब्बा भी नहीं भर पायेगा। सभा में अधिकांश अन्य विपक्षी दलों की सदस्य संख्या एक हाथ की उंगलियों पर ही गिनी जा सकती है। मतैक्य के नाम पर ये आपस में लड़ रहे विपक्षी दल सत्ता में पिछले दरवाजे से आने का प्रयत्न कर रहे हैं। सरकार को सत्ता हथियाने के इस प्रकार के अवैध प्रयासों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। यह सरकार हमारी अपनी सरकार है। यह कांग्रेस की सरकार है। हमारा कर्त्तव्य है कि हम ए०डी०एम० के जैसे सहयोगी दलों को साथ लेकर चलें। शेष कार्यों के लिए हम, निश्चय ही, विपक्ष से सलाह लेंगे लेकिन विपक्ष को यह भूलना नहीं चाहिए कि यह सलाह राष्ट्र के महत्वपूर्ण हित में ली जा रही है, इसे शिकारी को शिकार बनाने का फंदा नहीं बनाना चाहिए।

हमें यह अवश्य देखना चाहिए कि हम कार्यक्रमों को कैसे लागू कर सकते हैं। इसके लिए मतैक्य, सुलह और सन्धि की आवश्यकता पड़ेगी। कोई मेल-मिलाप भय पर आधारित न हो। और कोई संधि लाचारी के कारण नहीं की जानी चाहिए। इसका अर्थ कांग्रेस परम्परा के मौलिक सिद्धांतों के अनुरूप समझौता होना चाहिए। और इसका अर्थ राष्ट्र को साथ-साथ लेकर चलने की कांग्रेसी परम्परा के अनुरूप सुलह होनी चाहिए। इसका अर्थ कांग्रेस की संकल्पनाओं और इसकी दूरदर्शिता के अनुरूप संधि होनी चाहिए।

यदि इस आधार पर विपक्ष के किसी वर्ग का विशिष्ट मुद्दों पर सहयोग मिलता है तो हम उसका स्वागत करते हैं; साथ-ही-साथ हम समझौतों के क्षेत्रों का विस्तार करने और मतभेद दूर करने के प्रत्येक प्रयत्न का भी स्वागत करते हैं। लेकिन यदि सहयोग महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमारे सिद्धांतों के अनुरूप नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में हम जनता के बीच जाने से नहीं डरते हैं। क्योंकि प्रजातन्त्र के सिद्धांत के अनुसार जनता हमेशा अंतिम निर्णायक होती है।

केवल सत्ता में बने रहने के लिए कोई कांग्रेसी सरकार परोक्ष रूप से भा०ज०पा० की सरकार नहीं बन सकती है—जैसे कोई भेड़ भेड़िए के बहकावे में हो; यह सरकार परोक्ष रूप से वामपंथी दलों की भी सरकार नहीं बन सकती है—जैसे कोई भेड़ भेड़िये के बहकावे में हो, और न तो यह

सरकार परोक्ष रूप से राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बन सकती है—जैसे कोई भेड़ भेड़िए के पहनावे में हो। नहीं, महोदय, हमें अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहिए। हमारी पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन की पार्टी है; हमारी पार्टी महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की पार्टी है। हमारी पार्टी राजीव गाँधी की पार्टी है। हमारी पार्टी अब पी०वी० नरसिंह राव की पार्टी है। हमारी पार्टी उस भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी की पार्टी नहीं हो सकती जिन्होंने हमें सभी प्रकार के विदेशी दबाबों के बारे में बताया था और उनके अनुसार ये दबाव हमें विदेशियों के इशारे पर चलने पर मजबूर करते थे। ये प्रधान मंत्री वही हैं जो आम आदमी की तरह अमरीकी साम्राज्यवाद के सामने झुक गये थे और जब अमरीका एक साथी एशियायी देश के खिलाफ साम्राज्यवादी लड़ाई लड़ रहा था तो उन्होंने उसके युद्धक विमानों को भारत में ईंधन भरने की अनुमति दी थी।

हो सकता है राष्ट्रपति के अभिभाषण में श्री सैयद शाहबुद्दीन का दार्शनिक चिंतन, श्री सोमनाथ चटर्जी के भाषणों का जोश एवं गरज और भा०ज०पा० के "जय श्री राम" जैसे धार्मिक नारे न हों। इसे वस्तुतः सैयद शाहबुद्दीन की तरह शासकीय टिप्पणी के रूप में पढ़ा जा सकता है। लेकिन शासकीय टिप्पण का सबसे अधिक लाभ यह है कि इससे वह कार्य योजना तैयार की जा सकती है जिसे अगले 12 महीनों में लागू किया जा सकता है। यह सिद्धांत और वास्तविकता पर आधारित एक व्यवहारिक कार्यक्रम है। इसमें जो कुछ भी है उसे सभा के प्रायः प्रत्येक सदस्य का समर्थन प्राप्त है। क्या मैं इस सन्दर्भ में विशिष्ट रूप से प्रत्येक गाँव को पीने के पानी की आपूर्ति सम्बन्धी अत्यावश्यक कार्यक्रम का उल्लेख कर सकता हूँ जिसे सरकार राजीव गाँधी के नाम से चलाना चाहती है। मुझे विश्वास है कि हमें इस प्रकार के मुद्दों पर प्रायः सभा के सभी वर्गों का समर्थन मिलेगा।

तथापि कुछ अन्य विवादास्पद मुद्दे भी हैं। उदाहरणार्थ, पूजा-स्थलों के बारे में स्वतंत्रता दिवस, 1947 जैसी स्थिति बनाये रखने और राम जन्म भूमि–बाबरी मस्जिद विवाद सम्बन्धी विधान पर राष्ट्रपति के अभिभाषण में अपनाया गया दृढ़ दृष्टिकोण। इस प्रकार के मुद्दों पर कांग्रेस का विचार ही माना जाना चाहिए चाहे इसका परिणाम जो भी हो। हम मतैक्य के नाम पर अपनी धर्म निर्पेक्षता को नहीं छोड़ सकते और हम अपने आपको केसरिया रंग की लहरों में डूबने नहीं देंगे जिसमें हमें आडवाणी जी, अटल जी और जसवंत जी जैसे भद्र–विवेकशील व्यक्तियों के पीछे ढकेलने की कोशिश की जा रही है। वे लोग फ्रैंकस्टेन के शिकार हैं जो उन्हीं की देन है। सदन के बाकी सदस्यों या वस्तुतः देश को इस प्रकार के भाग्य की कोई आवश्यकता नहीं है।

निष्कर्षतः, सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान राष्ट्रपति के अभिभाषण में कमी की ओर दिलाना चाहता हूँ। राष्ट्रपति के अभिभाषण में राजीव गांधी की सरकार द्वारा तैयार किये गये पंचायती राज और नगरपालिका संविधान संशोधन विधेयकों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है जो राज्य सभा में चंद वोटों की कमी के कारण पारित नहीं हो सके। हमारे चुनावी घोषणा पत्र में उस विधान को इस बजट सत्र में संसद के समक्ष लाने का वायदा किया गया था।

निश्चय ही, संवैधानिक विधान अन्य विधानों से बिल्कुल भिन्न है जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने विश्वास मत पर बहस के उत्तर में स्पष्ट किया है। चूंकि इस सभा में हमारे सदस्यों की संख्या कुल सदस्य संख्या के आधे से कम है और दूसरी सभा में भी लगभग वही स्थिति है। हम इतना महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन बिना विपक्षी दलों के सहयोग से पारित नहीं करा सकते। लेकिन राजीव गांधी की सरकार द्वारा तैयार किये गये पंचायती राज और नगरपालिका विधेयकों को उसी रूप में संसद के समक्ष लाकर, आवश्यकता पड़ने पर आगे विचार करने के लिए इसे संयुक्त या प्रवर समिति को सौंपने की गुजांइश है।

लोकतंत्र को निचले स्तर पर संवैधानिक सुरक्षा देकर हमारे लोकतंत्र की रक्षा को श्री राजीव गांधी द्वारा दिये गये अत्यधिक महत्व को देखते हुए मैं सरकार से इन संवैधानिक संशोधनों पर इस बहस का उत्तर देते समय अपनी स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह करता हूँ।

सभापति महोदय : अब श्री चार्ल्स बोलेंगे।

. . . **(व्यवधान)** . . .

श्री पीयूष तीरकी : क्या हमें बोलने का अवसर नहीं मिलेगा ? . . . **(व्यवधान)** . . .

सभापति महोदय : अध्यक्ष महोदय एक घंटे से यहां थे तथा मैं अभी-अभी पीठासीन हुआ हूँ। अब, आपने देखा है कि तीन मुख्य विपक्षी नेता सदन में लगातार बोल रहे हैं। सत्तारूढ़ दल से केवल श्री मणिशंकर अय्यर बोले हैं। मैं तैयार की गई सूची के अनुसार नाम पुकार रहा हूँ। मैं उसी सूची के अनुसार चल रहा हूँ। निश्चित रूप से आप सब को अवसर मिलेगा। चार्ल्स महोदय कृपया मेरा साथ दीजिए।

. . . **(व्यवधान)** . . .

श्री पीयूष तीरकी : एक के पश्चात् एक केवल कांग्रेस सदस्य ही बोल रहे हैं। . . .

. . . . **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय : अब क्या बात है ? आपकी पार्टी का, सब मैम्बर्स का नाम है। मेरी कोशिश रही है कि सबको मौका मिले। पहले का तो आपको मालूम होगा, कि अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण के बाद यहां लगातार तीन अपोजीशन लीडर्स बोले हैं। आपका नाम है। आपको चांस मिलेगा।

. . . **(व्यवधान)** . .

[अनुवाद]

श्री पीयूष तीरकी : मेरा भी एक दल है तथा मुझे बोलने का अधिकार है। मैं अवसर की प्रतीक्षा में हूँ . . . **(व्यवधान)** . . .

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : इसमें मेरा सुझाव है कि जो लिस्ट आपके पास है, उसमें आप सब लोगों को मौका दें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री तीरकी आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। आप प्रक्रिया से अवगत हैं। आखिरकार हमें सदन की कार्यवाही चलानी है। कृपया मेरा साथ दीजिए। हमने पहले ही सदन की बैठक की अवधि बढ़ा दी है।

. . . (**व्यवधान**) . . .

सभापति महोदय : यदि आप सब इकट्ठे बोलेंगे तो मैं किस प्रकार निर्णय लूंगा ?

. . . (**व्यवधान**) . . .

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : नौवीं लोक सभा में, मैं सभापति के पैनल में था। मेरा अनुभव यह था कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो भी पीठासीन हो वह वक्ताओं की प्रारंभिक सूची तैयार करता था। वाद-विवाद के मध्य ही सूची में कुछ फेरबदल हो सकता है। यह सदैव पीठासीन सदस्य के ऊपर निर्भर है कि वह पहले सभापति द्वारा छोड़े गए किसी सुझाव में संशोधन कर ले। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि कहीं पर कोई कमी रह गई है। जब ग्रुप 'क' के चार सदस्यों में से किसी को बोलने का मौका नहीं दिया जाता, ग्रुप 'ख' के केवल एक सदस्य को ही बोलने का अवसर दे दिया जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सूची में कोई त्रुटि है। पीठासीन द्वारा यह प्राथमिकता यदा-कदा ही दी जाती है। यह मेरा नौवीं लोकसभा का अनुभव है उससे पहले मैं राज्य सभा में था। मैं जानता हूँ कि यही होता है। इसलिए, मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि आज ही सबको अवसर दिया जा सकता है . . . (**व्यवधान**) . . .

सभापति महोदय : मैं इसे स्वीकार करता हूँ निश्चित रूप से सभी को अवसर दिया जाएगा। मैं तो यह कह रहा था कि तीन विपक्षी नेता श्री वाजपेयी, श्री वी० पी० सिंह तथा श्री चन्द्रशेखर अभी बोले हैं। तत्पश्चात् श्री मणिशंकर अय्यर बोले

. . . (**व्यवधान**) . . .

सभापति महोदय : यहां दलों का नाम मत लाइये। श्री चार्ल्स हमने सभी बातों पर विचार किया है।

. . . (**व्यवधान**) . . .

श्री पीयूष तीरकी : आपने अभी मेरे से वादा किया था तथा कहा था कि मैं तीसरा वक्ता हूँगा . . . (**व्यवधान**) . . .

सभापति महोदय : प्रत्येक को अवसर मिलेगा

. . . (**व्यवधान**) . . .

श्री पीयूष तीरकी : आपने मुझे बताया था कि मैं तीसरा वक्ता हूँगा। आपने अपना ही निर्णय क्यों बदल दिया है ? मैं इसे रिकार्ड पर रखवाना चाहता हूँ। . . . (**व्यवधान**) . . .

सभापति महोदय : नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा।

. . . (**व्यवधान**) . . .

श्री पीयूष तीरकी : हां, आपने कहा था कि मैं तीसरा वक्ता हूँगा तथा मेरा नाम वहां था। मैं तीसरे नम्बर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आपने क्या निर्णय लिया है ?

सभापति महोदय : आपने गलत समझा है। मैंने आपको बताया था कि दी गई सूची के अनुसार आप तीसरे वक्ता हैं। ये हैं, श्री मणिशंकर अय्यर, श्री चार्ल्स तथा श्री तीरकी।

...(**व्यवधान**)...

सभापति महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों से अपना सहयोग देने का अनुरोध करता हूँ। यदि आप इसी तर्क वितर्क में लगे रहे कि कौन पहले बोलेगा तो हमारा समय बर्बाद होगा ....

...(**व्यवधान**)...

[हिन्दी]

श्री के०पी०रेड्डय्या (मछलीपटनम) : सभापति महोदय, आप नाम पढ़ दीजिए, किस-किस के नाम हैं ?

सभापति महोदय : सबके हैं। आपका नाम भी है। आपका नाम श्री के०पी० रेड्डय्या है।

...(**व्यवधान**)...

[अनुवाद]

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढाना) : क्या मैं एक स्पष्टीकरण मांग सकता हूँ ? यदि हमें समय नहीं मिलता है तो क्या हम अपना भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं। जिससे कि यह रिकार्ड में आ जाय ...(**व्यवधान**)...

श्री विलास मुत्तेमवार (चित्तूर) : मैं भी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ... (**व्यवधान**)...

सभापति महोदय : श्री चार्ल्स

...(**व्यवधान**)...

श्री इन्द्वालम्बा : सभी राजनैतिक दल दिये गए अपने समय से अधिक समय ले चुके हैं। यहां हमारे जैसे दल भी हैं जिन्हें समय नहीं दिया गया है। तथा हम एक राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे संबंध में क्या मत है ? हमने अपने नाम दिये हैं।

सभापति महोदय : अध्यक्ष महोदय ने पहले ही ये चार नाम दे दिये हैं। श्री मणिशंकर अय्यर, श्री चार्ल्स तथा श्री तीरकी तथा श्री मंगलराम प्रेमी। उन्होंने एक भा०ज०पा० से लिया है, एक जनता दल से, वे श्री वी०पी० सिंह हैं तथा एक समाजवादी जनता दल

...(**व्यवधान**)...

सभापति महोदय : आप नागालैंड से हैं। छोटे-छोटे राज्यों तथा क्षेत्रों के सदस्य यहां हैं। आप सभी को अवसर दिया जाएगा। इसलिए, कृपया मुझे सहयोग दें अपना भाषण छोटा करें।

...(**व्यवधान**)...

सभापति महोदय : आप पहले ही 15 मिनट बर्बाद कर चुके हैं। तीन व्यक्तियों को अवसर दिया जा सकता था।

श्री मुकुल वासनिक : महोदय, क्या यह वक्ताओं की पूर्ण सूची है ?

सभापति महोदय : नहीं. नहीं

. . . (**व्यवधान**) . . .

सभापति महोदय : श्री चार्ल्स. . .

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, मैं माननीय श्री बूटा सिंह द्वारा रखे गए राष्ट्रपति के अभिभाषण के संबंध में धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ ।

सभापति महोदय : कृपया संक्षिप्त में कहिए ।

श्री ए० चार्ल्स : मैं पिछले दो दिनों से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कृपया मेरा सहयोग कीजिए । विपक्षी सदस्य जब बोल रहे थे तो हम ध्यानपूर्वक सुनते रहे । हमारे पास सदस्यों का बहुमत है । . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री पीयूष तीरकी : अपने बहुमत का गर्व मत करें . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री ए० चार्ल्स : मुझे पीठासीन अधिकारी द्वारा बुलाया गया है. . . (**व्यवधान**) . . . राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में अगले एक वर्ष में की जाने वाली कार्यवाही की विस्तृत व्याख्या की है । उन कार्यक्रमों के संबंध में विस्तार से जाने के पहले में बड़ा दुःख महसूस करते हुए अपने महान नेता श्री राजीव गांधी को श्रद्धांजली व सम्मान देना चाहता हूँ । राष्ट्रपति द्वारा ठीक ही कहा गया है कि श्री राजीव गांधी की नृशंस हत्या ने सम्पूर्ण विश्व के लोगों का दिल दहला दिया है।

यह हमारे देश के राष्ट्र के इतिहास में एक संकट की घड़ी थी जब श्री राजीव गांधी को नेतृत्व करने तथा महान राष्ट्र के लक्ष्य प्राप्त करने को मजबूर किया गया था । महोदय, उस समय उन्होंने असीम साहस का परिचय दिया तथा देश के करोड़ों निराश लोगों को आशा प्रदान की । उन्होंने थोड़े ही समय में देश को कीर्ति के शिखर पर पहुँचा दिया परन्तु दुर्भाग्यवश देश के भीतर तथा बाहर अस्थिरतावादी ताकतों ने उनको बहुत नापसन्द किया था । मैं इस संबंध में किसी का नाम नहीं लेना चाहता । मैं विपक्ष के नेताओं द्वारा दिये गए भाषणों को ध्यानपूर्वक सुनता रहा हूँ । हमारे माननीय साथी श्री वाजपेयी ने अपना भाषण शुरू करते हुए कहा कि यह एक राष्ट्रीय संकट है । केवल एक ही राष्ट्रीय संकट नहीं है, यह राजनैतिक संकट है, सामाजिक संकट है, नैतिक संकट है तथा यह आर्थिक संकट भी है । परन्तु उन्होंने इन सबको उद्धृत करते हुए देश के आर्थिक संकट पर ही जिसका आज देश सामना कर रहा है, अत्यधिक जोर दिया ।

महोदय, एक या दो मिनट में मैं माननीय सदस्य द्वारा बताए गए राजनैतिक, सामाजिक तथा नैतिक संकट के बारे में प्रकाश डालूंगा । महीदय, वर्तमान, सामाजिक तथा नैतिक संकट के लिए कौन उत्तरदायी है? मैं उत्तर के लिए विपक्षी दलों मे अपने दिलों में झांकने को कहता हूं । मुझ आठवीं तथा नौवीं लोकसभा का सदस्य रहने का सौभाग्य या दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है । आठवीं लोकसभा में क्या हो रहा था ? श्री राजीव गांधी को संकट की घड़ी में, जब सपूर्ण विश्व को लग रहा था कि हमारी

प्रिय नेता इंदिरा जी की नृशंस हत्या के साथ हमारी एकता तथा अखण्डता समाप्त हो चुकी है, जब संपूर्ण विश्व जल रहा था, इस महान देश का नेतृत्व संभालने के लिए मजबूर किया गया। अपने दुःखी हृदय से मैं कह सकता हूं कि जो लोग उनके चारों ओर थे, जिन पर उन्होंने विश्वास किया था, जिन लोगों ने सदैव उनका समर्थन किया उन्होंने अस्थिरता पैदा करने वाली ताकतों से हाथ मिला लिया तथा उनके साथ विश्वासघात किया। यह एक दुःखद कहानी है। इसलिए, जिन सामाजिक तथा नैतिक संकटों का सामना आज देश कर रहा है यह उन्हीं अस्थिरतावादी ताकतों का षड़यंत्र है। परन्तु मुझे यह कहते हुए दुःख है कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो लगभग एक घंटे तक बोले उन्होंने बीस मिनट केवल मंडल आयोग में ही लगा दिए। मैं पिछड़े समुदाय से सम्बन्धित हूं। फीस का भुगतान न कर पाने के कारण मैंने अपनी पढ़ाई युवावस्था में ही बीच में छोड़ दी थी। इसलिए मैं गरीब, सामान्य तथा पिछड़े आदमी का दुःख जानता हूं। मैं कह सकता हूं कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जब वे मंडल आयोग की रिपोर्ट के आदेश को जारी कर रहे थे तो उन्होंने इस देश के सम्पूर्ण पिछड़े समुदाय के साथ विश्वासघात किया. . . (व्यवधान) . . .

भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने पूछा था कि यह सरकार उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश के संबंध में उत्तर देने में क्यों अनिच्छुक है। मैं उत्तर देने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मेरा विश्वास है कि सत्ता पक्ष उचित समय पर उचित उत्तर देगा। परन्तु क्या मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछ सकता हूं ? कि उन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट जारी करने के संबंध में किस प्रकार आदेश जारी किए ? यह बयान उन्होंने अपनी मर्जी से दिया था। यह उनके द्वारा जारी किया गया आदेश नहीं था। बुद्ध की तरह, एक रात को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ कि पिछले 25 वर्षों से 52 प्रतिशत पिछड़े समुदायों के साथ विश्वासघात हो रहा है। 25 वर्ष की उस अवधि में वह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के मुख्य मंत्री भी रहे थे। उस व्यक्ति के खून की एक-एक बूंद कांग्रेस की है। परन्तु उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी तथा

7.00 म०प०

विपक्ष के माननीय सदस्यों ने उन्हें गले लगा लिया। उनकी एक महात्मा के रूप में प्रशंसा की गई। उन्होंने क्या किया? अपनी मर्जी से बयान जारी करते हुए उन्होंने पिछड़े समुदायों की सूची भी जारी नहीं की। यह पूर्ण विश्वासघात था। मैं उनसे पूछता हूं कि क्या वह मंडल आयोग की रिपोर्ट में बताए गए पिछड़े समुदायों की सूची के प्रति वचनबद्ध हैं। वास्तविक समस्या सूची की है। इस सूची में 3743 समुदायों को शामिल किया गया है। उन्होंने आदेश जारी करते वक्त क्या कहा ? हम सब जानते हैं कि यह आदेश केवल ताऊ पर प्रहार करने के लिए, जिन्हें एक जमादार की भांति बिना कारण बताओ नोटिस दिए ही निकाल दिया गया था, दिया था। कुल मिलाकर यह उनकी राजनीति थी। यह उनका मामला है तथा हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। आदेश के साथ समुदायों की सूची नहीं दी गई है। केवल यह कहा गया की पिछड़े समुदायों को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा तथा मंडल रिपोर्ट में दी गई सूची तथा सब राज्यों की सूची के अनुसार सूची तैयार की जाएगी। वे उस समय प्रधान मंत्री थे। यदि वे पिछड़े समुदाय के प्रति वास्तव में गम्भीर थे तो उनको सूची तैयार करवानी थी। अब यह कितना विचित्र लगता है जब वे वर्तमान प्रधान मंत्री से कहते है कि दो हफ्ते के अन्दर सूची क्यों नहीं तैयार की गई। यह बहुत आश्चर्यजनक है। श्री पासवान यहां नहीं हैं। मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता था। जिन दिनों वे केन्द्रीय मंत्री थे मैं उनसे मिला था, तथा उनसे मैंने कहा था कि जब तब बोर्डों को ये विशेषाधिकार दिए जा रहे हैं तो धर्मान्तरण करने वाले इसाइयों को भी

क्यों नहीं दिए जाने चाहिएं। परन्तु उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। उनका गणित क्या था ? उन्होंने कोई साधारण अंकगणित किया था। यह पिछड़े समुदायों की 52 प्रतिशत जनसंख्या के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण था। वी० पी० सिंह जी, पासवान जी तथा यादव जी ने अंकगणित तैयार किया था। 52 प्रतिशत पिछड़े लोगों तथा 20 प्रतिशत अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के साथ उनकी जेब में देश की 74 प्रतिशत जनसंख्या थी। अपनी बुद्धि के इस गणित के साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति से इस माननीय सदन को भंग करने की सिफारिश की। इसी साम्प्रदायिक सोच के साथ वे लोगों के समक्ष जाना चाहते थे। राष्ट्रपति ने इसकी आज्ञा नहीं दी। हम सभी समस्त बातें जानते हैं जो कि अब इतिहास बन चुका है।

श्रीमान जी, मुझे एक कहानी याद आती है, स्वतन्त्रता पूर्व के भारत में एक स्कूल शिक्षक था। आजकल तो, अध्यापक एक संगठित वर्ग है तथा वे बहुत शक्तिशाली है। उनकी संगठित शक्ति के कारण, उन्हें कोई छू भी नहीं सकता, चाहे वे पढ़ाए अथवा नहीं, चाहे वे विद्यालय जाए अथवा नहीं। लेकिन उन दिनों किसी अध्यापक का भविष्य पूरी तरह से स्कूल निरीक्षक की रिपोर्ट पर निर्भर करता था। एक बेचारा प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक पांचवीं कक्षा के विद्यार्थियों को उस समय गणित पढ़ा रहा था जिस समय स्कूल निरीक्षक दौरे पर आया। उसने एक प्रश्न किया। यदि कक्षा के कमरे की लम्बाई 20 फुट है और चौड़ाई 10 फुट है तो मेरी आयु कितनी होगी। अध्यापक को आघात लगा। उसने सोचा कि यह कोई नया अंकगणित है जिसकी उसको जानकारी नहीं है। उसने एक-एक करके सभी 30 विद्यार्थियों से पूछ लिया। एक विद्यार्थी, जो बहुत होशियार था, ने उत्तर दिया कि उनकी आयु 40 वर्ष है। उस निरीक्षक की सही आयु यही थी। वह आश्चर्यचकित हो गया और लड़के को थपथपाया और उसने पूछा कि उसे यह उत्तर कैसे मिला। लड़के ने कहा यह तो बहुत आसान है। उसने बताया कि उसका एक बड़ा भाई है, जो 20 वर्ष का है और वह आधा पागल है। स्कूल निरीक्षक जो ऐसा प्रश्न करता है, तो वह निश्चित रूप से 40 वर्ष का होगा। यही गणित श्री वी० पी० सिंह का भी है। नौवीं लोकसभा में आपके सदस्यों की कितनी संख्या थी ? और दसवीं लोक सभा में यह संख्या कितनी है। इसीलिये मुझे यह कहानी याद आती है।

एक माननीय सदस्य : आपके चेहरे पर भी भरपूर मुस्कान है, यद्यपि आपके पास भी साधारण बहुमत नहीं है।

श्री ए० चार्ल्स : यद्यपि हमारे बहुमत के लिये कुछ सदस्य कम हैं, लेकिन लोगों की इच्छा हमारे साथ है। हमें लोगों का बहुमत प्राप्त है।

पूर्व प्रधान मंत्री जी सर्वसम्मति की बात करते थे। उनका प्रधानमंत्रीत्व सर्वसम्मति से शुरू हुआ था उन्होंने कहा था कि सभी कुछ सर्वसम्मति से किया जाएगा। मैं अपने भा० ज० पा० और वामपंथी मित्रों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं क्या उन्होंने इस विवादास्पद मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने के संबंध में आदेश जारी करते समय उन लोगों से परामर्श किया था ?

उन्होंने जब पूरे देश के साथ साम्प्रदायिकता का खेल खेला, उस समय भी इन लोगों से परामर्श तक नहीं किया। उन्होंने देश को बांट दिया। मुझे भरोसा है कि इतिहासकार यह

लिखेंगे कि यह एक व्यक्ति था जिसने साम्प्रदायिक और जातिवादी खेल खेल कर पूरे राष्ट्र को संकट में धकेल दिया। अब वह कहते हैं कि वर्तमान सरकार ने एक पक्षीय निर्णय ले लिया और यह निर्णय सर्वसम्मति से नहीं लिया गया है। वह निर्णय क्या था, जो उन्होंने लिया था ? उन्हें क्या अधिकार है कि वह इस सरकार से पूछें कि हम एक पक्षीय निर्णय ले रहे हैं ? हम तो सर्वसम्मति के पक्षधर हैं। मामलों पर हम सभी लोगों से विचार विमर्श करते हैं। माननीय सदस्यों में से एक सदस्य ने पंचायती राज विधेयक का अभी उल्लेख किया। इस विधेयक का विरोध किसने किया ? इस विधेयक में महिलाओं के लिये 30 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है। उस समय किसने विश्वासघात किया ? मेरी चुनौती है कि यदि वह विधेयक यहां पर पुनःस्थापित किया जाता है, तो क्या आप उसका समर्थन करेंगे ?

हम उस विधेयक के प्रति वचनबद्ध हैं ? हम लोगों के प्रतिवचनबद्ध हैं। मैं औद्योगिक नीति और वित्तीय नीति के संबंध में भी कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन समयाभाव के कारण मैं इन विषयों को नहीं लूंगा।

विश्व भर में अनेकानेक परिवर्तन लाए जा रहे हैं। यहां तक कि सोवियत संघ में भी काफी बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य से, केरल और प० बंगाल से आने वाले विपक्ष के मेरे मित्रगण इन परिवर्तनों को नहीं समझ पा रहे हैं। हम परिवर्तन चाहते हैं। हम प्रगति चाहते हैं।

अतः, मैं अपनी पूरी शक्ति से धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वार) : सभापति जी, बहुत देर सब्र करने के बाद मुझे बोलने का अवसर मिला। मैं एक विशेष बात की तरफ जिसको किसी मेंबर ने नहीं कहा, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भारत के संविधान में धारा 244(1) और 244(2) में क्या लिखा है, क्या मैं इस सदन में पढ़ कर सुनाऊ, मैं सिर्फ एक दो लाइनें पढ़ कर सुनाऊंगा। इसमें ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट्स के सबध में लिखा है, इससे पता चलता है कि कांग्रेस सरकार ने इनके साथ कितना न्याय किया है। बहुत कुछ कहा जाता है कि आदिवासियों और हरिजनों के लिये बहुत कुछ किया जा रहा है, उनको रिजरवेशन दिया जा रहा है, जितने भी बड़े-बड़े नेताओं के भाषण होते हैं, उन सब में यह बात कही जाती है। जो कुछ संविधान में लिखा है, उसके अनुसार एक भी बात संविधान की नहीं मानते और उसके अनुसार काम नहीं करते।

[अनुवाद]

संविधान के अनुच्छेद 244(1) और (2) में कहा गया है :

"छटी अनुसूची के उपबन्ध वहां पर निर्दिष्ट आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिये लागू होंगे।"

कांग्रेस सरकार ने अपने शासन में इन उपबन्धों को कहां तक क्रियान्वित किया था ? मेरा यह प्रश्न है। क्या उन्होंने ऐसा किया ? मैं मंत्रालय, भारत सरकार और सत्तारूढ़ दल को भारत के संविधान का अध्ययन करने का आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

उनको जस्टिस देना है। वे लोग भिखारी नहीं हैं कि तुम दया करोगे, वहां जाकर रक्षा करोगे। उनको हक दो। उनकी जगह रोक ली है, उनका सब कुछ लूट लिया और उनको कहीं नहीं जाने दे रहे हैं और दबाकर रखा है। वे दया नहीं चाहते हैं। इसको ख्याल में रखना चाहिये। इसी बात को श्री वी० पी० सिंह लाए थे। बैकवर्ड तुम्हारी दया से नहीं जीना चाहते। अपना हक और बराबरी का हक चाहते हैं इसलिये कांग्रेस ने बी० जे० पी० को साथ लेकर सरकार को गिराया और इस तरह काम किया और अब एस० सी०, एस० टी० की बात करते हैं। बड़े-बड़े बांध बन रहे हैं और बड़े-बड़े कल-कारखाने बन रहे हैं। उस जगह के लाखों आदमी डिसप्लेस हो रहे हैं। उन आदमियों को कहां बसाया जा रहा है। क्या उनके विषय में कुछ सोचा जा रहा है। किसकी भलाई के लिये बांध बनाया जा रहा है। जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनमें गरीब, दूसरी जाति के और बड़े लोग भी हैं तथा गरीब इलाका है। वे डिस्प्लेस हो रहे हैं कि कहां जाए। किसी को कंपनसेशन मिलता है और किसी को नहीं मिलता। इस विषय पर गंभीरता से विचार किया जाए। यही कारण है कि एंट्रोसिटीस व टैरोरीज्म बढ़ रहा है। ट्राइबल क्षेत्र में नैक्सलाइट बढ़ रहा है। इसका कारण क्या है। जो भी गरीब है उसको अपने स्वार्थ के लिये दबाकर रखते हैं और यूटिलाइज करते हैं। यह देखो कि हर वर्ष साढ़े सात सौ करोड़ रुपया फारेन एक्सचेंज से आता है। क्या काम होता है। वहां पर आज तक प्राईमरी शिक्षा नहीं दी गई। उनको बेवकूफ बनाया गया। कोई भी सहायता नहीं की गई। बहुत महात्मा जो सरकार आती हैं। हमारे कुछ बंधु कहते हैं कि हिन्दु राष्ट्र होगा। हिन्दु के बारे में बता देता हूं। जो प्रेजीडेंट हैं वे भी ब्राहमण हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन और इलैक्शन कमीशन के श्री शेषन भी ब्राहमण हैं। सारे के सारे हिन्दू ही हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हिन्दू राष्ट्र किस तरह से बनता है। ब्राहमणों के ऊपर मैं गाली नहीं देता। मैं यह कहना चाहता हूं कि भले, साधु और धर्म के आदमी किस लिये ट्राइबलों के ऊपर न्याय कर रहे हैं। जो संविधान में दिया गया है वह उनको हक नहीं देना चाहते। सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। नागालैंड और पूर्वांचल में आन्दोलन हुआ। वहां लड़ाई हुई और खून-खराबा हुआ तब उनको दिया गया। कांग्रेस सरकार वही भाषा समझती है बंदूक से लड़ाई होगी तभी उसकी बात सुनी जायेगी। यही स्थिति रही तो सारे देश में यही हाल होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट अंधी है। इसकी आंख नहीं है। वह दूसरी चीज को देखते हैं। हम रिपोर्ट पढ़ रहे थे। उसमें दिया है कि जमीन चालीस मिलियन हैक्टेयर फूल्ड से बच सकती है और बाढ़ के लिये बंदोबस्त हुआ है। जो ट्राइबल प्रोजेक्ट हैं तो वहां का पत्थर नहीं उठाया जा सकता। बांध की नींव टूट जायेगी तो कितना भारी देश को नुकसान हो सकता है। गंगा का पोल्युशन हो रहा है और हम को पत्थर नहीं मिल रहा है। पहले जमीन को बचाओ जो कि चालीस मिलियन हैक्टेयर जमीन जाने वाली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 33 मिलियन

हैक्टेयर को बचाया जा सकता है, यदि समय से काम लें। अभी पश्चिम बंगाल में गंगा में इरोजन से अच्छे-अच्छे गांव और जमीन डूबने वाली है। इस सरकार की नीतियां सही नहीं हैं। जो जमीन उपजाऊ होती है वहां पर गेहूं, धान या अन्य फसलें होती हैं वहां पर टाउनशिप बना दी जाती है, कालोनीज बनाई जाती हैं। लेकिन इनके दिलों में किसानों के लिए कोई दर्द नहीं है। अगर आप वाकई में उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो उनकी उपजाऊ जमीन को छोड़ कर मरूभमि में, राजस्थान में जाकर कालोनीज बसाएं। वहां जाकर एयर-कंडीशंड लगाएं। वहां जाकर पांच सितारा होटल खोलें। लेकिन खेती वाली जमीन को नष्ट न करें। हरियाणा में ऐसे ही कितनी हजारों एकड़ जमीन जो कि अच्छी खेती वाली है उस पर टाउनशिप बनाई जा रही है। इससे आप गरीबों का, किसानों का शोषण कर रहें हैं। दिल्ली में आप देखें झोंपड़ियों में रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनके पास खाने को नहीं है। वे जहां से कुत्ते लोगों का जूठा खाना उठाकर खाते हैं, वहां से बीन-कर खाना खाते हैं। मैंने यह अपनी आंखों से देखा है कि आजाद हिन्दुस्तान में गरीब आदमी जो खाना अमीर लोग छोड़ देते हैं और फेंक देते हैं उसको उठाकर खाते हैं। बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली में लोगों के पास रहने को जगह नहीं है। जबकि हम विदेशों से ऋण लेते हैं, देश से सोना बाहर भेजते हैं और देश से चोरी करके रुपया बाहर भेजते हैं। क्या यही है आज का आजाद भारत? इस तरह की सरकार नहीं चलेगी। इसीलिए जन साधारण ने आपको पूर्ण बहुमत नहीं दिया, इसलिए यह एक लंगड़ी सरकार है। इसलिए आपको चाहिए कि आप सब लोगों से सहयोग करें। जो गलतियां आपने की हैं अपने पिछले शासन के दिनों में उसको सुधारें, अगर नहीं सुधारेंगे तो देश आपको क्षमा नहीं करेगा। आप सब ने यहां संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है, उसमें अनुसूचित जाति और जनजातियों के बारे में लिखा हुआ है। आप कल ही इसी सत्र में बिल लाकर जो हर राज्य में मार्क किया गया है पिछड़ों के बारे में उसकी व्यवस्था करें। आप आटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना सकते हैं, ये आटोनोमस रीजन भी हो सकते हैं।

[अनुवाद]

मैं सरकार से संविधान का अध्ययन करने और तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करने के लिए आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मंगल राम प्रेमी (बिजनौर) : मान्यवर, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। बूटा सिंह जी ने, जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा है वे यहां नहीं हैं उनको मैं बताना चाहता था। यहां पर हर बात को हर माननीय सदस्य ने उठाया है लेकिन एक विचित्र बात मैं कहना चाहता हूं। सफाई मजदूरों के लिए जो की देश में पांच लाख के करीब हैं। उनके विषय में किसी भी सदस्य ने नहीं कहा। बूटा सिंह जी इनके पीछे लगे रहते हैं और चाहते हैं कि इनका उद्धार हो। लेकिन जिस वक्त वह मंत्री थे उनके समय में भी इनका कोई उद्धार नहीं हुआ और वह भी इनको भूल गए। ये लोग किस तरह से गन्दगी के साथ रहते हैं, यह मैं बताना चाहता हूं। सफाई का काम करने वाले ये लोग नगरपालिका, नोटिफाई एरिया, जिला परिषद या गांव आदि में काम करते हैं और इनको आठ-नौ महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती है। इनको पर-डे

के हिसाब से काम पर रखा जाता है और इनका शोषण किया जाता है। यहां पर प्रजातंत्र की दुहाई देने वाले और चालीस साल तक राज करने वाले लोग इन सफाई मजदूरों का शोषण करते रहे हैं, इनको स्थाई नहीं किया जाता है। इनको दुःखी किया जा रहा है। जिस वक्त हिन्दुस्तान आजाद हुआ था तो उस समय 35—40 करोड़ आबादी थी और आज यह आबादी 85 करोड़ बतायी जाती है लेकिन मेरे ख्याल से एक अरब के करीब होगी। सफाई कर्मचारी वही हैं उन्हीं के ऊपर सफाई का वजन पड़ा हुआ है। क्या सरकार उनकी मदद कर रही है, क्या इस सरकार ने आज तक सोचा कि इनको और बढ़ाया जाए, इनकी तरक्की की जाए। इनकी जो सुविधाएं हैं वे दी जाएं लेकिन कोई नहीं दिया जा रहा है। इनका और शोषण किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि अभी हरिद्वार में बी० एच० ए० एल० में ठेकेदारी का काम चल रहा है जहां पर एक ठेकेदार 40—50 रुपया ले रहा है जब कि सफाई कर्मचारी को केवल 10 रुपया दिया जाता है, ऐसा क्यों है, क्यों उससे ऐसा काम करवाया जाता है? अगर बूटा सिंह जी यहां बैठे होते तो बताते कि बड़ी दुहाई देते थे लेकिन मंत्रिमंडल में आते ही आज तक इस बात को सदन के अन्दर नहीं किया है। मैं संसद सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि किस सदस्य को उनकी सेवाएं प्राप्त नहीं होती, लेकिन किसी ने आज तक कोई बात उनके बारे में नहीं की।

मान्यवर, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत हुआ है, उसका विरोध इसलिए करता हूं क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण में सफाई कर्मचारियों के बारे में एक शब्द तक नहीं आया। आप पढ़ कर देखें कि उनके बारे में एक शब्द तक नहीं आया है।

कई माननीय सदस्य : आपकी बात सही है।

श्री मंगल राम प्रेमी : मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं और सरकार से कह देना चाहता हूं कि अब आप समझने लगे हैं कि इन सफाई कर्मचारियों की धार तलवार की तरह है और 100 धार की तलवार है। यदि इन लोगों ने झाड़ू रूपी तलवार चला दी तो न सरकार रहेगी, न मर्ज रहेगा और न मरीज ही रहेगा। यदि आठ दिन भी इन्होंने झटका दे दिया तो हिन्दुस्तान का सत्यानाश हो जाएगा। हिन्दुस्तान में बीमारी फैल जाएगी। यह एक ऐसा वर्ग है जो स्वयं गंदगी में फंस कर दूसरों की सेवा करता है। इसलिए राष्ट्रपति के अभिभाषण में और न सरकार ही इनके बारे में एक शब्द कहने को तैयार है। जितना भी इन लोगों का शोषण किया गया है, उसमें कांग्रेस सरकार ने ही इनका शोषण किया है।

सभापति जी, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप स्कूलों के अन्दर देखिए। स्कूल में उनको 15—16 साल कार्य करते हो गए लेकिन उनको तनख्वाह 5—10 रुपए या 25 रु० या ज्यादा से ज्यादा 50 रु० मिलते हैं। जब टीचर्स की तनख्वाह बढ़ा दी जाती है, चपरासी की तनख्वाह बढ़ा दी जाती है तो सफाई कर्मचारी की तरफ ध्यान क्यों नहीं रखा जाता है। चूंकि सरकार की नीयत साफ नहीं है, इसलिए उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ायी जाती है। जिला परिषद में, किसी भी जगह ब्लॉक में या अन्य किसी भी जगह सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं तो वहां सफाई कर्मचारी-कम-चौकीदार रखा जाता है, उसको इतनी मुसीबत में रखते हैं कि वह अपने बच्चों को अपने परिवार को ठीक से नहीं रख पाते हैं, वे न बच्चों को उचित शिक्षा ही दिला पाते हैं. यदि कोई बच्चा बढ़ भी जाता है तो उससे कहा जाता है कि तुम सफाई कर्मचारी बनोगे। कई जगह तो वे बच्चों को दिन में रखते हैं, रात में रखते हैं और यदि टाईम बच जाता है तो भैंस के लिए घास खोदनी पड़ती है।

मान्यवर, मैं सरकार से और आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, उनकी तरफ सोचना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो ये सरकार को साफ कर देंगे। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि इनको परमानेंट रखा जाए, इनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, नोटिफाईड एरिया, टाऊन एरिया, नगरपालिकाओं में इनको पूरी तनख्वाह पर क्यों नहीं रखा जाता है, ये गरीब कहां से खाना खायेंगे ? वे कहते हैं कि हमारे पास कोई धनराशि नहीं है जो इनको दें। मेरा यही निवेदन है कि इनको बैंक से या डाकघर कहीं से भी तनख्वाह दी जाए वरना ये अधिक परेशान हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इनके तंग होने से न इनके बच्चे बढ़ सकते हैं और न स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। दस-दस हजार रुपए तक इनसे रिश्वत ली जाती है नौकरी पर रखने के लिए। मैं कहता हूं कि आरक्षण हो रहा है। हरिजनों का आरक्षण, फैलाने का आरक्षण, पिछड़े का आरक्षण, मैं कहता हूं कि इन नौकरियों में क्यों नहीं आरक्षण कर देते ? सरकार के जितने आदमी हैं ऐसा क्यों नहीं कह देते हैं ? यहां पर क्यों नहीं उसका आरक्षण कर देते ? मैं अपने सभी सांसदों को कहना चाहता हूं कि इस समय सरकार को सुझाव दें कि .....

(व्यवधान) ये भाषण नहीं मान्यवर, इस समाज का बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। मैं इस पर ज्यादा टाइम लेना चाहता था लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और इनको तनख्वाह टाइम पर दिलवाई जाए। इनकी हालत खराब हो रही है। अगर इनको नहीं देखा गया, गांवों में देखिए इनकी क्या हालत है ? गांवों में करीब-करीब मेरा ख्याल एक घड़ी अनाज और रोटी, इनके ऊपर अपना गुजारा चल रहा है। क्यों नहीं ब्लॉक के द्वारा सफाई के कर्मचारी रखे जाते ? ब्लॉक के द्वारा उनको सफाई पर क्यों नहीं लगाया जाता ताकि गांवों की सफाई भी ठीक हो और हालत यह है कि छोटे-छोटे शहरों में जा कर देखिए कि कचरे के ढेर लगे हैं। उनको डांटा जा रहा है कि आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। उनके पास टाइम कहां है कि हम इतना काम करें। मैनुअल रिपोर्ट के हिसाब से आदमी कर्मचारी बढ़ाए जाएं, उनको तनख्वाह टाइम पर देने के लिए उनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए।

मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूं। हजरत मोहम्मद साहब के लिए सरकारी छुट्टी घोषित की जा सकती है लेकिन बाल्मीकि जयंती पर सरकारी छुट्टी घोषित नहीं की जा सकती। जिसने इस देश का इतना बड़ा उद्धार किया है, हिन्दू धर्म का इन्होंने बड़ा उद्धार किया है रामचरित मानस लिख कर। यह बताया था कि रामचन्द्र जी 10 हजार वर्ष बाद जन्म लेंगे और लोगों का उद्धार करेंगे। मैं भी आप लोगों से कहना चाहता हूं कि बाल्मीकि दिवस पर भी पक्की छुट्टी घोषित की जाए ताकि इनकी छुट्टी भी मनाई जा सके। मैं आपसे इतना ही कहने के बाद इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री याईमासिंह युमनाम : (आंतरिक मणिपुर) : प्रारम्भ में, हमारे साथ अस्पृश्यों की तरह व्यवहार करने के लिए मैं अपने साथी सदस्यों की तरफ से अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करना चाहूंगा। हम मणिपुर, नागालैण्ड, असम के सीमावर्ती क्षेत्र जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र के दूरवर्ती भागों से यहां पर आते हैं। हमें आशा थी कि अवसर राज्य-वार दिए जाएंगे। लेकिन उसके पश्चात् छोटे राज्यों को भी अवसर दिया जाए। लेकिन जब दल-वार व्यवहार करते हैं, तो हमें अवसर ही नहीं मिलता। हमें इस बात का खेद है।

महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में ठीक ही कहा है कि असम, नागालैण्ड और मणिपुर में स्थिति चिन्ताजनक बनी हुई है। यह इसलिए, क्योंकि असम, नागालैण्ड और मणिपुर में संकट है। जैसा कि आप जानते हैं कि मणिपुर में अभी तक भी सशस्त्र बल अधिनियम को विशेष शक्तियां मिली हुई हैं। कृपया उन परिस्थितियों की कल्पना कीजिए जब इन्हें लागू किया गया होगा। यह उन अन्य राज्यों में लागू नहीं है जिनका विशेष दर्जा है। यह मणिपुर, नागालैण्ड और असम के कुछ भागों में लागू है। ऐसा क्यों है? मैं सभा का ध्यान वहां की स्थिति की गम्भीरता और विद्यमान परिस्थितियों की तरफ दिलाना चाहता हूं।

श्रीमान जी, यदि मैं मणिपुर के मामलों के संबंध में ही बात करूं, तो मुझे प्रान्तीय दृष्टि वाले व्यक्ति के रूप में गलत नहीं समझा जाएगा, क्योंकि मुझे जो समय मिला है, वह लगभग पूरा हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, मणिपुर, बर्मा और भारत के अन्य राज्यों के साथ लगता हुआ महत्वपूर्ण सीमावर्ती राज्य है। मणिपुर एक मूल राज्य है। भारत के साथ इसका विलय 1949 में ही हुआ था। इस राज्य के महाराजा को विलय संबंधी करार पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया गया था। महाराजा ने दबाव में आकर इस पर हस्ताक्षर किए थे। अतः मणिपुर इस तरह से भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। लेकिन लोग इस विलय से काफी निराशा महसूस करते हैं। युवाओं के कतिपय वर्ग ने हथियार उठा कर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, क्योंकि इन युवाओं को महसूस हुआ कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। यह स्थिति भारत सरकार की लापरवाही से पैदा हुई है। मैं सभा के समक्ष इस तथ्य को लाना चाहता हूं। महोदय, मणिपुर 1891 तक एक प्रभुत्ता-सम्पन्न स्वतन्त्र राज्य था। इसकी स्वतन्त्रता की अंतिम लड़ाई इंगलैण्ड के साथ 1891 में हुई थी। इंग्लैण्ड के हत्थे चढ़ने वाला भारत का यह अंतिम राज्य था जिसको 1891 में कब्जे में लिया गया। फिर भी, इंग्लैण्ड वालों ने इसको मूल राज्य बने रहने की अनुमति दे कर इसको राज्य का दर्जा प्रदान किया। विलय करार के अनुसार लोगों को आशा थी कि उनके साथ उचित व्यवहार किया जाएगा, लेकिन वे अब एक दम निराश हैं। जैसा कि, आप जानते हैं, सर थॉमस पेन ने कहा—"जहां पर स्वतन्त्रता होती है, वहीं पर घर होता है।" लेकिन गांधी जी ने कहा था—"जहां स्वतन्त्रता नहीं है, वही मेरा घर है।". गांधी जी की इन्हीं भावनाओं के साथ हमारे प्रिय प्रधान मंत्री स्वर्गीय नेहरू जी ने मणिपुर की यात्रा की थी और उस समय उन्होंने कबाऊ घाटी, जो कि मणिपुर का एक हिस्सा थी, को बर्मा को देने के लिए कहा था। शुरू में, लोगों में इससे आक्रोश हुआ था। वे इस बात से सहमत नहीं थे। लेकिन नेहरू जी इसे बर्मा को सौंप देना चाहते थे, क्योंकि उस समय नेहरू जी बर्मा को इससे अनुग्रहीत करना चाहते थे वह इसलिए कि वह उस देश से मित्रता चाहते थे।...

(व्यवधान).....

सभापति महोदय : युमनाम महोदय, आपका समय पूरा हो चुका है।

श्री याइमा सिंह युमनाम : श्रीमान जी, मैं थोड़ा सा समय और लेना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप पहले ही पांच मिनट का समय ले चुके हैं.

(व्यवधान)

श्री याइमा सिंह युमनाम : महोदय, विधानसभा में अपनी बात मैं पच्चीस से अधिक वर्षों से कहता रहा हूं। इस सभा में मेरा यह पहला भाषण है। इसलिए मुझे कुछ और समय लेना है।

इस प्रकार, श्रीमान जी, मणिपुर से कबाऊ घाटी को अलग करने के बदले में लोगों ने नेहरू जी से किसी चीज के लिए कहा था और वह इससे सहमत हो गए थे। लेकिन यह इतना औपचारिक नहीं था। वह सहमत हो गए थे कि आठवीं अनुसूची में मणिपुरी भाषा को एक राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए। नेहरू जी के बाद, हमने श्रीमती इंदिरा गांधी से अपनी मांग उठाई थी। मैं एक प्रतिनिधि-मंडल को ले कर श्रीमती इंदिरा गांधी से मिला था और वे किसी हद तक इससे सहमत भी थीं, यद्यपि इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई। मैं जब कलकत्ता में पीठासीन अधिकारियों की बैठक में भाग लेने गया था, तो मुझे उनसे मिलने का मौका मिला था। श्री बलराम जाखड़ तब लोकसभा अध्यक्ष थे और वह सम्मेलन के सभापति थे। श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधान मंत्री थीं, तब उन्होंने मुझे कलकत्ता से बुलाया था। उसी अशुभ दिन को मुझे उनसे मिलने के लिए कलकत्ता से बुलाया गया था। मैंने श्री बलराम जाखड़ से अनुमति ली और उनसे मिलने गया। लेकिन उसी दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचा, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। विमान पन्द्रह मिनट विलम्ब से था, अन्यथा मैं उनसे भेंट कर सकता और यहां तक कि उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को टाल सकता था।

श्रीमती इंदिरा गांधी किसी हद तक सहमत हो गई थीं, यद्यपि इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी कि मणिपुरी भाषा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल की जानी चाहिए और इसे राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। भा०ज०पा० के नेता श्री आडवाणी जी जैसे दूसरे नेताओं ने यह बात स्वीकार की है कि मणिपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। विपक्ष के नेता, श्री आडवाणी ने इम्फाल में एक सार्वजनिक सभा में इसकी घोषणा की थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) सहित अन्य वामपंथी दलों ने भी अपने घोषणा-पत्रों में इसका वचन दिया था कि नेपाली और मणिपुरी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, जब वे प्रधान मंत्री थे, तो उस समय इसके संबंध में लगभग निर्णय ले लिया था और वास्तव में उन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री के माध्यम से हमें एक संदेश दिया था कि वे मणीपुर विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में इसकी घोषणा कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त और अन्य ने इस संबंध में एक संशोधन रखा था कि वे मणिपुरी को भारत में संविधान की आठवीं अनुसूची में रखने के प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। अतः, लगभग सभी दल, राष्ट्रीय मोर्चा और अन्य वामपंथी दल, भा०ज०पा० ने मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का वचन दिया है। मैं यह भी आशा करता हूं कि कांग्रेस दल भी इसका समर्थन करेगा और सरकार इस उद्देश्य के लिए एक विधेयक लाएगी।

यह भाषा कितनी समृद्ध है, इसके बारे में, मुझे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल इतना कहूंगा कि सुविख्यात विद्वान श्री सुनिति कुमार चटर्जी ने कहा था कि मणिपुरी भाषा सभी तिब्बती-बर्मन भाषाओं के परिवार में सबसे अधिक विकसित भाषा है। इस भाषा को राष्ट्रीय

भाषा के रूप में स्वीकार करने के लिए आधार प्रदान करने के लिए मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। यह लगभग 20 लाख लोगों की मातृ-भाषा है। राज्य में यह सरकारी काम-काज की भाषा है। मणीपुर राज्य विधानसभा ने इस संबंध में प्रस्ताव पास किया है और एक अधिनियम बनाया गया है। यह न्यायालय की भाषा है जिसका निचली अदालतों में प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रमुख भारतीय भाषा है। यह प्राथमिक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाओं के लिए माध्यम है। यह देश की साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें। आप ने 15 मिनट का समय ले लिया है। अब आप अपना भाषण समाप्त कर दीजिए।

श्री याइमा सिंह युमनाम : महोदय, मणीपुर भाषा को देश की राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए सभी आधार मौजूद हैं। अतः, मैं सरकार से एक विधेयक प्रस्तुत करने का अनुरोध करता हूं ताकि मणीपुरी और नेपाली भाषाओं को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए संविधान में उचित संशोधन किया जा सके।

दूसरे विषय पर हुए जो मैंने संशोधन के रूप में रखा है, मैं एक बात कहना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मणीपुर विधानसभा में इस समय सात स्थान खाली पड़े हैं। विधानसभा के माननीय अध्यक्ष ने सात विधायकों को सभा की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया हैं।

श्री मोरेश्वर सावे (औरंगाबाद) : महोदय, सभा में गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : गणपूर्ति घंटी बजाई जाए। अब गणपूर्ति है। श्री याइमा सिंह युमनाम अपना भाषण जारी रख सकते हैं। श्री युमनाम, आप पहले ही 20 मिनट से अधिक समय ले चुके हैं। अतः कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री के० पी० रेड्डय्या : वह पहले ही 35 मिनट का समय ले चुके हैं। मेरे पास रिकार्ड है और आप कह रहे हैं कि आप नए सदस्यों को अपना प्रथम भाषण देने के लिए समय प्रदान करेंगे।

सभापति महोदय : क्या करें ? आपने सहयोगी का सहयोग करना चाहिए।

श्री याइमा सिंह युमनाम : सभापति महोदय, चूंकि विपक्ष के नेता अब सभा में आ गए हैं, मुझे मणीपुरी भाषा के बारे में फिर से अपनी बात कहनी है। श्री आडवाणी जी ने इम्फाल में एक सार्वजनिक सभा को सम्बोधित किया था और उन्होंने बहुत सहानुभूतिपूर्वक जनता को आश्वासन दिया था कि वे मणीपुरी भाषा को संविधान की अनुसूची में शामिल करने के इस मुद्दे को वे उठाएंगे।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री याइमा सिंह युमनाम : मैं यह जान कर बहुत प्रसन्न हूं कि भाजपा इसका समर्थन करेगी

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए, आप पहले ही 20 मिनट ले चुके हैं। अन्य सभी सदस्य प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए और अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग कीजिए।

श्री याइमा सिंह युमनाम : महोदय, मणीपुर में, मणीपुर विधान सभा के अध्यक्ष ने 24 जुलाई, 1990 को अपने आदेश द्वारा दल-बदल के कारण सात विधायकों को अयोग्य करार दे दिया था।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना चाहिए। आप पहले ही 25 मिनट से अधिक समय ले चुके हैं और अन्य सदस्यों को अवसर देना बहुत कठिन है। मैं आप से अनुरोध करता हूं कि अब अपना भाषण समाप्त कर दीजिए।

श्री याइमा सिंह युमनाम : महोदय, लगभग एक वर्ष से सरकार ने विधानसभा कि इन रिक्तियों को नहीं भरा है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन सात विधानसभा क्षेत्रों में लोगों को विधान सभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा।

दिल्ली में, जो देश की राजधानी है, कम से कम, एक सड़क का नाम महान शहीद वीर टिकेन्द्रजीत, जो मणीपुर और देश के लोगों की भावनात्मक एकता के लिए लड़े थे, के नाम पर होना चाहिए।

प्रो० मिजिनलंग कामसन (वाह्य मणीपुर) : सभापति महोदय, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने कुछ गलत जानकारी दी है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन सात विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया था, लेकिन उक्त मामला अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित पड़ा है। उसको देखते हुए, वहां चुनाव होने का कोई प्रश्न नहीं है। अतः लोगों को अपने प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं किया गया है। . . . . **(व्यवधान)** . . . .

सभापति महोदय : आपको उसमें स्पष्टीकरण का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। आप अब अपना भाषण समाप्त कर सकते हैं। मैं अगले सदस्य को बुला रहा हूं।

श्री याइमा सिंह युमनाम : महोदय, मुझे बोलने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया है। इसलिए, इसके विरोधस्वरूप मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : यह बहुत ही अनुचित है कि आप ने अध्यक्ष पीठ के लिए ऐसी टिप्पणी की है। अब श्री जीवरत्नम।

***श्री आर० जीवरत्नम** (अर्कोनम) : माननीय सभापति, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव के समर्थन में कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

माननीय भारत के राष्ट्रपति, श्री आर० वेंकटरमण एक महान राजनेता हैं। उनका राजनैतिक जीवन आधी शताब्दी से कुछ अधिक समय का है। राष्ट्र के भाग्य को बनाने में उनकी प्रमुख भूमिका रही थी और अब भी है।

देश विगत दो वर्षों से संकट के दौर से गुजर रहा है। माननीय राष्ट्रपति ने सभी संकटों का योग्यतापूर्वक समाधान करने में सहायता की है। उन्होंने लोकतन्त्र की जड़ें गहरी करने में सहायता की है। इसलिए इस सम्माननीय सदन की ओर से मैं माननीय राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करता हूं।

*मूलतः तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपान्तर।

देश की जनता ने अपना विश्वास माननीय प्रधानमंत्री, श्री पी० वी० नरसिंहराव और उनके वित्त मंत्री में व्यक्त किया है और वे आशा करते हैं कि देश की सभी आर्थिक समस्याओं का समाधान होगा।

वे सभी व्यक्ति जो इस सभा में उत्तरी भारत से राम के नाम पर आए हैं, वे कभी न कभी साम्राज्यवाद के समर्थक रहे हैं। वे वही व्यक्ति हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या पर खुशियां मनाई थीं और उस अवसर को मनाने के लिए मिठाईयां बांटी थीं। आज, वे एक अलग संगठन के नीचे हैं। उनका भूतकाल कुछ भी रहा हो, मैं उनसे इस सरकार को अपना सहयोग प्रदान करने के लिए अनुरोध करता हूं।

यदि महात्मा गांधी नहीं होते, तो हमें आजादी नहीं मिलती। यदि नेहरू नहीं होते, तो इस देश में कोई लोकतन्त्र नहीं होता। मैं और आप इस सभा में नहीं आए होते।

डी०एम०के० के संरक्षक नेता, श्री ई० वी० रामास्वामी पेरियार ने स्वतन्त्रता आन्दोलन का विरोध किया था। डी० एम० के० के वर्तमान नेता ने लिट्टे का सहयोग दिया है जिसने एक बम विस्फोट में हमारे युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की निर्मम हत्या की है। राज्य में डी० एम० के० सरकार और केन्द्र में जनता दल सरकार तमिलनाडु की उस तरह की स्थिति के लिए जिम्मेदार थी जिसमें हमें एक प्रधानमंत्री का बलिदान करना पड़ा। दोनों दलों को पिछले चुनाव में एक अच्छा सबक सिखाया गया था।

8.00 म० प०

मैं अब पीने के पानी की समस्या पर आता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र, अर्कोनम, में पीने के पानी की अत्यधिक कमी है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस समस्या से निपटने के लिए राज्य को तुरन्त आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करें।

श्री मोरेश्वर सावे : महोदय, गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : गणपूर्ति घंटी बजाई जाए।

. . . (**व्यवधान**) . . .

सभापति महोदय : गणपूर्ति घंटी बज रही है। कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

. . . (**व्यवधान**)* . . .

सभापति महोदय : सभा में गणपूर्ति नहीं है, इसलिए सभा कल 11 बजे पुनः समवेत होने तक स्थगित होती है।

8.06 म० प०

तत्पश्चात लोकसभा शुक्रवार, 19 जुलाई, 1991/28 आषाढ़, 1913 (शक) के ग्यारह बजे तक स्थगित हुई।

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

91-M/S259LSS— —14-1-92—GIPS